₹ 75/-

वार्षिक विशेषांक 2025-26

सीमा संघोष

दुष्प्रचार

भ्रामक समाचार

मादक पदार्थ

पायरेसी

कट्टरपंथ

अवैध आप्रवासन

मानव तस्करी

सीमा सुरक्षा के अदृश्य शत्रु

विशेष साक्षात्कार

श्री राजनाथ सिंह

माननीय रक्षा मंत्री, भारत सरकार

RNI NO.: DELBIL/2021/79984

“On the borders stands our nation’s might,
Guarding freedom through the darkest night.
With civil hands that stand behind too,
Soldiers and people keep the flag in view.”

Namburu Subash

S/o.Late.N.M.Choudary

H.No. 8-2-293/82/A/198, Plot.No.198
Road.No.14, Jubilee Hills, Hyderabad-500033

Mail id: namburusubash@gmail.com

राजनाथ सिंह
RAJNATH SINGH

सत्यमेव जयते

रक्षा मंत्री
भारत
DEFENCE MINISTER
INDIA

दिनांक : 04.08.2025

संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई है कि **सीमा जागरण मंच** के मुखपत्र **''सीमा संघोष''** का विशेषांक **'सीमा सुरक्षा के अदृश्य शत्रु'** नामक विषय पर प्रकाशित किया जा रहा है।

यह विशेषांक वर्तमान समय की उन जटिलताओं और चुनौतियों की ओर संकेत करता है जिनसे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को नए–नए प्रकार के खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। सीमा संघोष जैसी पत्रिका केवल सीमावर्ती क्षेत्रों के भौतिक सरोकारों तक सीमित न रहते हुए, सामाजिक, वैचारिक और सांस्कृतिक आयामों को भी समाहित करने का प्रयास कर रही है।

सीमा सुरक्षा के अदृश्य शत्रु जैसे विषय पर विचार–विमर्श आज के समय में अत्यंत आवश्यक है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा अब केवल सीमाओं की रक्षा भर नहीं रह गई है बल्कि वह समाज की चेतना, युवाओं की दिशा और विचारों की दृढ़ता से भी जुड़ गई है।

मैं 'सीमा संघोष' विशेषांक से जुड़े संपादकीय मंडल को हार्दिक बधाई देता हूं तथा इसके सफल प्रकाशन की कामना करता हूं।

शुभकामनाओं सहित।

(राजनाथ सिंह)

Office : Room No. 104, Ministry of Defence, South Block, New Delhi-110011
Tel. : +91 11 23012286, +91 11 23019030, Fax : +91 11 23015403
E-mail : rmo@mod.nic.in

अजीत डोभाल, कीर्ति चक्र
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
Ajit Doval, KC
National Security Adviser
Tel : 23019227

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री कार्यालय
नई दिल्ली–110 011
PRIME MINISTER'S OFFICE
NEW DELHI - 110 011

संदेश

मुझे हार्दिक प्रसन्नता है सीमा जागरण मंच अपनी पत्रिका "**सीमा संघोष**" के वार्षिकांक के शुभ अवसर पर एक **विशेषांक "सीमा सुरक्षा के अदृश्य शत्रु"** का प्रकाशन एवं विमोचन कर रहा है। पत्रिका का विषय सामयिक एवं रणनीतिक विवेक से प्रेरित है। इस सराहनीय एवं प्रशंसनीय कार्य के लिए सीमा जागरण मंच के सभी पदाधिकारियों एवं उससे जुड़े हुये सदस्यों को साधुवाद।

आज युद्ध की परिभाषाएं बदल रही हैं, इस परिप्रेक्ष्य में किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा केवल भौगोलिक परिधियों में ही बंधकर नहीं रह सकती, बल्कि उस राष्ट्र के अंदर विद्यमान मनोवैज्ञानिक और वैचारिक मोर्चों की गतिविधियां भी इसमें सम्मिलित हैं। हम जब सीमा सुरक्षा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो सामान्यत: हमारी दृष्टि सीमाओं पर तैनात सैनिकों और उनके पराक्रम पर जाती है, परंतु सुरक्षा केवल भौगालिक नहीं होती। सुरक्षा एक मनोवृत्ति है, एक सतत् जागरूकता है। इसी व्यापक परिदृश्य में अदृश्य शत्रु सबसे अधिक घातक सिद्ध होते हैं, क्योंकि वे न तो प्रत्यक्ष दिखते हैं और न ही पारंपरिक तरीके से पहचाने जा सकते हैं।

"**सीमा संघोष**" ने इस चुनौती को रेखांकित करते हुये जिस प्रकार इस विषय पर जनचेतना के विस्तार का कार्य प्रारंभ किया है, वह उल्लेखनीय और प्रेरणास्पद है। मैं पत्रिका के सफल प्रकाशन एवं विमोचन हेतु शुभकामनाएं देता हूं।

अजीत डोभाल

(अजीत डोभाल)

शुभकामना संदेश

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सीमा जागरण मंच मुखपत्र सीमा संधोष के वार्षिक विशेषांक का प्रकाशन हो रहा है। इस बार का विषय "सीमा सुरक्षा के अदृश्य शत्रु" है, जो वर्तमान परिदृश्य में अत्यंत प्रासंगिक और गंभीर महत्व का विषय है। आतंकवाद, साइबर हमले, फेक न्यूज, आर्थिक अव्यवस्था, और वैचारिक दुष्प्रभाव जैसे अदृश्य शत्रुओं का सामना केवल हथियारों से नहीं, बल्कि जागरूकता, तकनीकी क्षमता, सामाजिक एकजुटता और सूचनात्मक सतर्कता से ही संभव है। इस दिशा में सीमा संघोष का यह प्रयास सराहनीय है, जो न केवल इन खतरों को उजागर करेगा, बल्कि नागरिकों में सजगता और जिम्मेदारी की भावना भी उत्पन्न करेगा।

मैं सीमा संघोष की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण विषय को जन-जन तक पहुंचाने के लिए उनके प्रयास की हार्दिक प्रशंसा करता हूं और इस विशेषांक के सफल प्रकाशन हेतु अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

(आलोक)

सह सरकार्यवाह
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

शुभकामना संदेश

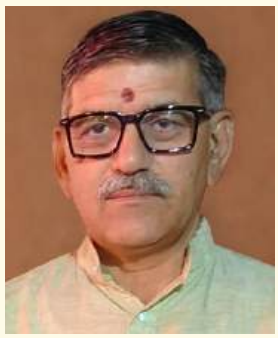

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि सीमा जागरण मंच का मुखपत्र सीमा संघोष इस वर्ष के वार्षिक विशेषांक को "सीमा सुरक्षा के अदृश्य शत्रु" जैसे अत्यंत सामयिक और रणनीतिक विषय को समर्पित कर रहा है।

आज राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमा पर तैनात जवानों का दायित्व नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है, यही जागरूकता जन-जन तक पहुंचे और नागरिक राष्ट्रसुरक्षा में अपनी भूमिका समझे और निभाए; यही सीमा जागरण मंच का उद्देश्य है।

अदृश्य खतरे हमारी सीमाओं के भीतर से राष्ट्र की स्थिरता को चुनौती देते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए नागरिक समाज को जागरूकता, सूचनाओं की समय पर साझेदारी, सामुदायिक सहयोग और तकनीकी समझ के साथ आगे आना होगा।

मैं सीमा संघोष की इस दूरदर्शी पहल की सराहना करता हूं।

मुरली धर भिण्डा
अखिल भारतीय संयोजक
सीमा जागरण मंच

संरक्षक
लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त)
विष्णुकांत चतुर्वेदी

सलाहकार
लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) अरुण साहनी

निदेशक
रवींद्र अग्रवाल

प्रधान संपादक
दीपांशु गर्ग

अंक संपादक
डॉ. श्रीश कुमार पाठक
डॉ. शुभम् व्यास

उप संपादक
राजीव रंजन प्रसाद
डॉ. चंद्रवीर सिंह भाटी

संपादक और लेखक सीमा संघोष की सामग्री के संबंध में अपने अधिकार सुरक्षित रखते हैं। किसी भी कॉपीराइटेड कार्य को किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से पुनः प्रकाशित नहीं किया जा सकता, सिवाय इसके कि संपादकों से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त हो। यहां प्रयुक्त छवियां सार्वजनिक क्षेत्र से ली गई हैं, इनका स्वामित्व उन्हीं से सम्बंधित हैं और इन्हें केवल जागरूकता और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है। यह पत्रिका गैर-व्यावसायिक, गैर-लाभकारी है और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने का उद्देश्य रखती है। लेखों में व्यक्त विचार केवल लेखकों के हैं और अनिवार्यतः यह पत्रिका के दृष्टिकोण का प्रतिबिंब नहीं हैं।

Facebook : SeemaJagranM
X : sjmorg_official
Instagram : sjmorg_official
Youtube : @Seemajagranmanch

आभार

यह विशेषांक अनेक सम्मानित व्यक्तियों के सहयोग से संभव हो पाया, जिनके प्रति हम हृदय से कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

आदरणीय श्री मुरली धर भिण्डा जी ने विषय निर्धारण में अमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया, जिससे इस अंक की विषयवस्तु में गहराई और प्रासंगिकता आई।

लेफ्टिनेंट जनरल श्री विष्णुकांत चतुर्वेदी जी और लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली जी ने चयनित विषय के अनुरूप विशिष्ट लेखकों से संपर्क स्थापित कर अमूल्य लेखों के योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉ. शरद शर्मा जी के अनुवाद सहयोग ने इस कार्य के पूर्ण होने के लिए अपरिहार्य आधार प्रदान किया।

श्री भोगेन्द्र पाठक जी ने प्रारूप के संपादन में अमूल्य सहायता दी।

डॉ. आलोक अग्रवाल जी ने आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर इस प्रयास को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

हम सीमा अध्ययन संस्थान के सभी सहयोगियों को भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिनकी निष्ठा और प्रतिबद्धता इस विशेषांक के रूप में फलित हुई।

भारत माता की जय

सम्पादकीय

जब हम सीमा सुरक्षा की बात करते हैं, तो अक्सर बर्फीली चोटियों पर तैनात जवान, रेगिस्तानी चौकियां और समुद्री गश्त की तस्वीरें दिमाग में आती हैं। लेकिन आज के भारत के सामने खतरे इतने सरल और दिखाई देने वाले नहीं हैं। ये खतरे अदृश्य हैं,कभी स्लीपर सेल के रूप में, कभी डार्क वेब पर छिपी साजिशों में, कभी नकली नोटों और नशीले पदार्थों के धंधे में, तो कभी अंतरिक्ष से हमारी तकनीक पर मंडराते सैटेलाइट खतरों में। आतंकवाद की नई रणनीतियां, घुसपैठ, मानव तस्करी, अवैध प्रव्रजन, समुद्री डकैती, डेटा चोरी, डीपफेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए फैलाया जाने वाला कट्टरपन,ये सब हमारी सीमाओं को केवल नक्शे पर ही नहीं, बल्कि हमारे विचारों और समाज की एकता में भी चुनौती दे रहे हैं। यह लड़ाई अब सिर्फ बंदूक और बाड़ तक सीमित नहीं, बल्कि दिमाग और दिल तक फैल चुकी है।

ऐसे में इस संघर्ष की असली ताकत केवल हथियारबंद सैनिकों में नहीं, बल्कि जागरूक और सक्रिय नागरिकों में है। हर व्यक्ति जो गलत सूचना का प्रतिरोध करता है, संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखता है, युवाओं में देशभक्ति जगाता है, और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास व स्थिरता का माहौल बनाने में योगदान देता है,वह इस युद्ध का हिस्सा है। स्कूलों, मीडिया, सामाजिक संगठनों और स्थानीय समितियों को मिलकर एक ऐसी सुरक्षा-संस्कृति बनानी होगी, जो न केवल सीमाओं को बल्कि हमारी राष्ट्रीय चेतना को भी सुरक्षित रखे।

सीमा की रक्षा, दरअसल, सिर्फ भूभाग की रक्षा नहीं, यह हमारी साझा विरासत, विश्वास और भविष्य की रक्षा है और इस जिम्मेदारी में हम सबकी बराबर की हिस्सेदारी है। लन्दन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स की विद्वान् मेरी काल्डोर लिखती हैं कि-' समकालीन संघर्षों में नागरिक समाज कहीं किनारे नहीं खड़ा है, बल्कि शांति स्थायी सुरक्षा के लिए उसकी भूमिका केंद्र में हैं।'

जिस तरह की परिस्थितियां विश्व राजनीति में और दक्षिण एशिया में बनती दीख रही हैं, भारत और भारतवासियों को इसके लिए तैयार रहना होगा। नागरिक समाज की तत्परता, राष्ट्र सुरक्षा को अभेद्य बना देती है। आइए, मनसा-वाचा-कर्मणा इस जिम्मेदारी में जुड़ने का संकल्प करें क्योंकि 'विकसित भारत २०४७' का लक्ष्यपथ 'सुरक्षित भारत' से ही होकर जाता है।

डॉ. श्रीश कुमार पाठक

डॉ. शुभम् व्यास

(सीमा अध्ययन संस्थान)

लेख

प्रत्येक भारतीय से अपील

पृष्ठ संख्या 10

I : सीमापार साज़िशें और हाइब्रिड युद्ध 12

आतंक और तस्करी की सुरक्षा चुनौतियां 13

आर्थिक विकास का आधार स्तंभ: समुद्री सुरक्षा 15

मूक विध्वंसक: अवैध प्रवासन और स्लीपर सेल्स का दोहरा खतरा 17

अदृश्य आक्रमण: जाली मुद्रा और आर्थिक-अखंडता की लड़ाई 20

एक्ट ईस्ट, एक्ट लोकल: सीमा व्यापार और पूर्वोत्तर भारत का भविष्य 22

II : फ़ायरवॉल से परे: प्रौद्योगिकी-आधारित खतरों का उदय 23

पिक्सेल से प्रभुत्व तक: तकनीक की चुनौती 24

उग्रवाद 2.0 : आतंकवादी प्रचार एवं भर्ती में एआई क्रांति 29

अदृश्य सेंध: डाटा असुरक्षा से होने वाले आर्थिक नुकसान 33

तकनीकी सामरिक युद्ध: सीमाओं के परे, भविष्य के संघर्ष 35

आख्यान युद्ध: भारत की सभ्यतागत आत्मा के लिए एक मूक संग्राम 38

III : उपग्रह से सर्वर तक :नवयुग के युद्धक्षेत्र 41

सुरक्षा की रूपरेखाएं: सीमा प्रबंधन में भू-आकृतिक चुनौतियां 42

ब्रम्हांडीय रणभूमि: नई अंतरिक्ष दौड़ में भारत की भूमिका 46

ऑर्बिट विजिल: भारत की अंतरिक्ष निगरानी शक्ति का निर्माण 49

साक्षात्कार : माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 51

IV : आंतरिक सुरक्षा: भारत की मूल शक्ति 54

बंदूकें, असंतोष और भारत की एकता के लिए संघर्ष 55

असहमति, विघटन और रक्षा : जटिल युग में भारत की सुरक्षा 58

सनातन पर छाए साये: बांटो और राज करो की वामपंथी रणनीतियां 61

V : ग्रीन शील्ड: भारत के पर्यावरणीय और जैविक भविष्य की सुरक्षा 64

रक्षा और आपदा : भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में जोखिमों का प्रबंधन 65

आपदा और राष्ट्र- भारत के रणनीतिक क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन 68

भारत में CBRN स्वास्थ्य सुरक्षा पर रणनीतिक दृष्टिकोण 71

भारत के लिए जैव-सुरक्षा के वैश्विक सबक 73

भारत की सुरक्षा चिंताएं और जल एवं खाद्य जनित बीमारियों के माध्यम से महामारी का निर्माण 75

VI : सुदृढ़: सीमा प्रशासन और विकास 78

सीमाओं पर जीवन की लौ: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) का पुनरावलोकन 79

भारत के सीमा क्षेत्र में शासन, सुरक्षा और अवसंरचना 82

सीमा प्रबंधन में सुरक्षा और संकट सहनशीलता 88

कानूनी कमजोरियां: आतंकवाद और सीमा नियंत्रण से संबंधित विधिक प्रावधानों की दुर्बलता 91

VII : मानव कारक: सुरक्षा और समाज के बीच सेतु 93

सीमा समुदायों में सांस्कृतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा चुनौतियां 94

मनोबल एक शक्ति गुणक के रूप में: सीमा सुरक्षा कर्मियों में मानसिक स्वास्थ्य 97

प्रत्येक भारतीय से अपील

भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने में आपकी भूमिका: हर भारतीय को आह्वान

लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी

पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम (गैलेंट्री), राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद

प्रिय साथी नागरिकों,

भारत की सीमाएं केवल मानचित्र पर खींची गई रेखाएं नहीं हैं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय पहचान, एकता और शक्ति के जीवंत किनारे हैं। जहां हमारे सशस्त्र बल अद्वितीय साहस, शौर्य और ईमानदारी के साथ हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, वहीं सुरक्षा चुनौतियों की जटिलता के लिए सैन्य शक्ति से कहीं अधिक की आवश्यकता है। वे हर भारतीय की सक्रिय भागीदारी की मांग करती हैं, गांवों से शहरों तक, कक्षाओं से कार्यालयों तक। इसलिए, यह हर भारतीय के लिए एक सैनिक बनने का आह्वान है।

आतंकवाद, घुसपैठ, मानव और मादक पदार्थों की तस्करी, जाली मुद्रा, साइबर हमले, गलत सूचना, अलगाववाद, पर्यावरणीय जोखिम और बुनियादी ढांचे की कमी कुछ ऐसे खतरे हैं जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, लेकिन हर खतरा सामूहिक कार्रवाई का अवसर प्रदान करता है।

आप समाधान का हिस्सा कैसे बन सकते हैं ,

- सजग रहें और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करें, घुसपैठ, नशीले पदार्थों और मानव तस्करी को रोकने में मदद करें, स्लीपर सेल और सीमा पार अपराधों के बारे में सतर्क रहें।
- आतंकवाद और कट्टरता से लड़ने के लिए जागरूकता अभियानों का समर्थन करें, विशेष रूप से ऑनलाइन और प्रभावित युवाओं के बीच।
- मानव तस्करी और अवैध अप्रवासन के खिलाफ आवाज़ उठाएं, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का समर्थन करें और समुदाय को शिक्षित करें।

- समुद्री डकैती की रिपोर्ट करने और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तटीय समुदायों के साथ काम करें।
- एक वित्तीय रूप से सुरक्षित समाज बनाने में मदद करने के लिए जाली मुद्रा और वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में सभी को शिक्षित करें।
- कानूनी सीमा व्यापार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करें, तस्करी और अवैध नेटवर्क पर निर्भरता कम करें।
- साइबर स्वच्छता और प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा दें, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में।
- केवल सत्यापित जानकारी साझा करके और सामुदायिक पत्रकारिता को मजबूत करके फर्जी खबरों और गलत सूचना का मुकाबला करें।
- एआई (AI) और डीपफेक के दुरुपयोग के बारे में जागरूक रहें, युवाओं से इसके खतरों के बारे में बात करें।
- अंतरिक्ष और उपग्रह के बुनियादी ढांचे के महत्व को समझें, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का समर्थन करें।
- नक्सलवाद और अलगाववाद से प्रभावित क्षेत्रों में शांति-निर्माण के प्रयासों का हिस्सा बनें, संवाद, एकता और आशा को बढ़ावा दें।
- जलवायु लचीलेपन और सार्वजनिक स्वास्थ्य में योगदान करें, विशेष रूप से आपदा-संभावित सीमावर्ती क्षेत्रों में।
- सीमावर्ती गांवों में शिक्षा, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य देखभाल के विकास का समर्थन करें, सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जोर दें।
- अपने कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों को जानें, नीतिगत निष्क्रियता या प्रशासनिक विफलता के खिलाफ आवाज़ उठाएं।
- स्थानीय संस्कृतियों का जश्न मनाएं और उन्हें संरक्षित करें, सीमावर्ती समुदायों की मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक शक्ति का निर्माण करने में मदद करें।
- हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाएं, आभार व्यक्त करें, मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करें और उनके बलिदानों का सम्मान करें।

चाहे आप एक शिक्षक, किसान, छात्र, पेशेवर या स्वयंसेवक हों, आपकी भूमिका मायने रखती है।

सुरक्षा अब केवल बंदूकों और पहरेदारों के बारे में नहीं है। यह जागरूकता, धारणा, जिम्मेदारी और एकता के बारे में है। यह समुदायों के एक साथ आने के बारे में है, न केवल भूमि की रक्षा के लिए, बल्कि जीवन, पहचान और हमारे भविष्य की रक्षा के लिए भी। तो आइए हम सब उठें, डर के साथ नहीं, बल्कि उद्देश्य के साथ। आइए हम सतर्क, सूचित और कार्रवाई में एकजुट हों। आइए हम भारत की सीमाओं और उसकी आत्मा की रक्षा करने में भागीदार बनें। मजबूत सीमाएं केवल कंटीले तारों से नहीं, बल्कि मजबूत समुदायों, स्पष्ट दिमागों, साहसी दिलों और अडिग राष्ट्रीय इच्छा से बनती हैं।

आइए हम सब मिलकर हर एक इंच को सुरक्षित करें, भौगोलिक रूप से, डिजिटल रूप से, आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से और भावनात्मक रूप से।

जय हिन्द जय भारत | सुरक्षित भारत, सुदृढ़ भारत

I

सीमापार साज़िशें और हाइब्रिड युद्ध

आज की आपस में जुड़ी दुनिया में खतरे, अब चुपचाप सीमाओं को पार करते हैं, जैसे घुसपैठ, स्लीपर सेल, मानव तस्करी और समुद्री डकैती। आतंकवादी समूह उन्नत तकनीक और छिपे नेटवर्क का इस्तेमाल कर सुरक्षा तंत्र से बच निकलते हैं, जबकि घुसपैठ और अवैध प्रवास अक्सर हथियारों, नशे और संगठित अपराध से जुड़े होते हैं। समुद्री लुटेरे व्यापार को बाधित करते हैं और नकली मुद्रा अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाकर आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है। सीमा व्यापार पर निर्भरता संकट या दबाव की स्थिति में देश को और भी असुरक्षित बना देती है। इन सबका मेल,जहां सैन्य, आपराधिक और आर्थिक दबाव साथ मिलते हैं,हाइब्रिड युद्ध कहलाता है, जिसका मकसद बिना खुली जंग के देश को अस्थिर करना होता है। इससे निपटने के लिए स्मार्ट सीमा प्रबंधन, मज़बूत खुफिया समन्वय, आर्थिक सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग अनिवार्य हैं। नागरिक समाज, गलत सूचना के खिलाफ जागरूकता फैलाकर और सुरक्षा को लेकर ज़िम्मेदार व्यवहार अपनाकर इन खतरों के खिलाफ एक सक्रिय और सहयोगी भूमिका निभा सकता है।

आतंक और तस्करी की सुरक्षा चुनौतियां

के. के. शर्मा

भारत के सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के पूर्व महानिदेशक, जो सीमा प्रबंधन और सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में अपने नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध हैं।

कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सदियों पहले यह चेतावनी दी थी कि किसी राष्ट्र के पड़ोसी राज्य स्वभावतः उसके प्रतिद्वंद्वी होते हैं; इसलिए उनके साथ व्यवहार में केवल मित्रता की मीठी भाषा नहीं, बल्कि सतर्कता की पैनी धार और दूरदर्शिता की गहरी दृष्टि भी अनिवार्य है। यह कोई बीते युग का सुभाषित भर नहीं, आज भी भारत के लिए यह उतना ही सत्य और सजीव है जितना सीमाओं पर तैनात प्रहरी का पहरा। हमारी भूमि, हमारे तट, हमारे आकाश, ये महज़ भू-भाग नहीं, बल्कि राष्ट्र-देह की सांसें हैं। उन पर हर क्षण अतिक्रमणकारी नज़रें गड़ी रहती हैं,कभी दुश्मन की फौजी बूटों के रूप में, कभी तस्करी और आतंक के गुप्त मार्गों में, तो कभी झूठ और दुष्प्रचार की हवा बनकर। सीमा प्रबंधन कोई काग़ज़ी काम नहीं, यह एक कठिन, बहुस्तरीय और दिन-रात चलने वाला यज्ञ है, जिसमें सुरक्षा-बलों की तपस्या, नीति-निर्माताओं की बुद्धि और नागरिकों की सजगता, तीनों की आहुति मिलती है। जब तक हम सब मिलकर इन चौखटों की रखवाली नहीं करेंगे, तब तक हर थल, हर तट और हर आकाश हमारे भविष्य के लिए खुला दरवाज़ा भी है और संभावित खतरे का मोर्चा भी।

भारतीय सीमा प्रबंधन को कठिन बनाने वाले कारक अनेक हैं,कुछ स्थल सीमाएं अब भी पूर्णतः चिन्हित नहीं हुई हैं, कुछ समुद्री सीमाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अस्पष्ट हैं, और कई सीमाएं भौगोलिक स्वाभाविक रेखाओं की बजाय औपनिवेशिक दौर में खींची गई कृत्रिम विभाजन रेखाओं पर आधारित हैं। इन कमज़ोरियों का लाभ उठाकर शत्रु न केवल पारंपरिक सैन्य गतिविधियां, बल्कि आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नकली मुद्रा, मानव तस्करी और दुष्प्रचार जैसे अदृश्य आक्रमण भी करते हैं।

भारत–पाकिस्तान सीमा: आतंक और तस्करी का मुख्य गलियारा

भारत–पाक सीमा तीन हिस्सों में है,

- रैडक्लिफ रेखा: 2,308 किमी (गुजरात से जम्मू तक)
- LOC (वास्तविक नियंत्रण रेखा): 776 किमी (जम्मू, पुंछ, बारामुला, कारगिल, लेह)
- AGPL (एक्चुअल ग्राउंड पोज़िशन लाइन): 110 किमी (NJ-9842 से इंदिरा कॉल तक)

LOC और AGPL पर निरंतर गोलीबारी, आतंकियों की घुसपैठ, और ड्रोन से हथियार व मादक पदार्थों की आपूर्ति आम हो चुकी है। पंजाब क्षेत्र से हेरोइन, नकली भारतीय मुद्रा (FICN), हथियार और हवाला नेटवर्क का प्रवेश भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए गहरी चुनौती है। पाकिस्तान की ISI "हज़ार घावों से भारत को रक्तस्राव कराने" की नीति (Zia Doctrine) के तहत न केवल आतंक को प्रायोजित करती है बल्कि धार्मिक कट्टरता, अलगाववाद, दुष्प्रचार और धनशोधन को भी बढ़ावा

देती है। ड्रोन से पाकिस्तानी पंजाब और POK से हेरोइन-ए.के. राइफल प्रवेश, अवैध मस्जिद-मदरसे और सीमावर्ती इलाकों में कट्टर नेटवर्क की स्थापना,ये सभी एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा हैं। 1947, 1965, 1971 के युद्धों, 1999 के कारगिल संघर्ष और हाल के ऑपरेशन सिन्दूर (2025) ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के प्रति केवल कठोर प्रतिरोध और लगातार निगरानी ही विकल्प हैं। त्रिकोणीय मोर्चा, 'चीन–पाक–बांग्लादेश' रणनीतिक गठबंधन,स्थिति को और पेचीदा बनाता है, जबकि अमेरिका का पाकिस्तान को सामरिक समर्थन चिंता बढ़ाता है।

भारत–चीन सीमा: विस्तारवाद की 'सलामी स्लाइसिंग'

3,488 किमी लंबी भारत-चीन सीमा तीन क्षेत्रों,पश्चिमी (लद्दाख), मध्य (हिमाचल–उत्तराखंड), और पूर्वी (सिक्किम–अरुणाचल),में बंटी है। चीन ने लद्दाख में 38,000 वर्ग किमी क्षेत्र अवैध रूप से कब्जा रखा है और पाकिस्तान से 5,180 वर्ग किमी POK का भूभाग प्राप्त किया है। अरुणाचल प्रदेश पर वह खुलेआम दावा करता है।

चीन की 'स्लाइसिंग टेक्निक' रणनीति,धीरे-धीरे क्षेत्रीय सेंध, सीमा अवसंरचना का तेज़ी से विस्तार, गलवान और डोकलाम जैसी सैन्य झड़पें,उसकी स्पष्ट विस्तारवादी महत्वाकांक्षा का प्रतीक हैं। तिब्बत पर कब्जा, भारत-अमेरिका साझेदारी, और भारत की सामरिक प्रगति से चीन में बेचैनी है। CPEC, 'String of Pearls' और अंतरराष्ट्रीय मंचों (UNSC, NSG) पर भारत का विरोध, 2020 के बाद भारतीय कड़े कदम,चीनी ऐप प्रतिबंध, कंपनियों की जांच, सीमा पर तेज़ अवसंरचना विकास,स्पष्ट करते हैं कि यह प्रतिस्पर्धा अब खुली रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता में बदल चुकी है।

भारत–बांग्लादेश सीमा: छिद्रपूर्ण (Porous) पट्टी और घुसपैठ

4,096 किमी लंबी यह कृत्रिम सीमा गांवों, खेतों और नदियों को चीरती हुई गुजरती है, जिसमें अवैध प्रव्रजन, मानव व मादक तस्करी, और गौ-तस्करी जैसी चुनौतियां नियंत्रण से बाहर हैं। मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड का दुरुपयोग, पश्चिम बंगाल और असम में बाहरी मौलवियों के माध्यम से मदरसों की बढ़ोतरी और हिंदू जनसंख्या के विस्थापन की खबरें सुरक्षा पर गहरे सवाल उठाती हैं। 2015 के 119वें संविधान संशोधन ने 'एन्क्लेव विवाद' सुलझाया, पर बांग्लादेशी घुसपैठ और राजनीतिक शरण जैसी जटिलताएं अब भी बनी हुई हैं।

भारत–नेपाल सीमा: सांस्कृतिक मित्रता में सेंध

1,850 किमी खुली सीमा भारत-नेपाल को सांस्कृतिक रूप से जोड़ती है। 1950 की शांति एवं मैत्री संधि इसका आधार है। परंतु कालापानी, लिपुलेख और सुस्ता पर विवाद, और नेपाल में चीन का बढ़ता प्रभाव,विशेषकर भारतीय विरोधी राष्ट्रवाद का राजनीतिक इस्तेमाल,भारत के लिए नई सुरक्षा चिंताएं पैदा कर रहा है।

भारत–म्यांमार सीमा: नशीले पदार्थ और चीन की छाया

1,643 किमी लंबी यह सीमा दुर्गम भूगोल, जातीय टकराव और 'गोल्डन ट्राएंगल' की नज़दीकी के कारण मादक तस्करों और विद्रोही समूहों के लिए सबसे आसान मार्ग है। Free Movement Regime अब मणिपुर संकट के बाद समाप्त कर दी गई है और पूरी सीमा पर बाड़ का निर्णय हुआ है। लेकिन अस्थिर म्यांमार और उसके भीतर चीन का हस्तक्षेप, इस क्षेत्र को भविष्य में और संवेदनशील बना सकता है।

भारत–भूटान सीमा: शांति का साझीदार, पर डोकलाम की चेतावनी

699 किमी लंबी यह सीमा सामान्यतः शांत रही है। डोकलाम संकट में भारत ने भूटान की संप्रभुता की रक्षा कर चीन को पीछे किया था। विद्रोही शिविरों की कभी-कभी घटनाओं के बावजूद दोनों के संबंध अत्यंत मित्रवत व सामरिक हैं।

तटीय सुरक्षा और द्वीप क्षेत्र: अदृश्य जलमार्ग का खतरा

7,516 किमी लंबी समुद्री सीमा और द्वीपीय मोर्चे भारत की आर्थिक–सैन्य जीवनरेखा हैं। 1993 और 2008 के मुंबई हमले इस बात के प्रमाण हैं कि समुद्र आतंकवाद, हथियारों और नशीले पदार्थों की आपूर्ति का सस्ता रास्ता है। तटीय पुलिसिंग में स्टाफ की कमी, उपकरण अभाव और समन्वयहीनता चिंताजनक हैं। एक केंद्रीय तटीय सुरक्षा बल और बीएसएफ की जल इकाइयों का विस्तार इस कमी की भरपाई कर सकता है।

निष्कर्ष

सुरक्षा और समृद्धि का एकमात्र मार्ग है, सशक्त सीमा प्रबंधन। राष्ट्र की शांति व प्रगति की नींव उसकी सीमाओं की अभेद्य सुरक्षा में निहित है,चाहे वह लद्दाख की बर्फीली चोटियां हों, पंजाब के खेत, बंगाल के डेल्टा, या अंडमान की लहरें। भारत को चीन–पाक–बांग्लादेश त्रिकोणीय चुनौती के साथ-साथ आंतरिक अस्थिरता फैला सकने वाले नेटवर्क से भी सावधान रहना होगा।

सीमा प्रबंधन में रियल-टाइम निगरानी प्रणाली, AI-आधारित विश्लेषण और खतरे की पूर्वानुमान क्षमता, 24×7 सैटेलाइट–ड्रोन गश्त, पूर्ण बाड़बंदी व प्रकाश व्यवस्था, और स्थायी सामुदायिक–सैन्य सहयोग ढांचे को प्राथमिकता देनी होगी। एक आधुनिक, तकनीकी रूप से सुसज्जित, और राजनीतिक इच्छाशक्ति से संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली ही भारत को भविष्य के अदृश्य और प्रत्यक्ष दोनों प्रकार के युद्धों में सुरक्षित व विजयी रख सकती है।

आर्थिक विकास का आधार स्तंभ: समुद्री सुरक्षा

वाईस एडमिरल अजेन्द्र बहादुर सिंह

भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, जो नौसैनिक अभियानों और सामरिक नेतृत्व भूमिकाओं में अपने विशिष्ट नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध हैं।

भारत माता के हृदय में प्रवाहमान सिंधु-धाराओं से लेकर रामेश्वरम तक फैली नीली ढाल केवल भौगोलिक सीमा नहीं, वरन् हमारी राष्ट्रीय शक्ति का चिरकालीन स्रोत है! जिस प्रकार वीर शिवाजी की तलवार शत्रुओं के हृदय में कम्पन पैदा करती थी, उसी प्रकार आज हमारी नौसेना की नीली शक्ति भी विदेशी आक्रांताओं के लिए अजेय दुर्ग का काम करे। समुद्री सुरक्षा केवल तटों की रक्षा नहीं, अपितु राष्ट्र की आर्थिक संपन्नता और सांस्कृतिक गौरव की रक्षा है। हमारे पूर्वजों ने जिन समुद्री मार्गों से सोने की चिड़िया का यश फैलाया था, आज फिर वही मार्ग हमें आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा दिखा रहे हैं। समय की मांग है कि हम अपनी नीली ढाल को और भी मजबूत बनाएं, क्योंकि जो राष्ट्र अपने समुद्रों की रक्षा नहीं कर सकता, वह अपनी स्वतंत्रता की रक्षा भी नहीं कर सकता!

भारत एक ऐसा देश है जिसकी समुद्री संस्कृति चार सहस्राब्दियों से अधिक पुरानी है। हमारी लोककथाएं और प्राचीन ग्रंथ इस बात के प्रमाण देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो, लोथल व हड़प्पा ने अफ्रीका, अरब, मेसोपोटामिया एवं भूमध्यसागरीय देशों के साथ समुद्री मार्गों द्वारा व्यवसाय-जगत का व्यापक नेटवर्क स्थापित कर अपार समृद्धि अर्जित की। बाद में चोल सम्राज्य ने हिंदू–बौद्ध तीर्थयात्रियों और व्यापारी जहाजों के सहारे दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी सांस्कृतिक छाप छोड़ी; आज कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम में इसके अवशेष स्पष्ट दिग्दर्शन करते हैं। समुद्र को हमने सदियों से प्रभाव विस्तार और संपन्नता प्राप्ति का शांतसाम्राज्य मार्ग माना है।

हमारे प्राचीन ग्रंथों एवं ऐतिहासिक लेखों से ज्ञात होता है कि लगभग एक हजार वर्ष पूर्व चोलों ने समुद्री व्यापार-रक्षा और सांस्कृतिक प्रसार की उस रणनीति पर आधारित समृद्धि-चक्र आरंभ किया, जिसका सूत्र था - सबसे पहले व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा से संसाधन सुनिश्चित होते थे, संसाधनों से नौसेना सशक्त होती थी, सुदृढ़ नौसेना से समुद्री प्रभुत्व स्थापित होता था, और प्रभुत्व से व्यापारिक हितों की रक्षा होती चली जाती थी। यह समृद्धि-चक्र निरंतर धारा की भांति बहता रहा। आधुनिक युग में भी यही सिद्धांत प्रासंगिक है कि विक्रय, निवेश और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए एक स्थिर और मजबूत समुद्री तंत्र अनिवार्य है।

सन 1498 में वास्को डी गामा के कालीकट आगमन के साथ ही भारत में पुर्तगाली नौसैन्य प्रभुता की नींव पड़ी। उसके बाद डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी नौसेनाएं भी भारतीय जलक्षेत्र में प्रवेश कर सुव्यवस्थित 'नीलजल' सामरिक ढांचे स्थापित करने लगीं। चोलों की परम्परा का अनुसरण करते हुए इनमें कई ने अपने वाणिज्यिक हित साधे, परंतु ज़मोरिन्स और मराठों जैसी स्थानीय शक्तियों का संघर्ष बड़ी यूरोपीय नौसेनाओं के सामने ध्वस्त हो गया। इतिहास गवाह है कि जब-जब हमारे समुद्री मार्ग और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा दरकती रही, तब-तब हमारे व्यापार को गहरा आघात सहना पड़ा।

आज का युग हमें पुनः सचेत करता है कि बंदरगाहों का भौतिक विकास मात्र पर्याप्त नहीं - उनकी निरंतर सुरक्षा, प्राथमिक रणनीतिक प्रबंधन और सांस्कृतिक-सामाजिक समन्वय ही हमें फिर प्राचीन समुद्री वैभव की ओर अग्रसर कर सकता है।

स्वतंत्रता के बाद का समुद्री विकास

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की नौसेना के पास मात्र 32 छोटे जहाज थे। स्वतंत्रता के पश्चात् समुद्री क्षेत्र सशक्त करने हेतु अनेक पहलें हुईं, जिनमें 1947 में कोस्ट गार्ड की स्थापना प्रमुख है। आज स्पष्ट मान्यता है कि समुद्र का दोहन आर्थिक समृद्धि एवं जन कल्याण के लिए अनिवार्य है। समग्र राष्ट्रीय शक्ति (Comprehensive National Power) में समुद्री शक्ति को एक महत्वपूर्ण घटक माना गया है। "राष्ट्रीय समुद्री हित" एवं "समुद्री सुरक्षा के उद्देश्य" स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हैं, ताकि "विकसित भारत 2047" तक समुद्री क्षेत्र का योगदान सुनिश्चित हो सके।

भारत की 7-8% वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर को देखते हुए समुद्री व्यापार, ब्लू इकोनॉमी, बंदरगाह, तटीय अवसंरचना, मत्स्य पालन, शिपिंग, अपतटीय ऊर्जा संसाधन, अंडरसी पाइपलाइन, इंटरनेट केबल्स एवं समुद्र के नीचे के खनिज संसाधनों का महत्त्व बढ़ गया है। वर्तमान में भारत की 80% ऊर्जा आयात समुद्री मार्ग से होती है, तथा लगभग 11% जीवाश्म ईंधन अपतटीय क्षेत्रों से प्राप्त होता है। भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 90% वॉल्यूम एवं 70% वैल्यू समुद्र के माध्यम से होता है।

मर्केंडाइज ट्रेड GDP का 45% है, जो USD 25 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने में सहायक होगा। अंडरसी इंटरनेट केबल्स आधुनिक जीवनशैली की रीढ़ हैं। हाल के वर्षों में शिपिंग, पोर्ट्स और ब्लू इकोनॉमी में आई तेजी से भारत का समुद्री प्रभाव बढ़ा है।

रणनीतिक दृष्टिकोण

वर्तमान वैश्विक व्यवस्था गहरे संरचनात्मक संकटों से ग्रस्त है। संघर्ष, आर्थिक प्रतिबंध, व्यापार युद्ध और तकनीकी नियंत्रण को दमन के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। कुछ राष्ट्र अपनी आर्थिक एवं सैन्य ताकत से प्रभाव बढ़ा रहे हैं। हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region – IOR) प्रतिस्पर्धा, टकराव एवं संघर्ष की लहरों से गुजर रहा है:

इज़राइल संघर्ष: हमास द्वारा आरंभित संघर्ष हिज़बुल्ला और यमन के हूती गुट तक फैल चुका है। बाब-एल-मंडेब बंद होने से सूएज़/रेड सी मार्ग प्रभावित हुआ है।

इज़राइल–ईरान संघर्ष: अमेरिका की संलिप्तता ने पश्चिम एशिया की स्थिति अस्थिर कर दी है; लंबित तनाव भारत की ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है।

रूस–युक्रेन युद्ध: 1000 से अधिक दिनों से जारी इस युद्ध ने भारत की तेल, खाद एवं रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है।

चीन से समुद्री तनाव: सीमा विवाद अनसुलझा है; चीनी नौसेना BRI एवं MSR के माध्यम से हिंद महासागर में सैन्य अड्डे बना रही है।

विघटनकारी प्रौद्योगिकियां: हाइपरसोनिक एवं बैलिस्टिक मिसाइलें, अनमैन्ड सिस्टम, स्पेस टेक्नोलॉजी, क्वांटम कम्प्यूटिंग, रोबोटिक्स, एआई एवं मशीन लर्निंग,ये सभी समुद्री सुरक्षा के नए आयाम प्रस्तुत कर रही हैं।

समुद्री खतरों और चुनौतियों का मूल्यांकन

भारत के व्यापक समुद्री हितों के संरक्षण हेतु पारंपरिक एवं अपारंपरिक दोनों प्रकार के खतरों से सतर्क रहना आवश्यक है।

पारंपरिक खतरे

मुख्यतः शत्रु राष्ट्रों से आते हैं, जो सामग्री एवं संसाधनों से सुसज्जित होकर सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। उदाहरण: 1971 का भारत–पाक युद्ध, कारगिल युद्ध, ऑपरेशन सिंदूर। इनसे निपटना भारतीय नौसेना का प्रमुख लक्ष्य है।

अपारंपरिक खतरे

समुद्री आतंकवाद: 26/11 के हमले ने इसकी कमजोरियों को उजागर किया। आधुनिक समुद्री आतंकवाद में Commercial Off-The-Shelf हथियार, खुले समुद्री क्षेत्र एवं राज्य-प्रायोजित कट्टरपंथी ताकतें शामिल हैं।

डकैती एवं लूटपाट: 1980–90 के दशक में मलक्का जलडमरूमध्य में, 2000 के दशक में रेड सी एवं वेस्टर्न हिंद महासागर तक फैला। 2008 से भारतीय नौसेना ने 4000 से अधिक जहाजों को सुरक्षा प्रदान की।

अनियमित गतिविधियां: हाई सीज़ (High Seas) पर राष्ट्रों का नियंत्रण सीमित है, जिससे तस्करी, मानव तस्करी तथा IUU (Illegal, Unreported, Unregulated) मत्स्य पालन चुनौती बन रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन एवं आपदाएं: बढ़ते समुद्री व्यापार के कारण आग, टक्कर तथा तेल रिसाव जैसी घटनाओं में वृद्धि हुई है। भारतीय नौसेना ने 2004 की सुनामी के दौरान मानवीय राहत कार्य कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना प्राप्त की।

भारतीय नौसेना और समुद्री सुरक्षा

भारतीय नौसेना (Indian Navy) हमारे राष्ट्रीय समुद्री हितों की प्रमुख अभिव्यक्ति है, जो लगभग 10,099 किमी तटीय क्षेत्र की रक्षा करती है। यह आधुनिक, संतुलित, बहुआयामी एवं नेटवर्क-सक्षम बल है, जो दूरस्थ अभियानों में तैनात हो सकता है।

प्रमुख क्षमताएं

- **Maritime Domain Awareness (MDA):** सैटेलाइट आधारित निगरानी तथा IMAC/NC3I केंद्र से 24×7 सूचना एकत्रण।
- **एयर एसेट्स:** अनमैन्ड सर्विलांस सिस्टम, तटीय एवं कैरियर-आधारित विमानों व हेलिकॉप्टरों सहित।
- **ब्लू वॉटर कैपेबिलिटी:** एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कोरवेट्स एवं मिसाइल/पेट्रोल वेसल्स।
- **सब-सर्फेस डेटरेंस:** 20 पनडुब्बियां,डीज़ल-इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर पावर्ड,उपस्थिति के साथ अंडरवॉटर हथियारों का कार्यान्वयन।

निष्कर्ष

यह विश्वास किया जाता है कि नियति ने भारत को समुद्री राष्ट्र बनने हेतु चुना है, और उसकी वर्तमान प्रगति समुद्र से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है। शायद इसलिए ही दुनिया में एकमात्र ऐसा देश भारत है, जिसके नाम पर महासागर का नाम रखा गया - "Indian Ocean"। अतः आर्थिक विकास के साथ-साथ समुद्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर ही एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत का स्वप्न साकार हो सकता है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के शब्दों में - ***"हमें याद रखना चाहिए कि हम कभी समुद्र-तट वाले स्थल-आवृत्त देश थे, पर अब हम द्वीपीय प्रवृत्ति वाले राष्ट्र बन चुके हैं।"***

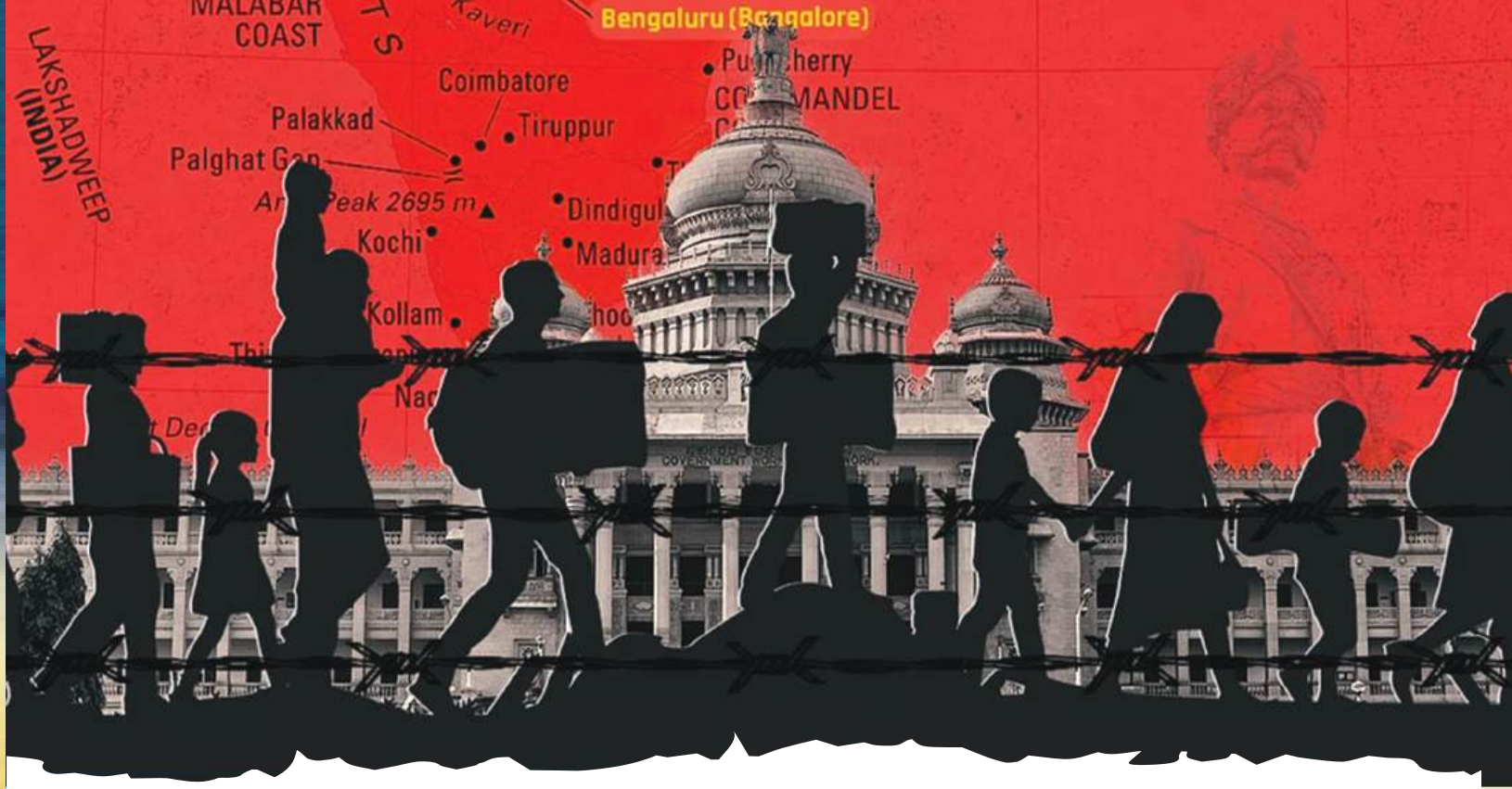

मूक विध्वंसक: अवैध प्रवासन और स्लीपर सेल्स

ले. जन. (रि.) डॉ. नितिन कोहली

अध्यक्ष, सीमा जागरण मंच, दिल्ली प्रांत; पूर्व-भारतीय सेना सिग्नल अधिकारी-प्रभारी, चार दशकों की सेवा अनुभव के साथ; राष्ट्रीय दूरसंचार एवं साइबर पहलों का नेतृत्व किया तथा सूचना युद्ध में पीएच.डी. सहित उच्च उपाधियां

भारत का विशाल भू-भाग, उसकी विस्तीर्ण सीमाएं और विविध सांस्कृतिक विरासत एक अद्भुत संगम के समान हैं, जहां अनेक रंगों, भाषाओं और परंपराओं का मिलन हुआ है। इस पावन भूमि की सीमाएं केवल भौतिक रेखाएं नहीं, अपितु देश की आत्मा, उसकी सुरक्षा और समृद्धि के चिन्ह हैं। परंतु आज इस अखंड भूमि पर ऐसे छिपे संकट मंडरा रहे हैं, जो परतंत्रता के तमाम संघर्षों से भी अधिक सूक्ष्म, जटिल और घातक हैं। अवैध घुसपैठ और स्लीपर सेल्स जैसे अदृश्य खतरों ने हमारे समाज की जड़ों को हिलाकर रख दिया है, ये वे साये हैं जो अंधकार में काम करते हुए हमारे आर्थिक स्थिरता, सामाजिक एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा को भीतर से चोट पहुंचाते हैं। ऐसे समय में जहां सामान्य आतंक और आक्रमण को समझना अपेक्षाकृत सरल है, वहीं ये छुपे हुए कूटनीतिक खेल और गृहद्रोही षड्यंत्र हमें अधिक सजगता, खुफिया सहयोग और नीति सुधारों की आवश्यक्ता का आह्वान करते हैं। अतः, यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी सीमा सुरक्षा को संकल्प, समन्वित प्रयास और लोक जागरूकता से सुदृढ़ करें, ताकि सृष्टि के इस महापुरुष भारत का दीप प्रज्वलित रहे और उसके सांस्कृतिक वैभव की छाया निरंतर विस्तार पाए।

भारत की छिद्रयुक्त (Porous) सीमाएं, जटिल सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियां और लोकतांत्रिक जीवंतता इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। इनमें सबसे खतरनाक हैं वे अदृश्य खतरे - जो छाया में काम करते हैं, पारंपरिक जांच से बचते हैं, और धीरे-धीरे देश की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक एकता को भीतर से क्षीण कर देते हैं। ऐसे दो खतरे विशेष रूप से गंभीर हैं: अवैध प्रवासन और स्लीपर सेल्स की उपस्थिति।

जहां पारंपरिक खतरे जैसे सैन्य आक्रमण और आतंकवाद को पहचानना और जवाब देना अपेक्षाकृत सरल होता है, वहीं अदृश्य खतरे अधिक सतर्कता, खुफिया समन्वय और नीतिगत सुधारों की मांग करते हैं। अवैध प्रवासियों और स्लीपर सेल्स अक्सर तब तक जांच के दायरे से बाहर रहते हैं जब तक उनका प्रभाव इतना बड़ा नहीं हो जाता कि उसे नकारा नहीं जा सकता,और तब तक आमतौर पर नुकसान गहरा और व्यापक हो चुका होता है। वर्षों से बड़ी संख्या में लोग बिना वैध दस्तावेज़ों

के भारत में प्रवेश कर चुके हैं या अपने वीज़ा की अवधि पार कर चुके हैं, जिससे वे अवैध निवासी बन जाते हैं।

भारत, अपनी भौगोलिक और भू-राजनीतिक स्थिति के कारण, छह देशों के साथ 15,106 किलोमीटर से अधिक लंबी स्थलीय सीमा और 11,09881 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा साझा करता है। इन सीमाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न बल नियुक्त हैं:

- BSF: पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमाओं के लिए
- SSB: नेपाल और भूटान सीमाओं के लिए
- Assam Rifles: म्यांमार सीमा के लिए
- ITBP: चीन सीमा के लिए
- Coast Guard: समुद्री सीमाओं के लिए (रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत)
- Marine Police: संबंधित राज्य सरकारों के अधीन

भारत की पाकिस्तान सीमा बाड़बंद है, बांग्लादेश के साथ 4,000 किमी सीमा में भी अधिकांश क्षेत्र बाड़बंद है, सिवाय 400 किमी (मुर्शिदाबाद क्षेत्र)। म्यांमार के साथ 1,600 किमी की सीमा का अधिकांश भाग अभी तक बाड़बंद नहीं किया गया है, जबकि नेपाल और भूटान के साथ सीमाएं बिल्कुल बाड़बंद नहीं हैं। सीमाओं पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ने के बावजूद, हथियार, ड्रग्स, मानव तस्करी, जाली मुद्रा और अवैध प्रवासन जैसी समस्याएं गंभीर बनी हुई हैं।

खुफिया रिपोर्टों से पता चला है कि लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) जैसे चरमपंथी समूहों ने अवैध प्रवासियों को सूचनादाता या सामान पहुंचाने वालों के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास किया है।

अवैध प्रवासी प्रायः झुग्गियों या अनियमित बस्तियों में रहते हैं, जहां कानून व्यवस्था की पहुंच सीमित होती है। ये क्षेत्र राष्ट्र-विरोधी तत्वों के लिए सुरक्षित ठिकाने बन सकते हैं या हथियार और प्रतिबंधित वस्तुओं के पारगमन स्थल के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं।

इन प्रवासियों के पास वैध दस्तावेज़ नहीं होने से, उन्हें पहचानना, अभियोजन करना या देश से निष्कासित करना अत्यंत कठिन होता है। एक आम चाल यह होती है कि वे जाली आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी बनवाते हैं। इनसे उन्हें बैंक खाते, कल्याणकारी योजनाएं और यहां तक कि रोजगार प्राप्त हो जाते हैं, जिससे भारत की वैध पहचान प्रणाली की अखंडता खतरे में पड़ जाती है।

स्लीपर सेल्स क्या हैं?

स्लीपर सेल्स गुप्त समूह या व्यक्ति होते हैं जो लंबे समय तक सामान्य नागरिकों की तरह समाज में रहते हैं और फिर किसी उपयुक्त समय पर आतंकी या जासूसी गतिविधियां अंजाम देने के लिए सक्रिय किए जाते हैं। इन सेल्स को शत्रु देशों या संगठनों द्वारा देश में गुप्त रूप से स्थापित किया जाता है। ये सेल्स निम्नलिखित तरीके से काम करते हैं:

- कमजोर समुदायों में घुसपैठ कर सामान्य नागरिकों के रूप में रहते हैं
- सांप्रदायिक तनाव या सामाजिक-आर्थिक असंतोष का लाभ उठाकर नए सदस्य बनाते हैं
- हवाला, क्रिप्टोकरेंसी या नकली चैरिटेबल संस्थानों के माध्यम से विदेशी फंडिंग प्राप्त करते हैं
- एन्क्रिप्टेड डिजिटल कम्युनिकेशन का उपयोग कर खुफिया एजेंसियों से बचते हैं

ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत में उनके पास पर्याप्त स्लीपर सेल्स हैं, जिन्हें आवश्यक समय पर सक्रिय किया जा सकता है। 04 जुलाई 2025 को पाकिस्तान के बहावलपुर से एक प्रसारण में मसूद अजहर ने कहा कि उनके पास 30,000 फ़िदायीन भारत में प्रवेश के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश के आतंकवादी जस्मुद्दीन रहमानी, जो अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के प्रमुख हैं, ने पूर्वोत्तर भारत में जिहाद छेड़ने की बात कही है।

इस प्रकार के ट्रोजन हॉर्स को भारत में प्रवेश कराने के निरंतर प्रयासों के बीच, सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी, समन्वित और एकीकृत दृष्टिकोण समय की मांग है।

राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता और मौजूदा चुनौतियां

1. किसी भी संप्रभु राष्ट्र को यह अधिकार है कि वह अपनी सीमाओं की सुरक्षा करे और किसी भी प्रकार की अवैध घुसपैठ को रोके, जिससे जनसांख्यिकी, कानून व्यवस्था, स्थानीय संस्कृति और देश की सुरक्षा प्रभावित होती है। परंतु कुछ लोग उदारवाद, बहुसंस्कृतिवाद और मानवाधिकारों के नाम पर इस अवैधता को न्यायोचित ठहराते हैं।
2. एक संगठित इकोसिस्टम इन अवैध प्रवासियों को सीमा पार कराने, देश में रहने, फर्जी दस्तावेज़ उपलब्ध कराने, लॉजिस्टिक्स और कानूनी मदद तक प्रदान करता है।
3. वर्तमान में भारत के पास अवैध प्रवास को संभालने के लिए कोई एकीकृत राष्ट्रीय नीति या डिजिटल आधारभूत ढांचा नहीं है। अधिकांश कानून जैसे कि विदेशी नागरिक अधिनियम (1946) और पासपोर्ट अधिनियम (1920) पुराने हैं, जो बायोमेट्रिक पहचान धोखाधड़ी, सीमा पार आतंकवाद या डिजिटल फर्जीवाड़े जैसी आधुनिक चुनौतियों को संबोधित नहीं करते।
4. नागरिकता अधिनियम 1955 को कई बार संशोधित किया गया है, विशेषकर 2003 (NRC की अवधारणा) और 2019 (CAA) में, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के सताए गए अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है। लेकिन प्रवर्तन कमजोर बना हुआ है और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के कारण कई अवैध प्रवासी पकड़े नहीं जाते।

सिफारिशें (Recommendations)

- राष्ट्रीय सीमा नीति (National Border Policy) बनाई जाए, ताकि सभी सीमाओं के लिए एक समान रणनीति हो।
- नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के साथ मौजूदा संधियों की समीक्षा हो, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना वैध दस्तावेज के सीमा पार न कर सके।
- सभी सीमाओं को प्राथमिकता पर बाड़बंद किया जाए। दलदली और नदीय क्षेत्रों में स्मार्ट लेज़र बाड़बंदी की जाए।
- पूर्वी सीमाओं पर भी सुरक्षा इंतजाम किए जाएं जैसे भारत-पाक सीमा पर हैं।
- फ्री मूवमेंट रिजीम (FMR) को समाप्त या संशोधित किया जाए।
- राष्ट्रीय सीमा प्रबंधन प्राधिकरण (NBMA) का गठन किया जाए (NDMA की तर्ज पर), जिसके पास गिरफ्तारी, अभियोजन और नीति निर्माण का अधिकार हो।
- राज्य पुलिस की सीमा अपराधों से संबंधित ज़िम्मेदारी को NBMA के अधीन किया जाए।
- सीमा से सटे 5-10 किमी क्षेत्र को "फेडरल ज़ोन" घोषित किया जाए, ताकि सुरक्षा चौकियों की स्थापना बिना राज्य सरकार की बाधा के की जा सके।
- कुमाऊं स्काउट या लद्दाख स्काउट की तरह विशेष सीमा सुरक्षा बल बनाए जाएं, जैसे जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स दूसरी पंक्ति की सुरक्षा प्रदान करती है।
- राज्य मरीन पुलिस को NBMA के अधीन लाया जाए।
- समाज को जागरूक किया जाए कि वे गुमनाम माध्यमों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करें। स्लीपर सेल्स केवल स्थानीय समर्थन से जीवित रहते हैं।
- पुलिस को दस्तावेज़ों की जांच का अधिकार हो और नागरिकता प्रमाणित करना व्यक्ति की जिम्मेदारी हो।
- मतदाता सूची की विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रिया नियमित रूप से की जाए।
- फर्जी दस्तावेज़ बनाने पर कड़ी सजा हो , इसे UAPA के तहत दंडनीय अपराध बनाया जाए। आवश्यकता हो तो विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाए।
- NIA, NCB, BSF और अन्य एजेंसियों की क्षमता और संसाधनों में वृद्धि की जाए।

आधार प्रणाली में "नागरिकता सत्यापन परत" (Citizenship Verification Layer) जोड़ी जाए:

i. आधार को जन्म प्रमाणपत्र, माता-पिता और मूल स्थान से जोड़ा जाए

ii. पहचान की सुरक्षा हेतु ब्लॉकचेन एन्क्रिप्शन का उपयोग किया जाए।

निष्कर्ष

सरकार ने "इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, 2025" पारित कर दिया है और अवैध प्रवासियों की पहचान व निष्कासन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया को गति दी जानी चाहिए और इसमें पुलिस, न्यायपालिका, मीडिया और नागरिकों की पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। लोकतंत्र की आत्मा और संप्रभुता की शक्ति की रक्षा के लिए भारत को निर्णायक और शीघ्र कार्य करना होगा। यह एक अदृश्य आक्रमण है, जिससे निपटने के लिए नए कानूनी ढांचे, एंटी-इंफिल्ट्रेशन ग्रिड और कठोर दंड की व्यवस्था ज़रूरी है,और यह लड़ाई हमें जल्द जीतनी होगी, इससे पहले कि देर हो जाए।

अदृश्य आक्रमण: जाली मुद्रा और आर्थिक-अखंडता की लड़ाई

आशीष केसरवानी

रिसर्च असोसिएट, सीमा अध्ययन संस्थान

देश की अर्थव्यवस्था एक नाजुक ताने-बाने की तरह होती है, जहां हर धागा वित्तीय स्वास्थ्य की नींव होती है। जब इस ताने-बाने में जाली मुद्रा घुस जाती है, तो यह हमारी समृद्धि की धारा में दरारें पैदा कर देती है। नकली नोटों की चुपके से आ रही आर्थिक आग की आंच सिर्फ पेंशनभोगी या मजदूरों तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि उन नाजुक संस्थानों तक भी पहुंचती है, जिनके सहारे राष्ट्र की प्रगति पनपती है। जाली मुद्रा, अपने अदृश्य रूप में, संगठित अपराध और आतंक-वित्तपोषण की जीवनरेखा बनकर उभरती है। यह कोई अकस्मात् बवंडर नहीं, बल्कि निरंतर फूंक मारती शंकुहीन आग है, जो बैंकिंग सिस्टम के आत्मविश्वास को हर क्षण झिंझोड़ती रहती है। ऐसे खतरे से निपटने के लिए केवल सख्त कानून पर्याप्त नहीं; तकनीकी सतर्कता, कड़े सीमा नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी जरूरी है। इस लेख में हम जाली मुद्रा के निर्माण के तरीकों, इसके आर्थिक और सुरक्षा पर प्रभाव, एवं इससे मुकाबले के विविध उपायों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, ताकि इस छिपे हुए खतरे को सफलतापूर्वक बेनकाब कर खत्म किया जा सके।

चाणक्य नीति भी मानती है कि एक देश की राष्ट्रीय प्रगति की रीढ़ उसकी वित्तीय प्रणाली होती है। इस प्रणाली में जाली मुद्रा का प्रवेश एक मौन लेकिन बहुआयामी खतरा पैदा करता है, जो आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है। नकली मुद्राएं उस विश्वास को कमजोर कर देती हैं जिस पर देश की वित्तीय प्रणाली टिकी होती है; साथ ही ये आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों के लिए पूंजी जुटाने का माध्यम बन जाती हैं।

जाली मुद्रा की समझ

जाली मुद्रा वह अवैध रूप से उत्पादित मुद्रा होती है, जो धोखा देने के उद्देश्य से असली मुद्रा जैसी दिखती है। ये नोट सीमापार स्थित तस्करों या घरेलू आपराधिक सिंडिकेट्स के माध्यम से देश में प्रवेश करते हैं। जाली मुद्रा का प्रयोग मनी लॉन्ड्रिंग, संगठित अपराध और आतंक-वित्तपोषण में होता है।

समय के साथ सुरक्षा विशेषताओं में सुधार होने पर अपराधी भी उच्च-तकनीकी प्रिंटिंग मशीन, उच्च गुणवत्ता वाले कागज और सुरक्षा धारणाओं की नक़ल करके नोट तैयार करने में सक्षम हो गए हैं। इसका अदृश्य स्वरूप इस ख़तरे को और भी गहरा बनाता है,नकली नोट बाज़ार में चुपचाप चलन में आ जाते हैं और सामान्य लेनदेन के साथ घुलमिल जाते हैं।

आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव

जब बाज़ार में नकली नोटों का प्रसार बढ़ता है, तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ने से मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ जाती है और असली मुद्रा का मूल्य गिरने लगता है। इसका सबसे अधिक प्रभाव गरीब और मजदूरी-आधारित वर्ग पर पड़ता है, जो नकद लेनदेन पर निर्भर रहता है।

केंद्र सरकार ने नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण के बाद नकली मुद्रा पर काफी नियंत्रण पाया था, परंतु फिर ₹500 और ₹2000 के नोटों में जालसाजी बढ़ी। वित्तीय वर्ष 2018–19 में बैंकिंग प्रणाली ने ₹500 के 21,865 और ₹2000 के 21,847 नकली नोट पकड़े थे; अगस्त 2024 तक यह संख्या क्रमशः ₹500 के 85,711 और ₹2000 के 26,035 तक पहुंच गई। यह केवल सामने आए नकली नोट हैं,वास्तविक संख्या और भी अधिक हो सकती है।

नकली मुद्रा के प्रसार से लोगों का मुद्रा पर विश्वास कमजोर होता है। वर्ष 2016 में ₹10 के सिक्कों के कई डिज़ाइनों को लेकर लोग संदेह में थे, जिसके बाद आरबीआई को सभी डिज़ाइनों की वैधता स्पष्ट करनी पड़ी।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा

नकली मुद्रा सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी बड़ा खतराअ है। यह आतंकी गतिविधियों और संगठित अपराधों के वित्तपोषण का सस्ता और अप्रत्यक्ष माध्यम बन जाती है। कई जांचों में नकली मुद्रा का संबंध जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और माओवादी विद्रोह से पाया गया। जब धन का प्रवाह अवरुद्ध होता है, तो गैरकानूनी गतिविधियां,जैसे मादक पदार्थों की तस्करी,और भी बल ले लेती हैं।

दक्षिण एशिया की सीमाएं छिद्रपूर्ण (Porous) हैं, जहां से नकली नोटों की तस्करी आसान होती है। पंजाब जैसे क्षेत्रों में नशे की लत और अपराध वृद्धि से नकली मुद्रा के प्रसार का दुष्चक्र और तेज़ होता है।

सरकारी उपाय

नकली मुद्रा से निपटने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न कानूनी, तकनीकी और संस्थागत उपाय किए हैं:

i. भारतीय दंड संहिता (धारा 178–182) के तहत जाली मुद्रा बनाने, रखने या चलाने पर दंडीय प्रावधान।

ii. उन्नत प्रिंटिंग तकनीक में वॉटरमार्क, रंग बदलने वाली स्याही, सिक्योरिटी थ्रेड और इंटाग्लियो प्रिंटिंग।

iii. गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत जाली मुद्रा को आतंक वित्तपोषण की श्रेणी में लाया गया।

iv. नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को उच्च गुणवत्ता वाली जाली मुद्रा मामलों की जांच का अधिकार।

v. सीमापार सहयोग के लिए INTERPOL तथा FATF जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय।

vi. भारत-पड़ोसी देशों के संयुक्त कार्यबल के माध्यम से जानकारी साझा करना।

निष्कर्ष

नकली मुद्रा कोई त्वरित प्रहार नहीं, पर धीरे-धीरे देश की वित्तीय प्रणाली को कमजोर कर देती है और राष्ट्रीय सुरक्षा में दीर्घकालिक संकट खड़ा कर देती है। सरकार द्वारा कानूनी, तकनीकी, संस्थागत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम सार्थक हैं, फिर भी खतरा पूरी तरह नहीं टला है। निरंतर रूप से मुद्रण तकनीक में सुधार, सीमाओं की सुरक्षा कड़ी करना, डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देना और नागरिकों में जागरूकता फैलाना आवश्यक है, तभी जाली मुद्रा की चुनौती से निपटा जा सकता है।

भारत – दक्षिण एशिया की विशालकाय सीमा

भारत सात देशों, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान, के साथ-साथ श्रीलंका जैसे समुद्री पड़ोसी देशों से भी सटा हुआ है।

- कुल स्थलीय सीमा: 15,106.7 किमी
- संशोधित समुद्र तट रेखा: 11,098.8 किमी
- भारत एकमात्र ऐसा देश है जो दक्षिण एशिया के हर राष्ट्र से जुड़ा है।

एक्ट ईस्ट, एक्ट लोकल: सीमा व्यापार और पूर्वोत्तर भारत का भविष्य

कावेरी जैन

रिसर्च असोसिएट, सीमा अध्ययन संस्थान

भारत के पूर्वोत्तर की सीमाएं केवल नक्शे पर खींची गई रेखाएं नहीं हैं, बल्कि हमारी भूमिगत सच्चाई और भविष्य की दिशा की वो किताब हैं, जिन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं। जब देश अपने सौभाग्य के नए रास्ते तलाश रहा है, तब यह क्षेत्र आशाओं और दुविधाओं के बीच अटका हुआ है। सीमाव्यापार यहां केवल आजीविका या आमदनी का साधन नहीं, बल्कि इंसानों के बीच एक अनकहा संवाद है, एक भरोसे की भाषा है। मगर यह संवाद तभी खिल पाएगा जब हमारे रास्ते सशक्त और प्रशस्त होंगे, हमारे दिल एक-दूसरे से जुड़ेंगे और विश्वास की वो नदी बह निकलेगी जो दूर-दूर तक हर दीवार तोड़ दे। अब वक्त आ गया है कि पूर्वोत्तर को सिर्फ़ एक दूरस्थ प्रदेश न समझा जाए, बल्कि इसे विकास और सुरक्षा का केंद्र बनाया जाए। साथ ही, इस जुड़ाव और साझेदारी की नयी कहानियां लिखी जाएं, जो इस सुरभित धरती की गोद में समृद्धि के सुस्वप्न सृजित कर उसे शक्ति व वैभव की नई कथा सुनाने को उद्यत कर सके।

अनंत आस्थाओं और आशाओं से युक्त और दिव्य पूर्वोत्तर प्रदेशों से संयुक्त भारत सात देशों के साथ कुल 15,106.7 किलोमीटर की भूमिसीमा साझा करता है। इसमें से 5,182 किलोमीटर, लगभग एक-तिहाई, पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जो बांग्लादेश, चीन, भूटान और म्यांमार के साथ सीमाएं साझा करता है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी। जैसे-जैसे भारत अपनी आर्थिक सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास पर अपने दृष्टिकोण की पुनरावलोकन कर रहा है, सीमाव्यापार पूर्वोत्तर के लिए उसके नीतिगत ढांचे के मुख्य केंद्रों में से एक होना चाहिए। यह सीधे भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' से संबंधित है, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती बुनियादी ढांचे और संपर्क में सुधार करके आसियान और अन्य पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाना है।

यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि ऐतिहासिक रूप से, पूर्वोत्तर भारत को मुख्यधारा की आर्थिक और रणनीतिक योजनाओं में प्राथमिकता नहीं दी गई है। इस क्षेत्र को मुख्यतः खराब कनेक्टिविटी, जातीय तनाव और सुरक्षा चिंताओं के कारण, भौतिक और राजनीतिक दोनों रूप से एक भू-राजनीतिक परिधि के रूप में देखा जाता था। हालांकि, भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' इस क्षेत्र को दक्षिणपूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में पुनर्स्थापित करने और विस्तारित पड़ोस के देशों के साथ सार्थक साझेदारी स्थापित करने का एक नया प्रयास है। भूमिसीमा व्यापार को बढ़ाना इस परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है, न केवल इसके आर्थिक पहलू के

संदर्भ में, बल्कि व्यापक मानव सुरक्षा, सामाजिक समावेश और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भी।

पूर्वोत्तर में सीमाव्यापार निश्चित रूप से कोई नई बात नहीं है और औपनिवेशिक युग के हस्तक्षेपों द्वारा इन संबंधों को बाधित करने से पहले सदियों से पारंपरिक सीमा-पार आदान-प्रदान हो रहा है। आज, भारत के पास इस क्षेत्र में विशेष रूप से बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के साथ अपनी सीमाओं पर औपचारिक भूमिसीमा शुल्क स्टेशन (LCS) और एकीकृत चेकपोस्ट (ICP) हैं। इनके अलावा, कई महत्वपूर्ण व्यापार बिंदु हैं जैसे मोरेह (मणिपुर) - तामू (म्यांमार), ज़ोखावथर (मिजोरम) - रिखावदार (म्यांमार) और दावकी (मेघालय) - तमाबिल (बांग्लादेश)। हालांकि, इस व्यापार का अधिकांश भाग या तो सीमित मात्र में है या अनौपचारिक प्रकृति का है और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, प्रतिबंधात्मक नीतियों और सीमावर्ती समुदायों के बीच विश्वास की कमी जैसे कारकों से बाधित है।

सीमावर्ती हाटों (जो सीमा पर 'तैयार और कच्चे' ग्रामीण बाजारों को संदर्भित करते हैं) की क्षमता को अक्सर पूर्वोत्तर भारत में, विशेष रूप से मेघालय और त्रिपुरा में भारत-बांग्लादेश सीमा पर, एक सफलता की कहानी के रूप में उद्धृत किया जाता है। इन हाटों ने स्थानीय आर्थिक जुड़ाव का मार्ग प्रशस्त किया है, इस प्रकार यह लोगों के बीच बेहतर संबंधों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बन गए हैं और दूरदराज के क्षेत्रों में वैकल्पिक आजीविका भी प्रदान की है। हालांकि, ये अभी बहुत छोटे हैं और आर्थिक रूप से परिवर्तनकारी बनने के लिए इनके उच्च स्तर के विस्तार की आवश्यकता है। यदि सीमावर्ती हाटों को बेहतर रोड, डिजिटलीकरण और द्विपक्षीय समन्वय के रूप में समर्थन प्राप्त हो, तो ये व्यापार एकीकरण के बड़े मंच बन सकते हैं।

ऐसी पहलों के बावजूद, पूर्वोत्तर में सबसे तत्काल समस्याओं में से एक अविकसित सीमा अवसंरचना है, विशेषकर भारतीय पक्ष पर। जो सड़कें व्यापार बिंदुओं जैसे मोरेह और ज़ोखावथर की ओर जाती हैं, वे अक्सर खराब स्थिति में होती हैं, कस्टम सुविधाओं में पर्याप्त कर्मचारी नहीं होते हैं और व्यापार नीति अस्पष्ट या असंगत होती है। उदाहरण के लिए, भारत-म्यांमार सीमा पर व्यापार योग्य वस्तुओं के बारे में अस्पष्टता बनी रहती है और मोरेह पर ICP जैसे परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी होती है। इसके अलावा, उग्रवादी संबंधित चिंताएं और जातीय तनाव स्थिति को और भी खराब बनाते हैं, जिससे मणिपुर और नागालैंड जैसे राज्यों में सुचारू व्यापार में बाधा आती है। इसलिए, सीमाव्यापार को केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सुरक्षा, पहचान और विश्वास-निर्माण के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए।

ऐसे परिदृश्य में, आर्थिक सुरक्षा की धारण बहुआयामी हो जाती है। यह केवल बाजारों पर पकड़ बनाने और निर्यात तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि सामाजिक-राजनीतिक स्थिति को स्थिर करने, क्षेत्रीय अंतर को कम करने और जीवनयापन के साधनों के नवीनीकरण का प्रश्न बन जाती है। पूर्वोत्तर, अपनी जैव विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि, स्थानीय कारीगर समुदाय और दक्षिण-पूर्व एशिया के बाजारों के निकटता के साथ, हस्तकला, औषधीय जड़ी-बूटियों, जैविक उत्पादों और वस्त्रों जैसे सामानों के लिए व्यापार का क्षेत्रीय केंद्र बनने की क्षमता रखता है। इस क्षमता को साकार करने के लिए, क्षेत्र के राज्यों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन, लॉजिस्टिकल समर्थन और सीमा पार मजबूत संस्थागत व्यवस्थाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

इस संबंध में, जापान इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकासात्मक भागीदार का प्रतिनिधित्व करता है। भारत-म्यांमार-थाईलैंड (IMT) त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना में जापान की भागीदारी और असम और मणिपुर में कनेक्टिविटी के उन्नयन, एक समृद्ध और स्थिर हिंद-प्रशांत के लिए एक साझा दृष्टिकोण के अच्छे उदाहरण हैं। गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे, सामुदायिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता पर जापान का ध्यान पूर्वोत्तर की आवश्यकताओं के बिल्कुल अनुरूप है। जापान की साझेदारी का उपयोग, विशेष रूप से एक्ट ईस्ट फोरम जैसे मंचों के माध्यम से, अधिक नवीन और टिकाऊ सीमाव्यापार मॉडल शुरू करने के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है, जो आर्थिक विकास को सामाजिक विकास के साथ मिलाते हैं।

नीति नवाचार सबसे आवश्यक है। समाधानों में से एक सुरक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण से विकास-नेतृत्व वाले सीमा प्रबंधन दृष्टिकोण में बदलाव है। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, पर अत्यधिक सैन्यीकरण और प्रतिबंधात्मक पहुंच की स्थिति सामान्यतः वैध व्यापार को हतोत्साहित करने और स्थानीय जनसंख्या से अलगाव की ओर ले जाती है। नए आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण, जैसे कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs), व्यापार गलियारे और प्रमुख सीमा-शुल्क स्थलों (LCSs) के निकट संयुक्त सीमा-पार निवास क्षेत्र, आर्थिक गतिविधियों को आकर्षित कर सकते हैं।

क्षमता निर्माण एक और महत्वपूर्ण आधार है। सीमा शुल्क अधिकारियों से लेकर स्थानीय व्यापारियों तक, सभी हितधारकों को डिजिटल व्यापार सुविधा, जीएसटी प्रक्रियाओं, भाषाई कौशल और अनुपालन मानकों में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ताकि वे कुशलतापूर्वक व्यापार कर सकें। सीमाव्यापार में महिलाओं की भागीदारी और युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने से इसकी समावेशिता और सामाजिक प्रभाव में भी वृद्धि होगी।

अंततः, पूर्वोत्तर में सीमाव्यापार की पुनर्व्याख्या केवल एक व्यापारिक प्रयास नहीं, बल्कि राष्ट्र-निर्माण का एक अभ्यास है। यह भारत को दशकों की अनदेखी सुधारने, अपनी सीमावर्ती जनसंख्या को सशक्त बनाने और इस क्षेत्र को अपनी आर्थिक कूटनीति में एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है।

II

फायरवॉल से परे: प्रौद्योगिकी-आधारित खतरों का उदय

डिजिटल युग में सुरक्षा ख़तरे अब केवल सीमित क्षेत्रों तक नहीं, बल्कि साइबर स्पेस तक फैल गए हैं। आतंकवादी अब एन्क्रिप्टेड ऐप्स और सोशल मीडिया के ज़रिए हमलों की योजना बनाते हैं और भर्ती करते हैं, जबकि स्लीपर सेल डिजिटल नेटवर्क का उपयोग करके छिपे रहते हैं। मानव तस्करी और अवैध प्रवासन अब डार्क वेब और क्रिप्टोकरेंसी के कारण पकड़ से बाहर होते जा रहे हैं। समुद्री डकैती भी अब साइबर हमलों के रूप में सामने आ रही है, जहां जहाज़ों की दिशा और संचार प्रणाली को निशाना बनाया जाता है। नकली भारतीय मुद्रा (FICN) का प्रसार भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा है, और इसके वितरण में डार्क वेब की भूमिका के प्रमाण मिले हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों की व्यापार पर निर्भरता के कारण बैंकों और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर साइबर हमले राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकते हैं। इन बढ़ते खतरों से निपटने के लिए स्मार्ट और तकनीक-सक्षम सुरक्षा उपायों की सख्त ज़रूरत है। नागरिक समाज जागरूकता फैलाकर, डिजिटल साक्षरता बढ़ाकर और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देकर एक सुरक्षित और सक्षम डिजिटल माहौल बनाने में सहयोग कर सकता है।

पिक्सेल से प्रभुत्व तक: तकनीक की चुनौती

ले. जन. (रि.) आशीष रंजन प्रसाद

भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी, जो परिचालन नेतृत्व एवं रणनीतिक भूमिकाओं में अपने व्यापक अनुभव के लिए प्रसिद्ध हैं।

भारतवर्ष अब केवल भूमि, सागर और आकाश की ही रक्षा नहीं करता; अब उसकी सीमा 'बाइट्स, ब्लॉकचेन और बैंडविड्थ' तक विस्तारित हो गई है। स्वतंत्रता के अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए अब डिजिटल डोमेन में भी पराधीनता की निरंतर चुनौती कायम है - जहां साइबर अंधेरा, डेटा की अवैध लूट, डार्क वेब का गुप्त कारोबार और गुप्त वित्तीय धाराएं देश की अखंडता को कमजोर करने को व्याकुल रहती हैं। आज की लड़ाई रियायतों की नहीं, बल्कि हमारे सूचना-स्रोतों और आर्थिक स्थिरता की रक्षा की है। इस युग में 'सुरक्षा' का अर्थ केवल तिरंगा ऊंचा रखना नहीं, अपितु डिजिटल स्वायत्तता की रखवाली भी है।

स्पष्ट है - वर्तमान युग में किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा केवल भूमि, समुद्र, आकाश और अंतरिक्ष तक सीमित नहीं रही है। अब यह डिजिटल डोमेन में भी विस्तारित हो गई है। भारत, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उभरती हुई तकनीकी महाशक्ति है, कई क्षेत्रों में इसी प्रकार की बहुआयामी सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है – जिनमें भूमि, समुद्र, आकाश, अंतरिक्ष और साइबर डोमेन शामिल हैं। यह शोधपत्र साइबर स्पेस में उभरते खतरे का विश्लेषण करता है और डेटा सुरक्षा की कमजोरियां, डार्क वेब का दुरुपयोग, और अवैध वित्तीय प्रवाह (Illicit Financial Flows - IFFs)जैसी त्रि-आयामी चुनौतियों का मूल्यांकन करता है, जो भारत की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और स्थायित्व के लिए खतरा बन रही हैं। यह शोधपत्र नीति स्तर पर तथा रणनीतिक सैन्य सिफारिशें भी प्रस्तुत करता है, जो भारत की रक्षा प्रणाली को साइबर क्षेत्र में अधिक मजबूत और लचीला बनाने के लिए आवश्यक हैं। यह लेख साइबर डोमेन की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करता है जिसमें डेटा सुरक्षा, डार्क वेब से उभरता खतरा, और अवैध वित्तीय प्रवाह शामिल हैं तथा सभी संबंधित पक्षों के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करता है।

वर्तमान स्थिति

1. भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति अब पारंपरिक खतरों से हटकर अपारंपरिक क्षेत्रों – जैसे साइबर, आर्थिक और सूचना युद्ध आदि अनेक तक विस्तारित हो चुकी है।

2. सैन्य, बैंकिंग, शासन और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के एकीकरण से भारत साइबर हमलों, डेटा चोरी और IFFs (Illicit Financial FLows) के लिए संवेदनशील हो गया है।

3. डार्क वेब अवैध लेन-देन और संचार को बढ़ावा देता है, जबकि IFFs का उपयोग आतंकवाद, विद्रोह और भारत-विरोधी गतिविधियों के लिए फंडिंग में किया जाता है – विशेष रूप से भारत के पश्चिमी और उत्तरी पड़ोसी देशों से।

4. ये साइबर-सक्षम खतरे न केवल भारत की रक्षा तैयारी को कमजोर करते हैं, बल्कि आंतरिक स्थिरता, वित्तीय प्रगति और भूराजनीतिक स्थिति को भी प्रभावित करते हैं।

डेटा सुरक्षा: भारत की डिजिटल संप्रभुता की रक्षा

भारत की सशस्त्र सेनाएं तीव्र डिजिटलीकरण के दौर से गुजर रही हैं। ऐसे में डेटा सुरक्षा रणनीतिक प्राथमिकता बन गई है।

(I) Theatre Command & Cyber जोखिम

थिएटर कमांड मॉडल संचाल लाभ तो देता है लेकिन इसके साथ साइबर हमलों का खतरा भी जुड़ा होता है। एक थिएटर कमांड में हुआ साइबर उल्लंघन तीनों सेनाओं के संयुक्त अभियानों को प्रभावित कर सकता है।

उदाहरण: फ्रंटलाइन और मुख्यालय के बीच लाइव ट्रूप मूवमेंट या ड्रोन फुटेज यदि लीक हो जाए तो दुश्मन हमारी सैन्य रणनीति और पोजिशन जान सकता है।

(II) परमाणु संचार प्रणाली की साइबर सुरक्षा

भारत की परमाणु कमान प्रणाली सुरक्षित संचार प्रणाली पर निर्भर करती है। यदि इसमें कोई साइबर अटैक हुआ तो यह भयानक परिणामों का कारण बन सकता है – जैसे कि गलत निर्णय या लॉन्च कोड में छेड़छाड़।

सैन्य और नागरिक संरचनाओं की साइबर संवेदनशीलता

- 2019 का कुडनकुलम परमाणु संयंत्र साइबर हमला (उत्तर कोरियाई समूह द्वारा): दिखाता है कि कैसे डिजिटल ढांचे को निशाना बनाकर सुरक्षा जोखिम पैदा किए जा सकते हैं।
- 2021 मुंबई पावर ग्रिड अटैक (चीन समर्थित): दिखाता है कि नागरिक ढांचा भी समान रूप से असुरक्षित है।
- DRDO और HAL पर साइबर जासूसी: अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों की चोरी से भारत की सामरिक बढ़त खतरे में पड़ सकती है।

मनोवैज्ञानिक युद्ध और डेटा हेरफेर

- गलत सूचनाएं (Pulwama 2019 और Galwan 2020 के दौरान) – सोशल मीडिया पर गलत वीडियो/तथ्यों के माध्यम से जनता की राय को गुमराह करना।
- लीक हुई खुफिया जानकारियों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करना और सैन्य निर्णयों को प्रभावित करना।
- संचार प्रणाली में सेंध लगाकर झूठी सूचनाएं भेजना, जैसे गलत टारगेट को निर्देशित करना – जिससे मिशन विफल हो सकता है।

डार्क वेब: अदृश्य युद्धक्षेत्र

डार्क वेब इंटरनेट का वह हिस्सा है जो पारंपरिक सर्च इंजनों द्वारा इंडेक्स नहीं होता और Tor जैसे एन्क्रिप्टेड नेटवर्क पर काम करता है। यह उपयोगकर्ताओं को गुमनाम ब्राउज़िंग और संचारकी सुविधा देता है, जिससे यह अवैध गतिविधियों जैसे किड्रग्स तस्करी, हथियारों की बिक्री, साइबर अपराध आदि का अड्डा बन चुका है।

(i) भारतीय परिप्रेक्ष्य में डार्क वेब:

भारत में डार्क वेब का उपयोग नकली दस्तावेज, हथियारों की डिज़ाइन, क्रिप्टो पेमेंट से जुड़ा अपराध, और आतंकी मॉड्यूल्स के संचालन के लिए किया जा रहा है। कई मामलों में NIA और राज्य पुलिस ने ऐसे मॉड्यूल्स को बेनकाब किया है।

(ii) राष्ट्रीय और सैन्य सुरक्षा को खतरे:

- आधार, वोटर आईडी और रक्षा कार्मिकों का डेटा

डार्क वेब पर बेचा जा रहा है।

- कट्टरपंथी संगठन गुप्त प्लेटफॉर्म्स पर युवाओं की भर्ती कर रहे हैं और जिहादी प्रचार सामग्री फैला रहे हैं।

(iii) Weaponization & Espionage-as-a-Service:

- डार्क वेब पर offensive cyber tools खुले बाजार में उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग non-state actors द्वारा भी किया जा सकता है।
- Deepfake और synthetic identity के चलते भारत की खुफिया एजेंसियां एक नए खतरे से जूझ रही हैं।

(iv) राष्ट्रीय स्तर पर डार्क वेब को रोकने के उपाय:

- National Firewall: डार्क वेब गेटवे और Tor ट्रैफिक को ब्लॉक करने के लिए ISPs को प्रतिबंधित करना।
- Global सहयोग: Google, Microsoft और CERT-IN जैसी संस्थाओं के साथ इंटेलिजेंस साझा करना।
- Cyber Intelligence Units: विशेष इकाइयां बनाकर डार्क वेब की निगरानी और लेनदेन पर नज़र रखना।
- सार्वजनिक जागरूकता अभियान और कानूनी बदलाव – जैसे कि जर्मनी में नए कानूनों के माध्यम से डार्क वेब नियंत्रण अपराध पर ।

अवैध वित्तीय प्रवाह (Illicit Financial Flows - IFFs): आंतरिक स्थिरता पर सीधा खतरा

भारत में स्वरूप और दायरा:

- हवाला, टैक्स चोरी, व्यापारिक फर्जीवाड़ा जैसे माध्यमों से भारत से पूंजी का अवैध रूप से बाहर जाना।
- क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवादी फंडिंग में बढ़ता उपयोग।
- शेल कंपनियों के जरिए ब्लैक मनी विदेश भेजकर भारत में विरोधी गतिविधियों की फंडिंग।

(II) आतंक फंडिंग और सीमापार हस्तक्षेप:

- पाकिस्तान स्थित संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को हवाला और क्रिप्टो चैनलों से फंडिंग मिल रही है।
- 26/11 हमलों की फंडिंग भी शेल कंपनियों के ज़रिए की गई थी।
- IFFs का उपयोग भारत के कानून तंत्र को कमजोर कर कश्मीर और उत्तर-पूर्व में अस्थिरता पैदा करने के लिए किया जाता है।

(III) राजनीतिक और आर्थिक जासूसी:

- विदेशी एजेंसियां IFFs का उपयोग लॉबिंग, मीडिया हेरफेर और कॉर्पोरेट जासूसी में कर रही हैं।
- टेलीकॉम, फार्मा, रक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में शेल निवेश के माध्यम से विदेशी हस्तक्षेप।
- साइबर-अक्षम वित्तीय अपराधों के जरिए बैंकिंग ढांचे पर हमले करके देश की आर्थिक विकास दर को बाधित करना।

परस्पर जुड़े हुए खतरों का त्रिकोण: डेटा, डार्क वेब और IFFs

- डेटा उल्लंघन, डार्क वेब पर बिक्री, उससे प्राप्त धन से आतंक फंडिंग या साइबर अपराध।
- ISIS जैसे संगठन डार्क वेब का उपयोग गुमनाम लेनदेन, हथियार खरीद और भर्ती के लिए करते हैं।
- Digital India जैसे कार्यक्रमों से साइबर अपराधियों को अवसंरचना को निशाना बनाने के और अवसर मिले हैं।
- सामान्य नागरिकों की साइबर साक्षरता की कमी भी एक बड़ी कमजोरी है।

हाइब्रिड युद्ध और ग्रे ज़ोन संघर्ष

(i) चीन का "Unrestricted Warfare" मॉडल:

- 2020 में भारतीय रक्षा ठेकेदारों पर साइबर जासूसी।
- राज्य प्रायोजित हैकर्स द्वारा रणनीतिक जानकारी की चोरी – बिना किसी खुले युद्ध के।

(ii) पाकिस्तान का "Low-Intensity Conflict" मॉडल:

- साइबर प्रचार के माध्यम से जनमत को प्रभावित करना और आंतरिक तनाव पैदा करना।
- 2019 पुलवामा हमले के समय गलत सूचनाओं का प्रसार।
- डार्क वेब के जरिए हथियारों की तस्करी और आतंकी फंडिंग।

(iii) भारत की चुनौतियां:

- DDoS अटैक (जैसे 2016 में पाकिस्तानी हैकर्स द्वारा बैंकिंग सेक्टर पर) के जवाब में सीमित विकल्प।
- इससे सार्वजनिक भरोसा, आर्थिक नुकसान और रणनीतिक असमर्थता पैदा होती है।

भारत के लिए रणनीतिक सिफारिशें

(I) सैन्य साइबर क्षमता सुदृढ़ करना:

- Defence Cyber Agency (DCyA) को स्वतंत्र Cyber Command के रूप में विकसित करना।
- सभी सैन्य रैंकों में साइबर प्रशिक्षण अनिवार्य बनाना।

(II) डार्क वेब निगरानी:

- RAW, IB, NTRO, मिलिट्री इंटेलिजेंस के बीच एकीकृत साइबर इंटेलिजेंस फ्यूजन सेल।
- AI और Machine Learning का उपयोग करके डार्क वेब गतिविधियों की निगरानी।

(III) IFFs और क्रिप्टो निगरानी:

- FIU को सशक्त बनाना।
- सभी एक्सचेंजों पर सख्त KYC / AMLलागू करना।
- FATF और INTERPOL से सहयोग।

(IV) सभी नेटवर्क/पोर्टल/डेटाभारत में ही होस्ट किया जाए – इसके लिए पर्याप्त डेटा सेंटर बनाए जाएं।

(V) भारत को अपनी स्वयं की चिप्स, AI चिप्स विकसित करनी चाहिए – ताकि डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित हो।

(VI) Whole-of-Government अप्रोच और अंतरराष्ट्रीय सहयोग:

- NCCC (National Cyber Coordination Centre) को वास्तविक समय में खतरों की निगरानी की क्षमता दी जाए।
- QUAD, BIMSTEC जैसे संगठनों के साथ कानूनी संधियां।
- निजी साइबर कंपनियां, CERT-IN और शिक्षाविदों को शामिल करना।

निष्कर्ष

भारत ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पारंपरिक सुरक्षा खतरों में साइबर डोमेन का एक नया और घातक आयाम जुड़ गया है। डेटा उल्लंघन, डार्क वेब ऑपरेशन, और IFFs – ये केवल अपराध नहीं, बल्कि आज के आधुनिक युद्ध के उपकरण हैं। भारत का विशाल डिजिटल पदचिह्न, जटिल सीमाएं, और रणनीतिक प्रतिस्पर्धी इसे हाइब्रिड युद्ध का प्राथमिक लक्ष्य बनाते हैं। आज राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा नहीं, बल्कि Bytes, Blockchain और Bandwidth की रक्षा है। भारत को अपनी साइबर क्षमताएं सैन्यीकृत करनी होंगी, डार्क वेब की निगरानी, और आतंकवाद व जासूसी की वित्तीय जड़ों को समाप्त करना होगा।

220+ प्रजातिगत समूहों की भूमि

भारत के उत्तर-पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र 220+ अलग-अलग प्रजातिगत समूहों का घर हैं, जिनकी अपनी विशेष भोजन, पहनावे और भाषाएं हैं। मोंपास और ब्रोकपास जैसे जनजातियां अभी भी मौसमी सीमा पार प्रवास करती हैं।

रामेश्वरम – किंवदंतियों का पुल

पाम्बन द्वीप तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ता है और पौराणिक रामसेतु से जुड़ा है,विश्वास, प्रवाल और इतिहास का पुल।

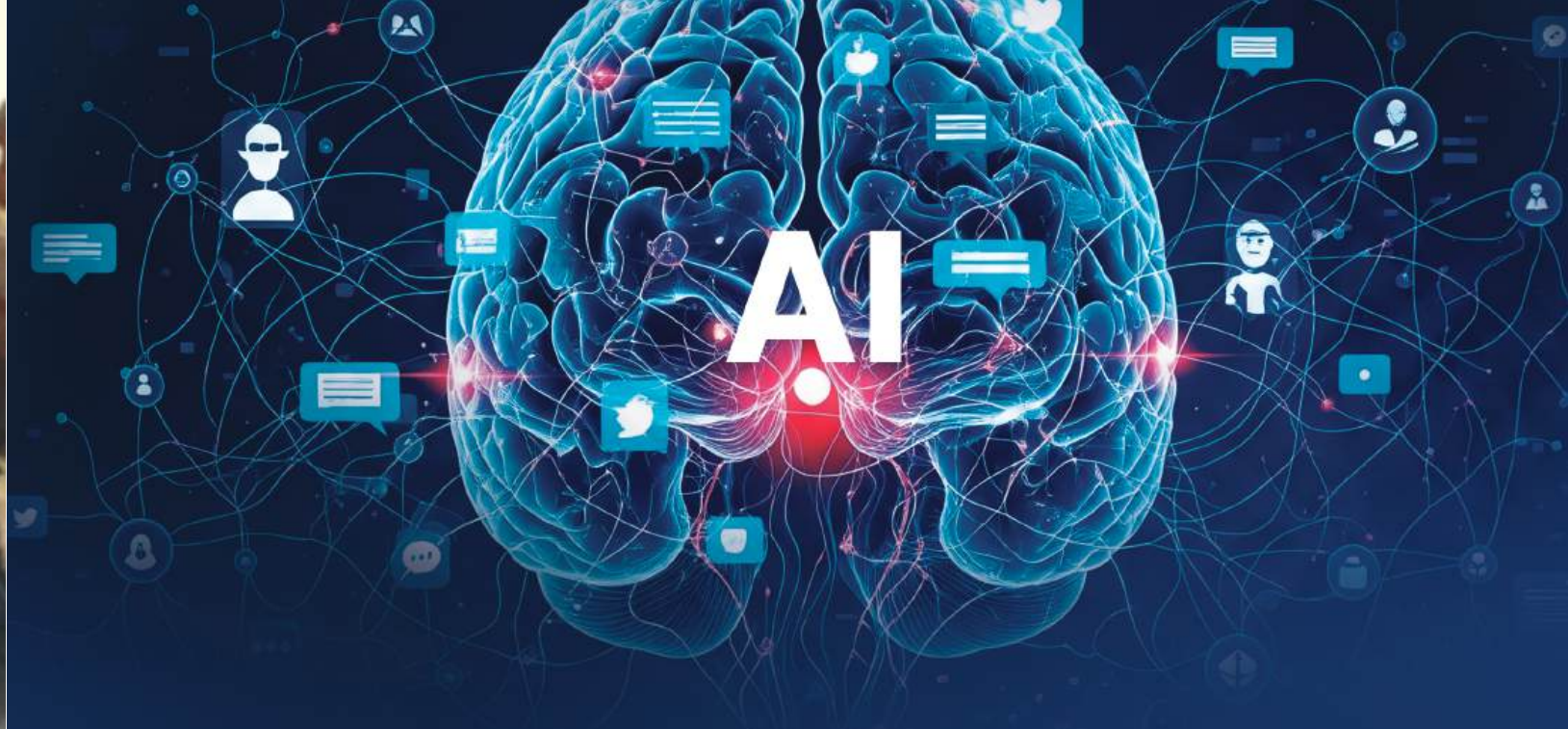

उग्रवाद 2.0 : आतंकवादी प्रचार एवं भर्ती में एआई क्रांति

मे. जन. पी. के. मलिक

वरिष्ठ भारतीय सैन्य अधिकारी, जिन्हें विभिन्न कमान और स्टाफ नियुक्तियों में परिचालन योजना एवं नेतृत्व में अपनी विशेषज्ञता के लिए पहचाना जाता है।

आज के इस युग में, जहां विज्ञान और तकनीक ने मानव जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कृत कर देने वाली प्रगति की है, वहीं उनके साथ ऐसे भी अंधकारमय खतरे उत्पन्न हुए हैं जो हमारे सामाजिक ढांचे की नींव को हिला देने की क्षमता रखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे ज्ञान की अद्भुत शक्ति माना जाता है, अब कट्टरपंथ और आतंकवाद के लिए भी एक भयंकर हथियार बन चुका है। यह वह उपकरण है जो सूक्ष्मता से समाज में घुसकर विचारों को विषाक्त कर देता है, युवाओं के मन-मस्तिष्क पर काला साया डालता है, और देश की सुरक्षा तथा सांस्कृतिक एकता के लिए संकट का सूचक बनता जा रहा है। आतंकवादी संगठन इसी तकनीक का प्रयोग कर अभूतपूर्व कुशलता से अपने प्रपंच चलाते हैं, जिससे उनके दुष्प्रचार और भर्ती अभियान अधिक भ्रामक, प्रभावशाली तथा व्यापक हो गए हैं। इस नयी दुनिया में नज़र रखने वाला केवल पुलिस या सैन्य बल नहीं, बल्कि सूक्ष्म विवेक और उच्च स्तरीय तकनीकी समझ भी है। हमारा यह नैतिक दायित्व है कि हम न केवल इस उभरते खतरे को समझें, बल्कि उसके विरुद्ध समन्वित, संजीदा और दूरगामी उपाय अपनाएं। तभी हम अपने लोकतंत्र के उज्जवलतम दिवसों को सुरक्षित रख पाएंगे, और इस विज्ञान के प्रगति के साधनों को मानवता के कल्याण के लिए संजो पाएंगे।

परिचय

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का तीव्र विकास समाज के लगभग हर क्षेत्र को परिवर्तित कर चुका है। जहां AI अनगिनत लाभों का वादा करता है, वहीं यह गंभीर जोखिम भी प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से उन दुर्भावनापूर्ण तत्वों के हाथों में जैसे कि आतंकवादी और हिंसक गैर-राज्य अभिनेता। आतंकवादी संगठनों द्वारा AI, विशेष रूप से जेनेरेटिव AI और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) का उपयोग सूचना निर्माण और प्रसार के लिए किया जा रहा है, जिससे वैश्विक स्तर पर कट्टरपंथ, भर्ती और प्रचार-प्रसार की प्रक्रिया अत्यंत प्रभावशाली और चिंता का विषय बन गई है।

परंपरागत हथियार प्रणालियों के विपरीत, जिनके विकास में पर्याप्त संसाधन और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, कई AI टूल्स अब

अधिक सुलभ, ओपन-सोर्स और उपयोगकर्ता के अनुकूल होते जा रहे हैं। जेनेरेटिव AI, चैटबॉट्स और एल्गोरिदमिक टारगेटिंग ने चरमपंथियों को अभूतपूर्व कुशलता और पहुंच के साथ कट्टरपंथी प्रयासों को स्वचालित, व्यक्तिगत और बड़े पैमाने पर प्रसारित करने में सक्षम बनाया है।

आतंकवादी समूह नेटवर्कयुक्त, चुस्त और स्मार्ट संगठनों की तरह काम करते हैं, जो सामाजिक मीडिया से लेकर ड्रोन तक उभरती प्रौद्योगिकियों को औपचारिक, पारंपरिक संगठनों की तुलना में तेजी से अपनाते हैं, और AI कोई अपवाद नहीं है। इस्लामिक स्टेट (IS) ने इस अनुकूलनशीलता का उदाहरण दिया है, जिसने वैश्विक रंगरूटों को आकर्षित करने के लिए उच्च-उत्पादन वाले वीडियो और बहुभाषी सामग्री का उपयोग किया है।

जबकि इंटरनेट लंबे समय से चरमपंथी भर्ती और प्रचार के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता रहा है, इन प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एकीकरण कट्टरता के प्रयासों के पैमाने और परिष्कार दोनों में एक गुणात्मक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। आतंकवादी संगठन और हिंसक गैर-राज्य खतरे तेजी से AI प्रौद्योगिकियों का लाभ उठा रहे हैं ताकि अधिक व्यक्तिगत, प्रेरक और लगातार कट्टरता अभियान चलाए जा सकें जो अभूतपूर्ण दक्षता और पहुंच के साथ काम कर सकते हैं।

हमें कुछ शब्दों को समझने की आवश्यकता है जिनका इस पेपर में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का तात्पर्य "किसी मशीन की अनुभव से सीखने, नए इनपुट में समायोजित होने और मानव जैसे कार्य करने की क्षमता" से है। बिग डेटा - AI का अधिकांश आकर्षण बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने की क्षमता में निहित है, जिसे "बिग डेटा" भी कहा जाता है। यह एक मानव विश्लेषक या विश्लेषकों की एक टीम की तुलना में तेजी से और अधिक आसानी से किया जा सकता है। ऐसा करने में, मानव आंखों से अनदेखे पैटर्न और सहसंबंधों की खोज करते हैं। AI उपलब्ध बिग डेटा के आधार पर किसी दिए गए परिदृश्य के संभावित परिणामों का अनुमान लगा सकता है।

जेनेरेटिव AI मशीन लर्निंग का उपयोग नई सामग्री उत्पन्न करने के लिए करता है, जिसमें टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो और बहुकार्यात्मक सिमुलेशन शामिल हैं। यह मानव मस्तिष्क के भीतर कनेक्शन से प्रेरित बड़े डेटासेट और मापदंडों का उपयोग करके काम करता है। जेनेरेटिव AI और AI के अन्य रूपों के बीच मुख्य अंतर यह है कि जेनेरेटिव AI सिस्टम नए आउटपुट विकसित कर सकते हैं, बजाय केवल भविष्यवाणी और वर्गीकरण के जैसे अन्य मशीन लर्निंग सिस्टम करते हैं। जेनेरेटिव AI अनुप्रयोगों के कुछ उदाहरणों में ChatGPT, Bing Chat, Google Gemini और Llama 2 शामिल हैं।

आतंकवादी और हिंसक चरमपंथी अभिनेताओं ने पहले ही जेनेरेटिव AI उपकरणों का उपयोग प्रोपेगेंडा के उत्पादन और प्रसार, नैरेटिव को विकृत करने और जनमत को प्रभावित करने के अपने मौजूदा तरीकों को बढ़ाने के लिए सूचना संचालन के हिस्से के रूप में करना शुरू कर दिया है। AI कार्यक्रम अनजाने में ELIZA प्रभाव के माध्यम से कमजोर व्यक्तियों की कट्टरता को तेज कर रहे हैं, जो कंप्यूटर प्रोग्रामों को मानवीय लक्षण जैसे सहानुभूति, उद्देश्य और अनुभव दिखाने की प्रवृत्ति है। AI चैटबॉट्स सफलतापूर्वक हमारे पूर्वाग्रहों की पहचान कर सकते हैं और बदले में हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं।

AI द्वारा पोषित कट्टरता के तंत्र

डिजिटल कट्टरता का मनोविज्ञान - कट्टरता प्रक्रिया में कुछ मनोवैज्ञानिक चरण शामिल हैं, जिनमें चरमपंथी सामग्री के लिए प्रारंभिक प्रदर्शन, कट्टरपंथी कथनों की क्रमिक स्वीकृति, चरमपंथी पहचान को अपनाना और हिंसक कार्रवाई के लिए संभावित प्रगति शामिल है। AI प्रौद्योगिकियां मानव मनोविज्ञान और व्यवहार की परिष्कृत समझ का लाभ उठाकर अधिक प्रभावी अनुनय तंत्र बनाने के लिए इनमें से प्रत्येक चरण को बढ़ाती हैं।

मशीन लर्निंग एल्गोरिदम व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के बारे में भारी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं, जिसमें उनका ऑनलाइन व्यवहार, सामाजिक संबंध, भावनात्मक स्थिति और व्यक्तिगत कमजोरियां शामिल हैं, ताकि विस्तृत मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल बनाए जा सकें। ये प्रोफाइल चरमपंथी समूहों को अत्यधिक व्यक्तिगत कट्टरता अभियान बनाने में सक्षम बनाते हैं जो विशिष्ट संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों, भावनात्मक ट्रिगर्स और मनोवैज्ञानिक जरूरतों को लक्षित करते हैं जो व्यक्तियों को चरमपंथी संदेशों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं।

ये AI-जनित टेक्स्ट विभिन्न लेखन शैलियों को अपना सकते हैं, स्थानीय घटनाओं का संदर्भ दे सकते हैं और प्रामाणिक, प्रासंगिक संचार का आभास पैदा करने के लिए व्यक्तिगत विवरण शामिल कर सकते हैं। ये सिस्टम यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सी कथाएं विशिष्ट उपयोगकर्ताओं के साथ सबसे दृढ़ता से प्रतिध्वनित होती हैं, वे किस प्रकार के साक्ष्य को सबसे अधिक प्रेरक पाते हैं और कौन सी भावनात्मक अपीलें चरमपंथी सामग्री के साथ आगे की संलग्नता को प्रोत्साहित करने की सबसे अधिक संभावना रखती हैं।

पारंपरिक कट्टरता विधियों के विपरीत जो नाटकीय वैचारिक बदलावों पर निर्भर करती हैं, AI-सक्षम दृष्टिकोण सूक्ष्म, वृद्धिशील परिवर्तन लागू कर सकते हैं जो लक्षित व्यक्ति को स्वाभाविक और स्वैच्छिक लगते हैं, जिससे वे अधिक प्रभावी और पता लगाना कठिन हो जाते हैं।

प्रोपेगेंडा और दुष्प्रचार के लिए जेनेरेटिव AI - जेनेरेटिव AI मॉडल, जैसे कि बड़े भाषा मॉडल (LLMs), टेक्स्ट-टू-इमेज जेनेरेटर और डीपफेक प्रौद्योगिकियों का अब आतंकवादी समूहों द्वारा प्रोपेगेंडा बनाने और फैलाने के लिए नियमित रूप से शोषण किया जा रहा है।

सिंथेटिक मीडिया - DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion और Bing Image Creator जैसे सॉफ्टवेयर उपकरण अत्यधिक यथार्थवादी चित्र और वीडियो बना सकते हैं जो काल्पनिक घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सिंथेटिक (आभासी) मीडिया एसेट्स का उपयोग जनभावना में हेरफेर करने, हिंसा भड़काने और दुष्प्रचार फैलाने के लिए किया जाता है। इन उपकरणों को न्यूनतम तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है; उपयोगकर्ता वर्णनात्मक संकेत इनपुट करते हैं और AI वर्णन से मेल खाने वाले चित्र या वीडियो क्लिप अक्सर सेकंड के भीतर उत्पन्न करता है।

डीपफेक्स - AI-जनित डीपफेक्स ऐसे वीडियो बनाने में सक्षम बनाते हैं जिनमें सार्वजनिक हस्तियां या विरोधी ऐसी बातें कहते या करते हुए दिखाई देते हैं जो उन्होंने वास्तव में कभी नहीं कहीं या कीं। इस तकनीक का उपयोग संस्थानों में विश्वास को कमजोर करने, विरोधियों को बदनाम करने और षड्यंत्र सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ये डीपफेक्स अक्सर वास्तविक फुटेज से अप्रभेद्य होते हैं, खासकर जब जल्दी से देखे जाते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर साझा किए जाते हैं।

स्वचालित सामग्री निर्माण - LLMs कई भाषाओं में घोषणापत्र, सोशल मीडिया पोस्ट और भर्ती सामग्री को तेजी से उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे आतंकवादी समूहों को न्यूनतम मानवीय प्रयास के साथ विविध दर्शकों तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सकता है।

गेम्स - VNSAs को मौजूदा ऑनलाइन गेम को संशोधित करने या अपने स्वयं के ऑनलाइन गेम-प्ले स्पेसेस बनाने के लिए भी पाया गया है, जिसमें यह चिंता है कि गेम निर्माण इंजन का उपयोग तेजी से आकर्षक प्रोपेगेंडा बनाने के लिए किया जा सकता है।

कुछ आतंकवादी संगठनों ने प्रोपेगेंडा और दुष्प्रचार विकसित करने के लिए AI का उपयोग कैसे करें, इस पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस्लामिक स्टेट ने 2023 की गर्मियों में जेनेरेटिव AI उपकरणों का सुरक्षित रूप से उपयोग करने के तरीके पर एक तकनीकी सहायता गाइड प्रकाशित किया था।

इन सभी तरीकों से, आतंकवादी मनोवैज्ञानिक युद्ध, झूठे झंडा संचालन या प्रोपेगेंडा जैसी विविध रणनीतियों के माध्यम से भ्रम पैदा करने के लिए जेनेरेटिव AI का उपयोग कर सकते हैं ताकि लोगों के व्यवहार को प्रभावित किया जा सके। हैलुसिनेशन मुख्य रूप से उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहां AI प्रणाली अप्रत्याशित, असामान्य या निरर्थक आउटपुट उत्पन्न करती है।

AI-संचालित भर्ती और इंटरैक्टिव कट्टरता - AI न केवल प्रोपेगेंडा को बढ़ा रहा है बल्कि भर्ती रणनीतियों में भी क्रांति ला रहा है। AI द्वारा संचालित चैटबॉट्स और वर्चुअल एजेंट संभावित रंगरूटों के साथ मानव सहानुभूति और समझ की नकल करते हुए व्यक्तिगत, इंटरैक्टिव बातचीत में संलग्न हो सकते हैं। बाद में, एक इंसान अधिक व्यक्तिगत रूप से संलग्न होने के लिए बातचीत को संभाल सकता है। ChatGPT जैसे LLMs आतंकवादी समूहों को किसी भी मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना भी मानव जैसा अनुभव प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। एक UN अध्ययन ने बताया कि OpenAI के उपकरणों के बारे में उनकी "माइक्रो-प्रोफाइलिंग और माइक्रो-टारगेटिंग, भर्ती उद्देश्यों के लिए स्वचालित टेक्स्ट उत्पन्न करने" की क्षमताओं के संदर्भ में चिंताएं उठाई गई हैं।

केस स्टडी: इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (ISKP)

इराक और सीरिया का इस्लामिक स्टेट (ISIS) कट्टरता के उद्देश्यों के लिए AI प्रौद्योगिकियों का व्यवस्थित रूप से शोषण करने वाले पहले आतंकवादी संगठनों में से एक था। समूह ने परिष्कृत सोशल मीडिया रणनीतियां विकसित कीं जिन्होंने संभावित रंगरूटों की पहचान करने और वैचारिक रूपांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन की गई व्यक्तिगत चरमपंथी सामग्री प्रदान करने के लिए एल्गोरिदमिक विश्लेषण का उपयोग किया।

ISKP बहुभाषी प्रोपेगेंडा का उत्पादन करने के लिए जेनेरेटिव AI का उपयोग करता है, भाषा बाधाओं को तोड़ता है और रूसी, पश्तो-भाषी लोगों और यूरोपीय समुदायों में अपने भर्ती पूल का विस्तार करता है। ISIS ऑपरेटिव्स ने सोशल मीडिया प्रोफाइल का विश्लेषण करने और गुस्सा, निराशा या अलगाव व्यक्त करने वाले व्यक्तियों की पहचान करने के लिए AI-संचालित उपकरणों का उपयोग किया, जिन्हें चरमपंथी उद्देश्यों के लिए निर्देशित किया जा सकता है।

समूह ने स्वचालित सिस्टम बनाए जो इन व्यक्तियों के साथ सामाजिक मीडिया इंटरैक्शन के माध्यम से संपर्क शुरू कर सकते थे, धीरे-धीरे चरमपंथी कथाएं पेश करते हुए व्यक्तिगत संबंध बनाते थे। संगठन ने कट्टरता सामग्री के समय और वितरण को अनुकूलित करने के लिए AI प्रौद्योगिकियों का भी उपयोग किया, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके यह निर्धारित करने के लिए कि व्यक्ति चरमपंथी संदेशों के प्रति सबसे अधिक ग्रहणशील कब थे।

इस दृष्टिकोण ने उनके भर्ती प्रयासों की प्रभावशीलता में काफी वृद्धि की जबकि प्लेटफार्म मॉडरेशन सिस्टम द्वारा पता लगाने के जोखिम को कम किया। ISKP कीवर्ड, हैशटैग और संलग्नता तंत्र का उपयोग करता है, जिसे AI द्वारा और परिष्कृत किया जाता है, ताकि इसकी सामग्री की दृश्यता और प्रभाव को अनुकूलित किया जा सके।

AI-सक्षम कट्टरता का मुकाबला करने में चुनौतियां

विकसित होते खतरे का परिदृश्य - जैसे-जैसे जेनेरेटिव AI अधिक उन्नत और सुलभ होता जाएगा, आतंकवादियों और Violent Non

Stake Actors द्वारा इसके दुरुपयोग का जोखिम बढ़ेगा। ISIS, अल-कायदा और हिजबुल्लाह जैसे समूह पहले से ही इन प्रौद्योगिकियों की खोज कर रहे हैं और उनकी रणनीति समय के साथ और अधिक परिष्कृत होने की संभावना है।

पता लगाने और रोकथाम में चुनौतियां

तकनीकी चुनौतियां - AI-सक्षम आतंकवादी गतिविधियों का पता लगाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा करता है। AI-बढ़ी हुई परिचालन सुरक्षा के खिलाफ पारंपरिक निगरानी विधियां कम प्रभावी हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों को न्यूनतम मानवीय भागीदारी के साथ जारी रखने की अनुमति देती हैं, जिससे मानव खुफिया प्रयासों को जटिल बनाया जा सकता है।

AI का तेजी से विकास रक्षात्मक उपायों के विकास को पीछे छोड़ देता है, जिससे एक तकनीकी हथियारों की दौड़ पैदा होती है जिसके लिए सुरक्षा पेशेवरों से लगातार सतर्कता की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, AI प्रौद्योगिकियों की द्विउपयोग प्रकृति वैध और दुर्भावनापूर्ण अनुप्रयोगों के बीच की रेखा को धुंधला करती है, जिससे नवाचार को बाधित किए बिना विनियमन मुश्किल हो जाता है। सुरक्षा एजेंसियों को AI की व्यापक पहुंच की जटिलताओं को नेविगेट करते हुए इन परिष्कृत खतरों का मुकाबला करने के लिए तेजी से अनुकूलन करना चाहिए।

कानूनी और नैतिक विचार - AI-सक्षम आतंकवाद को संबोधित करने से जटिल कानूनी और नैतिक मुद्दे उठते हैं। AI-संचालित खतरों का मुकाबला करने के लिए पारंपरिक आतंकवाद-निरोधी उपायों को अनुकूलित करने से गोपनीयता और नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है, जिसके लिए सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन की आवश्यकता होती है। AI प्लेटफार्मों की वैश्विक प्रकृति विनियमन को जटिल बनाती है, क्योंकि आतंकवादी विभिन्न कानूनी ढांचों वाले न्यायालयों में उपकरणों का शोषण कर सकते हैं, जिससे व्यापक प्रतिक्रियाएं बाधित होती हैं। इसके अतिरिक्त, आतंकवाद का पता लगाने और उसे रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों द्वारा AI का उपयोग, हालांकि प्रभावी है, दुरुपयोग को रोकने और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सख्त निरीक्षण की मांग करता है। ये चुनौतियां AI उपयोग को विनियमित करने के लिए सूक्ष्म नीतियों की आवश्यकता है जबकि आतंकवाद के विकसित होते खतरे को प्रभावी ढंग से संबोधित करती हैं।

AI विभिन्न तरीकों से आतंकवाद-निरोधी प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है:

निगरानी और मॉनीटरिंग - AI सार्वजनिक स्थानों पर संदिग्ध व्यवहार या वस्तुओं को पहचानने के लिए लाइव वीडियो का विश्लेषण कर सकता है, जिससे अधिकारियों को संभावित खतरों पर तेजी से प्रतिक्रिया करने में मदद मिलती है।

प्रचार-विरोधी और डी-रेडिकलाइज़ेशन के लिए - AI के उपकरण जोखिम वाले व्यक्तियों की पहचान करके और उनके ऑनलाइन व्यवहार का विश्लेषण करके डी-रेडिकलाइज़ेशन कार्यक्रमों का समर्थन कर सकते हैं।

भविष्य का विश्लेषण (प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स) - ऐतिहासिक डेटा, सोशल मीडिया गतिविधि और अन्य खुफिया स्रोतों में पैटर्न का विश्लेषण करके, AI संभावित आतंकवादी हमलों की भविष्यवाणी कर सकता है। यह कट्टरता के संकेतों की पहचान करने और हमलों से पहले हस्तक्षेप करने के लिए व्यक्तियों या समूहों के व्यवहार का आकलन कर सकता है।

डेटा विश्लेषण और खुफिया जानकारी जुटाना - AI व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए निगरानी फुटेज, डिजिटल प्लेटफार्मों और वित्तीय लेनदेन सहित विभिन्न स्रोतों से बड़े डेटासेट को एकीकृत करता है। यह संभावित खतरों के लिए संचार इंटरसेप्ट और ऑनलाइन सामग्री को समझने और विश्लेषण करने के लिए भाषा प्रसंस्करण का उपयोग करता है।

आतंकवाद-निरोधी में परिचालन दक्षता में सुधार - यह संचालन के लिए संसाधन आवंटन को अनुकूलित कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कर्मियों और उपकरणों को प्रभावी ढंग से तैनात किया जाए। AI निर्णय निर्माताओं को वास्तविक समय का डेटा और सिफारिशें प्रदान कर सकता है, जिससे आतंकवाद-निरोधी रणनीतियों की प्रभावशीलता बढ़ जाती है।

AI चैटबॉट्स - आतंकवाद-निरोधी व्यवसायी AI चैटबॉट्स विकसित

जहां सीमाएं कई भाषाएं बोलती हैं

मणिपुर के मोरेह जैसे कस्बों में स्थानीय लोग त्रिभाषी हैं,मणिपुरी, बर्मी और अंग्रेज़ी बोलते हैं। उत्तर-पूर्व में किसी एक गांव में चार या अधिक भाषाएं सुनना असामान्य नहीं है।

सियाचिन ग्लेशियर – विश्व का उच्चतम युद्धक्षेत्र

5,400 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, लद्दाख में सियाचिन में सैनिक बादलों में पहरा देते हैं,विश्व की छत पर भारत की बर्फीली ढाल।

कर सकते हैं जिन्हें किसी विशेष आतंकवादी समूह द्वारा प्रचारित लेखों, सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो जैसे बड़ी मात्रा में डेटा पर प्रशिक्षित करके कट्टरपंथी व्यक्तियों की तरह 'सोचने' के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। व्यवसायी तब चैटबॉट्स को विभिन्न काउंटर-नैरेटिव्स के सामने उजागर कर सकते हैं कि कौन से काउंटर-नैरेटिव्स चैटबॉट्स को 'डी-रेडिकलाइज़' करने में सबसे प्रभावी हैं।

सहयोग और नीति नवाचार - सरकारों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और नागरिक समाज के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है। नीतियों को सुरक्षा की आवश्यकता और मौलिक अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन बनाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि आतंकवाद-निरोधी प्रयासों से गोपनीयता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन न हो।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है जो सीमाओं के पार है। खुफिया जानकारी साझा करने, विनियमों को सामंजस्यपूर्ण बनाने और AI-सक्षम कट्टरता के लिए प्रतिक्रियाओं का समन्वय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है।

पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप - प्रौद्योगिकी कंपनियां चरमपंथी सामग्री का पता लगाने और उसे हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच साझेदारी प्रभावी प्रतिवादों के विकास और तैनाती को तेज कर सकती है।

शिक्षा और डिजिटल साक्षरता - AI-सक्षम कट्टरता के प्रति लचीलापन बनाने के लिए शिक्षा और डिजिटल साक्षरता में निवेश की आवश्यकता है। व्यक्तियों को ऑनलाइन सामग्री का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने और हेरफेर की रणनीति को पहचानने के लिए सशक्त बनाने से चरमपंथी प्रोपेगेंडा की प्रभावशीलता कम हो सकती है।

मीडिया साक्षरता कार्यक्रम - व्यक्तियों को डीपफेक्स, सिंथेटिक मीडिया और दुष्प्रचार की पहचान करना सिखाना उन्हें कट्टरता के प्रयासों के खिलाफ प्रतिरक्षित कर सकता है।

सामुदायिक सहभागिता - रोकथाम प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने से जोखिम वाले व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें पूरी तरह से कट्टरपंथी बनने से पहले सहायता प्रदान करने में मदद मिल सकती है।

परामर्श

i. कट्टरता के लिए AI के दुर्भावनापूर्ण उपयोग को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों का प्रस्ताव है:

ii. उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास - सरकारों और टेक कंपनियों को डीपफेक्स और चरमपंथी सामग्री का पता लगाने के लिए AI-संचालित उपकरण बनाने के लिए सहयोग करना चाहिए। इन उपकरणों को विकसित हो रही AI प्रौद्योगिकियों का मुकाबला करने के लिए नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए।

iii. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करें - नियामक अंतराल को बंद करने और आतंकवादियों को न्यायाधिकारी मतभेदों का फायदा उठाने से रोकने के लिए AI गवर्नेंस के लिए वैश्विक मानक स्थापित करें।

iv. काउंटर-नैरेटिव्स को बढ़ाएं - जोखिम वाले समूहों को लक्षित, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक सामग्री के साथ AI-संचालित काउंटर-मैसेजिंग अभियानों में निवेश करें।

v. नैतिक AI डिज़ाइन को बढ़ावा दें - यह सुनिश्चित करें कि AI प्रणालियों को विविध, निष्पक्ष डेटासेट पर प्रशिक्षित किया जाता है ताकि विभाजनकारी कथाओं के प्रवर्धन को रोका जा सके। AI विकास में पारदर्शिता महत्वपूर्ण है।

vi. सुरक्षा और अधिकारों को संतुलित करें - गोपनीयता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने से AI-आधारित निगरानी को रोकने के लिए निरीक्षण तंत्र लागू करें। "हिंसक चरमपंथ" की स्पष्ट परिभाषाएं आवश्यक हैं।

vii. जन जागरूकता और शिक्षा - हेरफेर करने वाली प्रौद्योगिकियों के खिलाफ लचीलापन बनाने के लिए AI-संचालित कट्टरता के जोखिमों के बारे में कमजोर आबादी को शिक्षित करें।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीकें और अधिक परिष्कृत, सुलभ और व्यापक होती जा रही हैं, वैसे-वैसे आतंकवादी संगठन और हिंसक गैर-राज्यीय कृत्यकारियों द्वारा इनके दुरुपयोग की आशंका भी तीव्र होती जा रही है। यह विकास केवल वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं रह सकता, अपितु भविष्य की दिशा और संभावित खतरों का पूर्वानुमान लगाने वाला, एक दूरदर्शी और अनुकूलित प्रयत्न होना चाहिए। इस अपार चुनौती में दांव वेगवान और उच्च हैं, क्योंकि यदि हम AI समर्थित कट्टरता से होती जर्जर सामाजिक स्थिरता और विध्वंसकारी हिंसा को रोकने में विफल रहे, तो समूची मानवता को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस लड़ाई में सफलता के लिए आवश्यक है कि प्रौद्योगिकी के तेज़ी से विकासशील पथ पर चलती कंपनियां, सरकारी विभाग, शिक्षा के संस्थान और नागरिक समाज के सभी समूह एकजुट होकर काम करें। यह संगठित और समन्वित सहयोग न केवल स्थायी होना चाहिए, बल्कि तकनीकी बदलावों की गति के अनुरूप समय-समय पर अनुकूलित भी होता रहे। क्योंकि दांव न केवल हमारे देश की, बल्कि सम्पूर्ण विश्व की सुरक्षा और स्थिरता के भविष्य का है, जिसके लिए हमारी जागरूकता, समझदारी और तत्परता अपरिहार्य है।

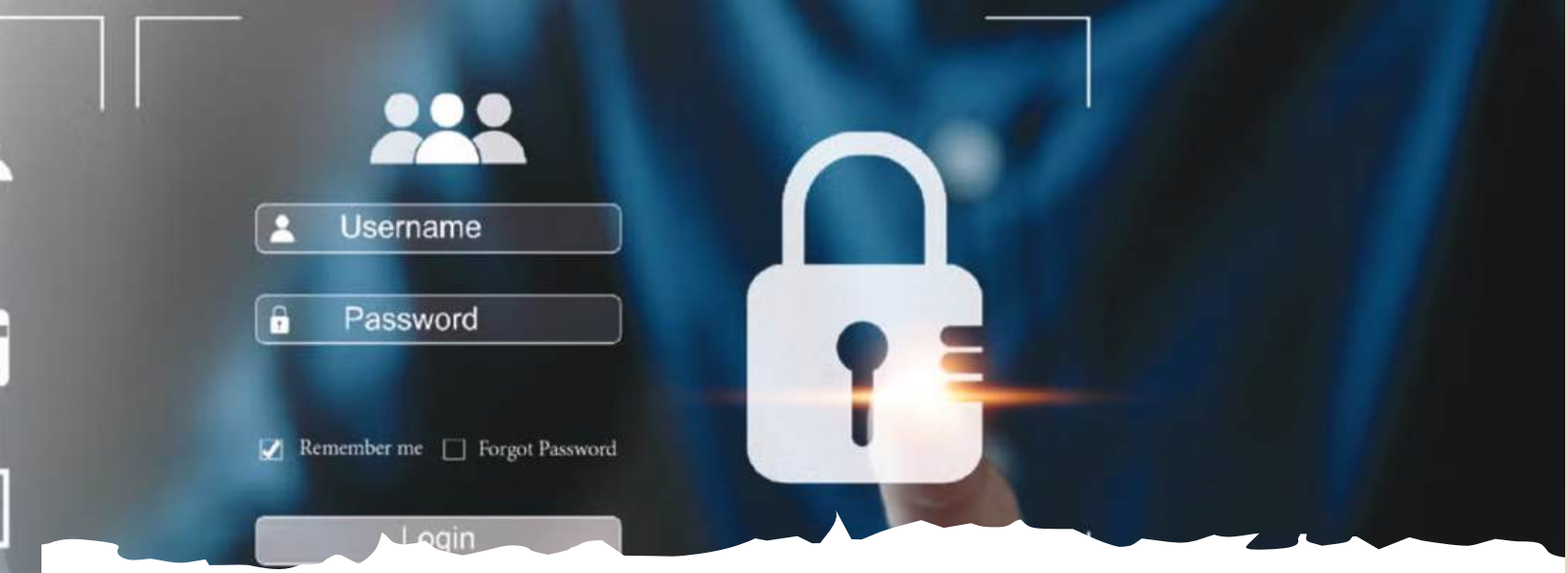

अदृश्य सेंध: डाटा असुरक्षा से होने वाले आर्थिक नुकसान

डॉ. विशाखा जैन

आर्थिक शोध एवं अध्यापन, दिल्ली विश्वविद्यालय के विवेकानंद कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग में सहायक प्राध्यापक

यह हमारे दौर की सच्चाई है कि जेब में रखा स्मार्टफोन हमारा सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे गहरा खतरा भी। जो कभी हथेली पर खेलने वाला औज़ार था, वही अब हमारी जेब काटने का नया ज़रिया बन चुका है। गांव की पगडंडी से लेकर दिल्ली-मुंबई की मेट्रो तक, इंटरनेट की डोर ने सबको जोड़ा तो ज़रूर है, मगर बिना ताले के। हमारी मेहनत की कमाई, बच्चों की पढ़ाई और परिवार की यादें – सब इस छोटे से स्क्रीन में कैद हैं, और चोर अब बंदूक और मुखौटे से नहीं, बल्कि कोड और क्लिक से घर में घुसते हैं। बाज़ार हमें डिजिटल होने का हुक्म देता है, मगर डिजिटल होना अब सुरक्षा का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया है। जब बैंक का दरवाज़ा खुला छोड़कर सोना अपराध था, तब फोन में खुले डेटा के साथ घूमना क्यों नहीं? आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था से खरबों डॉलर बिना किसी धमाके के चुपचाप बह रहे हैं। इंटरनेट गांव-गांव में भरोसे और खतरे की यह दोहरी कहानी सुना रहा है, और सवाल अब सिर्फ तकनीक का नहीं, बल्कि हमारी जेब और घर की चौखट की सुरक्षा का है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और कंप्यूटर ने मानव जीवन को अभूतपूर्व रूप से परिवर्तित किया है। इन्होंने न केवल बाज़ार, बैंकिंग और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई है, बल्कि सामाजिक संरचना को भी गहराई से प्रभावित किया है। स्मार्टफोन के प्रयोग से आज कैलेंडर, कैलकुलेटर, बैंक पासबुक और यहां तक कि भौतिक मुद्रा की आवश्यकता भी काफ़ी हद तक कम हो गई है।

कोविड-19 महामारी ने इस स्मार्टफोन संस्कृति को और अधिक बढ़ावा दिया, जब लोग भौतिक रूप से अलग-थलग थे, परंतु आभासी रूप से जुड़े हुए थे। भारत सरकार ने "पावर फॉर ऑल" और "पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना" जैसी नीतियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम छोर तक बिजली पहुंचाने का प्रयास किया है। "प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान" तथा "राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन" जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार डिजिटल साक्षरता और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन प्रयासों से देश में स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई।

हालांकि, महामारी के बाद स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या में कुछ कमी आई है, फिर भी इसने उपभोक्ताओं की आदतों में स्थायी परिवर्तन ला दिया है। स्मार्टफोन अब केवल शिक्षित या उच्च-मध्यम वर्ग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। इसकी बहुआयामी उपयोगिता ने इसे विभिन्न आय वर्गों और आयु समूहों में लोकप्रिय बना दिया है – बच्चे, युवा, वृद्ध – सभी इसके उपयोगकर्ता हैं। आज स्मार्टफोन केवल बात करने का माध्यम नहीं, बल्कि सूचना, शिक्षा और संचार का एक प्रभावशाली साधन बन चुका है, जिसने ग्रामीण और शहरी अंतर को भी कुछ हद तक कम किया है।

लेकिन, हर अच्छी चीज़ की एक कीमत होती है। स्मार्टफोन के प्रथम-पीढ़ी के उपयोगकर्ता या तकनीकी रूप से कम जानकार उपभोक्ता अनजाने में अपने व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण डेटा को फ़ोन या गूगल अकाउंट में संग्रहीत कर देते हैं। कई मोबाइल ऐप्स उपयोग की अनुमति लिए बिना काम नहीं करते, जिससे उपभोक्ता अनिवार्य रूप से अपने डेटा तक पहुंच की अनुमति देने को विवश हो जाते हैं। सामान्यतः कंपनियां इस डेटा को संभावित उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए बेच देती हैं, जिससे उपभोक्ता की सहमति के बिना उसका डेटा निजी लाभ के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है।

शुरुआत में यह प्रवृत्ति केवल विपणन उद्देश्यों तक सीमित थी, लेकिन धीरे-धीरे इस जानकारी का दुरुपयोग धोखाधड़ी के माध्यम से धन अर्जित करने के लिए होने लगा। डेटा असुरक्षा केवल व्यक्तिगत जानकारी तक ही सीमित नहीं है; बड़ी कंपनियां भी साइबर हमलों से अछूती नहीं हैं। यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय हेतु लगातार यात्रा करता है और किसी को उसके यात्रा विवरण की जानकारी मिल जाए, तो इसका उपयोग अपराध की योजना बनाने में किया जा सकता है। इसीलिए प्रत्येक उपभोक्ता के डेटा की सुरक्षा आवश्यक है।

यह समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है; वैश्विक स्तर पर भी डेटा असुरक्षा एक गंभीर चुनौती है। वर्ष 2022 और 2023 में इस समस्या ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को क्रमशः 8 ट्रिलियन डॉलर और 11 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाया (स्रोत: Statista)। अमेरिका में एक डेटा उल्लंघन की औसत लागत 9.36 मिलियन डॉलर है, जो भारत की तुलना में लगभग चार गुना अधिक है।

भारत में पहली बार इंटरनेट का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है और डिजिटल साक्षरता का स्तर अपेक्षाकृत कम है, जिससे देश डेटा उल्लंघनों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। आईबीएम की रिपोर्ट कॉस्ट ऑफ डेटा ब्रीच 2023 के अनुसार भारत में डेटा उल्लंघन से औसतन प्रति वर्ष ₹17.9 करोड़ (लगभग 2.35 मिलियन डॉलर) का नुकसान होता है, जो 2020 की तुलना में 28% अधिक है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (गृह मंत्रालय) के अनुसार, अगले वर्ष तक साइबर धोखाधड़ी से भारत को ₹1.2 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है। यह केवल वित्तीय हानि नहीं है; डेटा उल्लंघन से सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक क्षति भी होती है, जिसे मापना कठिन है। यह अपराध का नया स्वरूप है, जो डेटा असुरक्षा से शुरू होता है। कई बार उपभोक्ता अपने मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को स्थायी रूप से डेटा हटाए बिना बेच देते हैं, जिससे डेटा का दुरुपयोग संभव हो जाता है। हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि कई कंपनियां, जिनके पास पूर्ण विकसित तकनीकी विभाग हैं, भी साइबर हमलों का शिकार हुई हैं।

सोशल मीडिया मार्केटिंग के बढ़ते प्रभाव ने भारतीय युवाओं को उद्यमिता की ओर आकर्षित किया है। PwC की वॉयस ऑफ द कंज़्यूमर सर्वे 2024 के अनुसार, 56% भारतीय उपभोक्ता दैनिक/साप्ताहिक आधार पर ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, जो वैश्विक औसत 34% से कहीं अधिक है। इसी सर्वे में यह भी पाया गया कि 82% भारतीय उपभोक्ता डेटा उल्लंघन को लेकर चिंतित हैं। अतः उपभोक्ताओं का विश्वास बनाए रखने हेतु सख्त डेटा सुरक्षा नीतियां आवश्यक हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में हो रहे निरंतर नवाचार के कारण डेटा की सुरक्षा और अधिक जटिल हो गई है। भारत सरकार ने इस चुनौती की गंभीरता को समझते हुए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की है, जो देश में साइबर अपराध नियंत्रण की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से लेन-देन के डिजिटलीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रांति ला दी है, जिससे मुद्रा का प्रवाह तीव्र हुआ है। साहूकारों की एकाधिकारिता में कमी आई है और बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ी है, जिससे छोटे उद्यमियों को बल मिला है। यह भारतीय उद्यमियों के व्यवहार में एक सकारात्मक परिवर्तन है, जिसे बनाए रखने के लिए उपभोक्ताओं की डेटा सुरक्षा अनिवार्य है।

वित्तीय क्षेत्र डेटा सुरक्षा की दृष्टि से सबसे संवेदनशील है। इसलिए 2018 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह अनिवार्य किया कि सभी वित्तीय डेटा देश के भीतर ही संग्रहित किए जाएं। यह नियम संवेदनशील वित्तीय जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। डेटा सुरक्षा मुद्रा प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होती है। अधिकांश वित्तीय धोखाधड़ी में राशि तुरंत विदेशी बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाती है, जिससे लेन-देन की पुनर्प्राप्ति लगभग असंभव हो जाती है।

हालांकि साइबर अपराधी डेटा चोरी के लिए नए-नए तरीकों का सहारा लेते रहते हैं, फिर भी स्पष्ट कानूनी प्रावधानों और उपभोक्ताओं के लिए जागरूकता अभियानों के माध्यम से डेटा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। यही वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता है।

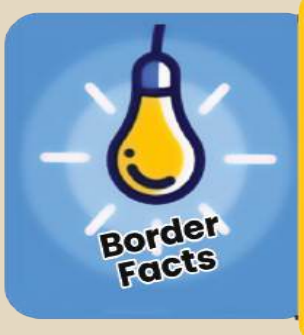

सियाचिन ग्लेशियर – विश्व का उच्चतम युद्धक्षेत्र

5,400 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, लद्दाख में सियाचिन में सैनिक बादलों में पहरा देते हैं,विश्व की छत पर भारत की बर्फीली ढाल।

अंडमान का रॉबर क्रैब

दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय अर्थोपोड, रॉबर क्रैब, अंडमान द्वीपों में पनपता है,एक प्रागैतिहासिक दैत्य।

तकनीकी सामरिक युद्ध: सीमाओं के परे, भविष्य के संघर्ष

आर.के. अरोड़ा

सीमा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा तथा लोक नीति के विशेषज्ञ, जिन्हें भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रूपरेखाओं को सुदृढ़ करने का व्यापक अनुभव है।

शीतयुद्ध की राख से उठता नया युग बता रहा है कि युद्ध अब सिर्फ़ मोर्चों पर नहीं, मन और मशीन की साझी चौकियों पर लड़ा जाता है; जहां संख्या नहीं, सटीकता का साहस निर्णायक बनता है, और एल्गोरिद्म की शांति में ड्रोनों की गर्जना सुनाई देती है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि सीमा पार किए बिना भी राष्ट्र-इच्छाशक्ति दूर तक प्रहार कर सकती है, लंबी दूरी के हथियार, साइबर प्रहार और वास्तविक समय की खुफिया मिलकर जवाब को न्याय का स्वर दे सकते हैं। यह वही क्षण है जब वायु-शक्ति का अर्थ डॉगफाइट से हटकर डाटा-लिंक, जैमिंग और स्टैंड-ऑफ सटीकता में सिमटता-विस्तृत होता है। यूक्रेन से कराबाख और गाज़ा तक, तकनीक ने रणभूमि की रेखाएं मिटा दी हैं, अब पुल, रडार, रसद और मनोबल सब एक साथ निशाने पर आते हैं। दक्षिण एशिया के लिए यह अवसर भी है और इम्तिहान भी, कम collateral, पर तेज़ escalation के जोखिम के साथ, जहां सत्य और दुष्प्रचार की जंग एक ही स्क्रीन पर चलती है। भारत की नीति जब अंतरिक्ष-निगरानी, AI-सहायित निर्णय और UAV-क्षमताओं को समेकित करती है, तब deterrence को नई भाषा मिलती है। यह लड़ाई टैंकों से कम, नेटवर्कों से अधिक तय होती है,ISR की आंख, क्वांटम की गति और हाइपरसोनिक का संकल्प मिलकर नई रण-व्यवस्था लिखते हैं। सीमा अब केवल नक्शे की रेखा नहीं, क्लाउड और सर्वर की परतों में फैला एक अदृश्य मोर्चा है। ऐसे में सेनाओं का प्रशिक्षण भी बदलना होगा, तकनीकी प्रवीणता, साइबर दृढ़ता और अनुकूली वॉर-गेमिंग के तप में ढला हुआ। और अंततः, राष्ट्र-सुरक्षा का धर्म यही है कि पहला वार चाहे डिजिटल हो, अंतिम उत्तर विवेक, सटीकता और जन-हित के साहस से दिया जाए, ताकि दुनिया समझे: भारत उकसावे से नहीं, उत्कृष्टता से जवाब देता है।

आज दुनिया संघर्षों को लड़ने और प्रतिरोध को बनाए रखने के तरीकों में आमूल-चूल परिवर्तन देख रही है। हाल ही में भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव,पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की साहसिक प्रतिक्रिया "ऑपरेशन सिंदूर",ने पारंपरिक तौर-तरीकों से हटकर तकनीक-आधारित हाइब्रिड युद्ध की दिशा में तेज़ी से हो रहे बदलाव

का संकेत दिया है। पूर्वी यूरोप से लेकर मध्य पूर्व तक कई थिएटरों में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के साथ अब यह स्पष्ट है कि आधुनिक युद्ध संख्याओं का खेल नहीं रहा, बल्कि सटीकता, गति और तकनीकी श्रेष्ठता पर केंद्रित हो चुका है।

ऑपरेशन सिंदूर: उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण मोड़

पहलगाम में हुए नृशंस आतंकी हमले, जिसमें भारतीय नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों की जान गई, के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई के रूप में "ऑपरेशन सिंदूर" शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के नौ प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया। इनमें मुज़फ्फराबाद, बहावलपुर, कोटली, नीलम घाटी और चकवाल जैसे इलाके शामिल थे, जो लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़ी आतंकी गतिविधियों के संदिग्ध केंद्र माने जाते हैं। इस ऑपरेशन को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाने वाली बात यह रही कि इसमें पारंपरिक ज़मीनी अतिक्रमण अनुपस्थित था। लंबी दूरी के सटीक प्रहार, उन्नत ड्रोन, स्टैंड-ऑफ मिसाइलें और साइबर क्षमताओं का उपयोग करते हुए भारत ने सीमा पार किए बिना दुश्मन के क्षेत्र में काफ़ी अंदर तक जाकर पर्याप्त नुकसान पहुंचाया। यह 1999 के कारगिल युद्ध या 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक से एक नाटकीय परिवर्तन था, जिनमें मुख्यतः ज़मीनी सैनिकों की भूमिका निर्णायक थी।

वायु शक्ति की बदलती भूमिका

इस घटनाक्रम ने हवाई युद्ध के सिद्धांत में भी बड़े बदलाव को रेखांकित किया। सुखोई-30MKI, मिराज-2000 और F-16 जैसे लड़ाकू जेट उपमहाद्वीप के शस्त्रागार का हिस्सा बने हुए हैं, परंतु एंटी-एक्सेस/एरिया-डिनायल (A2/AD) प्रणालियां, सैटेलाइट-मार्गदर्शित हथियार और मानवरहित वायु-यान के झुंड (swarms) द्वारा परिभाषित युद्धक्षेत्र में उनकी भूमिका तेजी से सीमित होती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न तो डॉगफाइट हुई, न पारंपरिक एयरस्पेस उल्लंघन; इसके स्थान पर ड्रोन और लंबी दूरी के हथियार प्रमुख रहे। भारत और पाकिस्तान,दोनों,हमलों और वास्तविक-समय खुफिया-संग्रह के लिए मानव रहित प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक जैमर, GPS स्पूफिंग टूल और लोइटरिंग म्युनिशन का प्रयोग कर रहे हैं। यह उस वैश्विक प्रवृत्ति का द्योतक है जिसमें प्रबल-खतरे वाले आकाश में सतह-से-हवा मिसाइलें और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हावी हैं तथा पारंपरिक लड़ाकू जेट तुलनात्मक रूप से कम प्रासंगिक होते जा रहे हैं।

वैश्विक प्रतिध्वनि: यूक्रेन से इज़राइल तक

यह परिवर्तन केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है। यूक्रेन-रूस संघर्ष ने 21वीं सदी के युद्ध का स्वरूप पुनर्परिभाषित किया है। पारंपरिक गोलाबारी में पिछड़ने के बावजूद, यूक्रेन छोटे, स्मार्ट ड्रोन, AI-संवर्धित लक्ष्यीकरण और पश्चिमी सटीक हथियारों के सहारे रूसी रसद और कमान संरचनाओं पर, कभी-कभी सीमाओं से सैकड़ों किलोमीटर भीतर तक, प्रभावी प्रहार कर रहा है। जून में यूक्रेन ने केर्च ब्रिज पर जलमाध्यम से प्रक्षेपित विस्फोटकों का उपयोग किया, जो लगभग 1 मीट्रिक टन TNT के बराबर था,बिना किसी पारंपरिक नौसैनिक जहाज़ के,यह भारी सुरक्षा-तंत्र में सेंध लगाती सर्जिकल सटीकता थी। आर्मेनिया-अज़रबैजान संघर्ष में, अज़रबैजान द्वारा तुर्किये-निर्मित बायराक्तर ड्रोन और इज़रायली लोइटरिंग हथियारों के प्रयोग ने 2020 में अर्मेनियाई सेना को भारी क्षति पहुंचाई,ये प्लेटफ़ॉर्म न केवल निगरानी, बल्कि रडार से बचते हुए टैंकों, रडार और सुदृढ़ बंकरों पर सटीक प्रहार में सक्षम रहे। इसी तरह, अमेरिका द्वारा ईरानी कमांडर क़ासिम सुलेमानी पर ड्रोन स्ट्राइक, और इज़राइल द्वारा गाज़ा में हमास नेतृत्व पर वास्तविक-समय खुफिया, सर्जिकल ड्रोन

और हवाई हमलों का समन्वित उपयोग दिखाता है कि आधुनिक युद्ध अब पारंपरिक "निर्णायक युद्धभूमि" की जीत-हार से हटकर "सटीक उन्मूलन" पर केंद्रित है।

दक्षिण एशिया के लिए रणनीतिक निहितार्थ

परमाणु-सशस्त्र भारत और पाकिस्तान,जो लंबे समय से क्षेत्रीय व वैचारिक विवादों में उलझे हैं,के लिए यह बदलाव अवसर और जोखिम दोनों लेकर आया है। एक ओर, सटीक हमले तनावपूर्ण स्थिति को शीघ्र नियंत्रित कर सकते हैं, नागरिक हताहतों को सीमित रखते हैं और व्यापक युद्ध की आशंकाओं को कम करते हैं; दूसरी ओर, स्वायत्त हमलों के कारण गलत अनुमान या अनपेक्षित परिणाम बहुत तीव्रता से बढ़ सकते हैं, विशेषकर दुष्प्रचार अभियानों और साइबर हेरफेर के धुंधलके में। भारत का वर्तमान दृष्टिकोण,अंतरिक्ष-आधारित निगरानी, साइबर अभियानों, AI-सहायित निर्णय-साधनों और सीमा-पार खतरों के विरुद्ध सामरिक UAV क्षमताओं का एकीकरण,व्यापक रणनीतिक पुनर्संतुलन से मेल खाता प्रतीत होता है। पाकिस्तान भी चीनी मूल के ड्रोन, GPS जैमिंग प्रणालियों और डीपफेक-आधारित प्रोपेगेंडा में निवेश बढ़ा रहा है, जिससे दक्षिण एशिया हाइब्रिड संघर्ष मॉडल के परीक्षण-स्थल की तरह उभर रहा है।

तकनीकी सामरिक युद्ध का उदय

कुल मिलाकर, आधुनिक युद्ध-नीति में मूलभूत परिवर्तन हो रहा है, जहां पारंपरिक जनशक्ति और क्षेत्रीय कब्जे की जगह तकनीक निर्णायक भूमिका ग्रहण कर रही है। यूक्रेन, नागोर्नो-कराबाख, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के उदाहरण दर्शाते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, साइबर उपकरण और सटीक-निर्देशित आयुध अब सैन्य अभियानों के केंद्र में हैं। AI का उपयोग व्यापक रूप से टोही और पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण के लिए हो रहा है; लोइटरिंग और स्वायत्त ड्रोन कम-लागत में लगातार प्रहार-सामर्थ्य प्रदान करते हैं; और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमलों तथा दुष्प्रचार के प्रसार सहित साइबर युद्ध किसी भी टकराव का अभिन्न अंग बन चुका है।

युद्ध के भूगोल की पुनर्परिभाषा

स्टैंड-ऑफ हथियार, उपग्रह, लंबी दूरी के ड्रोन और तात्कालिक खुफिया–निगरानी–टोही (ISR) प्रणालियां राष्ट्रों को अपने नियंत्रण-क्षेत्र से बाहर निकले बिना विरोधी की संपत्तियों पर उसके गहरे अंतर्गत तक प्रहार करने में सक्षम बना रही हैं। खुफिया इनपुट सीधे निर्णय-सहायक प्रणालियों में प्रवाहित होते हैं, जिससे तेज़, सर्जिकल प्रतिक्रियाएं संभव होती हैं। तकनीकी रणनीतिक युद्ध का उदय उस भविष्य की ओर संकेत करता है जहां AI, रिमोट प्लेटफॉर्म और डिजिटल कमांड नेटवर्क,टैंक या लड़ाकू जेट से अधिक,युद्धभूमि का स्वरूप तय करेंगे।

भविष्य के संघर्ष: स्मार्ट, त्वरित और रणनीतिक

अगली पीढ़ी के युद्ध संभवतः AI-संचालित, एकीकृत-तकनीक-आधारित और मानव-पर्यवेक्षित होंगे। परमाणु निरोध रणनीतिक विचार बना रहेगा, जबकि वास्तविक संघर्ष साइबरस्पेस, सूचना-नेटवर्क और सटीक युद्ध-क्षेत्र के धुंधले आयामों में लड़े जाएंगे। सेनाओं को क्वांटम कंप्यूटिंग, हाइपरसोनिक हथियार, स्वार्म-ड्रोन्स और एकीकृत युद्ध-नेटवर्क में निवेश बढ़ाना होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत को क्षेत्रीय रक्षा से ऊपर उठकर डेटा-संचालित खतरा-प्रबंधन की ओर उन्मुख होना होगा। प्रशिक्षण भी पारंपरिक युद्धाभ्यास से आगे बढ़कर तकनीकी प्रवीणता, साइबर दृढ़ता और एडाप्टिव वॉर-गेमिंग पर केंद्रित होना चाहिए।

भविष्य का युद्धक्षेत्र आपके आसपास ही है

ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की घटनाएं न केवल भारत-पाकिस्तान, बल्कि उन सभी देशों के लिए चेतावनी हैं जो पारंपरिक युद्ध के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं। आधुनिक युद्ध के उपकरण अब सेना और टैंक-डिवीज़न नहीं, बल्कि एल्गोरिद्म, उपग्रह और मानव-रहित मशीनें हैं। आज सीमाएं ही एकमात्र युद्धक्षेत्र नहीं रहीं; क्लाउड, सर्वर और न्यूरल नेटवर्क भी युद्धक्षेत्र के अभिन्न हिस्से बन गए हैं। राष्ट्रों को सुरक्षित रहने के लिए केवल सैनिकों को सुसज्जित करना ही नहीं, बल्कि अपनी प्रणालियों, संस्थाओं और रणनीतिक सोच को भी ऐसे विश्व के अनुरूप ढालना होगा, जहां पहला आक्रमण डिजिटल रूप में हो सकता है और अंतिम प्रहार ऐसा कि जिसे कभी देखा ही न जा सके।

Border Facts

नमक पर नृत्य – कच्छ का रण

गुजरात का सफेद नमक का रेगिस्तान, रण उत्सव के दौरान सांस्कृतिक महोत्सव में बदल जाता है,संगीत, कला और नृत्य एक अलौकिक सफेद क्षितिज।

विलुप्त होता द्वीप

न्यू मूर द्वीप (साउथ तालपत्ती) 1970 के चक्रवात के बाद उभरा, बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद उत्पन्न किया, और समुद्र स्तर बढ़ने के कारण विलुप्त हो गया।

आख्यान युद्ध: भारत की सभ्यतागत आत्मा के लिए एक मूक संग्राम

सिद्धार्थ दवे

संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, टोक्यो के पूर्व छात्र, प्रतिष्ठित स्तंभकार एवं पूर्व लोकसभा अनुसंधान फेलो। वे विदेश मामलों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर लेखन करते हैं। लेखक से संपर्क किया जा सकता है: [siddhartha.dave@gmail.com]

"सच के कदम धरती पर पड़ने से पहले ही झूठ आधी दुनिया नाप चुका होता है।", यह कथन, जो अक्सर अनजाने में मार्क ट्वेन की वाणी समझ लिया जाता है, वास्तविकता में महान विचारक जोनाथन स्विफ्ट का प्रखर वक्तव्य है। 1710 में कही गई यह बात आज और अधिक प्रासंगिक हो गई है, क्योंकि आज के इस तीव्र गति और सूचना-प्रवाह के युग में, इसकी तीव्रता और भी अधिक कटु हो गई है। अब तो स्थिति यह है कि रफ़्तार के सामने सच्चाई की औक़ात घट गई है। स्क्रीन के इस साम्राज्य में, शोर और चमक-दमक के बीच, सच्चाई को भी अपनी जगह बनाने के लिए बैंडविड्थ के मैदान में उतरना पड़ता है। अब जंग सिर्फ़ मोर्चों और गोलियों तक नहीं रही - यह हर आदमी के दिमाग़ में उतर आई है। यह एक ऐसा अदृश्य संघर्ष है जहां शब्द, बिंब और दृष्टिकोण अस्त्र हैं। इस नए, अदृश्य युद्ध के बीचोंबीच खड़ा है भारत - जहां हर दिन तय होता है कि हमारी सोच कौन लिखेगा, हमारी दृष्टि कौन तय करेगा, और हमारे मन के पन्नों पर आख़िरी स्याही किसकी होगी।

ऐसे समय में जब बाहरी ताकतें अपनी इच्छानुसार विश्वदृष्टि और सोच को सांचे में ढालने का प्रयास कर रही हैं, भारत के सामने यह चुनौती है कि वह अपनी सांस्कृतिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक विरासत को पुनर्प्राप्त कर, अपने भविष्य की दिशा निर्धारित करे। इसी कारण आज यह मानस युद्ध अनिवार्य और अपरिहार्य हो चुका है; क्योंकि हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान, और हमारी सोच - सब इसी विमर्श युद्ध के पन्नों में लिखे जाने बाले हैं। यही विषम, जटिल, और विराट संघर्ष भारत को मजबूती से विश्व मानचित्र पर अपनी शान और सम्मान के साथ खड़ा कर सकता है।

मानस महायुद्ध रुकने वाला नहीं है। यह युद्ध हथियारों का नहीं, बल्कि शब्दों, विश्वदृष्टियों, भ्रम-निर्माण और अफवाहों का है - अर्थात् विमर्श का युद्ध। यह सतह पर शांत, अत्यंत सूक्ष्म और परिष्कृत संघर्ष है, जिसमें आक्रांत प्रायः अनभिज्ञ रहता है और आक्रांता चतुराई से लक्ष्य साध लेता है। यह संघर्ष केवल इस बात से संबंधित नहीं है कि क्या सोचा जा रहा है, बल्कि इस बात से भी कि सोचने का ढांचा कैसे निर्मित किया जा रहा है।

भारत: केवल एक राष्ट्र नहीं, बल्कि एक निरंतर सभ्यता है - आधुनिक विश्व में भारत अद्वितीय है। उत्तर-औपनिवेशिक युग के अधिकांश राष्ट्र-राज्यों के विपरीत, भारत कोई औपनिवेशिक मानचित्रण से उपजा कृत्रिम ढांचा नहीं है। यह एक सभ्यतागत राज्य है,आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपराओं का अखंड सातत्य,जो 5,000 वर्षों से अधिक

समय से निरंतर स्पंदित है। ऋग्वैदिक ऋचाओं से लेकर चोल स्थापत्य तक, न्याय-दर्शन के तर्क से लेकर रानी दुर्गावती के शौर्य तक,यह धारा अविच्छिन्न रही है। आधुनिक भारतीय गणराज्य का जन्म भले 1947 में हुआ, किंतु सभ्यतागत पहचान के रूप में भारत उससे बहुत पहले का है। अंग्रेज़ चले गए, पर उनके मानसिक प्रतिरूप और संरचनात्मक ढांचे बने रहे,संविधान और संस्थाएं उदार-धर्मनिरपेक्ष रहीं, पर स्मृतियों का औपनिवेशीकरण गहरा रहा।

उपनिवेशीकरण का विमर्श: विध्वंस और विकृति की दीर्घ परंपराः भारत की सभ्यतागत स्मृति पर युद्ध कोई नया अध्याय नहीं,यह कम से कम एक सहस्राब्दी से जारी है -

I. इस्लामी आक्रमण (11वीं–18वीं शताब्दी)

महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ का अपमान केवल धन-संचय का प्रयत्न नहीं था; वह आध्यात्मिक संप्रभुता पर प्रहार भी था। अनेक स्थानों पर मंदिर-विध्वंस, संस्कृत के स्थान पर फ़ारसी का संस्थागत प्रयोग, और दरबारी इतिहास-लेखन का पोषण,ये सब स्मृति-मिटाने, कथा-विकृति और पुनर्लेखन के सुनियोजित औज़ार बने। दिल्ली सल्तनत से मुग़ल काल तक शासन केवल प्रशासनिक नियंत्रण भर नहीं था; बहुलतावादी समाज पर एकेश्वरवादी धर्मतंत्रीय संरचनाओं की थोपन से सभ्यतागत विसंगति और टकराव उत्पन्न हुए।

II. ब्रिटिश शासन (1757–1947)

यदि इस्लामी आक्रमण धार्मिक प्रभुत्व के औज़ार थे, तो ब्रिटिश राज का केंद्र ज्ञानमीमांसा पर नियंत्रण था। लॉर्ड मैकाले के 1835 के मिनट्स का उद्देश्य ऐसा "अभिजात वर्ग" गढ़ना था जो रक्त से भारतीय हो पर मन से अंग्रेज़। अंग्रेज़ी शिक्षा-नीति, यूरोकेन्द्रित इतिहास-लेखन और औपनिवेशिक पाठ्यक्रमों ने भारतीयों को अपने अतीत से व्यवस्थित रूप में विच्छिन्न किया। जेम्स मिल की रचना प्रशासनिक पाठ का आधार बनी; आर्यन आक्रमण सिद्धांत, द्रविड़ अलगाववाद और जाति–वर्ग द्वंद्व जैसे आख्यान "फूट डालो और राज करो",और उससे भी घातक "फूट डालो और भूल जाओ",के उपकरण बने। 1947 के बाद भी औपनिवेशिक पाठ्यचर्या की जड़ता बनी रही,लचित बोरफुकन, रानी दुर्गावती जैसे नायक-नायिकाओं की जगह लॉर्ड क्लाइव और अकबर अधिक प्रमुख बने रहे।

आधुनिक विमर्श-उपनिवेश: संस्थान, मनोरंजन और शब्दावली

I. पाठ्यपुस्तकें और अकादमिक वर्चस्व

कक्षा ही कथा-शिल्प का प्रथम मैदान है। लंबे समय तक मानक पाठ्य-पुस्तकों में इस्लामी शासकों की "सहिष्णुता" पर बल देते हुए मंदिर-विध्वंस और जज़िया जैसे प्रसंगों को "प्रशासनिक विवशता" के कोष्ठक में रखा गया। बाबर, अकबर, औरंगज़ेब पर विस्तृत अध्याय मिलते हैं, जबकि लचित बोरफुकन, रानी अब्बक्का, पुली थेवर, अहिल्याबाई होल्कर, कृष्णदेवराय जैसे नायकों पर उपेक्षा दृष्टिगोचर होती है। यूरोकेन्द्रित फ्रेम और वर्ग-द्वंद्व से प्रेरित इतिहास-लेखन ने सभ्यतागत सहृदयता को अक्सर "जाति-दमन/रहस्यवाद" के संकुचित आख्यान में बांध दिया। आर.सी. मजूमदार, धर्मपाल, सीताराम गोयल जैसी वैकल्पिक आवाज़ें हाशिये पर धकेली जाती रहीं।

II. सिनेमा और मनोरंजन: स्मृति का पुनर्लेखन

बॉलीवुड महज़ मनोरंजन नहीं,यह स्मृति-इंजीनियरिंग का कारखाना भी रहा है। दशकों में निर्मित कथानकों ने मुग़लों की छवि को प्रायः सौंदर्य-प्रिय/रूमानी रूप में प्रस्तुत किया, जबकि व्यापक हिंसा, मंदिर-विध्वंस और जज़िया जैसे कठोर तथ्य परदे पर कम दिखाई दिए। संन्यासियों, साधुओं या राष्ट्रवाद-प्रेरित पात्रों का चरित्रांकन कई बार रूढ़ और अंधविश्वासी ढंग से होता है। जो फ़िल्में सभ्यतागत प्रतिरोध की कथा कहती हैं, वे अकसर वैचारिक हमलों का निशाना बनती हैं, जबकि वाम-आख्यानों को "बोल्ड" कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर, कृष्णदेवराय, अहिल्याबाई, रानी अब्बक्का जैसे नायकों पर उच्च-स्तरीय, शोध-समर्थित प्रस्तुति की कमी भी स्पष्ट है।

III. मीडिया और पत्रकारिता: शब्दों का शस्त्रीकरण

विमर्श-युद्ध में भाषा सबसे पहले आहत होती है। मुख्यधारा की शब्दावली में "हिंदुत्व" को "चरमपंथ" से जोड़ा जाना आम है, जबकि

"इस्लामोफोबिया/अल्पसंख्यक उत्पीड़न" का अतिशय प्रयोग प्रचलित है; तथ्यों का चयन और फ़्रेमिंग प्रायः वैचारिक झुकाव दर्शाती है। मंदिर-अपवित्रीकरण जैसी घटनाएं "स्थानीय विवाद" बनकर दब जाती हैं, जबकि किसी प्रतिशब्दात्मक कथन को "ब्रेकिंग न्यूज" बनाकर उछाला जाता है। सभ्यताकेन्द्रित वैकल्पिक मीडिया को "फ्रिंज/फेक/ट्रोल फ़ैक्टरी" कहकर खारिज करने की प्रवृत्ति गहरी है।

IV. अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक और एनजीओ: वैश्विक धारणा-नियंत्रण

कई विदेशी-वित्तपोषित संस्थाएं "मानवाधिकार/नागरिक समाज" के आवरण में भारत के लोकतांत्रिक जीवन, न्यायिक स्वायत्तता और सांस्कृतिक संप्रभुता को कमतर आंकने वाली रेटिंग/रिपोर्टें जारी करती हैं, जो वैश्विक मीडिया-आख्यान, निवेश और नीति-विमर्श को प्रभावित करती हैं। तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में अन्य भूभागों के मानवाधिकार/कट्टरपंथ/धार्मिक औपनिवेशवाद पर समान कठोरता कम दिखती है। यह असंतुलन भारत की सभ्यतागत आत्मनिर्भरता पर स्थायी दबाव रचता है।

डिजिटल धर्म और एल्गोरिद्मिक युग

कभी दूरदर्शन-आकाशवाणी जैसे द्वारपाल सूचना-प्रवाह नियंत्रित करते थे; आज सूचना विकेंद्रीकृत, तीव्र और बिना फ़िल्टर के बह रही है। एक हेरफेरयुक्त क्लिप या एआई-जनित छवि दंगे भड़का सकती है, चुनाव प्रभावित कर सकती है, प्रतिष्ठा नष्ट कर सकती है,यह कथा-अराजकता का युग है।

एल्गोरिद्म का सशस्त्रीकरण: प्लेटफॉर्म सहभागिता अधिकतम करने हेतु निर्मित हैं; उत्तेजना और आक्रोश सहभागिता के तीव्र चालक हैं। इसीलिए भावनात्मक/ध्रुवीकारक सामग्री, गंभीर संवाद और सभ्यतागत अंतर्दृष्टि पर भारी पड़ती है; मीम्स शास्त्रार्थ को निगल लेते हैं, साउंडबाइट्स शास्त्रों पर हावी हो जाते हैं।

बॉट्स, ट्रोल फ़ार्म्स और वैचारिक नेटवर्क: औद्योगिक पैमाने पर आख्यान गढ़े जा रहे हैं; बॉट-नेटवर्क हैशटैग ट्रेंड करा कर विमर्श प्रदूषित करते हैं। कुछ विदेशी सरकारें और ट्रांसनेशनल लॉबियां डिजिटल प्रभाव अभियानों से भारत के सभ्यतागत पुनर्जागरण को लक्ष्य बनाती हैं; दुर्भाग्यवश, कुछ घरेलू पीआर/"फैक्ट-चेक" मंच भी लाभ/लाइनेज के अनुरूप किराए की वैचारिकी का विस्तार बनते हैं।

भारत का सभ्यतागत पुनर्जागरण: पुनर्प्राप्ति के संकेत

संगठित वैचारिक हमलों के बावजूद भारत आर्थिक ही नहीं, सभ्यतागत स्तर पर भी उन्नति कर रहा है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर का पुनर्निर्माण केवल एक मंदिर का पुनरोद्धार नहीं,यह ऐतिहासिक स्मृति और सभ्यतागत गरिमा का पुनर्प्रतिष्ठान है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक और चार-धाम परियोजनाएं पवित्र भू-परंपरा को आधुनिक अवसंरचना से जोड़कर तीर्थ-जीवन का नवोदय कर रही हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस योग-दर्शन के माध्यम से भारत की उदात्त वैचारिक परंपरा को सार्वजनीन स्वास्थ्य, संतुलन और एकात्मता के प्रतीक रूप में प्रतिष्ठित करता है।

"डिजिटल क्षत्रप",शोधकर्ता, पॉडकास्टर, यूट्यूबर,प्रमाण-आधारित सामग्री से औपनिवेशिक आख्यानों और विरासत मीडिया की जकड़न को निरंतर चुनौती दे रहे हैं। भारतीय ज्ञान-प्रणालियों (IKS) पर केंद्रित शोध, IIT जैसे संस्थानों और स्वदेशी थिंक टैंकों के प्रयास भारत को अपनी कथा स्वयं, अपनी शर्तों पर लिखने की क्षमता दे रहे हैं।

वैश्विक निहितार्थ: भारतीय दृष्टि की प्रासंगिकता

सभ्यतागत-सजग भारत विश्व के लिए चुनौती नहीं, आश्वस्ति है। 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भारतीय विश्वदृष्टि,पृथ्वी को एक परिवार मानने वाला दृष्टिकोण,पश्चिमी शून्यवाद, चीनी अधिनायकवाद और इस्लामी बहिष्कारवाद के बरक्स मानव-केंद्रित विकल्प प्रस्तुत करती है। यह सिद्ध करती है कि आधुनिकता के लिए पश्चिमीकरण अनिवार्य नहीं; आर्थिक विकास और प्राचीन ज्ञान साथ-साथ प्रगति कर सकते हैं,वैज्ञानिकता और अध्यात्म, तकनीक और परंपरा परस्पर पूरक हो सकते हैं।

प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य: जागरूकता से कर्म तक

अपने अतीत को प्रामाणिक स्रोतों से जानें,औपनिवेशिक पाठ्यक्रम के परे जाकर आर.सी. मजूमदार, धर्मपाल, सीताराम गोयल आदि के कार्यों का अध्ययन करें। पाठ्यपुस्तकों, फ़िल्मों और समाचार-शीर्षकों में सूक्ष्म विकृतियों को पहचानें और प्रश्न करें। भारतीयता और धार्मिक-दार्शनिक छात्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने वाली स्वदेशी संस्थाओं का समर्थन करें। हर मंच पर संतुलित, तथ्य-आधारित और सौम्य किंतु दृढ़ स्वर में पक्ष रखें,कैंपस, सोशल मीडिया और निजी संवादों में। अगली पीढ़ी को केवल परीक्षा-केंद्रित नहीं, पहचान-केंद्रित शिक्षा दें,वे कौन हैं, कहां से आए हैं, और उनकी परंपरा क्या कहती है।

उपसंहार: सभ्यता की आत्मा का पुनरुत्थान

भारत केवल भौगोलिक इकाई नहीं,यह एक जीवंत चेतना है। इस चेतना की घेराबंदी सूक्ष्म, व्यवस्थित और रणनीतिक रही है; पर प्रवाह अब बदल रहा है। स्वामी विवेकानंद के शब्द आज भी पथप्रदर्शक हैं: "सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशज, धर्मांधता... ने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है... आइए, हम इन जंजीरों को तोड़ दें।" विमर्श के इस युद्ध में भारत को केवल विकृति का प्रतिरोध ही नहीं करना,अपनी कथा का पुनरुद्धार, पुनर्प्रसारण और पुनर्पुष्टि भी करनी है। यही मानवता के कल्याण का मार्ग है और यही भारत का नैतिक दायित्व। यह हमारा कुरुक्षेत्र है,तलवारों का नहीं, शास्त्रों का; गोलियों का नहीं, विश्वासों का। और आह्वान वही है: "धर्मो रक्षति रक्षितः",जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। आइए, पुनर्प्राप्ति आरंभ करें।

III

उपग्रह से सर्वर तक : नवयुग के युद्धक्षेत्र

हमारी बढ़ती निर्भरता सैटेलाइट और डिजिटल प्रणालियों पर बाह्य अंतरिक्ष और साइबर-स्पेस को बेहद महत्वपूर्ण लेकिन संवेदनशील क्षेत्र बना देती है। एंटी-सैटेलाइट (ASAT) हथियार, हैकिंग और जैमिंग जैसी तकनीकी चुनौतियां संचार, नेविगेशन और निगरानी को बाधित कर सकती हैं, जिससे सुरक्षा और रोजमर्रा की ज़िंदगी दोनों प्रभावित होती हैं। सैटेलाइट से मिलने वाला डेटा उपयोगी तो है, लेकिन अत्यंत संवेदनशील भी है, जिससे इसके दुरुपयोग और गोपनीयता हनन की आशंकाएं बनी रहती हैं। जैसे-जैसे अंतरिक्ष और डिजिटल तकनीकें एक-दूसरे से जुड़ती जा रही हैं, छोटी सी गड़बड़ी भी बड़े असर डाल सकती है। नागरिक और सैन्य उपयोग के बीच स्पष्ट सीमाओं का प्रबंधन बेहद ज़रूरी है। ऐसे में नागरिक समाज की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है,जो पारदर्शिता, नैतिक उपयोग और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर इन प्रणालियों की सुरक्षा और जिम्मेदार प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

सुरक्षा की रूपरेखाएं: सीमा प्रबंधन में भू-आकृतिक चुनौतियां

ले. जन. (रि.) एस. रवि शंकर

पीवीएसएम, वीएसएम, सीमा सड़क संगठन के भूतपूर्व महानिदेशक, जिन्हें कठिन अवसंरचना परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा भारत के प्रथम तृतीय पीढ़ी के मॉड्यूलर स्टील पैनल ब्रिज की पहल का व्यापक अनुभव है।

राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा भारतमाता के मस्तक पर सजे मुकुट के समान महत्तम है, और इसी सुरक्षा के लिए जो व्यूह-रचना, जो नीति और जो कार्यप्रणाली अपनाई जाती है, वह हमारे राष्ट्र की वीरता और बुद्धिमत्ता की साक्षी है। आज जब हमारी यह पवित्र मातृभूमि चारों ओर से भिन्न-भिन्न प्रकृति के पड़ोसियों से घिरी हुई है - कहीं मित्रवत, कहीं शत्रुतापूर्ण और कहीं संशयग्रस्त - तो ऐसी विषम परिस्थिति में सीमा प्रबंधन की जटिलता और आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं। हिमालय के दुर्गम शिखरों से लेकर समुद्री तटों तक, रेगिस्तान की भीषण गर्मी से लेकर पूर्वोत्तर की हरियाली तक, हमारी यह भौगोलिक विविधता एक ओर तो हमारे लिए गर्व का विषय है, किन्तु दूसरी ओर सीमा सुरक्षा की दृष्टि से अनेकानेक चुनौतियों को भी जन्म देती है। यह कोई साधारण विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मूलभूत प्रश्न है, जिसका उत्तर केवल शास्त्रीय ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव के संयोजन से ही मिल सकता है।

स्पष्ट है - राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित बनाए रखना आवश्यक है। इसके लिए सीमा प्रबंधन की तीन प्रमुख गतिविधियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं:

i. सीमाओं के पार आवागमन पर नियंत्रण एवं संभावित खतरों के अनुसार निगरानी;

ii. सीमावर्ती राज्यों का विकास, जो रसद एवं आपूर्ति से सीधे सम्बद्ध है;

iii. प्राकृतिक आपदाओं या अन्य खतरों की स्थिति में प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया।

ये सभी पहलू भौगोलिक परिस्थितियों और सीमा पार के पड़ोसी देशों की स्थिति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। भारत की सीमाएं विभिन्न देशों के साथ लगती हैं, और यहां की भौगोलिक स्थितियां पश्चिम में रेगिस्तान से लेकर पंजाब के मैदानों तक निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे-जैसे

हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं और वृहद हिमालय तक पहुंचते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई तेजी से बढ़ने लगती है। इसी क्रम में लद्दाख रेंज में सीमाएं दुर्गम, ऊंचाई वाले इलाकों के रूप में उपस्थित होती हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 9,000 फीट (3,700 मीटर) से भी अधिक है। इससे आगे उत्तर की ओर सियाचिन स्थित है। हिमालय पर्वतमाला का अनुसरण करती हुई उत्तरी सीमाएं पूर्वोत्तर की ओर मुड़ती हैं, जहां सीमावर्ती क्षेत्र नदियों व निचली पहाड़ियों में परिवर्तित हो जाता है, जो कि अस्थिर है और अक्सर बाढ़ की चपेट में रहता है।

ऐसे विविधतापूर्ण सीमावर्ती विस्तार के प्रबंधन के लिए वहां की भौगोलिक, जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार ढलना आवश्यक है। इन क्षेत्रों में मित्रवत, शत्रुतापूर्ण तथा दुविधाजनक पड़ोसियों के संयोजन से चुनौतियों में और अधिक वृद्धि हो जाती है। समग्र रूप से, भारत की स्थलीय सीमा छह देशों के साथ लगती है। इसके अतिरिक्त, सातवें पड़ोसी के रूप में, कश्मीर क्षेत्र पर अपने दावे के अनुसार, भारत अफगानिस्तान के साथ सीमा को भी मान्यता देता है, तथापि वर्तमान में यह क्षेत्र पाक-अधिकृत होने के कारण विवादित है।

ऐसी भौगोलिक विविधताओं और भिन्न-भिन्न प्रकार के पड़ोसियों के साथ सीमा प्रबंधन एक जटिल और चुनौतीपूर्ण विषय बन जाता है। निम्नलिखित तीन मुख्य पहलू इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं:

i. आवागमन पर नियंत्रण एवं निगरानी,

ii. सीमावर्ती राज्यों का विकास तथा रसद एवं आपूर्ति,

iii. सीमाओं पर आपातकालीन प्रतिक्रिया।

iv. आवागमन पर नियंत्रण एवं निगरानी

सीमाओं के पार वैध तथा अवैध यातायात के दृष्टिकोण से, आवागमन का नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। सीमा चौकियों का प्रबंधन इस प्रकार होना चाहिए कि उन्हें संभावित यातायात के अनुरूप डिज़ाइन किया जाए, उनका निर्माण सही ढंग से हो तथा उनके संचालन एवं अनुरक्षण के लिए योग्य कर्मचारी नियुक्त हों। अवैध आवागमन एक बड़ी समस्या है, जिसमें तस्करी , जैसे नशीली दवाएं एवं मानव तस्करी , की घटनाएं शामिल हैं। इसके लिए उच्च जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों तथा सीमा के समीप स्थित बस्तियों पर विशेष ध्यान देते हुए, वहां बाड़ लगाने की आवश्यकता है। यह पूरी तरह स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि किस स्थान पर ऐसी गतिविधियों व आवाजाही की संभावना सर्वाधिक है।

पश्चिमी सीमाओं पर, शत्रुतापूर्ण तत्वों की आवाजाही एक गंभीर खतरा है, जिसके चलते वहां बाड़ लगाने, निगरानी बढ़ाने तथा सुरक्षा बलों की तैनाती अनिवार्य रहती है। पहाड़ी इलाकों में बाड़ लगाना व सैनिकों की तैनाती सीमित रूप से ही संभव हो पाती है। ऐसी स्थिति में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अवैध आवाजाही संभावित इलाकों की सतत निगरानी आवश्यक हो जाती है। जहां आवश्यक हो, वहां बाड़ लगाना, उसका उचित रख-रखाव तथा सीमाओं के समानांतर सड़क मार्ग का निर्माण, यही समाधान हैं। पर्वतीय और नदी वाले क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर में बांग्लादेश सीमा पर, बाड़ लगाना अपने आप में अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहता है।

निगरानी के लिए ड्रोन

वर्तमान परिस्थितियों में ड्रोन निगरानी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं और सीमाओं की आवश्यकताओं व चुनौतियों को देखते हुए इनका अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। हाल के वर्षों में, विशेषकर सीमा क्षेत्रों में, ड्रोन का निगरानी हेतु प्रयोग तेज़ी से बढ़ा है। किंतु ध्यान रखना चाहिए कि ड्रोन का इस्तेमाल पारंपरिक निगरानी (जैसे गश्त) के साथ समन्वय में हो और इसे बाड़ लगाने की प्रक्रिया के साथ मिलाकर किया जाए, तो सुरक्षा के बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।

ड्रोन तकनीक का उपयोग गश्ती और अन्य पारंपरिक निगरानी

विधियों के साथ संयुक्त करने से दीर्घ दूरी की गश्त की आवश्यकता कम हो जाती है, जिससे जनशक्ति की बचत के साथ-साथ निगरानी की प्रभावशीलता भी बढ़ती है। इस प्रकार की निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए ड्रोन की नई कार्यनीतियां विकसित करनी होंगी, जैसे- यदि ड्रोन के पहुंचने से पहले होने वाली ध्वनि उल्लेखनीय हो, तो वह निगरानी के प्रभाव को सीमित कर सकती है; इसका समाधान यह है कि ड्रोन को विशेष सेंसरों से लैस कर ऊंचाई पर उड़ाया जाए।

इस तकनीक में, कम से कम तीन ड्रोन के समुच्चय में एक प्रणाली संचालित की जा सकती है, जिसमें एक ड्रोन ऊंचाई पर मंडराते हुए विस्तृत क्षेत्र में निगरानी करता है, जबकि अन्य दो ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़कर सूक्ष्म निरीक्षण और विवरण एकत्रित करते हैं। ड्रोन की उड़ान और निगरानी नियंत्रण कक्ष से वास्तविक समय में संचालित की जानी चाहिए, जिससे उड़ानों को नियंत्रित और निगरानी की आवृत्ति को आवश्यकता अनुसार नियंत्रित किया जा सके।

हालांकि, ड्रोन द्वारा निगरानी की अपनी सीमाएं और चुनौतियां भी हैं , जैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी, धूल-धूसरित वातावरण; पंजाब के मैदानी इलाकों में हस्तक्षेप व छेड़छाड़ की आशंका; जंगल में पेड़-पत्तों की वजह से दृश्य रुकावट; पहाड़ी क्षेत्रों में दृष्टि की बाधाएं; दुर्गम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लिफ्ट व रेंज संबंधित समस्याएं। फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद ड्रोन उपयोग एक प्रयास-गुणक है, जिससे तैनात जनशक्ति की आवश्यकता घटती है और अधिक विश्वसनीय, तात्कालिक जानकारी उपलब्ध हो सकती है।

सीमावर्ती राज्यों का विकास तथा रसद एवं आपूर्ति

सीमा क्षेत्रों में रसद आपूर्ति और विकास परस्पर जुड़े हुए हैं और दोनों ही सीमा सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

रसद आपूर्ति का समग्र दृष्टिकोण

रसद आपूर्ति का अर्थ है - सैन्य कर्मियों एवं आवश्यक सामग्रियों को न्यूनतम समय और लागत में सही स्थान पर पहुंचाना। इसमें सड़क कनेक्टिविटी व विभिन्न परिवहन प्रणालियों की अहम भूमिका होती है। आपूर्ति का समय कम करने व स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सेवा क्षेत्रों के समीप लॉजिस्टिक्स नोड्स की स्थापना जरूरी है। इसके लिए अच्छे से स्टॉक किए गए लॉजिस्टिक्स बेस को लॉजिस्टिक्स चेन के रूप में विकसित करना चाहिए।

शांतिपूर्ण परिस्थितियों में हो या शत्रुतापूर्ण, हर हालात में सीमाओं पर सुरक्षा बलों की कार्यकुशलता एक मज़बूत कनेक्टिविटी व विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला से ही बढ़ती है। सुनियोजित इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से प्रबल सप्लाई चेन मिलती है, जिससे परिवहन लागत में काफ़ी बचत होती है। उदाहरण के तौर पर, सिलचर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम करते समय ऐसी स्थिति बनी जिसमें पूर्वोत्तर में बन रही सड़क हेतु हावड़ा बंदरगाह से बिटुमेन लाने में फरक्का बैराज की मरम्मत से देरी हुई,इससे सड़क निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। अतः आवश्यकताओं की आपूर्ति केंद्रों के निकट लॉजिस्टिक्स बेस से आपूर्ति करना बेहतर रहेगा।

विकास, रसद आपूर्ति और सुरक्षा की अंतरनिर्भरता

बेहतर आपूर्ति प्रणाली सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक विकास में सहायक होती है, जिससे सीमा सुरक्षा को भी प्रत्यक्ष लाभ होता है। आर्थिक विकास से जीवन स्तर व शिक्षा का स्तर सुधारता है और एक स्थिर समाज बनता है। इससे अवांछनीय बाहरी प्रभाव कम होते हैं और क्षेत्र का शेष भारत से बेहतर एकीकरण होता है, जिससे सुरक्षा और सैन्य बलों का मनोबल बढ़ता है।

पश्चिमी सीमाओं पर तैनात बलों के लिए स्थानीय समाज का समर्थन बल-गुणक साबित होता है। विश्वसनीय रसद आपूर्ति और विकसित सीमा क्षेत्र के संयोजन के माध्यम से ही एक मजबूत सीमा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना संभव है। सेना की दृष्टि से, इसका मतलब है कि अग्रिम पंक्ति तक आवश्यक सामग्री निर्विघ्न, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध उपलब्ध रहे,किसी ऑपरेशन की शुरुआत आपूर्ति को लेकर किसी भी शंका से बाधित न हो।

जहां सीमाएं कई भाषाएं बोलती हैं

मणिपुर के मोरेह जैसे कस्बों में स्थानीय लोग त्रिभाषी हैं,मणिपुरी, बर्मी और अंग्रेज़ी बोलते हैं। उत्तर-पूर्व में किसी एक गांव में चार या अधिक भाषाएं सुनना सामान्य नहीं है।

कोई वीज़ा नहीं, कोई समस्या नहीं: खुले सीमाएं

भारत नेपाल और भूटान के साथ खुले सीमा साझा करता है, जिससे लोग वीज़ा के बिना स्वतंत्र रूप से आ-जा सकते हैं, रह सकते हैं और काम कर सकते हैं।

भौगोलिक परिस्थितियां और दृढ़ रसद आपूर्ति व्यवस्था

सीमावर्ती क्षेत्रों की रसद आपूर्ति व्यवस्था काफी हद तक वहां की भौगोलिक व जलवायु पर निर्भर करती है। भारत में उत्तरी और पूर्वोत्तर सीमाएं प्रायः प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रहती हैं। हिमालयी सीमाएं भूकंप-प्रवण हैं, जबकि मानसून के दौरान भूस्खलन, बाढ़ जैसी समस्याएं वार्षिक रूप से रसद व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करती हैं। वहां बने पुलों की भूमिका रसद आपूर्ति में सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है।

पूर्वोत्तर में अपेक्षाकृत कम ऊंचाई वाली, अस्थिर पहाड़ियों वाला क्षेत्र है, जो प्रायः अचानक धंस जाता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में हर साल प्राकृतिक आपदाओं के कारण रसद व्यवस्था बाधित होती है। ऐसे विषम परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए सशक्त आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित करना अत्यावश्यक है।

सीमाओं पर आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था

सीमा प्रबंधन के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं का प्रभावी तौर पर सामना करने के लिए एक कुशल प्रतिक्रिया प्रणाली आवश्यक है। सीमा पार शत्रु गतिविधियों के चलते भी आपातकालीन परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिनके लिए सुरक्षा बलों को सदैव सतर्क रहना पड़ता है।

हाल के प्रतिक्रिया अभ्यासों के दौरान सामने आई प्रमुख कमियों को पहचानकर त्वरित समाधान ढूंढना चाहिए।

आपातकाल में एक सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित रसद आपूर्ति व्यवस्था

आज सीमा क्षेत्रों में बहुत से नए बुनियादी ढांचे बने हैं, लेकिन मौजूदा ढांचों का एक बड़ा हिस्सा अब पुराना हो चुका है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं के समय उनके ध्वस्त होने की संभावना बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में सेवा बाधित समय (डाउनटाइम) को न्यूनतम रखना चाहिए तथा क्षतिग्रस्त ढांचों की जगह नया व 'बेहतर' बुनियादी ढांचा त्वरित रूप से बनाना चाहिए। वर्तमान में, संकटग्रस्त पुलों के मामलों में ऐसा नहीं हो पाता,इरंग ब्रिज इसका उपयुक्त उदाहरण है।

इरंग ब्रिज - खराब आपातकालीन प्रतिक्रिया की केस स्टडी

राष्ट्रीय राजमार्ग 37 (इंफाल–जिरीभाम–सिलचर) को नवंबर 2017 में बीआरओ ने एनएचआईडीसीएल को सौंपा था। यह राजमार्ग मणिपुर की जीवनरेखा है। 1 नवंबर 2020 को इरंग में बेली ब्रिज ओवरलोड वाहन के कारण टूट गया। यातायात बहाल करने हेतु सेना को बुलाया गया। टेंग्नौपाल के एक अन्य बेली ब्रिज को लाकर इसकी बहाली का प्रयास हुआ, परन्तु अधिक पुराना होने के कारण वह भी लॉन्चिंग के दौरान ढह गया। बीआरओ ने पुनः एक और बेली ब्रिज लगवाया, जो 27 नवंबर को चालू हुआ। वह पुल भी मात्र 52 मीटर लम्बा, लोड क्लास 18 सिंगल लेन व असुरक्षित रहा।

2 मई 2022 को यह पुल फिर से टूट गया। कोलकाता गार्डन रीच से लाए गए समान स्पेसिफिकेशन के प्रीफैब्रिकेटेड ब्रिज द्वारा तीन माह में पुनः निर्माण किया गया, परंतु जून 2024 में वह भी ढह गया। सौभाग्यवश, उसी समय पक्का पुल बनकर लगभग तैयार था और यातायात के लिए खुल गया, जिससे चार वर्ष से चल रही बाधा का अंत हुआ। इसका आर्थिक असर 1000 करोड़ रुपये वार्षिक रहा, जबकि सामाजिक एवं राजनीतिक असंतोष भी फैला,जो क्षेत्र के विकास व प्रगति से संबंधित है। भारत के अन्य भागों से बेहतर कनेक्टिविटी इस समस्या को कम कर सकती थी।

पूर्व भंडारण और सख्त आपातकालीन अभ्यास

ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए तकनीकी रूप से उन्नत उपकरणों का पूर्व भंडारण एवं आपातकालीन स्थितियों में त्वरित जुटाव हेतु अभ्यास आवश्यक है। आमतौर पर, सेना को पहली प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी मिलती है, किंतु उन्हें सम्मानजनक समाधान हेतु तैयार व सुसज्जित रहना चाहिए। इरंग पुल आपदा से भी यही सीख मिलती है। पर्याप्त पूर्वाभ्यास के बिना प्रतिक्रिया पर्याप्त नहीं हो सकती। इसके लिए, गुणवत्ता व मानक के बिना समझौता किए, निश्चित समय-सीमा के भीतर अपेक्षित परिणामों हेतु जिम्मेदारी स्पष्ट करते हुए समन्वित नीति बनानी चाहिए।

निष्कर्ष

सीमा प्रबंधन एक जटिल और गतिशील प्रक्रिया है, जिसे भौगोलिक परिस्थितियों की विशिष्टता अनुसार ढालना पड़ता है। निगरानी, रसद आपूर्ति तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयास भौतिक व राजनीतिक परिदृश्यों से सीधे प्रभावित होते हैं, अतः इन चुनौतियों के लिए उपयुक्त रणनीतियां विकसित करना अनिवार्य है। नवीन तकनीकें - जैसे ड्रोन का सीमा निगरानी में समावेश, संकटग्रस्त पुलों पर त्वरित प्रतिस्थापन आदि,सीमा प्रबंधन उत्तम बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। इसी प्रकार, होवर क्राफ्ट की तुलना में होवर बार्ज का उपयोग विस्तृत नदी घाटी क्षेत्र में रसद आपूर्ति हेतु किफायती विकल्प प्रस्तुत करता है। होवर बार्ज भारी वज़न उठाने में सक्षम हैं, वे डीजल चालित हैं, और दलदल-तटीय क्षेत्रों व नदी के किनारों से निबटने में प्रभावशाली सिद्ध होते हैं।

इस प्रकार, सीमा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए चुस्त निगरानी, सुदृढ़ रसद व्यवस्था व बेहतर आपातकालीन प्रतिक्रिया को स्थानीय भौगोलिक व सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करना और इसमें सतत निवेश जरूरी है।

ब्रम्हांडीय रणभूमि: नई अंतरिक्ष दौड़ में भारत की भूमिका

आयुष सिंह

आयुष सिंह भारतीय सेना में सेवारत अधिकारी हैं और भारत की रणनीतिक यात्रा तथा भावी रक्षा तैयारियों के अध्ययन एवं अन्वेषण में उनकी विशेष रूचि है। उन्होंने आधुनिक युद्धकला पर व्यापक रूप से लेखन किया है।

डॉ. मनीष सिंह

DRDO में वैज्ञानिक E हैं और वे कर्मचारी चयन में विशेषज्ञता रखते हैं। उनके शोध के मुख्य रूचि क्षेत्र में चयन प्रणाली का आधुनिकीकरण शामिल है, जिसमें Gen Z और उनके आधुनिक युद्ध के लिए संज्ञानात्मक तैयारी को शामिल किया गया है।

बाह्य अंतरिक्ष - जो कभी मानवता के सामूहिक सपनों का स्वर्णिम क्षितिज था - आज सैन्य स्वार्थों की तलवारों से घिर गया है। एंटी-सैटेलाइट हथियारों की विध्वंसक दौड़ ने इस पावन आकाश को युद्धभूमि बना डाला है। भारत! यह वही देश है जिसकी संस्कृति शांति के मंगल-गीत गाती रही - आज नए संघर्ष के द्वार पर खड़ा है। परिस्थिति स्पष्ट है - केवल शांति के नारों से काम नहीं चलेगा। हमें सुरक्षा के मजबूत स्तंभ खड़े करने होंगे। भारत की रणनीतिक सूझबूझ, तकनीकी सामर्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - यही तीन हथियार इन चुनौतियों से निपटने में काम आएंगे। समय की पुकार है कि हमारा 'अंतरिक्षीय गौरव' दोबारा मानवता की सेवा में खड़ा हो। क्यों? क्योंकि - आकाश-आयुध की होड़ में बाह्य अंतरिक्ष अब केवल वैज्ञानिक खोजों का क्षेत्र नहीं रहा, बल्कि एक विवादास्पद और सैन्यीकृत क्षेत्र बन चुका है। उपग्रह तकनीकें संचार, नेविगेशन, खुफिया एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए एंटी-सैटेलाइट (ASAT) हथियारों का विकास एक गंभीर वैश्विक खतरे के रूप में उभरा है। यह लेख अंतरिक्ष सुरक्षा के बदलते परिदृश्य की विवेचना करता है, विशेषकर भारत की रणनीतिक स्थिति, ASAT क्षमताओं और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करता है। यह अध्ययन ओपन-सोर्स जानकारी, शैक्षणिक साहित्य और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित है तथा बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए एक सशक्त शासन तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित

करता है।

बाह्य अंतरिक्ष, जिसे एक समय विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक माना जाता था, अब भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मुख्य क्षेत्र बन गया है। उपग्रह-आधारित ढांचों पर निर्भरता के बढ़ने के कारण राष्ट्र अंतरिक्ष को केवल शक्ति-गुणक नहीं, बल्कि रणनीतिक युद्धक्षेत्र के रूप में भी देखने लगे हैं। एंटी-सैटेलाइट (ASAT) हथियारों का प्रसार अंतरिक्ष के सैन्यीकरण की आशंकाओं को और बढ़ाता है, जिसमें भारत भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। वर्तमान सरकार अनुसंधान एवं विकास (R&D) को प्रोत्साहित कर रही है और संबद्ध संस्थानों को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार रहने के निर्देश दे रही है। उदाहरणतः, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजने के लिए किए गए निवेश को भविष्य के मानवयुक्त मिशन और स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

अंतरिक्ष का सैन्यीकरण: एक विकास यात्रा

अंतरिक्ष का सैन्यीकरण इस तथ्य से प्रेरित है कि उपग्रह सैन्य अभियानों के लिए अनिवार्य हो गए हैं। ASAT हथियार शत्रु के अंतरिक्ष संसाधनों को निष्क्रिय या नष्ट करने के लिए काइनेटिक स्ट्राइक, साइबर हमले या निर्देशित ऊर्जा हथियारों (Directed Energy Weapons) का उपयोग करते हैं। कुछ उल्लेखनीय घटनाएं:

(I) चीन (2007): फेंगयुन-1C उपग्रह को नष्ट किया, जिससे 3,000 से अधिक मलबे के टुकड़े उत्पन्न हुए।

(II) अमेरिका (2008): ऑपरेशन बर्न्टफ्रॉस्ट द्वारा USA-193 को नष्ट किया गया ताकि विषाक्त ईंधन का रिसाव रोका जा सके।

(III) भारत (2019): ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत Microsat-R को निम्न कक्षा (LEO) में नष्ट कर, भारत ASAT-समर्थित राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ।

(IV) रूस (2021): एक परीक्षण किया, जिससे 1,500 से अधिक ट्रैकेबल मलबे उत्पन्न हुए।

इन कार्रवाइयों ने रणनीतिक मंशा स्पष्ट की और अंतरिक्ष मलबे के कारण उपग्रह अभियानों को जोखिम में डाल दिया।

भारत की रणनीतिक सोच

मार्च 2019 में DRDO द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत ASAT परीक्षण किया गया। भारत ने स्पष्ट किया कि यह परीक्षण निम्न कक्षा में जिम्मेदारी से किया गया ताकि मलबे की समस्या न्यूनतम रहे, लेकिन रणनीतिक संदेश स्पष्ट था,भारत अंतरिक्ष से आने वाले खतरों का जवाब देने में सक्षम है।

प्रमुख कारण:

(I) रणनीतिक समानता: चीन का 2007 परीक्षण क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रहा था।

(II) तकनीकी प्रदर्शन: स्वदेशी मिसाइल एवं अंतरिक्ष तकनीकों की क्षमता का नमूना प्रस्तुत करना।

(III) राजनीतिक लक्ष्य: यह परीक्षण 2019 के आम चुनावों के ठीक पहले हुआ, जिससे घरेलू एवं रणनीतिक एजेंडे का समन्वय दिखा।

भारत ने रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (Defence Space Agency,DSA) और रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Defence Space Research Organisation,DSRO) की स्थापना की, ताकि अंतरिक्ष अभियानों का समन्वय एवं काउंटर-स्पेस टेक्नोलॉजी विकसित की जा सके।

अंतरिक्ष में खतरे का परिदृश्य

ASAT हथियार अंतरिक्ष खतरों के पारिस्थितिक तंत्र का एक हिस्सा हैं:

(I) जैमिंग और स्पूफिंग: उपग्रह सिग्नल में व्यवधान।

(II) साइबर युद्ध: उपग्रह नियंत्रण प्रणालियों का हैक होना।

(III) को-ऑर्बिटल ASATs: ऐसे उपग्रह जो दूसरों को निष्क्रिय कर सकते हैं।

(d) निर्देशित ऊर्जा हथियार: लेज़र द्वारा सेंसर का निष्क्रियकरण।

(IV) अंतरिक्ष मलबा: काइनेटिक हमलों से उत्पन्न मलबे, जिससे केस्लर सिंड्रोम का खतरा बढ़ता है।

SpaceX के Starlink और Amazon के Project Kuiper जैसे वाणिज्यिक उपग्रह प्रणालियां संभावित सैन्य उपयोग के कारण युद्ध की स्थिति में लक्षित हो सकती हैं।

कानूनी और मानदंडों की खामियां

मौजूदा अंतरिक्ष कानून अप्रासंगिक होते जा रहे हैं क्योंकि:

(I) Outer Space Treaty (1967): WMD पर प्रतिबंधित, पर पारंपरिक हथियारों पर मौन।

(II) Liability Convention (1972): केवल नुकसान की भरपाई पर ध्यान, आक्रामकता पर नहीं।

(III) PAROS (Prevention of an Arms Race in Outer Space): सर्वसम्मति की कमी, अमेरिका बाध्यकारी प्रतिबंधों का विरोध करता है।

भारत शांतिपूर्ण उपयोग का पक्षधर है, पर UN प्रस्तावों में ASAT

परीक्षणों को हतोत्साहित करने वाले कई उपायों से दूरी बनाए हुए है, यह भारत की सतर्क रणनीति को दर्शाता है।

आगे की राह

भारत की सिफारिशें:

(I) राष्ट्रीय अंतरिक्ष सुरक्षा प्राधिकरण (National Space Security Authority) की स्थापना।

(II) Space Situational Awareness (SSA) क्षमताओं का विस्तार।

(III) PPP के माध्यम से माइक्रोसैटेलाइट, सेंसर एवं एंटी-जैमिंग तकनीकों का विकास।

(IV) QUAD एवं अन्य लोकतांत्रिक गठबंधनों के साथ साझा सुरक्षा ढांचे का निर्माण।

(V) सैटेलाइट हार्डनिंग, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एवं ऑटोनॉमस मूवमेंट जैसी तकनीकों का विकास।

वैश्विक आवश्यकताएं:

(I) मलबा-उत्पन्न ASAT हथियारों पर प्रतिबंधित नई संधि की।

(II) अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सुरक्षा परिषद की स्थापना (UNSC सदृश) की।

(III) पारदर्शिता हेतु विश्वास-निर्माण उपाय एवं साझा निरीक्षण प्रणाली की।

निष्कर्ष: अंतरिक्ष सुरक्षा 21वीं सदी में राष्ट्रीय रक्षा की आधारशिला बन चुकी है। ASAT हथियारों, साइबर खतरों एवं सैन्य–नागरिक तकनीकों के बीच धुंधली सीमाओं के साथ, भारत को सक्रिय, तकनीकी रूप से सक्षम एवं कूटनीतिक रूप से लचीला दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रतिरोधक क्षमता एवं शांतिपूर्ण बाह्य अंतरिक्ष की स्थिरता वैश्विक सहयोग, कानूनी सुधार एवं साझा दृष्टिकोण पर निर्भर करेगी। अंतरिक्ष पहले ही हथियारीकृत हो चुका है, और आगे की होड़ में अमेरिका, चीन, रूस एवं उभरती शक्तियां शामिल होंगी। भारत ने UNGA में हथियार तैनाती के विरोध में प्रस्तावों का समर्थन किया है, पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में अपनी रणनीतिक उपस्थिति से पीछे नहीं हटेगा।

Border Facts

धर्म बिना सीमाओं के

सीमावर्ती क्षेत्र आध्यात्मिक संगम हैं,जहां हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और जनजातीय विश्वास अक्सर एक-दूसरे के तीर्थ स्थल साझा करते हैं और उत्सव मनाते हैं।

कालापानी का अंधेरा इतिहास

पोर्ट ब्लेयर में सेल्यूलर जेल, कभी औपनिवेशिक नरक, अब भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की राष्ट्रीय स्मृति है।

ऑर्बिट विजिल: भारत की अंतरिक्ष निगरानी शक्ति का निर्माण

दिबाकर डे

रिसर्च असोसिएट, सीमा अध्ययन संस्थान

राष्ट्रीय सुरक्षा का नया आयाम

जब हम रात के आकाश की ओर देखते हैं, तो हमें तारे और कभी-कभी एक उपग्रह दिख सकता है। परंतु हम यह नहीं देख पाते कि यह अंतरिक्ष क्षेत्र कितना भीड़-भाड़ और प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है,एक ऐसा क्षेत्र जो आज हमारे दैनिक जीवन के लिए उतना ही अनिवार्य हो चुका है जितना कि पृथ्वी पर परिवहन के मार्ग। हमारी GPS प्रणाली से लेकर मौसम पूर्वानुमान, वित्तीय लेन-देन और रक्षा संचार तक, सब कुछ अंतरिक्ष पर निर्भर है। विज्ञान-कथा से वास्तविकता में बदल चुका यह क्षेत्र अब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक आत्मनिर्भरता का अनिवार्य अंग बन चुका है।

1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की स्थापना के साथ भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत हुई थी। तब से आज तक भारत न केवल चंद्रमा और मंगल तक अभियानों को सफलतापूर्वक भेजने में सक्षम हुआ है, बल्कि एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भी उभरा है। किंतु साथ ही, भारत की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं के समानांतर, अंतरिक्ष में उत्पन्न होने वाले खतरों में भी वृद्धि हुई है। इन खतरों से निपटने के लिए एक सुदृढ़ अंतरिक्ष प्रस्थिति जागरूकता (Space Situational Awareness - SSA) तंत्र की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।

अंतरिक्ष प्रस्थिति जागरूकता: एक परिचय

हालांकि "अंतरिक्ष प्रस्थिति जागरूकता" एक तकनीकी शब्दावली प्रतीत हो सकती है, किंतु इसका मूल उद्देश्य अत्यंत व्यावहारिक है , पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, इसकी निगरानी रखना। यह कार्य किसी वायुपट नियंत्रण प्रणाली के समान है, जिसमें हर उपग्रह, मलबे के कण और संभावित खतरे पर नजर रखी जाती है। भारत जैसे देश, जो उपग्रहों पर सैन्य, संचार, मौसम, कृषि और प्रसारण सेवाओं हेतु व्यापक रूप से निर्भर है, के लिए SSA नीतिगत स्थिरता और संभावित विनाश के बीच का अंतर साबित हो सकती है।

आज पृथ्वी की कक्षा में 10 सेंटीमीटर से बड़े 34,000 से अधिक वस्तुएं निगरानी में हैं, और लाखों छोटे मलबे के कण भी हैं जो अत्यधिक गति (लगभग 28,000 किमी/घंटा) से चलते हैं,इतनी गति से कि एक पेंट का कण भी उपग्रह की सौर पैनलों को भेद सकता है। ऐसे में भारत, जिसकी उपग्रह प्रणाली 1.4 अरब से अधिक लोगों को सेवा प्रदान करती है, के लिए जोखिम अत्यंत गंभीर हैं।

भारत की वर्तमान क्षमताएं

भारत की SSA रणनीति उसकी व्यापक रणनीतिक स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता की सोच को प्रतिबिंबित करती है। ISRO ने अपने SSA नियंत्रण केंद्र और मल्टी-ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार (MOTR) जैसे

अत्याधुनिक भू-आधारित ट्रैकिंग प्रणालियों में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इन प्रणालियों के माध्यम से निम्न-पृथ्वी कक्षा में वस्तुओं की सटीक पहचान संभव है। इसके साथ ही, भारत ने कक्षीय विश्लेषण में भी उन्नत क्षमताएं विकसित की हैं, जो मिशन नियोजन में सहायता करती हैं।

2019 में मिशन शक्ति के तहत भारत ने एक पुराने उपग्रह को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया था, जो यह दर्शाता है कि भारत के पास अंतरिक्ष निगरानी व हस्तक्षेप की तकनीकी क्षमता है। यह उपलब्धि केवल चार देशों ने ही हासिल की है।

हालांकि, वैश्विक मानकों की तुलना में भारत की SSA क्षमताओं में अभी भी कुछ स्पष्ट सीमाएं हैं। चीन ने SSA में भू-आधारित और अंतरिक्ष-आधारित दोनों प्रणालियों में उल्लेखनीय निवेश किया है। अमेरिका का Space Surveillance Network पृथ्वी की कक्षा में वस्तुओं की सबसे व्यापक सूची रखता है। इसके विपरीत, भारत की पहुंच अभी भी भूगोल और कवरेज की दृष्टि से सीमित है।

उभरते हुए खतरे

भारत के अंतरिक्ष संसाधनों को दो प्रकार के खतरों से चुनौती मिल रही है: प्राकृतिक मलबा और मानव-निर्मित/इरादतन हमले। प्राकृतिक मलबा दशकों की अंतरिक्ष गतिविधियों और टकरावों का परिणाम है। उदाहरणस्वरूप, 2009 में Cosmos-2251 और Iridium-33 उपग्रहों की टक्कर से 2000 से अधिक ट्रैक करने योग्य मलबा कण उत्पन्न हुए।

लेकिन इससे भी अधिक चिंताजनक हैं जानबूझकर किए गए खतरे , जैसे कि एंटी-सैटेलाइट हथियारों (ASAT) का प्रयोग। 2007 में चीन द्वारा किए गए ASAT परीक्षण से आज भी 3000 से अधिक मलबे के टुकड़े कक्षा में हैं। रूस की हाल की मिसाइल-परीक्षण गतिविधियों ने इस खतरे को और बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त, साइबर हमलों की संभावना भी तेजी से बढ़ रही है। चूंकि उपग्रह भी कंप्यूटर ही होते हैं, अतः वे हैकिंग, जैमिंग और स्पूफिंग जैसी गतिविधियों के लिए संवेदनशील होते हैं। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था जो उपग्रह संचार और नेविगेशन पर निर्भर है, के लिए यह खतरा अत्यंत गंभीर है।

रणनीतिक निहितार्थ

SSA को भारत की व्यापक रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं से अलग करके नहीं देखा जा सकता। भारत की इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अग्रणी शक्ति बनने की आकांक्षा के लिए SSA क्षमताएं प्रमुख भूमिका निभाती हैं। ये सैन्य अभियानों हेतु आवश्यक खुफिया, निगरानी और टोह (ISR) क्षमताएं प्रदान करती हैं; सुरक्षित संचार के लिए आधार बनती हैं और वैश्विक मंच पर भारत की तकनीकी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करती हैं।

किन्तु SSA में सीमित क्षमताएं संभावित खतरों को अनदेखा करने वाले अंध बिंदु (blind spots) उत्पन्न कर सकती हैं। सीमित रीयल-टाइम ट्रैकिंग के कारण समय पर प्रतिक्रिया भी बाधित हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय डेटा साझाकरण के अभाव में भारत को SSA के लिए विदेशी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ सकता है, जो रणनीतिक रूप से जोखिमपूर्ण है।

इस संदर्भ में अमेरिका और भारत के बीच SSA सहयोग की संभावनाएं बढ़ रही हैं। वहीं, चीन की आक्रामक अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी भी भारत की सुरक्षा योजना में अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है।

निजी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का लाभ उठाना

भारत की SSA क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए बहुआयामी रणनीति आवश्यक है। सबसे पहले, घरेलू ट्रैकिंग अवसंरचना का विस्तार किया जाना चाहिए,जिसमें उन्नत रडार, उच्च कक्षा पर नजर रखने वाली ऑप्टिकल प्रणालियां, और संभावित रूप से अंतरिक्ष-आधारित सेंसर शामिल हैं।

SSA के क्षेत्र में कार्यरत अंतरराष्ट्रीय निजी कंपनियों के साथ सहयोग से त्वरित लाभ मिल सकता है। उदाहरणस्वरूप, HawkEye 360, UnseenLabs, Vyoma, Aldoria, और NorthStar Earth & Space जैसी कंपनियां रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल विश्लेषण, समुद्री निगरानी, टक्कर-टाल प्रणाली तथा रीयल-टाइम डेटा सेवाएं प्रदान करती हैं। भारतीय निजी क्षेत्र में भी Digantara, XDLINK और Pixxel जैसी कंपनियां SSA के क्षेत्र में नवाचार कर रही हैं। इनकी क्षमताओं को बढ़ावा देने हेतु सरकार को वित्तीय सहायता, अनुकूल विनियामक ढांचा और क्रय नीति के माध्यम से प्रोत्साहन देना चाहिए।

SSA के क्षेत्र में जापान का मॉडल अनुकरणीय है,उसने घरेलू रडार विकास को अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी में मिलाकर एक सशक्त SSA प्रणाली तैयार की है। भारत की International SSA (ISSA) कार्यक्रम में भागीदारी भी इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

एक राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्यता

अंतरिक्ष प्रस्थिति जागरूकता केवल तकनीकी विषय नहीं है, बल्कि भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और भविष्य की समृद्धि से सीधे जुड़ी हुई चुनौती है। जैसे-जैसे भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, अंतरिक्ष डोमेन की निगरानी और सुरक्षा उसकी रणनीतिक आत्मनिर्भरता की रीढ़ बनती जा रही है।

इस क्षेत्र में आवश्यक निवेश, चाहे वह आर्थिक हो या राजनीतिक इच्छाशक्ति, अल्पकालिक रूप से बोझिल प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन SSA में कमजोरी की कीमत,जैसे उपग्रह सेवाओं की हानि, रणनीतिक खामियां, या विदेशी सूचनाओं पर निर्भरता,दीर्घकालिक रूप से कहीं अधिक महंगी पड़ सकती है।

अतः आने वाले वर्षों में SSA पर लिए गए निर्णय भारत की रणनीतिक दिशा और सुरक्षा को दशकों तक प्रभावित करेंगे।

साक्षात्कार

माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

ऑपरेशन सिंदूर रणनीतिक, प्रौद्योगिकीय और नीतिगत परिवर्तनों का प्रतीक

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के प्रमुख कारण क्या रहे? कृपया यह भी बताएं कि इससे भारत की बदलती सीमा सुरक्षा नीति किस प्रकार परिलक्षित होती है।

इसकी सफलता प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति, सटीक खुफिया जानकारी, उपग्रह व ड्रोन निगरानी, तीनों सेनाओं के समन्वित संचालन, बीएसएफ की सतर्कता, स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं और रणनीतिक संयम पर आधारित थी। यह सफलता पिछले कुछ वर्षों में किये गए रिफॉर्म्स का नतीजा है। इन रिफॉर्म्स का दायरा काफी वृहद् है। इनमें, चाहें DMA का क्रिएशन हो, या इंटर-सर्विस कोआर्डिनेशन एवं इंटीग्रेशन हो, या फिर स्वदेशीकरण पर पुरजोर प्रयास शामिल है। डिफेन्स प्रोडक्शन के क्षेत्र में कई बड़े सुधार किये गए हैं जिनमें Corporatisation of OFB, डिफेन्स कॉरिडोरस की स्थापना, liberalisation of FDI in defence इत्यादि शामिल हैं। Defence technology के डेवेलपमेंट के लिए DRDO नें कई initiatives शुरू किये हैं जिनका असर ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान भी दिखा । अभियान के दौरान आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया गया, जिससे भारत की नैतिक प्रतिबद्धता और वैश्विक जिम्मेदारी भी स्पष्ट हुई। भारत ने इस अभियान में ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म की नीति को अपनाया, जिससे यह संदेश गया कि आतंकवाद कहीं भी पनपे, भारत उसे सीमाओं के भीतर या बाहर निष्प्रभावी करने में संकोच नहीं करेगा। हमारी सीमा रक्षा नीति में सीजफायर उल्लंघनों पर कड़ा और उपयुक्त जवाब देना तथा स्मार्ट फेंसिंग, काउंटर ड्रोन सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से प्रभावी घुसपैठ विरोधी कार्यवाही शामिल है। इस अभियान ने न केवल पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की छवि को एक आत्मनिर्भर, नैतिक, और निर्णायक राष्ट्र के रूप में सशक्त किया। ऑपरेशन सिंदूर, केवल सैन्य अभियान नहीं, बल्कि भारत की बदलती राष्ट्रीय सुरक्षा सोच और आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से सक्षम सीमाओं की ओर बढ़ते कदमों का जीवंत प्रमाण है।

क्या आप कृपया साइबर और स्पेस कमांड्स की प्रगति तथा भावी योजनाओं पर प्रकाश डाल सकते हैं, विशेषकर यह कि ये हमारी वर्तमान रक्षा प्रणालियों के साथ मिलकर उभरते खतरों से कैसे निपटेंगे?

भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को मज़बूत करने और उभरते खतरों से निपटने के लिए साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को तेजी से सशक्त कर रही है। ओवरऑल साइबर डिफेन्स को नेशनल लेवल पर MeITY के अंतर्गत नेशनल साइबर कोआर्डिनेशन सेंटर के दद्वारा किया जा रहा है। हाल ही में 'ज्वाइंट डॉक्ट्रिन ऑन साइबर स्पेस' को रिलीज़ किया गया है। तीनों सेनाओं की साइबर सुरक्षा व्यवस्था डिफेन्स साइबर एजेंसी और सर्विस साइबर ग्रुप द्वारा की जाती है। इनका CERT- आर्मी से बहुत घनिष्ट समन्वय है। ए.आई और मशीन लर्निंग का उपयोग करते हुए हम साइबर अटैक का पूर्वानुमान और नियंत्रण कर रहे हैं। दूसरी ओर, डिफेन्स स्पेस एजेंसी के विस्तार की दिशा में कार्य शुरु किया गया है। IDEX एवं TDF

कार्यक्रम द्वारा स्टार्टअप्स व MSMEs को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह दोनों संस्थाएं हमारी मल्टी-डोमेन ऑपरेशन कैपबिलिटी को बहुत बढ़ावा देंगी। साथ ही, भविष्य में तीनों सेनाओं को साइबर और स्पेस क्षमताओं के साथ जोड़कर संयुक्त, त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। भारत आज साइबर आतंकवाद, ड्रोन हमलों, अंतरिक्ष-आधारित खतरों और सूचना युद्ध जैसे सभी खतरों से निपटने के लिए काइनेटिक और नॉन-काइनेटिक क्षमताओं का संयोजन कर रहा है। हमारी भविष्य की रणनीति AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिससे भारत एक आत्मनिर्भर, सजग और तकनीकी रूप से सक्षम रक्षा शक्ति के रूप में उभर रहा है।

हम महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों में आत्मनिर्भरता के कितने निकट हैं? और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किन ठोस कदमों पर कार्य हो रहा है?

भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। परिणामस्वरूप, पिछले एक दशक में रक्षा आयात पर निर्भरता 34% तक घटी है और लगभग 65% सैन्य उपकरण अब देश में ही निर्मित हो रहे हैं। तेजस लड़ाकू विमान, ब्रह्मोस मिसाइल, आईएनएस विक्रांत, अग्नि मिसाइल, पिनाका रॉकेट, ए-टैग्स तोप और स्वाति रडार जैसी स्वदेशी प्रणालियों ने हमारी सैन्य शक्ति को मजबूत किया है। साथ ही, 5521 items को positive indigenisation list में डालकर आयात को नियंत्रित किया गया है, जिसमे से 3284 को indigenised किया जा चुका है। हालांकि कुछ उच्च तकनीकी क्षेत्रों जैसे engine इत्यादी में चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन DRDO और निजी क्षेत्र के सहयोग से इन अंतरालों को भरने का कार्य तीव्रता से जारी है। रक्षा उत्पादन 2024-25 में 1.5 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है, जिसे 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य है। रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है FY 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रुपए रहा, जो 12% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति (DPEPP), IDEX, TDF जैसी पहलों, OGEL लाइसेंस प्रक्रिया, वैश्विक रक्षा प्रदर्शनियों में भागीदारी और 80 से अधिक देशों को उत्पादों के निर्यात ने भारत को रक्षा निर्यातक राष्ट्र के रूप में सशक्त किया है। हमारी दीर्घकालिक रणनीति है कि 2047 तक भारत एक पूर्णतः आत्मनिर्भर, आधुनिक और वैश्विक रक्षा उद्योग के रूप में स्थापित हो-जो न केवल देश की सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करे, बल्कि भारत को वैश्विक रक्षा बाजार में एक निर्णायक शक्ति बनाए।

डीआरडीओ द्वारा आयुध और रणनीतिक अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र की सफल भागीदारी नागरिक सैन्य समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। कृपया इस प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी साझा करें।

डीआरडीओ द्वारा आयुध विकास और रणनीतिक अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी नागरिक सैन्य समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसने भारत की रक्षा स्वावलंबन यात्रा को गति दी है। डीआरडीओ ने 'प्रौद्योगिकी विकास निधि (TDF)', 'Defence India Startup Challenge', और 'Dare to Dream' जैसी पहलों के माध्यम से स्टार्टअप्स, MSMEs, शैक्षणिक संस्थानों और निजी कंपनियों को रक्षा अनुसंधान में सक्रिय भागीदार बनाया है। विकास सह-उत्पादन भागीदार (DCPP) मॉडल, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, परीक्षण एवं प्रमाणन सहायता, तथा गुणवत्ता नियंत्रण के लिए मजबूत ढांचा स्थापित किया गया है। निजी क्षेत्र अब रक्षा उत्पादन में 23% योगदान दे रहा है और 451 कंपनियों को 769 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। ATAGS तोप, पिनाका रॉकेट, Indian Light टैंक और Long Range Guided Bomb जैसे अनेक प्रणालियों डीआरडीओ-निजी सहयोग का परिणाम हैं। नागरिक सैन्य समन्वय को संस्थागत रूप देने हेतु डीआरडीओ नियमित रूप से इंडस्ट्री, सेनाओं व शिक्षाविदों के साथ संवाद, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इससे तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिला है, आयात पर निर्भरता घटी है और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन 65% से अधिक हो गया है। सरकार का लक्ष्य आर्टिफिशिअल इंटेलिजेंस, क्वांटम प्रौद्योगिकी, हाइपरसोनिक हथियार व साइबर युद्ध जैसे क्षेत्रों में भी निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना है, जिससे भारत वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में एक मजबूत स्तंभबन सके।

रक्षा क्षेत्र में, विशेषकर ड्रोन, रोबोटिक्स और स्वायत्त प्रणालियों के क्षेत्र में, स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा कौन-कौन से प्रयास किए जा रहे हैं?

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और नवाचार को बढ़ावा देना भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। विशेष रूप से ड्रोन, रोबोटिक्स और स्वायत्त प्रणालियों जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने IDEX (Innovations for Defence Excellence), डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज (DISC), Technology Development Fund (TDF) और ADITI जैसी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और सह-विकास के अवसर प्रदान किए हैं। 655 मामलों के लिए MSMES और स्टार्ट-अप्स IDEX से जुड़े हैं और 500 से अधिक को वित्तीय सहायता मिली है। DRDO की TDF योजना के अंतर्गत 80 परियोजनाओं में 300 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी गई है। ADITI योजना के अंतर्गत स्टार्ट-अप्स को रोबोटिक्स,

AI और ड्रोन तकनीक जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए 25 करोड़ रुपये तक की सहायता दी जा रही है। 'मेक इन इंडिया अभियान के तहत 5521 से अधिक रक्षा उपकरणों को आयात निषिद्ध सूची में डाला गया है, जिससे स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा मिला है। PPP मॉडल के अंतर्गत भारतीय सेना ने स्टार्ट-अप्स के साथ 13 संयुक्त परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें ड्रोन और स्वायत्त प्रणालियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। डिजिटल स्काय प्लेटफॉर्म, नई ड्रोन नीति, अनुसंधान पार्कों की स्थापना और सार्वजनिक खरीद में छूट जैसे कदम स्टार्ट-अप्स को व्यावसायिक सफलता की ओर ले जा रहे हैं। रक्षा निर्यात में 2024-25 में 12% की वृद्धि हुई है, जिसमें ड्रोन और स्वायत्त प्रणालियों पर काम कर रहे स्टार्ट-अप्स का विशेष योगदान रहा। Combat Robotics, NewSpace Research, Torus Robotics और EyeROV जैसे स्टार्ट-अप्स ने अत्याधुनिक सैन्य तकनीकें विकसित कर रक्षा बलों को सशक्त किया है। रक्षा मंत्रालय का उद्देश्य है कि भारत को ड्रोन, रोबोटिक्स और स्वायत्त प्रणालियों के क्षेत्र में वैश्विक नवाचार और उत्पादन केंद्र बनाया जाए, और भारतीय स्टार्ट-अप्स को नीति, पूंजी और प्रयोग के अवसरों से सशक्त कर विश्व रक्षा उद्योग में अग्रणी बनाया जाए।

पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद से निपटने की भारत की नीति में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। कृपया इस पर अपने विचार साझा करें।

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति में साहसिक, निर्णायक और रणनीतिक बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भारतीय क्षेत्र पर कोई भी आतंकी हमला युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। भारत की नीति अब 'शून्य सहिष्णुता' के सिद्धांत पर आधारित है, जो न केवल प्रतिक्रिया देती है, बल्कि आतंक के स्रोतों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सटीक और साहसिक कार्रवाई करती है- सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयरस्ट्राइक और हालिया 'ऑपरेशन सिंदूर' इसके उदाहरण हैं। सीमा सुरक्षा नीति के अंतर्गत, लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी भी सीजफायर वायलेशन का करारा जवाब दिया जाएगा। एल.ओ.सी या आई.बी के पार घुसपैठ को कम करने के लिए स्मार्ट फेंसिंग, काउंटर-ड्रोन सिस्टम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से लैस सिस्टमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों को अधिक स्वायत्तता और संसाधन दिए गए हैं। साथ ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र, FATF और द्विपक्षीय मंचों पर आतंकवाद के वित्तपोषण व समर्थन के विरुद्ध कड़े कदम उठाए हैं। आज भारत की आतंकवाद-निरोधी नीति न केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता में भी सक्रिय योगदान देने का संकल्प रखती है।

थिएटर कमांड योजना की वर्तमान स्थिति क्या है, और इससे त्रि-सेना समन्वय विशेषकर कमांड संरचना, लॉजिस्टिक्स और युद्ध संचालन को किस प्रकार बल मिलेगा?

भारत सरकार रक्षा सुधारों के तहत एकीकृत थिएटर कमांड (Integrated Theatre Commands - ITC) की स्थापना की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है, जिसका उद्देश्य थल सेना, नौसेना और वायुसेना के संसाधनों का एकीकृत, कुशल और रणनीतिक उपयोग सुनिश्चित करना है। प्रस्तावित ढांचे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है। कारगिल समीक्षा समिति (1999) और शेकटकर समिति (2016) की सिफारिशों के आधार पर अंतर-सेवा संगठन अधिनियम, 2023 को अधिसूचित कर दिया गया है। ऑपरेशन सिन्दूर अब तक तीनों सेनाओं के बीच की गई जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन का उदहारण है। इस योजना से त्रि-सेना समन्वय को अभूतपूर्व बल मिलेगा। इससे निर्णय प्रक्रिया त्वरित और समन्वित होगी। लॉजिस्टिक्स के स्तर पर संयुक्त लॉजिस्टिक्स नोड्स (JLNs) के माध्यम से efforts की duplication में कमी, लागत-प्रभावशीलता और तेज़ आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। भारत सरकार इस विषय पर कार्य कर रही है।

अक्सर यह देखा गया है कि रक्षा खरीद प्रक्रियाएं विलंबित होती हैं। कृपया यह बताएं कि मंत्रालय इन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, गति और स्वदेशीकरण सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार सुधार कर रहा है?

अतीत में रक्षा खरीद प्रक्रियाओं में कुछ विलंब के मामले सामने आए हैं, किंतु प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इन प्रक्रियाओं को तीव्र, पारदर्शी और स्वदेशीकरण पर केंद्रित बनाने के लिए कई परिवर्तनकारी सुधार लागू किए हैं। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP-2020) को सरल और पारदर्शी बनाया गया है, जिसमें प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया, सार्वजनिक नीलामी और निर्दलीय निगरानी तंत्र को शामिल किया गया है। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 ने यह सुनिश्चित किया है कि सशस्त्र बलों का आधुनिकरण समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाये जिससे उनकी सुरक्षा और परिचालन सम्बन्धी जरूरते पूरी हों। आत्मनिर्भर भारत के तहत, हमने 5 positive indigenisation lists अधिसूचित की है, जिसमें कुल 5521 items शामिल है जिन्हें भारत में निर्मित और विकसित किया जायेगा तथा स्वदेशी स्त्रोतों से खरीदा जाएगा। इसमें से अब तक 3284 items indigenised किये जा चुके हैं। वर्तमान में, DAP-2020 में और अधिक सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी कार्य कर रही है। इसमें खरीद प्रक्रिया की गति बढ़ाने और स्वदेशीकरण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा।

IV

आंतरिक सुरक्षा: भारत की मूल शक्ति

भारत की आंतरिक सुरक्षा कई जटिल चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनमें देश के भीतर की समस्याएं और सीमा पार से हस्तक्षेप दोनों शामिल हैं। नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद गरीबी, असमानता और उपेक्षा से उपजते हैं, जबकि कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर में अलगाववादी आंदोलन ऐतिहासिक कारणों और बाहरी समर्थन से लगातार सक्रिय हैं। धार्मिक और सांप्रदायिक तनावों को भी विदेशी ताकतें भड़काती हैं, और जब जनता की नाराज़गी को अनसुना किया जाता है, तो उसे गलत जानकारी और फंडिंग के ज़रिए भड़काया जा सकता है। समय पर ख़ुफ़िया जानकारी और जवाबी कार्रवाई में कमी से हालात और बिगड़ते हैं। इन समस्याओं की जड़ में औपनिवेशिक अन्याय और उपेक्षा की भावना है, जिसे केवल बल प्रयोग से नहीं सुलझाया जा सकता। ऐसे में नागरिक समाज की भूमिका बेहद अहम है,वह संवाद, समावेशन और विश्वास को बढ़ावा देकर स्थायी शांति और आंतरिक मज़बूती की दिशा में योगदान देता है।

बंदूकें, असंतोष और भारत की एकता के लिए संघर्ष

एस. पी. वैद

जम्मू और कश्मीर के पूर्व महानिदेशक पुलिस (डीजीपी), जिन्हें चुनौतीपूर्ण सुरक्षा परिवेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता है।

एक बुलेटप्रूफ कार और एक खंडित सत्य

1999 की एक बर्फीली सर्द सुबह, मैं बारामुल्ला में मौत से रूबरू हुआ। पच्चीस हथियारबंद आतंकवादियों ने यूनिवर्सल मशीन गन और रॉकेट से मेरे काफिले पर घात लगाकर हमला किया। मेरी बुलेटप्रूफ गाड़ी गोलियों से छलनी हो गई,एक गोली दरवाजा चीरती हुई मेरी पीठ और गर्दन पर लगी। मेरे ड्राइवर को भी गोली लगी, पर वह बच गया। जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद से लड़ते हुए यह न मेरा पहला हमला था, न आख़िरी। किंतु जब मैं खून से लथपथ लेटा था, मुझे लगा: "यह सिर्फ़ सीमा की समस्या नहीं है; यह मस्तिष्क और दिलों के बीच की दूरियों की लड़ाई है।" इसके बाद के दशकों में मैंने अपनी आंखों से देखा कि आंतरिक सुरक्षा और सीमापार हस्तक्षेप एक ही सिक्के के दो पहलू हैं,यह केवल मेरे गृह राज्य का नहीं, पूरे राष्ट्र का सबक है।

जम्मू-कश्मीर: सीमा पार हस्तक्षेप की जीवंत प्रयोगशाला

जम्मू-कश्मीर, सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद से निपटने में भारत की अग्रिम पंक्ति रहा है। 1986 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होते समय मैंने नहीं सोचा था कि आने वाले वर्षों में छद्म युद्ध का यह स्तर देखने को मिलेगा। नियंत्रण रेखा के पास स्थित भूगोल इसे घुसपैठ के लिए विशेष रूप से संवेदनशील बनाता है। पर भौतिक सीमा केवल एक आयाम है। पाकिस्तान के सरकारी और गैर-सरकारी तत्वों ने जिस असली हथियार का आक्रामक उपयोग किया, वह था,हमारे युवाओं के दिल-दिमाग से खेलना और स्थानीय शिकायतों का अपने स्वार्थ हेतु दुरुपयोग। 1989 के बाद, हज़ारों स्थानीय किशोर हथियार-प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर गए। स्पष्ट था: सीमाएं कितनी भी मजबूत हों, जब तक ऐसे तत्वों को स्थानीय समर्थन मिलता रहेगा, असुरक्षा बनी रहेगी।

प्रयुक्त रणनीतियां

- ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों के रास्ते हथियार तस्करी और घुसपैठ।
- मदरसों और बाहरी फंडिंग के ज़रिए कट्टरपंथ का प्रसार।
- अशांति भड़काने हेतु दुष्प्रचार और भ्रामक सूचनाएं।
- परिवारों और समुदायों को तोड़ने के लिए नशीली दवाओं की तस्करी को आर्थिक हथियार बनाना।

सशक्तिकरण: ग्राम रक्षा समितियां

1990 के दशक में जब उग्रवाद दूरदराज़ गांवों तक फैल गया, तो उधमपुर के बागनकोट जैसे क्षेत्रों में अल्पसंख्यक व्यावहारिक रूप से असहाय हो गए थे। उग्रवादी रात में आकर हमला करते, लूटपाट और हत्याएं करते, फिर जंगलों में गायब हो जाते। मुझे समझ आया कि अकेले पुलिस और सेना हर बस्ती की रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए 1995 में मैंने पहली ग्राम रक्षा समिति (VDC) बनाई। स्थानीय ग्रामीणों को हथियारबंद कर प्रशिक्षण दिया,समुदाय को रक्षा की पहली पंक्ति बनने के लिए सशक्त किया। इन समितियों ने न केवल हमलों को विफल किया, बल्कि स्थानीय लोगों में स्वामित्व की भावना भी जगाई। यह वास्तविक सामुदायिक पुलिसिंग थी,जिसने निष्क्रिय पीड़ितों को सक्रिय रक्षकों में बदला।

ऑपरेशन ऑल-आउट: एक निर्णायक कार्यवाही

2016 में जब मैंने पुलिस महानिदेशक का पद संभाला, कश्मीर बुरहान वानी की मृत्यु के बाद फिर उबाल पर था,बड़े पैमाने पर विरोध, पत्थरबाज़ी और सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार हर गांव तक पहुंच चुका था। हमने घाटी में आतंकियों को बेअसर करने हेतु "ऑपरेशन ऑल-आउट" शुरू किया। इसकी सफलता केवल अभियानों में नहीं, बल्कि बहु-एजेंसी समन्वय में थी: जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ, खुफिया एजेंसियां,सभी एकजुट होकर कार्यरत रहीं। साथ ही, मैं बार-बार गुमराह युवाओं से हथियार छोड़कर परिवारों में लौटने की सार्वजनिक अपील करता रहा। मेरा विश्वास रहा है,आतंकवादी का अंत करना अंतिम उपाय है; उसे वापस जीतना बड़ी विजय है।

सुरक्षा का मानवीय चेहरा

अक्सर पूछा गया: "ग्रामीणों को हथियार क्यों दिए? कट्टरपंथी युवाओं से संवाद क्यों?" मेरा उत्तर सरल है: कोई भी सेना या पुलिस, चाहे कितनी प्रशिक्षित-सुसज्जित हो, शांति नहीं रख सकती यदि लोग स्वयं को अलग-थलग महसूस करें। 30 वर्ष से अधिक की सेवा ने सिखाया,समुदाय मूकदर्शक नहीं, धुरी है। मुझे याद है, अस्थायी स्कूलों में बैठकर गांव के बुज़ुर्गों से कहता था: "आपके बेटे की ज़िंदगी आपके लिए कीमती है, देश के लिए भी,देर होने से पहले उसे वापस ले आइए।" कई लौटे; कई नहीं,और अंतिम संस्कार भी हुए।

कश्मीर से परे: चेतावनी और सबक

जम्मू-कश्मीर का सबक पहाड़ों तक सीमित नहीं। सीमापार हस्तक्षेप केवल यहीं नहीं है:

पंजाब: फिर नार्को-टेररिज़्म से जूझ रहा है। ड्रोन अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से हेरोइन और हथियार गिराते हैं,कश्मीर की घुसपैठ का बदला हुआ रूप।

पूर्वोत्तर: म्यांमार और बांग्लादेश से खुली सीमाओं ने उग्रवाद को बढ़ावा दिया है।

तटीय क्षेत्र: 26/11 समुद्री मार्ग से किए गए आतंक का सबसे स्पष्ट उदाहरण। साधन बदलते हैं,खच्चर की जगह ड्रोन, कैसेट की जगह व्हाट्सऐप,पर सिद्धांत वही: आंतरिक ढांचा कमजोर हो तो बाहरी शक्तियां स्थानीय सहयोगी ढूंढ लेती हैं।

अदृश्य मोर्चा: साइबर और दुष्प्रचार

आज सबसे बड़ी चुनौतियों में एक है डिजिटल युद्धक्षेत्र। कभी प्रचार पर्चों और मस्जिदों से होता था, आज एक छोटा वीडियो पूरे गांव को पल में कट्टर कर सकता है। डीपफेक, फेक न्यूज़, नफरती भाषण,विभाजन पर पनपते एल्गोरिद्म इन्हें बढ़ाते हैं। हमें सत्य, गति और तकनीक से इसका प्रतिरोध करना होगा। केवल सोशल मीडिया निगरानी पर्याप्त नहीं; स्कूलों, कॉलेजों और मोहल्लों में डिजिटल साक्षरता का निर्माण-प्रसार अनिवार्य है।

आगे की राह: भारत के लिए मार्गदर्शन

मेरे अनुभव के आधार पर, भीतर से सुरक्षा के लिए मेरा विनम्र दृष्टिकोण:

सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करें: जहां आवश्यक, सीमावर्ती गांवों, सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील कस्बों और कट्टरपंथ-प्रवण शहरी झुग्गियों में VDC जैसे मॉडलों का विस्तार करें। समुदाय को अपनी सुरक्षा की प्रथम जिम्मेदारी माननी होगी।

अंतर-एजेंसी समन्वय बढ़ाएं: ऑपरेशन ऑल-आउट की सफलता पुलिस, सेना और खुफिया के समन्वय से संभव हुई। राज्यों को संयुक्त प्रशिक्षण, साझा डेटाबेस और वास्तविक-समय खुफिया प्रवाह पर निवेश करना चाहिए।

सीमा पर उन्नत तकनीक का उपयोग: "ड्रोन पकड़ने को ड्रोन",AI-सक्षम निगरानी, स्मार्ट फेंसिंग और रियल-टाइम थ्रेट डिटेक्शन मानक बनें; पर यह सब ज़मीनी मानवीय खुफिया के बिना निष्प्रभावी है।

प्रतिशोध के बजाय पुनर्वास: उग्रवादी को मारना, कट्टर युवाओं को मुख्यधारा में वापस लाने से आसान है,पर स्थायी शांति कौशल-विकास, परामर्श और पुनर्एकीकरण से ही आएगी।

साइबर सतर्कता सुदृढ़ करें: राष्ट्रीय स्तर पर दुष्प्रचार निगरानी तंत्र, घृणास्पद सामग्री का त्वरित निष्कासन, और ऑनलाइन कट्टरपंथ पर वैधानिक रोक आवश्यक है।

निष्पक्षता और विश्वास: सुरक्षा बलों को पक्षपात और ज्यादतियों से सर्वदा सावधान रहना होगा; एक अन्यायपूर्ण कार्रवाई समुदायों को दूर कर दुश्मन के हाथ मजबूत करती है।

शीघ्र न्याय: आतंकवाद और संगठित अपराध के मामलों का एक वर्ष में निपटारा सुनिश्चित करने हेतु मलीमथ समिति जैसी सिफ़ारिशें अपनानी होंगी,न्याय में देरी, न्याय से वंचित करने के समान है और जन-आक्रोश को जन्म देती है।

नागरिकों से आह्वान

एक अधिकारी ऑपरेशन योजना बना सकता है, पदक पा सकता है, और विपरीत परिस्थितियों में टिक सकता है,पर असली लड़ाई मोहल्ले, स्कूल और परिवार में लड़ी जाती है। जब कोई युवक बंदूक उठाता है, हम दो बार हारते हैं,एक बार दुश्मन की गोली से, दूसरी बार उसे सही राह न दिखा पाने की अपनी विफलता से। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी बहुलता है,यही दुश्मनों का निशाना है। सीमापार हैंडलर धार्मिक, क्षेत्रीय, भाषायी खाइयों का फ़ायदा उठाते रहेंगे; हमारा काम इन्हें तेज़ी से पाटना है, इससे पहले कि वे उन्हें चौड़ा कर अपने स्वार्थ सिद्ध करें।

समापन शब्द

मैं दो बार मृत्यु के प्रयासों से बचा हूं। मैंने साथियों को गिरते, निर्दोषों को मरते, समुदायों को बिखरते देखा है; और गांवों को संभलते, उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करते, युवाओं को कक्षाओं में लौटते भी देखा है। सुरक्षा केवल पुलिस, सेना या खुफिया की जिम्मेदारी नहीं,यह हर भारतीय का सामूहिक दायित्व है। चाहे नियंत्रण रेखा के पास हों, पंजाब के मैदानों में या बेंगलुरु की सड़कों पर,सभी रक्षा की पहली पंक्ति हैं। आख़िरकार, देश को सुरक्षित रखने वाली चीज़ न कांटेदार तार है, न बुलेटप्रूफ कार,बल्कि लोगों और उनके रक्षकों के बीच का विश्वास है।

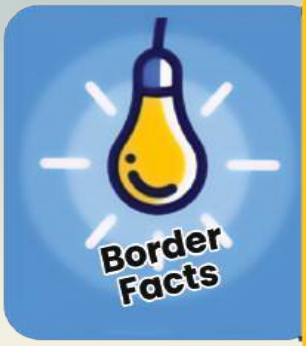

डुगॉन्ग – समुद्र का कोमल दैत्य

डुगॉन्ग, भारत की दुर्लभ समुद्री गाय और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह का राज्य पशु, समुद्री घास के बिस्तरों में धीरे और सुंदरता से तैरता है।

रोज़ी-रोटी का समुद्र

2 करोड़ से अधिक भारतीय समुद्र पर निर्भर हैं,मछली पकड़ना, शिपिंग, बंदरगाह सेवाएं और पर्यटन तटीय अर्थव्यवस्थाओं को जीवित रखते हैं।

असहमति, विघटन और रक्षा : जटिल युग में भारत की सुरक्षा

डॉ. एना नाथ गांगुली

राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष, एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा

प्रस्तावना

सुरक्षा एक बहुआयामी अवधारणा है और जब इसे राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में लागू किया जाता है, तो इसमें राजनीति और जन-इच्छा दोनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह सत्ता और जन-इच्छा के बीच संतुलन कैसे बनाए, केंद्रीकरण और प्रतिरोध के मध्य चलने वाले संघर्ष को कैसे सुलझाए। राष्ट्रीय सुरक्षा की आकांक्षा में प्रायः आम जनता की स्वतंत्रता और अपेक्षाएं कुछ सीमित 'हितकारी मांगों' में समेट दी जाती हैं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, जो सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा तथा अपारंपरिक खतरों को केंद्र में रखती है, अकसर 'खींचतान' के कारकों से ग्रसित रही है, जिसके परिणामस्वरूप समय-समय पर जन असंतोष और भ्रांतियां उत्पन्न होती रही हैं।

प्रसिद्ध राजनीतिक और सामाजिक विचारक अशीष नंदी का कथन है: "जो असहमति को दबाने का प्रयास करते हैं, वे भूल जाते हैं कि भारत में असहमति की एक अंतर्धारा सदैव रही है, और उसका प्रतिबिंब लगातार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता रहेगा; अतः असहमति को भारत में कभी समाप्त नहीं किया जा सकता।" लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक अधिकार है, परंतु जब असहमति दीर्घकालिक और अनियंत्रित हो जाए, तो वह सामाजिक समरसता को बाधित कर सकती है, जिससे राष्ट्रीय लक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं।

हेनरी क्ले ने कहा था कि सरकार एक 'विश्वास' (trust) है, और इसके अधिकारी 'विश्वासी' (trustees) होते हैं, तथा यह पूरा तंत्र जनता के कल्याण हेतु होता है। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक समाज में, जहां विविध सामाजिक और सांस्कृतिक समूह सह-अस्तित्व में हैं, सुरक्षा और संतोष का

संतुलन बनाए रखना अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि अनेक बार सत्ता का केंद्रीकरण आवश्यक प्रतीत होता है।

भारत में जन असंतोष के विविध रूप

भारत में राजनीतिक असंतोष के कई उदाहरण देखे गए हैं,1975–77 का आपातकाल, 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ा भ्रष्टाचार प्रकरण, 2011 का 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' आंदोलन, और 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) विरोध आंदोलन इत्यादि। इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय संकट, आर्थिक कठिनाइयां, और लैंगिक असुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी जनाक्रोश उत्पन्न हुआ है,जैसे भूमि अधिग्रहण से विस्थापन, विकास की कीमत पर जनहित की उपेक्षा, या अल्पसंख्यकों व हाशिये पर खड़े समूहों के अधिकारों की अनदेखी। इंद्रधनुष आंदोलन (Rainbow Movement) जैसे आंदोलनों ने लैंगिक न्याय और अल्पसंख्यक अधिकारों के मुद्दों को सामने रखा।

प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात प्रतिक्रिया में की गई प्रशासनिक विफलताएं भी सामाजिक अस्थिरता का कारण बनी हैं। इस प्रकार की स्थितियां केवल आंतरिक सुरक्षा को ही नहीं, अपितु सीमाओं पर तैनात सुरक्षाबलों की व्यस्तताओं को भी प्रभावित करती हैं।

विदेशी हस्तक्षेप: एक जटिल और गहन चुनौती

भारत की सुरक्षा पर विदेशी हस्तक्षेप की भूमिका लगातार जांच और विमर्श का विषय रही है। देश की सीमाएं उस समय और अधिक संवेदनशील हो जाती हैं जब आंतरिक तनाव बाह्य ताकतों के उकसावे से और अधिक तीव्र हो जाएं। पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के आक्रामक रवैये और रणनीतिक दबाव से सीमा तनाव उत्पन्न होता है, जिससे आंतरिक शांति खतरे में पड़ सकती है।

इस प्रकार की परिस्थितियों में नागरिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रशासन अनावश्यक दमनकारी उपाय अपनाता है, तो संस्थाओं पर जनता का विश्वास डगमगा सकता है। यदि समस्याओं के समाधान में उदासीनता या निष्क्रियता दिखाई जाती है, तो दीर्घकालिक अस्थिरता और बार-बार उभरने वाला असंतोष जन्म लेता है।

गुप्त नीति और भारत-विरोधी रणनीति

भारत में सुरक्षा संबंधी संकटों के पीछे कई बार बाहरी शक्तियों की गुप्त रणनीतियां रही हैं,जैसे कश्मीर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा वित्तीय और सैन्य सहायता, पंजाब और पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववाद को बढ़ावा देना। हाल के वर्षों में साइबर हमलों और डेटा उल्लंघनों के ज़रिए यह हस्तक्षेप और भी जटिल हो गया है। पाकिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया और अन्य अवैध डिजिटल समूहों ने भारत की विद्युत आपूर्ति प्रणालियां (जैसे 2020 का मुंबई ब्लैकआउट), रक्षा एवं अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO, DRDO) और वित्तीय संस्थाओं को निशाना बनाया है।

2019 का पुलवामा आतंकी हमला, पाकिस्तान-स्थित और समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद द्वारा अंजाम दिया गया, भारत की सुरक्षा में सबसे घृणित और भयावह हस्तक्षेपों में से एक था। यह हमला भारत में अविश्वास और अराजकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया गया था। ऐसे निरंतर षड्यंत्रपूर्ण प्रयास, बिना क्षमायाचना और दंड के, भारत की संप्रभुता को चुनौती देते हैं।

खालिस्तान आंदोलन का पुनरुत्थान, विशेष रूप से कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में सक्रिय विदेश स्थित सिख अलगाववादी संगठनों द्वारा, ISI के माध्यम से हो रहा है। अवैध हथियारों की आपूर्ति, वित्तपोषण और वैचारिक समर्थन के जरिए ये शक्तियां भारत की सीमाओं और समाज दोनों के लिए खतरा उत्पन्न कर रही हैं।

NGO और विदेशी अनुदान: एक निगरानी की आवश्यकता

हाल के वर्षों में विदेशों से मिलने वाले अनुदानों की जांच के दौरान कई गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) पर भी संदेह की दृष्टि से निगरानी की गई है, विशेषकर जब उनकी गतिविधियों और उद्देश्यों में विसंगतियां पाई गईं। कुछ मामलों में, जैसे Popular Front of India (PFI), विदेशी फंडिंग के

दुरुपयोग और गैरकानूनी गतिविधियों की पुष्टि हुई है।

गृह मंत्रालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए विदेशी अंशदान (विनियमन) नियम, 2011 में संशोधन किया है, जिसके अनुसार,

- प्रकाशन से जुड़े NGOs को यह प्रमाण देना होगा कि वे समाचार प्रसारण में संलग्न नहीं हैं;
- FCRA पंजीकरण हेतु पिछले तीन वर्षों के वित्तीय विवरण, आय-व्यय, और सम्पत्ति-देयताएं प्रस्तुत करनी होंगी;
- विदेशी दाताओं से प्राप्त फंड हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ व्यय विवरण देना आवश्यक होगा।

इन नियमों के पीछे मुख्य उद्देश्य भारत की आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करना है। कई मामलों में यह भी सामने आया है कि आतंकवादी गतिविधियों में प्रयुक्त सामग्री की खरीद ऑनलाइन भुगतान, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स, और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स (VPNs) के माध्यम से की गई थी।

निष्कर्ष: असहमति बनाम एकता का संतुलन

जन-असंतोष को लोकतांत्रिक उन्नति का माध्यम माना जा सकता है, परंतु जब वह देश की सुरक्षा, स्थिरता और एकता को खतरे में डाले, तो वह लोकतंत्र का दुरुपयोग बन जाता है। गांधीजी के शब्दों में, "विविधता में एकता तक पहुंचना ही सभ्यता की सुंदरता और उसकी सबसे कठिन परीक्षा है।"

'ऑपरेशन सिंदूर' भारत की एकता, जनविश्वास और स्थायित्व को प्राथमिकता देने का प्रतीक बन गया है। सीमाएं राष्ट्र की जीवनरेखा हैं और उन पर किसी भी प्रकार का हमला गंभीर परिणाम ला सकता है। भारत के लिए आवश्यक है कि वह एक व्यापक, जोखिम-आधारित, गहन रक्षात्मक, और पूर्णतः एकीकृत सीमा प्रबंधन रणनीति को अपनाए,जिसमें आप्रवासन और सीमा नीति पर सुदृढ़ नियंत्रण हो,ताकि एक सशक्त और स्थिर लोकतंत्र का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके।

सनातन पर छाए साये: बांटो और राज करो की वामपंथी रणनीतियां

डॉ. साधना बलवटे

विद्वान एवं लेखक, वर्तमान में निदेशक, निराला सृजन पीठ, मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद के रूप में कार्यरत।

भावनाओं के गर्भ में जब वैमनस्य की अग्नि दहन करती है, तो समूचा समाज विध्वंस के गर्त में धंसता जाता है। वह भारत, जिसमें विविधता की सरिता निरंतर कल-कल बहती रही, आज विभाजनकारी शक्तियों के विषाक्त बीजों से रोगग्रस्त हो चला है। अंग्रेजों की राजनीति की जड़ों ने एहसासों में दूरियां बोईं, वामपंथियों ने उन्हें अलगाव के आब से सींचा, और राजनैतिक स्वार्थियों ने उस विषवृक्ष की जड़ें गहरी कर मजबूत कर दीं। परंतु हमारी सनातन परंपरा, "मानवता सर्वोपरि" का उद्घोष लिए, 'एकात्म मानवबोध' की मशाल जलाए, हमें पुनः एकता के पथ पर अग्रसर करती है।

घोषित सत्य है कि जब विचार की भूमि पर दुर्भावना की पराली जलाई जाती है, तो समाज में प्रदूषण ही फैलता है। इस प्रदूषण के धुएं से मानवता का मूल सद्भावना घुटन का शिकार हो जाती है। संदर्भ आज के भारत का है - भारत, अपनी सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और जातीय विविधता का विश्व-विख्यात केन्द्र, आज विभाजनकारी शक्तियों के शिकार हो रहा है। एक ओर जहां सह-अस्तित्व और एकात्मकता हमारी सनातनी परंपरा की पहचान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत में विभाजन की जड़ें अंग्रेजों द्वारा बोई गईं, वामपंथियों द्वारा सींची गईं, राजनैतिक स्वार्थ के तेवरों द्वारा पोषित हुईं – और अब हम विषाक्त फसल तौलने को विवश किए जा रहे हैं।

एक सुरक्षित राष्ट्र के लिए स्वस्थ समाज का होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन इनके विभाजन के स्वरूप को देखिए - एक व्यापारी इसलिए पीटा जाता है क्योंकि वह मराठी नहीं बोलता। पहलगाम में धर्म पूछकर निर्दोषों की हत्या कर दी जाती है। धार्मिक शोभायात्राओं पर पत्थरबाजी होती है। किसी सोशल-मीडिया पोस्ट को लाइक करने मात्र से जानलेवा हमला हो जाता है। किसान आंदोलन की आड़ में लाल किले से तिरंगा उतरवाया जाता है। जातीय संघर्ष मणिपुर को संकट के अग्निकुंड में झोंक देता है। जातीय गणित मतदान की दिशा बदल देता है। आरक्षण में मामूली संशोधन भी नए संघर्ष की चिंगारी जगा देता है। इन सब घटनाओं के मूल में निहित है विभाजनकारी मानसिकता - एक ऐसी मानसिकता जो समुदायों के बीच अविश्वास, कटुता और द्वेष के बीज बोती है। जिसे पहले अंग्रेजों ने बोया, वामपंथियों ने सींचा, और आज राजनीतिक दल

स्वार्थवश काट रहे हैं।

भारत अपने मूल स्वरूप में जातीय, भाषिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता में समृद्ध है। सदियों से सह-अस्तित्व में विश्वास रखने वाले सनातनी समाज ने एकात्मकता और अनुराग को अपनी जीवनशैली का केंद्र रखा है। समाजशास्त्री धुरिए कहते हैं कि समाज में तनाव तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन की इच्छा जागृत होती है। भारत के संदर्भ में इन परिवर्तनों के कारणों में बाहरी शक्तियों का भी हाथ रहा है। भारतीय समाज एक संतुष्ट और आस्थावान समाज रहा है। वर्तमान में जातीय एवं धार्मिक तनाव के कारणों को समझने के लिए हमें इनके पीछे काम करने वाले अलगाववादी विचारों की जड़ों तक जाना होगा।

आज जब हम संघर्षों, तनावों और आंतरिक दरारों की बात करते हैं, तो कुछ बुद्धिजीवी कह उठते हैं कि भारत में धार्मिक और जातीय संघर्ष तो हमेशा से विद्यमान रहे हैं। वे इसे देव और दानव के शाश्वत संघर्ष के रूप में आधुनिक जातीय लड़ाई मान लेते हैं। हमारी युवा पीढ़ी जो धर्म का वास्तविक अर्थ और सनातन परंपरा नहीं जानती, सहज ही उस विभाजनकारी विचार प्रक्रिया में शामिल हो जाती है। आज आवश्यकता यह नहीं कि पुराणों की कथाएं सुनाई जाएं, बल्कि उन कथाओं का मर्म और प्रतीकात्मक स्वरूप व्याख्यायित करके नई पीढ़ी के सामने प्रस्तुत किया जाए।

देव और दानव का संघर्ष मानवता और क्रूरता के बीच का संघर्ष था। हमारा सनातन धर्म यही उद्घोषित करता है कि "मानवता सबसे बड़ा धर्म है।" इस दृष्टि से देव–दानव का संघर्ष प्रत्येक युग में चाहे किसी भी नाम से हो, वह धर्मयुद्ध है - न कि वर्तमान संप्रदाय या पंथ का, और न ही केवल वैचारिक मतभेद का। यह प्रकृति का शाश्वत संघर्ष है।

भारतीय और पाश्चात्य दर्शन का मूल अंतर यह है कि पाश्चात्य दर्शन बाह्य जगत पर केंद्रित है, जबकि भारतीय दर्शन आंतरिक जगत,आत्मा और आध्यात्मिक चेतना,की खोज करता है। हमारा दर्शन 'अहं ब्रह्मास्मि' से 'तत्त्वमसि' तक का मार्गदर्शन करता है, व्यष्टि से समष्टि तक का बोध कराता है। महाकवि मैथिलीशरण गुप्त कहते हैं:

"अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे,

वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।"

यदि इस संसार में कोई सच्चा समाजवादी दर्शन हो सकता है, तो वह गीता हमें सिखाती है और वेद हमें बताते हैं। अहं ब्रह्मास्मि अर्थात् स्वयं की आत्मा को ईश्वर तुल्य समझकर सम्मान देना, और तत्त्वमसि कहकर यह स्वीकार करना कि यदि तुम्हारे में ईश्वर है तो अन्य प्राणियों में भी ईश्वर का वास है। अतः हम सब प्राणी मात्र समान हैं। पंडित दीनदयाल

उपाध्याय जी का एकात्म मानव बोध इसी बात की पुष्टि करता है।

वर्तमान भारत में धार्मिक और जातीय तनावों का मूल कारण यही 'कम्युनिस्ट विभाजनवाद' है,मानव को संसाधन समझकर भेदभाव की व्याख्या। जब हम बाह्य जगत की बातों में उलझकर आत्म-पर से दूर चले जाते हैं, तब समाज में अहंकार, स्वार्थ और द्वैत की भावना बलवती होती है। मानवता कर्तव्य बन जाती है, लेकिन मानवाधिकार स्वार्थ बनकर विभाजन की आग भड़काते हैं।

महर्षि अरविन्द ने लिखा है - स्वतंत्रता और समानता का संतुलन केवल मानवीय भाईचारे की शक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, किसी विचार या वस्तु से नहीं। लेकिन, वर्तमान में समानता की चर्चा करने वाले स्वयं 'लिबरल' कहलाते हैं, पर उनकी दृष्टि समभाव के विरुद्ध पतला विभाजन रचती है। कम्युनिस्ट या वामपंथी जिस धरातल पर समानता स्थापित करना चाहते हैं, वह अहंकार और द्वैत पैदा कर ही देता है। जब अस्तित्व का अहंकार स्वतंत्रता की मांग करता है, तब वह प्रतिस्पर्धात्मक व्यक्तिवाद में बदलता है; जब वह समानता की ओर जोर देता है, तब संघर्ष की आग भड़कता है। वास्तविक समरसता के सूत्र में विभाजन नहीं, बल्कि एकता का भाव है।

भारत ने अपनी जातीय अस्मिता के साथ भी बिना संघर्ष के सहअस्तित्व की मिसाल दी है। किसी भी समूह में जातीय अहंकार नहीं था; दूसरे समूहों के प्रति भावनाएं उतनी ही स्नेहपूर्ण थीं जितनी स्वयं के प्रति। "ममेतर भाव" - जो 'मम' है, वही सार्वत्रिक मम भाव - यही अध्यात्मिक समरसता है। यजुर्वेद कहता है: "यत्पिण्डे तद्ब्रह्माण्डे"- जो इस शरीर में है, वही ब्रह्मांड में भी समाहित है। इस भाव से व्यक्ति, समूह, धर्म अथवा जाति का विभाजन नहीं देखा जाता। किन्तु 'लाल स्याही' से लिखने वालों ने भारत की समरस सांस्कृतिक सरिताओं को रक्तरंजित कर दिया। अंग्रेजों ने वर्ग संघर्ष की बीजें बोईं, वामपंथियों ने उन्हें उपजाया, और राजनैतिक दलों ने उस फसल को कटाई के लिए तैयार कर दिया। वर्ण व्यवस्था को जाति का स्वरूप देकर उनमें भेद उत्पन्न करना यही षड़यंत्र का प्रथम चरण था।

वरिष्ठ साहित्यकार दिनेश मालवीय कहते हैं - 'कास्टा' पुर्तगाली शब्द था, जो नस्ल के आधार पर विभाजन दर्शाता था। अंग्रेजों ने इसे जाति से जोड़ दिया, जबकि जाति का आधार कर्म होता है।" अनेक जातीय-धार्मिक समूहों के साथ सुखपूर्वक रहने वाले भारत में वर्ग संघर्ष ने भय उत्पन्न कर दिया। नक्सलवाद ने बड़े पैमाने पर नरसंहार किए, तो अर्बन नक्सलवाद 'उदारवाद' का मुखौटा लेकर समाज को टुकड़ों में बांट रहा है।

देश की आध्यात्मिक चेतना, आर्थिक सुदृढ़ता और सुविचारित विदेश नीति के कारण बाहरी शक्तियां 'ऑपरेशन सिंधु' जैसे षड़यंत्र रच रही हैं। वे भारत में आंतरिक अस्थिरता पैदा करने की रणनीतियां चला रही हैं - खालिस्तान समर्थित किसान आंदोलन हो, शाहीनबाग का विरोध हो, पुरस्कार वापसी की नौटंकी हो या भाषा विवाद। किंतु सत्य की जीत अवश्यंभावी है। एक सुरक्षित राष्ट्र के लिए आवश्यक है स्वस्थ समाज - एक ऐसा समाज जो विभाजन नहीं, बल्कि एकता की मशाल लेकर आगे बढ़े।

V

ग्रीन शील्ड: भारत के पर्यावरणीय और जैविक भविष्य की सुरक्षा

भारत प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन, और स्वास्थ्य खतरों से जूझ रहा है, जो सबसे अधिक कमजोर समुदायों को प्रभावित करते हैं। बाढ़, सूखा, और तूफान इन कठिनाइयों को और बढ़ाते हैं, जबकि जलवायु के कारण पलायन सामाजिक दबाव बढ़ाता है। रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और नाभिकीय खतरों के साथ-साथ जल और भोजन से फैलने वाली बीमारियां जैसे हैजा और टाइफाइड भी गंभीर खतरे हैं, खासकर जहां साफ-सफाई की कमी है। इन खतरों से निपटने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे, प्रभावी नीतियां और जन जागरूकता आवश्यक है। इस मामले में नागरिक समाज की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है, जो समुदायों को शिक्षित करता है, बेहतर संसाधनों की मांग करता है, आपदा प्रबंधन में मदद करता है और सरकार को जवाबदेह बनाता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होती है।

रक्षा और आपदा : भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में जोखिमों का प्रबंधन

ले. जन. (रि.) सैयद अता हसनैन

15 और 21 कोर के पूर्व जनरल ऑफिसर कमांडिंग, कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सदस्य।

भारत की सीमाएं केवल देश की भौगोलिक हदें नहीं हैं, बल्कि उसकी शक्ति, पहचान और आत्मा की परवाह भी हैं। रेगिस्तान की तपिश हो या हिमालय की गर्जना, हर सीमा क्षेत्र में निहित हैं अनगिनत चुनौतियां - प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन और मानवीय अस्थिरताएं। यह भूमि वीरता की अभिव्यक्ति है, जहां कठिनाइयों ने संघर्षों को जन्म दिया है और हर संकट में अवसर भी छुपा है। सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ़ तलवार और बंदूक से नहीं, बल्कि सूझ-बूझ, सामूहिक प्रयास और दूरदर्शी योजना से होती है। समय की मांग है कि हम इन क्षेत्रों की आपदा प्रबंधन की जटिलता को समझें, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाएं और आधुनिक तकनीकों के सहारे उन्हें सुरक्षित एवं समृद्ध करें। यही सीमाएं भारत के उज्जवल भविष्य की चिरस्थायी नींव बनेंगी - जहां सुरक्षा, विकास और मानवीय कल्याण का संगम हो।

प्रस्तावना

भारत की सीमा रेखाएं विविध भू-आकृतिक एवं जलवायविक क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं,राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान से लेकर लद्दाख के हिमनदीय विस्तार तक, असम के बाढ़-प्रवण मैदानी भागों से लेकर सुंदरबन के चक्रवात-संवेदनशील तटीय क्षेत्रों तक। ये सीमा क्षेत्र न केवल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं, बल्कि प्राकृतिक अथवा मानव-जनित आपदाओं के प्रथम प्रभाव-स्थल भी बनते हैं। रणनीतिक संवेदनशीलता, पर्यावरणीय नाज़ुकता तथा सामाजिक-आर्थिक असुरक्षा जैसे कारकों के कारण सीमा क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन (Disaster Management - DM) बहुआयामी और जटिल चुनौती बनकर उभरता है।

ये चुनौतियां केवल भौतिक या आधारभूत संरचना तक सीमित नहीं हैं; वे शासन, सामुदायिक सहभागिता, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और भारत की रणनीतिक दृष्टि को भी प्रभावित करती हैं। आपदा जोखिम और सीमा प्रबंधन का यह संगम राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय सहायता,दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

उद्देश्य

यह लेख भारत के सीमा क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction - DRR), तत्परता, प्रतिक्रिया एवं पुनर्वास को जटिल बनाने वाले विभिन्न कारकों का विश्लेषण करता है। ऐतिहासिक उदाहरणों, संस्थागत ढांचों और संभावित भविष्यगत आवश्यकताओं के आलोक में यह लेख यह प्रतिपादित करता है कि सीमा क्षेत्रों में एक विशेषीकृत, समन्वित और दीर्घकालिक DM दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में विकास, आपदा-प्रतिरोधकता और रणनीतिक दूरदृष्टि का समन्वय अपरिहार्य है।

भौगोलिक एवं पारिस्थितिक जटिलता

भारत की भौमिक सीमा रेखाएं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और (पाक-अधिकृत कश्मीर के माध्यम से) अफगानिस्तान से मिलती हैं। प्रत्येक सीमा खंड अपनी विशिष्ट भौगोलिक चुनौतियां प्रस्तुत करता है, जिन्हें जलवायु परिवर्तन और तीव्र विकास कार्य और अधिक गंभीर बना देते हैं। सीमा सड़कों, सुरंगों और सैन्य

अधोसंरचना का निर्माण जहां सामरिक दृष्टि से अनिवार्य है, वहीं ये कार्य पारिस्थितिक असंतुलन और मानव-जनित खतरों को भी जन्म देते हैं।

विशेषतः हिमालयी क्षेत्र भूकंपीय रूप से सक्रिय हैं और भूस्खलन, हिमस्खलन तथा अचानक बाढ़ के लिए अत्यंत संवेदनशील हैं। सीमित संचार और परिवहन सुविधाओं के कारण इन क्षेत्रों में छोटी आपदाएं भी बड़े संकट का रूप ले सकती हैं।

आपदा की परिभाषा

सीमा क्षेत्रों में "आपदा" की परिभाषा व्यापक होनी चाहिए। यह किसी भी प्राकृतिक अथवा मानव-जनित आपत्ति को समाहित करती है जो:

- व्यापक जनहानि या मानवीय पीड़ा का कारण बने,
- संपत्ति, पर्यावरण या महत्वपूर्ण अधोसंरचना को क्षति पहुंचाए,
- स्थानीय क्षमता को पंगु बना दे, जिससे बाह्य सहायता की आवश्यकता पड़े।

सीमा क्षेत्रों में, सीमित संसाधनों और तैयारियों के कारण साधारण घटनाएं भी आपदात्मक रूप ले सकती हैं।

भू-आकृतिक अवरोध

विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार विशिष्ट आपदाएं होती हैं:

- हिमालयी क्षेत्र (जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश): भूकंप, हिमझील विस्फोट (GLOF), भारी हिमपात।
- नदीय क्षेत्र (पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश): मौसमी बाढ़, तटबंध विफलताएं।
- रेगिस्तानी क्षेत्र (राजस्थान, गुजरात): अत्यधिक तापमान, सूखा, टिड्डी प्रकोप।
- पूर्वी मैदानी क्षेत्र (असम, उत्तर बंगाल): वार्षिक बाढ़, कटाव।
- पूर्वोत्तर पर्वतीय राज्य (मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा): भूस्खलन, वनाग्नि, फ्लैश फ्लड।
- तटीय क्षेत्र (पश्चिम बंगाल, ओडिशा): चक्रवात, ज्वार-भाटा, लवणीय जल का प्रवेश।

भूगोल आपदा की तीव्रता, पहुंच की गति और सहायता वितरण की संभाव्यता को निर्धारित करता है।

आधारभूत संरचना और संपर्क की समस्याएं

सीमा क्षेत्रों में प्रमुख अवरोध हैं:

- सर्व-मौसमीय सड़कों की कमी।
- मोबाइल/उपग्रह संचार का अभाव।
- हवाई निकासी के लिए हेलीपैड या एयरस्ट्रिप की अनुपस्थिति।
- गांवों तक केवल खच्चर मार्ग या पैदल रास्तों से पहुंचना संभव।
- मौजूदा संरचनाओं का रखरखाव मौसम और संसाधन के अभाव में बाधित रहता है।

आपातकालीन सुविधाओं की कमी

- निजी चिकित्सा सेवाएं सीमित या अनुपलब्ध।
- सरकारी सुविधाओं पर अत्यधिक निर्भरता।
- ट्रॉमा केयर और ICU सेवाएं 100 किमी के दायरे में नहीं होतीं।
- स्थानीय स्तर पर आवश्यक भंडारण नहीं होता।
- विद्युत आपूर्ति अनिश्चित।

इन कमियों के प्रति जागरूकता के बावजूद, रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में निवेश असंगत बना हुआ है।

सामरिक और सुरक्षा संबंधित विचार

- सैन्य या अर्धसैनिक बलों की उपस्थिति प्राथमिक प्रतिक्रिया में सहायक होती है।
- किंतु नागरिक आवाजाही सीमित होती है।
- NGO/मीडिया को प्रवेश में कठिनाई।
- राहत कार्यों के लिए रक्षा मंत्रालय की स्वीकृति आवश्यक हो सकती है।
- सैन्य दृष्टिकोण तीव्र प्रतिक्रिया तो सुनिश्चित करता है, किंतु दीर्घकालीन नागरिक पुनर्वास के लिए उपयुक्त नहीं होता।

सैन्य संरचनाएं: आपदा के गुणक

सीमा क्षेत्रों में स्थित ईंधन डिपो, गोला-बारूद भंडार, संचार तंत्र,आपदा की स्थिति में जोखिम को कई गुना बढ़ा सकते हैं:

- विस्फोट की आशंका।
- रासायनिक या तेल रिसाव से पर्यावरणीय क्षति।
- संचार प्रणाली बाधित होने से राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित।
- अतः सैन्य और नागरिक योजना का समन्वय आवश्यक है।

सीमा-पार खतरे

- ब्रह्मपुत्र और सतलुज जैसी नदियां चीन/नेपाल से आती हैं,जल-स्रोत देशों के साथ डेटा-साझाकरण का अभाव।
- नेपाल और पूर्वी हिमालय भूकंप संवेदनशील क्षेत्र हैं,सीमापार प्रभाव।

- चक्रवात बांग्लादेश और भारत दोनों को प्रभावित करते हैं,सामूहिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता।
- शरणार्थियों का पलायन,1970 के भोलापुर चक्रवात के बाद जैसी घटनाएं, सीमांत संसाधनों पर अत्यधिक भार डालती हैं।
- संस्थागत और शासन संबंधी कमियां
- नागरिक और सैन्य प्रशासन के बीच अधिकारों का टकराव।
- विशेषज्ञ कार्मिकों की अनुपलब्धता।
- NDMA, राज्य DMA और सैन्य बलों के बीच समन्वय की कमी।
- Incident Response System (IRS)का सीमित कार्यान्वयन।

स्थानीय DRR योजनाओं की कमजोरी

- स्थानीय भूगोल, प्रवासन, भाषा-संस्कृति जैसे पक्षों की उपेक्षा।
- मॉक अभ्यास या आपदा पूर्वाभ्यास का अभाव।
- सामुदायिक सहभागिता की सीमाएं
- सीमांत समुदाय,जनजातीय, प्रवासी या चरवाहा,प्रायः हाशिए पर रहते हैं।
- संदेशों तक सीमित पहुंच, सरकारी तंत्र पर अविश्वास, Aapda Mitra योजनाओं की व्यावहारिक बाधाएं।
- सामाजिक-सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय जटिलताएं
- अल्पसंख्यक समुदाय, शरणार्थी, पूर्व सैनिक,पुनर्वास में अक्षम।
- मौसमी प्रवासन के कारण जनसंख्या ट्रैकिंग और सहायता वितरण जटिल हो जाता है।

जलवायु परिवर्तन और उभरते खतरे

- ग्लेशियर पिघलाव, GLOFs (जैसे: चमोली 2021, सिक्किम 2023)।
- समुद्र-स्तर वृद्धि, लवणीयता, कृषि उपज में कमी।
- वनाग्नि, हीटवेव, शिविरों की सुरक्षा प्रभावित।
- सूखा और टिड्डी संकट अब भी विद्यमान।

संचालनात्मक चुनौतियां

- प्रतिक्रिया में विलंब , NDRF की तैनाती दूर।
- लॉजिस्टिक बाधाएं , हवाई मार्ग अवरुद्ध।
- सूचना और मीडिया शून्यता , अफवाहें बढ़ती हैं।
- सीमाओं के पार समन्वय की कमी , NDMA अब Mega-scale अभ्यास आयोजित कर रहा है।
- द्विपक्षीय आपदा प्रोटोकॉल और डेटा साझाकरण
- चीन, नेपाल, म्यांमार के साथ समझौते की आवश्यकता।
- BIMSTEC जैसी क्षेत्रीय पहलें सक्रिय हैं।
- प्रधानमंत्री की "आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दस सूत्रीय कार्यसूची (2016)" इस दिशा में प्रमुख मार्गदर्शक है।
- शिक्षाप्रद अध्ययन (Case Studies)
- 2005 कश्मीर भूकंप , सैन्य गतिरोध ने सहायता बाधित की।
- 2010 लेह बाढ़ , सामुदायिक जागरूकता की कमी।
- 2023 सिक्किम GLOF , तकनीकी प्रणालियों के बावजूद चेतावनी नहीं मिल सकी।

आगे की दिशा: सिफारिशें

- सीमा-केंद्रित DRR योजनाएं , मौसम, भूगोल, जातीय संरचना को ध्यान में रखकर।
- अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण , BRO परियोजनाओं को गति दें; ड्रोन आधारित लॉजिस्टिक प्रणाली विकसित करें।
- स्थानीय समुदाय को सशक्त करें , पूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण दें; रेडियो, स्थानीय भाषा में संप्रेषण।
- Common Alerting Protocol (CAP) , सीमा क्षेत्र में अधिकारियों और जवानों को प्रशिक्षित किया जाए।
- 'All of Government Approach' , NDMA, सेना, CAPFs के संयुक्त अभ्यास और संवाद।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग , नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ चेतावनी प्रोटोकॉल; चीन और म्यांमार के साथ 'डिजास्टर डिप्लोमेसी'।

निष्कर्ष

भारत के सीमा क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन केवल मानवीय उत्तरदायित्व नहीं, बल्कि रणनीतिक अपरिहार्यता है। इन क्षेत्रों की स्थायित्वशीलता भारत की सुरक्षा का पर्याय है। यद्यपि समस्याएं जटिल हैं, परंतु उन्हें दूरदर्शिता, सामुदायिक सहभागिता और संस्थागत क्षमता के समुचित समन्वय से हल किया जा सकता है। सीमांत क्षेत्र यदि सक्षम बनाए जाएं तो वही भारत की सबसे मज़बूत कड़ी बन सकते हैं। सरकार इस दिशा में सजग है, और लगातार प्रयासरत भी। आने वाली आपदाएं नई होंगी, किन्तु सजगता और संकल्प उनके समाधान की कुंजी होगी।

आपदा और राष्ट्र- भारत के रणनीतिक क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन

मे. जन. (रि.) वी. के. तिवारी

भारतीय सेना के अधिकारी, रक्षा सलाहकार क्षेत्र में अनुभव, रक्षा मंत्रालय के गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (DGQA) में सेवा, आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र

धरती का क्रंदन अब अनसुना नहीं किया जा सकता। फसलें सूख रही हैं, बाढ़ गांवों को निगल रही है और ग्लेशियर पिघलकर जानलेवा हो रहे हैं। इस वास्तविकता ने हमें 'जलवायु सुरक्षा' और 'पर्यावरणीय प्रवास' की चुनौतियों से रूबरू कर दिया है। अब यह सवाल केवल वैज्ञानिकों या नीति-निर्माताओं का नहीं, हमारी हर रोज़ की जद्दोजहद का हिस्सा है। जहां एक ओर किसान अपनी जमीन खोते जा रहे हैं, वहीं गांवों से प्रवास कर शहरी झुग्गियों में जीवन संभाल रहे हैं। असमानताएं गहरी होती जा रहीं हैं और कमजोर समुदायों को सबसे पहले झेलना पड़ता है। हमें अब तत्काल कदम उठाने होंगे, प्रकृति की चेतावनी को समझकर नीति बनानी होगी, तकनीक अपनानी होगी और लोगों को सुरक्षा के दायरे में लाना होगा। इस आलेख में हम देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन कैसे सुरक्षा की नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है, पर्यावरणीय प्रवास को बढ़ावा दे रहा है और हमें किस प्रकार समग्र रणनीतियों से इनसे निपटना चाहिए।

परिचय

वर्तमान वर्षों में जलवायु सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रवास का अंतर्संबंध नीति-निर्माताओं, विद्वानों और वैश्विक संस्थाओं का ध्यान आकर्षित कर रहा है। जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन तेज़ होता जा रहा है, इसके प्रभाव केवल पर्यावरणीय क्षरण तक सीमित नहीं रह गए, बल्कि गंभीर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणामों को जन्म दे रहे हैं, विशेषकर बड़े पैमाने पर मानव प्रवास के रूप में। जलवायु परिवर्तन न केवल पर्यावरण के लिए ख़तरा है, बल्कि संघर्ष, विस्थापन और सामाजिक-राजनीतिक अस्थिरता का भी उत्प्रेरक है। भारत में, जहां विशाल आबादी कृषि जैसे जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों पर निर्भर है और जहां शहरी एवं ग्रामीण कमजोरियां गहरी हैं, जलवायु सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रवास पहले से कहीं अधिक तत्काल नीतिगत ध्यान आकर्षित करने वाले मुद्दे बन गए हैं। अतः जलवायु लचीलापन और वैश्विक स्थिरता की योजना बनाते समय इन दोनों विषयों के बीच संबंध को समझना आवश्यक है।

जलवायु परिवर्तन: गैर-पारंपरिक सुरक्षा दृष्टिकोण

परंपरागत रूप से पर्यावरणीय समस्या माने जाने वाले जलवायु परिवर्तन को संयुक्त राष्ट्र अब एक गैर-पारंपरिक सुरक्षा विषय के रूप में पहचान रहा है। यह दृष्टिकोण मानता है कि जलवायु परिवर्तन मौजूदा सुरक्षा खतरों को बढ़ाता है और नए खतरों को जन्म देता है। इससे मानव सुरक्षा, संसाधन प्रतिस्पर्धा और संभावित संघर्षों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र विभिन्न निकायों और पहलों के माध्यम से इन बहुआयामी चुनौतियों का सामना करने का प्रयास कर रहा है, और एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता महसूस करवा रहा है, जो जलवायु

कार्रवाई, विकास, मानवीय प्रयास और शांति निर्माण को एक साथ जोड़े।

परंपरागत सुरक्षा ढांचा सैन्य खतरों और अंतरराज्यीय संघर्षों पर केंद्रित होता है, जबकि जलवायु परिवर्तन एक नया आयाम प्रस्तुत करता है: पानी और खाद्य संसाधनों की कमी पैदा करके, चरम मौसम की घटनाओं की तीव्रता बढ़ाकर, और बड़े पैमाने पर पलायन को प्रोत्साहित करके मानव सुरक्षा को प्रभावित करता है। ये कारक अस्थिरता बढ़ाकर मौजूदा असमानताओं को गहरा सकते हैं एवं विशेषकर पहले से असुरक्षित क्षेत्रों में नए संघर्षों की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं।

जलवायु सुरक्षा: एक बढ़ती चिंता

जलवायु सुरक्षा उन मानदण्डों को संदर्भित करती है, जिनके माध्यम से जलवायु परिवर्तन कमजोरियों को बढ़ाकर राष्ट्रों और क्षेत्रों की स्थिरता को प्रभावित करता है। बढ़ता तापमान, समुद्र-स्तर में वृद्धि, चरम मौसम की घटनाएं, तथा पानी और कृषि योग्य भूमि का संकट संघर्ष उत्पन्न कर सकता है, शासन संस्थाओं को कमजोर कर सकता है और समाजों को अस्थिर कर सकता है। जब समुदाय घटते संसाधनों का सामना करते हैं, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिससे हिंसा, अशांति या सुरक्षित आजीविका की तलाश में पलायन की प्रवृत्ति बढ़ सकती है।

पर्यावरणीय प्रवास: जलवायु प्रभावों की अभिव्यक्ति

पर्यावरणीय प्रवास, जिसे जलवायु-प्रेरित विस्थापन भी कहा जाता है, वह प्रवास है जो मुख्यतः जलवायु कारकों,जैसे मरुस्थलीकरण, समुद्र-स्तर वृद्धि, बाढ़, सूखा,के कारण होता है। यह सामान्य आर्थिक या राजनीतिक कारणों से प्रेरित प्रवास से अलग होता है, क्योंकि इसका मूल कारण वे पर्यावरणीय तनाव हैं जो लोगों के अस्तित्व के लिए ख़तरा बन जाते हैं। भारत में, जहां आधी से अधिक आबादी वर्षा-आश्रित कृषि पर निर्भर है, लंबे सूखे, चरम तापमान और बेमौसम बारिश से फसलें बुरी तरह प्रभावित होती हैं, जिससे आय में गिरावट, खाद्य अस्थिरता, ग्रामीण से शहरी प्रवास और सामाजिक-आर्थिक दबाव बढ़ते हैं।

आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (IDMC) के अनुसार, जलवायु-जनित आपदाओं के कारण भारत में 2024 में 2012 के बाद सबसे अधिक,54 लाख,विस्थापन रिकॉर्ड किए गए, जिसमें असम में दशकों की सबसे भीषण मानसूनी बाढ़ के कारण 24 लाख विस्थापन शामिल हैं। कुल 469 लाख नए आंतरिक विस्थापनों में से 56 प्रतिशत आपदाओं के कारण हुए।

जलवायु सुरक्षा एवं प्रवास का द्विदिशात्मक संबंध

खतरे बढ़ाने वाला कारक: जलवायु परिवर्तन गरीबी, खाद्य असुरक्षा और राजनीतिक अस्थिरता जैसी कमजोरियों को बढ़ाता है, जिससे तलवार तनाता रहता है।

मानव सुरक्षा और प्रवास: पर्यावरणीय क्षरण के कारण पलायन अक्सर जीवन रक्षा की रणनीति होती है, जिससे हाशिए पर धकेले गए लोगों को संसाधन और सुरक्षा की कमी का सामना करना पड़ता है।

संसाधन प्रतिस्पर्धा: प्रवासियों के आने से पानी, जमीन और नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, जिससे सामाजिक एवं राजनीतिक तनाव उत्पन्न हो सकता है।

सीमा एवं भू-राजनीतिक तनाव: जब पड़ोसी राज्य बड़े प्रवासी भार को संभालने में अक्षम हों, तो सीमाएं सैन्यीकरण का शिकार हो सकती हैं।

शहरी दबाव: प्रवासी अनौपचारिक बस्तियों में बसकर बुनियादी ढांचे पर भार डालते हैं, जिससे सामाजिक विवाद बढ़ सकते हैं।

नीतिगत अभाव: जलवायु प्रवासियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सुरक्षा का अभाव,उन्हें शरणार्थी नहीं माना जाता,राज्यों को प्रबंधन में अक्षम बनाता है।

भारत के संदर्भ में जोखिम

जल संघर्ष: देश के प्रमुख कृषि प्रदेशों में भूजल संकट, नदियों के प्रवाह में गिरावट और अनियमित मानसून के कारण राज्यों और पड़ोसी देशों के बीच जल संघर्ष तेज हैं।

विस्थापन: वर्ष 2022 में जलवायु-जनित आपदाओं के कारण 40 लाख से अधिक भारतीय विस्थापित हुए, मुख्यतः चक्रवात, बाढ़ और सूखे के चलते।

कृषि असुरक्षा: सूखा, चरम तापमान और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान ने खाद्य अस्थिरता बढ़ाई है, जिससे ग्रामीण-शहरी प्रवास और किसान आत्महत्या जैसी त्रासदियां बढ़ी हैं।

शहरी जोखिम: बड़े शहर भारी बारिश, शहरी बाढ़ और भीषण गर्मी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य और कामकाजी क्षमता प्रभावित हो रही है।

तटीय दबाव: दीर्घ तटरेखा पर समुद्र-स्तर वृद्धि, तूफान और लवणीकरण से तटीय समुदायों का अस्तित्व संकट में है।

भू-राजनीतिक: बांग्लादेश से प्रवास, नदियों के विवाद और हिमालयी ग्लेशियर पिघलने से सैन्य रसद एवं तैयारी प्रभावित हो रही है।

प्रमुख पहल और नीतियां

- राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना (NAPCC, 2008): आठ मिशनों के माध्यम से अनुकूलन और लचीलापन बढ़ाने का प्रयास।
- राज्य जलवायु कार्य योजनाएं (SAPCC): राज्यों की

पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं के आधार पर अनुकूलन रणनीतियां।

- आपदा प्रबंधन अधिनियम (2005) एवं NDRF: जलवायु-जनित आपदाओं के लिए त्वरित प्रतिक्रिया और राहत।
- वन अधिकार अधिनियम एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम: पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों की रक्षा और पारिस्थितिक तंत्र के सतत प्रबंधन को बढ़ावा।
- डिजिटल और ग्रीन आजीविका मिशन: ग्रामीण आजीविका विविधीकरण से प्रवास दबाव घटाना।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: UNFCCC COP, INTERPOL, FATF के माध्यम से साझा रणनीतियां और वित्तपोषण।

चुनौतियां और भविष्य की दिशा

भारत को सामाजिक-आर्थिक विषमताओं, जनसंख्या दबाव और सीमित कार्यान्वयन क्षमता के कारण पर्यावरणीय प्रवास और जलवायु सुरक्षा प्रबंधन में चुनौतियों का सामना है।

आगे के कदम:

- कानूनी मान्यता और सामाजिक सुरक्षा के लिए नए ढांचे विकसित करना।
- समुदाय-आधारित पूर्व चेतावनी प्रणालियां मजबूत करना।
- जल कूटनीति और सीमापार सहयोग को बढ़ावा देना।
- जलवायु-प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे में निवेश।
- अनुसंधान, डेटा संग्रह और प्रवासन-विशिष्ट नीतियों का विकास।

निष्कर्ष

जलवायु परिवर्तन निरंतर रूप से पर्यावरणीय और सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को बदल रहा है। जलवायु सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रवास से निपटने के लिए भारत को बहुआयामी, समन्वित रणनीतियां अपनानी होंगी, जिनमें लचीलापन बढ़ाने, विस्थापन रोकने, आजीविका सुरक्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूती देने पर जोर दिया जाए। तभी हम सभी के लिए एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।

भारत में CBRN स्वास्थ्य सुरक्षा पर रणनीतिक दृष्टिकोण

डॉ. अंकुर यादव

विशेष राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर, जो राष्ट्रीय सुरक्षा अनुसंधान और शिक्षा में विशेषज्ञ हैं।

आज का युग केवल तलवार और तोप के युद्ध का नहीं, वरन् अदृश्य विष, घातक वायरस और मौत के विकिरण का है! भारत माता की संतानों पर मंडराते इन नए खतरों से बचाव केवल सरकारी दायित्व नहीं, बल्कि प्रत्येक देशवासी का पावन कर्तव्य है। जिस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम में हमने विदेशी शासन की बेड़ियों को तोड़ा था, उसी प्रकार आज रासायनिक, जैविक और नाभिकीय आपदाओं की बेड़ियों से भी मुक्ति पानी होगी। भोपाल की त्रासदी की यादें अभी भी हमारे हृदय को कचोटती हैं, और कोविड-19 की महामारी ने दिखा दिया है कि स्वास्थ्य सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग है। समय की मांग है कि हम सीबीआरएन खतरों के विरुद्ध एक अजेय दुर्ग खड़ा करें, क्योंकि जो राष्ट्र अपनी जनता के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर सकता, वह अपने अस्तित्व की रक्षा भी नहीं कर सकता!

इसलिए गैर-पारंपरिक सुरक्षा (Non-Traditional Security - NTS) मुद्दे आज वैश्विक दक्षिण के देशों में महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं, और इन विषयों की सुरक्षाकरण (securitization) की प्रक्रिया धीरे-धीरे विकसित हो रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा जैसे अन्य विषयों के साथ एक प्रमुख चिंता का विषय है। भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या घनत्व अत्यधिक है और आर्थिक व औद्योगिक विकास तीव्र गति से हो रहा है, वहां सीबीआरएन (रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल नाभिकीय) खतरों के संदर्भ में स्वास्थ्य सुरक्षा को सुचारु रूप से प्रबंधित करना एक बड़ी चुनौती है। यह शोधपत्र भारत में सीबीआरएन खतरों की पृष्ठभूमि में स्वास्थ्य सुरक्षा की स्थिति तथा सीबीआरएन जोखिमों के प्रबंधन के लिए भारत के संस्थागत ढांचे और तत्परता का विश्लेषण करता है। इसमें यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियों में सीबीआरएन विषयों को समुचित स्थान दिया जाना अनिवार्य है।

शीत युद्ध की समाप्ति के बाद "सुरक्षा" की अवधारणा का क्षेत्र व परिप्रेक्ष्य व्यापक हुआ। परंपरागत सुरक्षा की सीमाएं जहां राज्य की सैन्य सुरक्षा तक सीमित थीं, वहीं अब गैर-पारंपरिक सुरक्षा (NTS) क्षेत्रों जैसे आर्थिक, पर्यावरणीय, स्वास्थ्य, जल एवं खाद्य, व्यक्तिगत, सामाजिक व राजनीतिक सुरक्षा को भी इसमें सम्मिलित किया गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की मानव सुरक्षा रिपोर्ट (1994) में मानव सुरक्षा के सात प्रमुख क्षेत्रों की चर्चा की गई: सामुदायिक, पर्यावरणीय,

आर्थिक, खाद्य, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत और राजनीतिक सुरक्षा। कोपेनहेगन स्कूल ने सुरक्षा की परिभाषा को विस्तारित करते हुए इसमें सैन्य, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय एवं राजनीतिक आयामों को जोड़ा। समग्रतः सुरक्षा का आशय न केवल "भय से मुक्ति" (Freedom from Fear) बल्कि "अभाव से मुक्ति" (Freedom from Want) भी है।

NTS मुद्दे गैर-सैन्य होते हैं और आमतौर पर सीमाओं से परे होते हैं, जिसके समाधान के लिए समग्र नीति और बहुपक्षीय सहयोग की आवश्यकता होती है। इनमें जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी, संक्रामक रोग, प्राकृतिक आपदाएं, अवैध प्रव्रजन, खाद्य संकट, मानव और मादक पदार्थों की तस्करी, तथा अंतर्राष्ट्रीय अपराध शामिल हैं।

स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित चिंताएं बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में सुरक्षा अध्ययन और नीति विमर्श दोनों में प्रमुखता से उभरीं, किंतु वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा की तैयारी वैश्विक जोखिमों की तीव्रता के अनुरूप नहीं रही। वैश्वीकरण और तकनीकी विकास ने स्वास्थ्य खतरों की प्रकृति और प्रभाव को और जटिल बना दिया है। सार्स, बर्ड फ्लू (H5N1), स्वाइन फ्लू (H1N1), इबोला आदि महामारी-स्तरीय प्रकोपों ने स्वास्थ्य सुरक्षा को एक वैश्विक मुद्दा बना दिया है। रेडियोलॉजिकल खतरे विकिरण उत्सर्जक पदार्थों से उत्पन्न होते हैं जो दीर्घकालिक स्वास्थ्य संकट और पर्यावरणीय विषाक्तता का कारण बनते हैं।

भारत में CBRN संदर्भ में स्वास्थ्य सुरक्षा की स्थिति: तेज़ आर्थिक और औद्योगिक विकास, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व और सक्रिय नाभिकीय एवं रासायनिक उद्योगों के कारण भारत CBRN खतरों के संदर्भ में अत्यंत संवेदनशील बन गया है। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी और हालिया कोविड-19 महामारी जैसे ऐतिहासिक अनुभवों ने यह स्पष्ट किया है कि भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए समुचित रणनीति की आवश्यकता है। यह शोध भारत में CBRN खतरों के मद्देनज़र स्वास्थ्य सुरक्षा की चुनौतियों, कानूनी और संस्थागत व्यवस्थाओं और सरकारी तैयारी का मूल्यांकन करता है।

भारत में CBRN घटनाओं का ऐतिहासिक विश्लेषण

भोपाल गैस त्रासदी (1984):भारत के औद्योगिक इतिहास की सबसे घातक दुर्घटना थी, जिसमें लगभग 15,000 लोगों की मृत्यु हुई और 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। दीर्घकालिक प्रभावों में जन्म दोष, स्नायु विकार, एवं श्वसन तंत्र की बीमारियां शामिल रहीं। इस घटना ने सरकारी नियामक प्रणाली की विफलता को उजागर किया। काइगा जलप्रदाय विकिरण घटना (2009):एक कर्मचारी द्वारा ट्रिटियम मिश्रण के कारण लगभग 50 कर्मचारियों को विकिरण का खतरा हुआ, जिससे संवेदनशील संस्थानों की सुरक्षा की आवश्यकता स्पष्ट हुई।

दिल्ली कोबाल्ट-60 स्क्रैप बिक्री (2010):विकिरणीय सामग्री के असुरक्षित निपटान से कई लोगों की जान जोखिम में पड़ी।

कोविड-19 महामारी:जैविक खतरे के रूप में उभरी यह महामारी वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक परीक्षा थी। इसने स्वास्थ्य ढांचे की क्षमताओं और सीमाओं को उजागर किया।

भारत में विधायी एवं संस्थागत विकास

2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act, 2005) को CBRN आपदाओं के विधायी ढांचे की आधारशिला माना जा सकता है। इसके अंतर्गत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य स्तरीय प्राधिकरण (SDMA) आपदा प्रतिक्रिया का समन्वय करते हैं।

राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC), परमाणु ऊर्जा आयोग (रेडियोलॉजिकल घटनाओं हेतु), स्वास्थ्य मंत्रालय (जैविक), और पर्यावरण मंत्रालय (रासायनिक) जैसी विभिन्न नोडल एजेंसियां अपनी-अपनी भूमिका निभाती हैं।

भारत ने जैविक हथियार सम्मेलन (1972), रासायनिक हथियार सम्मेलन अधिनियम (2000), और व्यापक विध्वंसक हथियार अधिनियम (2005) जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को भी अंगीकृत किया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF)की स्थापना 2006 में की गई थी। वर्तमान में इसमें 16 बटालियन कार्यरत हैं। इसने 2010 में दिल्ली कोबाल्ट-60 घटना में अपनी विशेषज्ञता प्रदर्शित की। वर्ष 2024 को NDRF ने "CBRN तैयारी और प्रतिक्रिया वर्ष" के रूप में मनाया और संबंधित प्रशिक्षण व अभ्यास आयोजित किए।

रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी रेस्पॉन्स सेंटर (RERCs)देश में विकिरण आपात स्थितियों के लिए विकसित किए गए हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा देशभर में 23 आपात प्रतिक्रिया केंद्र सक्रिय हैं।

निष्कर्ष: भारत जैविक और रासायनिक हथियार सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता है, लेकिन अभी तक एक समर्पितराष्ट्रीय CBRN रणनीति औपचारिक रूप से परिभाषित नहीं की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के मसौदे में CBRN विषयों को समुचित स्थान दिया जाना चाहिए।

यद्यपि भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र कई बार अत्यधिक बोझिल रहता है, फिर भी भारत ने CBRN स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की है – जैसे कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, NDMA ढांचा, उन्नत चेतावनी प्रणाली, आपात केंद्र, NDRF, पोर्टेबल डिटेक्टर, सेंसर, हज़मैट वाहन, मोबाइल विकिरण डिटेक्शन किट और अन्य तकनीकी संसाधन।

भारत ने विकसित देशों तथा बहुपक्षीय मंचों के साथ सहयोग को गति दी है। संयुक्त राष्ट्र, क्वाड (QUAD), और यूरोपीय संघ (EU) जैसे मंचों के साथ सहयोग करके द्वैध-उपयोगीय पदार्थों के विनियमन और मानकीकृत प्रक्रिया-संचालन प्रोटोकॉल (SOPs) विकसित किए जा सकते हैं।

भारत के लिए जैव-सुरक्षा के वैश्विक सबक

डॉ. जयदेव परीदा

UPES में लिबरल स्टडीज़ और मीडिया स्कूल के संस्थापक संकाय सदस्य, राजनीति शास्त्र और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उच्च शिक्षा, बर्लिन में विज़िटिंग फेलो के रूप में अनुभव, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों में विशेषज्ञ

कल्पना कीजिए कि एक सुबह आपके सभी डिजिटल उपकरणों पर एकसाथ अलर्ट आने लगते हैं,भारत के पूर्वी क्षेत्र में बर्ड फ्लू के प्रसार की चेतावनी, केरल में निपाह वायरस का प्रकोप, और उत्तर भारत में आक्रामक प्रजातियों की उपस्थिति, जो करोड़ों नागरिकों के जीवन एवं आजीविका के लिए गंभीर खतरा बन चुकी हैं। अगले ही क्षण एक समाचार फ्लैश होता है कि पड़ोसी देशों में कोविड-19 पुनः उभर रहा है, जिससे संभावित लॉकडाउन की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, वहीं पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे संघर्ष परमाणु तनाव की ओर बढ़ सकते हैं। इसी बीच एक नकली डिजिटल गिरफ्तारी की घटना, जिसमें 'स्पाइडरमैन' के नाम पर एक करोड़ रुपये की ठगी हो जाती है, यह बताती है कि जैव(अ) सुरक्षा अब केवल वैज्ञानिक या तकनीकी अवधारणा नहीं रही, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न आयाम बन चुकी है।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जैव सुरक्षा एक अत्यंत जटिल, अंतर्संबंधित और बहुआयामी अवधारणा के रूप में उभरी है, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, स्वास्थ्य-संबंधी, पर्यावरणीय तथा सुरक्षा संबंधी विविध पहलू समाहित हैं।

जैव सुरक्षा का वैश्विक विमर्श और भारत की स्थिति

महामारी के उपरांत भारत सहित समूचे विश्व में जैव सुरक्षा को सार्वजनिक स्वास्थ्य और विज्ञान-नीति के एक अनिवार्य भाग के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। जैव सुरक्षा की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है, फिर भी जैव विविधता पर सम्मेलन (CBD), कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जैविक और विषैली हथियार सम्मेलन (BTWC) तथा नागोया प्रोटोकॉल जैसे बहुपक्षीय संधि-ढांचे इस क्षेत्र में वैश्विक नीति निर्धारण को आकार दे रहे हैं।

वर्तमान समय में जैव सुरक्षा संबंधी विमर्श केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह जैव प्रौद्योगिकी, जैव आतंकवाद, जैव निर्माण, सिंथेटिक जीवविज्ञान, आनुवंशिक इंजीनियरिंग और जनरेटिव

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के संभावित दुरुपयोग जैसे गहन जोखिमों को भी संबोधित करता है।

प्रमुख वैश्विक प्रयास

संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोपीय संघ तथा नाटो जैव सुरक्षा रणनीतियों के प्रमुख वैश्विक सूत्रधार बनकर उभरे हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम, 2022 के अंतर्गत उदीयमान जैव प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (NSCEB) की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्संधान में नीति-निर्धारण हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करना है।

इसी प्रकार, अप्रैल 2024 में NATO ने अपनी पहली जैव प्रौद्योगिकी एवं मानव संवर्धन प्रौद्योगिकी रणनीति अंगीकृत की, जिसमें आनुवंशिक अभियांत्रिकी, सिंथेटिक बायोलॉजी एवं न्यूरो-प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा रक्षा-सामर्थ्य संवर्धन और सदस्य राष्ट्रों की सामूहिक सुरक्षा हेतु आत्मविश्वास निर्माण तंत्रों पर बल दिया गया।

ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रस्तुत कॉमनवेल्थ बायोसिक्योरिटी 2030 रणनीति भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने हेतु कृषि, मत्स्य और वानिकी जैसे क्षेत्रों से अंतर-संस्थागत सहयोग का मार्ग प्रशस्त करती है। इसके अतिरिक्त, 1985 में प्रारंभ ऑस्ट्रेलिया समूह जैविक और रासायनिक हथियारों पर निर्यात नियंत्रण के संदर्भ में एक अनौपचारिक किन्तु प्रभावशाली वैश्विक मंच रहा है।

यूनाइटेड किंगडम ने UK जैविक रणनीति के अंतर्गत बायोसिक्योरिटी लीडरशिप काउंसिल (BLC) की स्थापना की है, जो महामारी तैयारी, जैव सुरक्षा और नवाचार की निगरानी करता है।

यूरोपीय संघ स्तर पर CBRN (रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर) कार्य योजना 2013–14 के अंतर्गत यूरोपीय जैव सुरक्षा मंच की स्थापना की गई। यद्यपि यह मंच 2014 के बाद अपेक्षाकृत निष्क्रिय रहा है, फिर भी जैव आतंकवाद पुस्तिका और जैव जोखिमों से निपटने के लिए तैयार टूलकिट जैसे प्रयासों से जैव सुरक्षा को संस्थागत रूप प्रदान किया गया है।

भारत का दृष्टिकोण और आवश्यक सुधार

भारत में जैव सुरक्षा संबंधी ढांचा अभी भी विकासशील अवस्था में है। हालांकि जैव सुरक्षा स्तर (BSL) प्रयोगशालाओं के माध्यम से जैविक कारकों के सुरक्षित उपयोग और नियंत्रण के लिए नियामक व्यवस्था विद्यमान है, परन्तु जैव युद्ध और जैविक हथियारों से निपटने की दृष्टि से भारत की क्षमता सीमित रही है।

राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति (2021–2025) में कोविड-19 के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रित अनुसंधान को प्राथमिकता दी गई है, जो कैंसर, तपेदिक और मलेरिया जैसी बीमारियों पर केंद्रित है। तथापि, जैव रक्षा और प्रतिरोधात्मक क्षमताओं की कमी इस बात का संकेत देती है कि वैज्ञानिक विशेषज्ञता और नीति-निर्माण के मध्य आवश्यक समन्वय अभी भी अधूरा है।

आगे की राह

वर्तमान वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए भारत को एक समग्र जैव सुरक्षा नीति ढांचे की आवश्यकता है। इसके लिए एक समर्पित नोडल संस्था की स्थापना आवश्यक है, जो जैव प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा के संगम पर कार्य कर सके। NATO और अमेरिका के मॉडल से सीख लेते हुए भारत को अनुसंधान, जोखिम मूल्यांकन और बहु-एजेंसी समन्वय को संस्थागत रूप देने की दिशा में पहल करनी चाहिए।

QUAD जैसे बहुपक्षीय मंचों का उपयोग जैव सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय विचार-विमर्श हेतु किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, जनरेटिव AI के बढ़ते उपयोग से उत्पन्न नई चुनौतियों से निपटने हेतु भी एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना होगा।

निष्कर्षतः, जैव सुरक्षा अब केवल एक वैज्ञानिक अवधारणा न होकर, राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा का एक अपरिहार्य घटक बन चुकी है। भारत को इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु तत्पर होना चाहिए।

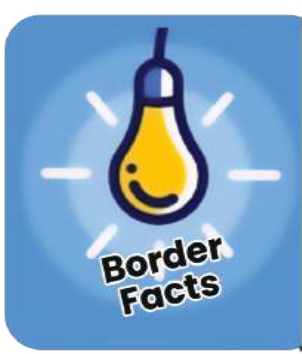

सीमा पर बुनाई विरासत

नागालैंड और मणिपुर में, सीमावर्ती इलाकों की महिला बुनकर प्राचीन डिज़ाइन बनाती हैं जो परंपरा के साथ-साथ प्रतिरोध भी हैं।

सीमाओं से भी पुरानी जनजातियां

अंडमान में दुनिया की सबसे पुरानी जीवित संस्कृतियों में से 5 प्राचीन जनजातियां - जारवा, ओंगे, ग्रेट अंडमानी, शोम्पेन, सेंटिनली - बसी हैं।

भारत की सुरक्षा चिंताएं और जल एवं खाद्य जनित बीमारियों के माध्यम से महामारी का निर्माण

प्रो. शांतेश सिंह

CIPOD, SIS, JNU में प्रोफेसर, 'Palgrave Handbook on International Peace and Security' के प्रधान संपादक, और 'NCTN-IACSP Journal of National Security and Terrorism' के प्रबंध संपादक

डॉ. पार्थ

राजनीति विज्ञान कार्यक्रम, एसयूएस, अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (AUD)

भारत और विश्व को एक ऐसी बीमारी के उदय को देखे हुए अभी तीन साल ही हुए हैं जो आगे चलकर महामारी बन गई और जिसके परिणामस्वरूप असंख्य लोगों की जान चली गई। ऐसे समय में जब राष्ट्र-राज्यों की मान्यता के बाद से पारंपरिक सुरक्षा खतरे अस्तित्व में रहे हैं, खतरों के प्रकार में एक और वृद्धि हुई है, जिसमें गैर-पारंपरिक सुरक्षा चिंताएं और मुद्दे (पर्यावरणीय क्षरण, महामारी रोग, अंतरराज्यीय प्रवास, वित्तीय अस्थिरता आदि) कहे जाने वाले खतरे उभरे हैं। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ने खुद को वैश्विक राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है, लेकिन लगातार बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं की लगातार घटनाओं ने ऐसे क्षेत्रों को प्रस्तुत किया है जो महामारी की एक और घटना और गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता का कारण बनने की क्षमता रखते हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र जो भारत की भविष्य की आकांक्षाओं को गंभीर रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखता है, वह है जलवायु परिवर्तन के कारण जल और खाद्य प्रदूषण की घटनाओं से उभरने वाली बीमारियां। उत्तर भारतीय क्षेत्र में 2040 तक ही डायरिया जैसी जल जनित बीमारियों के मामलों में 13.1% की वृद्धि होने की आशंका है। यह शोधपत्र जलवायु परिवर्तन के कारण जल जनित बीमारियों के मामलों में वृद्धि पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है, जो एक महामारी का रूप ले सकती है और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। यह शोधपत्र भारत पर ऐसी महामारी के प्रभावों पर प्रकाश डालेगा और ऐसे ही अन्य क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए समाप्त होगा जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।

रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुरक्षा शब्द का इस्तेमाल इतनी बार होता है कि अब इसके अर्थ कई अर्थ ग्रहण कर चुके हैं। जीवन को ख़तरे में डालने वाली किसी घटना से अपनी जान बचाने से लेकर युद्ध के दौरान राष्ट्र के अस्तित्व को सुरक्षित रखने तक, सुरक्षा शब्द का विकास हुआ है। पारंपरिक भू-राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में, सुरक्षा शब्द का इस्तेमाल नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता जैसे मानकों को सीमित करने के लिए किया गया है। दुनिया भर की सरकारें अपनी एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए या तो स्वेच्छा से या अनिच्छा से राष्ट्रों के भीतर बल प्रयोग करने के लिए मजबूर हुई हैं, जिससे उनकी सुरक्षा बढ़ी है। इसी अर्थ में डब्ल्यू.बी. गैली ने सुरक्षा को एक 'अनिवार्य रूप से विवादित अवधारणा' घोषित किया है। दुनिया ने अतीत में दो विश्व युद्ध, लगातार अंतर्राज्यीय युद्ध और छद्म युद्ध देखे हैं, जो विभिन्न कारणों से शुरू हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू रही है। तेज़ गति वाली दुनिया में लगातार बदलती परिस्थितियों ने भी वैश्विक पर्यावरणीय परिस्थितियां। यह अब एक सुस्थापित और विश्व स्तर पर

स्वीकृत तथ्य बन चुका है कि जलवायु परिवर्तन एक वास्तविक स्थिति है और यह बनी रहेगी।

विकसित हों या अविकसित, दोनों ही राष्ट्र इससे प्रभावित होंगे। लेकिन जब जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों का सामना करने के लिए तैयार रहने की बात आती है, तो विकसित राष्ट्र ऐसे परिवर्तनों के प्रति बेहतर रूप से तैयार और कुछ हद तक लचीले पाए गए हैं। जलवायु परिवर्तन पहले से ही पृथ्वी पर कहर बरपा रहा है और इस स्थिति में, यह संक्रामक रोगों के बोझ को और बढ़ा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, कुपोषण, मलेरिया, दस्त और तापजन्य तनाव के कारण 2030 और 2050 के बीच प्रति वर्ष लगभग 2,50,000 अतिरिक्त लोगों की मृत्यु का कारण जलवायु परिवर्तन होगा। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीनहाउस गैस प्रभाव को बाढ़ और समुद्र के स्तर में वृद्धि में योगदान देने वाले प्रमुख कारक माना गया है। लगातार और निरंतर जल की स्थिति ने जल जनित रोगों की संख्या में भी वृद्धि की है। भारत, जिसे हाल ही में आईएमएफ द्वारा चौथी सबसे बड़ी विश्व अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है, अपने तरीके से जलवायु परिवर्तन से निपट रहा है। भारत के लिए, एक ओर विकास हमेशा प्राथमिकता सूची में रहा है, लेकिन दूसरी ओर इसे पारंपरिक दृष्टिकोण के साथ-साथ अपारंपरिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। यह पत्र जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती जल जनित बीमारियों के संदर्भ में भारत के लिए सुरक्षा चिंताओं के अपारंपरिक पक्ष पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है, जिसमें आने वाले भविष्य में महामारी का रूप लेने की भी संभावना है। पत्र को उस दिशा में एक चर्चा के रूप में देखा जा सकता है जहां महामारियों को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर व्यापक प्रभाव डालने वाले लेंस से देखा जाना चाहिए।

गैर-पारंपरिक खतरों के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय सुरक्षा की समझ

गैर-पारंपरिक पहलू के अंतर्गत आने वाले खतरे व्यापक वर्गीकरण से संबंधित होते हैं जो राजनीति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, समाज और मानवता के क्षेत्र से जुड़ा होता है। एक ओर ड्रग-कार्टेल, समुद्री डकैती, शरणार्थी संकट, प्रवासन जैसे मुद्दे हैं और दूसरी ओर पर्यावरणीय गिरावट, जलवायु परिवर्तन, साइबर-सुरक्षा और वैश्विक-वित्तीय चिंताएं आदि हैं। उपरोक्त सभी मुद्दों को गैर-पारंपरिक सुरक्षा की एक बड़ी टोकरी में उन स्थितियों के माध्यम से रखा गया है जहां खतरा इतना बड़ा हो गया है कि वह पूरे क्षेत्र, राष्ट्र या यहां तक कि एक महाद्वीप को प्रभावित कर सकता है। COVID-19 महामारी को एक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है जिसने दो मोर्चों पर सुरक्षा चिंताओं को सामने लाया है। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से और दूसरा किसी राष्ट्र के समग्र स्वास्थ्य से। COVID-19 महामारी राष्ट्रीय सरकारों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी चिंता का विषय साबित हुई। 2020 और 2022 के बीच के वर्षों में जानमाल का नुकसान और चिकित्सा बुनियादी ढांचे पर बढ़ता दबाव आंखें खोलने वाला था। कोई भी जैव-आतंकवाद के पहलू को खारिज नहीं कर सकता है जिसे किसी भी राज्य या गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा प्रायोजित या छेड़ा जा सकता है, इस प्रकार राष्ट्रों के लिए गैर-पारंपरिक सुरक्षा चिंताओं की टोकरी में और इजाफा हो सकता है। COVID-19 के विनाशकारी प्रभाव को एक बहाने के रूप में रखते हुए, विशेषज्ञों ने जैविक हथियारों (BW) के पुनरुत्थान की संभावना पर भी जोर दिया है क्योंकि उन्हें अतीत में विभिन्न रूपों और तरीकों से नियोजित किया गया है।

भारत के लिए, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश में राज्य अभिनेताओं के रूप में एक शत्रुतापूर्ण पड़ोस की उपस्थिति के कारण जैव-आतंकवाद का खतरा हमेशा से रहा है, साथ ही देश के भीतर और आसपास के गैर-राज्य अभिनेताओं के साथ। भारत के खुफिया संगठनों और रक्षा सेवाओं को इस बात का पूरा श्रेय जाता है कि वे अब तक जैव-आतंकवाद के खतरों को विफल और बेअसर करने में सक्षम रहे हैं। जब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, तो मानवीय कारकों के अलावा, गैर-मानवीय खतरे भी पर्यावरणीय क्षरण और निरंतर बदलती जलवायु के साथ सीधे तौर पर उभर कर सामने आते हैं। देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए, अनियमित मानसून के कारण बाढ़ की बार-बार आने वाली घटनाओं ने देश के भीतर पर्यावरणीय शरणार्थियों को जन्म दिया है, जो इसके शिकार बन गए हैं और इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक संभावित चिंता का विषय बन गए हैं।

जल एवं खाद्य जनित बीमारियां: एक संभावित महामारी

COVID-19 जो चीन से बुखार और खांसी जैसे साधारण लक्षणों के साथ उभरा, पूरी दुनिया के लिए एक विकराल महामारी बन गया। किसी बीमारी की मारक क्षमता और प्रसार का वर्णन करने के लिए महामारी, महामारी और प्रकोप शब्दों का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनके बीच अंतर करना महत्वपूर्ण हो जाता है। एक शब्द के रूप में प्रकोप का उपयोग तब किया जाता है जब बीमारी एक क्षेत्र तक फैली हो या बीमारी अज्ञात हो, उदाहरण के लिए 1918 में स्पेनिश फ्लू। जब कोई संक्रामक बीमारी अपेक्षित समय से कुछ ही समय में आबादी में फैल जाती है, तो इसे महामारी माना जाता है, उदाहरण के लिए 2014-16 में पश्चिम अफ्रीका में इबोला का प्रसार और अंत में महामारी शब्द के लिए COVID-19 से बेहतर उदाहरण क्या दिया जा सकता है। महामारी और महामारी शब्द का प्रयोग एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में किया जाता है, लेकिन महामारी शब्द ज्यादातर उस स्थिति को दर्शाता है जब कोई बीमारी देशों और महाद्वीपों में फैलती है (महामारी, 2024)। दुनिया और भारत पहले ही COVID-19 के रूप में एक महामारी देख चुके हैं, ऐसे और भी क्षेत्र हैं जो एक और विनाशकारी घटना बनने की क्षमता रखते हैं।

इनमें से कुछ संभावित बीमारियां रोगाणुरोधी प्रतिरोधी संक्रमण (AMR) (तपेदिक, साल्मोनेला), जूनोटिक वायरस (वन्यजीवों से फैलने वाले), जलवायु परिवर्तन के कारण फैलने वाले वेक्टर जनित रोगों (उदाहरण के लिए डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, जीका), नए श्वसन वायरस (H5N1 एवियन फ्लू, SARS जैसे वायरस, COVID वेरिएंट) और अंत में हैजा, हेपेटाइटिस ई, टाइफाइड आदि जैसी बीमारियों से जल और खाद्य जनित महामारी के रूप में प्रकट हो सकती हैं।

यह शोधपत्र हैजा, दस्त आदि के रूप में जल और खाद्य जनित रोगों पर प्रकाश डालता है, जिनका प्रसार लगातार बदलती जलवायु परिस्थितियों और पीने योग्य पानी की उपलब्धता में गिरावट के कारण और बढ़ सकता है। लेखक तन्मय महापात्रा (2014) की टीम ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में हैजा के प्रकोप के आसपास विश्लेषण किया और पाया कि भारत में वर्ष 2003 और 2012 के बीच अधिकांश प्रकोप थे। हैजा के प्रकोप के पीछे के कारक ज्यादातर दूषित पानी की खपत के कारण थे, एक अन्य कारण मई 2009 में पश्चिम बंगाल में चक्रवात आइला को जिम्मेदार ठहराया गया था (महापात्रा एट अल।, 2014)। यह भी तर्क दिया जाता है कि लगातार और तीव्र वर्षा के साथ-साथ निरंतर सूखे जैसी स्थितियां दोनों ही स्थिति को और खराब करती हैं। बढ़ी हुई पानी की उपलब्धता का मतलब जरूरी नहीं कि सकारात्मक परिदृश्य हो; यह रोगाणुओं की अधिक सांद्रता के कारण खराब पानी की गुणवत्ता के रूप में भी दिखाई दे सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे राष्ट्र पहले ही 1970 और 2000 के बीच पानी से संबंधित बीमारियों के प्रकोप का खामियाजा भुगत चुके हैं भारत में हर साल जल जनित बीमारियों के कारण एक लाख से अधिक लोगों की मौत होती है और इस पहले से ही बदतर स्थिति में एक और तथ्य यह है कि भारत के कुल जिलों में से एक तिहाई में भूजल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है (पाठक, 2015)।

जल और खाद्य जनित रोग अंततः सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और यह महामारी के स्तर तक पहुंच सकता है और इस तरह राजनीतिक अशांति, लोकतांत्रिक सरकारों की अस्थिरता, नागरिक अराजकता और किसी राज्य की अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव का एक महत्वपूर्ण कारक बन सकता है। प्रमुख पश्चिमी शक्तियों की तरह, भारत ने भी संक्रामक रोगों के मामलों में वृद्धि को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक चुनौती के रूप में मान्यता दी है (सिंह और चीरथदयान, 2022)। भारत में सरकारों ने अतीत में प्रकोपों (2009 में H1N1) से निपटने और COVID-19 जैसी महामारियों के प्रभावों को रोकने के लिए सचेत और सतर्क कदम उठाए हैं। पिछले 4-5 दशकों से पोलियो (पल्स पोलियो कार्यक्रम) और क्षय रोग (डॉट्स) जैसी बीमारियों को लक्षित करते हुए स्वास्थ्य कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही हैं और इसके परिणाम सकारात्मक रहे हैं, क्योंकि पीढ़ियां इस कार्यक्रम से लाभान्वित होकर बड़ी हुई हैं।

भारत में हर साल एक लाख से अधिक मौतें जलजनित बीमारियों से होती हैं, और एक तिहाई जिलों का भूजल पीने योग्य नहीं पाया गया है। यह स्थिति सार्वजनिक स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता तीनों पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

हालांकि सरकार किसी बीमारी के महामारी में बदलने के मामूली संकेत पर भी सतर्क नज़र रखती है, लेकिन अतीत में प्लेग, तपेदिक, स्वाइन फ्लू, जीका वायरस आदि जैसी बीमारियों के मामलों से समय रहते निपटा गया है। 21वीं सदी के तीसरे दशक में, बाढ़ और जल प्रदूषण की बढ़ती घटनाओं के कारण एक ओर हैजा, दस्त और अन्य खाद्य जनित बीमारियों के मामलों में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों में स्वच्छता के खराब स्तर के कारण खाद्य विषाक्तता के मामलों में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2009 और 2018 के बीच, भारत में 2,688 खाद्य जनित बीमारियों का प्रकोप देखा गया, जिसमें 153,745 लोग बीमार पड़े और 572 लोगों ने अपनी जान गंवाई (बिष्ट एट अल., 2020)। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गुजरात उन शीर्ष राज्यों में शामिल हैं जहां से इनमें से अधिकांश प्रकोप सामने आए हैं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) जैसे संगठनों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) जैसे कार्यक्रमों को राज्य की ओर से सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि वे पहले से ही कई दिशाओं में स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। चूंकि राज्य ने एड्स, टीबी, कैंसर और अन्य घातक बीमारियों के लिए अतीत में समर्पित जागरूकता कार्यक्रम और योजनाएं बनाई हैं। इसने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) जैसे संस्थानों के माध्यम से किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के प्रावधान भी किए हैं, अब इसके दायरे और सूची में व्यापक संशोधन की आवश्यकता है। संशोधन के माध्यम से, पानी और खाद्य संदूषण के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों पर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन ने दिन-प्रतिदिन के कार्यों को अप्रत्याशित बना दिया है क्योंकि अप्रत्याशित आपदाएं और घटनाएं एक नई सामान्य बात बनती जा रही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे अंततः महामारियों और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों के लेंस के माध्यम से देखा जाना चाहिए।

VI

सुदृढ़: सीमा प्रशासन और विकास

भारत के सीमा क्षेत्रों को दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों, कमजोर संपर्क साधनों और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सड़कों, संचार और सैन्य ढांचे का निर्माण कठिन और धीमी गति से होता है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (2022) और सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (1987) जैसे प्रयासों का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं और आजीविका सुधारना है, लेकिन ये कार्यक्रम अक्सर धन की कमी और देरी से जूझते हैं। आतंकवाद और सीमा प्रबंधन से जुड़े कानून कमजोर हैं और उनका प्रवर्तन भी प्रभावी नहीं है। प्रशासनिक ढिलाई और समन्वय की कमी हालात को और बिगाड़ती है। ऐसे में नागरिक समाज, स्थानीय समुदायों की मदद कर, जवाबदेही सुनिश्चित करने और शासन की खामियों को दूर करने में अहम भूमिका निभाता है।

सीमाओं पर जीवन की लौ: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) का पुनरावलोकन

ले. जन. (रि.) गुरमीत सिंह

पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, पूर्व उप-सेनाध्यक्ष और उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल हैं।

सीमाएं किसी भी राष्ट्र की आंखें होती हैं , सजग, संघर्षशील और सर्द हवाओं में भी प्राणवान। एक सैनिक के रूप में चार दशक बिताने के बाद मैंने जाना कि सीमा कोई निर्जीव रेखा नहीं , वह सांस लेती है, और उसकी सांसें सीमांत गांवों में बसने वाले लोग हैं। एक सैनिक रहते हुए मैंने सीमाओं की भुरभुरी बर्फ के नीचे छुपी अडिग इच्छाशक्ति देखी , अब उत्तराखण्ड का राज्यपाल होने के नाते मैं उन्हीं सीमाओं के गांवों में जीवन की लौ जलते देख रहा हूं। यह आलेख वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के पुनरावलोकन के बहाने सीमाओं की आत्मा को छूने का प्रयास है , उस भारत को समझने का प्रयास, जो सीमांत गांवों में बसता है।

भारत की सीमाएं: इतिहास और सामरिक चेतना

हमारी सीमाएं दुनिया की सबसे दुर्गम, ऊंची और मौसम की दृष्टि से कठोर सीमाएं हैं। हिमालय की हिम-चादर से लिपटी, वीरानियों में खड़ी हमारी चौकियां केवल सैनिकों के भरोसे नहीं , सीमांत गांवों के लोगों की उपस्थिति से सुरक्षित रहती हैं। भारत की लगभग 15,106 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा है, जो 17 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। इनमें से कई हिस्से , जैसे जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल, उत्तराखण्ड, सिक्किम , दुर्गम पर्वतीय भूभाग हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी सीमाएं निर्जन हुईं, दुश्मनों ने भीतर आने का रास्ता तलाशा। 1962 के भारत-चीन युद्ध ने हमें यह सिखाया कि सीमा चौकियों के साथ-साथ सीमांत गांवों में भी जीवन टिकाना ज़रूरी है। 1965, 1971 और कारगिल ने भी यही पाठ दोहराया। तब से सीमांत इलाकों को आबाद रखना हमारी सामरिक रणनीति का हिस्सा बन गया। Border Area Development Programme (BADP) ने सीमावर्ती इलाकों के विकास का बीड़ा उठाया, परंतु पहाड़ की जटिल भूगोल और मौसम ने कई बार उसे अधूरा ही रखा।

सीमांत गांव: सैनिक के बाद दूसरी रक्षा पंक्ति

जब बर्फीली चोटियों पर चौकियां बनती हैं तो सैनिकों के पीछे सबसे बड़ा सहारा सीमांत गांव होते हैं। ये गांव सैनिकों के लिए जानकारी का स्रोत हैं, रसद पहुंचाने वाले हैं और आपसी भरोसे की कड़ी हैं। अपने कश्मीर के कार्यकाल के दौरान , मैंने कई बार स्थानीय चरवाहों से दुश्मन की गतिविधियों की सूचनाएं सुनीं। सीमांत लोग जानते हैं कि कौन कहां से भीतर आ सकता है , उनका ज्ञान किसी भी उपग्रह से तेज़ है।

सीमाओं पर पलायन: एक नासूर

उत्तराखण्ड जैसे हिमालयी राज्यों के लिए पलायन वर्षों तक एक पीड़ा रही है। अनुमान है कि पिछले तीन दशकों में उत्तराखण्ड के 1,000 से अधिक गांव या तो आंशिक रूप से खाली हुए या पूरी तरह वीरान हो चुके हैं। खाली गांव सामरिक दृष्टि से बड़ा ख़तरा हैं , जब कोई नहीं होता, तो केवल बर्फ नहीं गिरती, भीतर सेंध लगाने की मंशाएं भी पनपती हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इसी दर्द का इलाज करने आया है।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम: राष्ट्र की नई सीमा नीति

साल 2022 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का ऐलान किया। इस कार्यक्रम के तहत पहले चरण में 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश , अरुणाचल, हिमाचल, सिक्किम, उत्तराखण्ड और लद्दाख , के 2,967 सीमांत गांवों को चुना गया। 2022–2026 की अवधि में 4,800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से यह पहल सीमाओं को निर्जनता से जीवन की ओर ले जा रही है। इसका मक़सद केवल सड़क, बिजली, पानी देना नहीं बल्कि इसका उद्देश्य यह भी है कि सीमांत लोग पलायन न करें, बल्कि वहीं रहकर सीमा रक्षा में भागीदार बनें। सामरिक दृष्टि से यह ग्रामीणों को 'मानवीय प्रहरी' के रूप में सशक्त करता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस दूरदर्शी पहल ने सीमांत गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का भरोसा दिया है। यह केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार नहीं , यह राष्ट्र सुरक्षा का मानवीय कवच है।

उत्तराखण्ड की सीमाओं का चित्र

उत्तराखण्ड की लगभग 625 किलोमीटर सीमा चीन (तिब्बत) और नेपाल से जुड़ती है। नीति-माणा घाटी, धारचूला, मुनस्यारी, गूंजी, लिपुलेख जैसे गांव उत्तराखण्ड के सीमांत मोर्चे हैं। नीति गांव, जिसे शीतकाल में अक्सर 'घोस्ट विलेज' कहा जाता था, अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 12 महीनों तक जुड़ा रहे, इसके प्रयास शुरू हो चुके हैं। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, BRO बर्फ हटाने के लिए उन्नत मशीनरी ला रहा है, और सामुदायिक पर्यटन के लिए लोग होम-स्टे बना रहे हैं। नीति गांव भारत के "अंतिम गांव" से भारत का प्रथम गांव बन चुका है और वो दिन भी दूर नहीं जब ये गांव "घोस्ट विलेज" से "होस्ट विलेज" बन जाएगा।

मेरे अनुभव: सीमाओं पर यात्रा

मेरी सीमांत यात्राएं केवल निरीक्षण नहीं, एक सैनिक की पुनः घर वापसी हैं। धारचूला के गांवों में जब मैंने जवान युवाओं से बात की, तो उनकी आंखों में आत्मनिर्भरता का सपना था , वे चाहते हैं कि उनके गांव में रोजगार के अवसर आएं ताकि उन्हें मैदानी शहरों की ओर न भागना पड़े। मुनस्यारी में मैंने महिलाओं के समूहों को देखा जो ऊनी वस्त्र और जड़ी-बूटियां तैयार कर रही हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ने उनकी मेहनत को बाजार से जोड़ने का काम किया है। यही विकास का सही अर्थ है गांव की आत्मा को जीवित रखना। राज्यपाल बनने के बाद मैंने जब नीति घाटी के अंतिम गांवों में जाकर ग्रामीणों से बात की तो देखा कि उनके भीतर आज भी वही जज़्बा है जो मैंने सैनिक रहते देखा था। माणा गांव में एक वृद्ध महिला ने मुझे कहा , "हमारे यहां गांव खाली नहीं होंगे साहब, हम ही सीमा हैं और हम ही प्रहरी।" यह वाक्य किसी दस्तावेज़ से अधिक शक्तिशाली है।

सीमांत गांवों में हो रहे परिवर्तन

आज धारचूला में महिलाएं बकरी पालन और ऊनी वस्त्रों का क्लस्टर चला रही हैं। मुनस्यारी के युवा Digital India की बदौलत अपने हस्तशिल्प को Amazon तक पहुंचा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ने सीमांत पर्यटन को भी नया जीवन दिया है , 'लास्ट विलेज' को 'फर्स्ट विलेज' कहकर विपणन हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को आय हो रही है और पर्यटक सीमा का महत्व समझ रहे हैं।

सीमाओं के प्रहरी: कुछ अनसुने उदाहरण

गूंजी गांव , 3,220 मीटर की ऊंचाई पर बसा , यहां पर BRO और ग्रामीण मिलकर सड़क को सालभर चालू रखने के लिए दिन-रात जुटे हैं। बर्फीली आंधियों में मशीनें रुकती नहीं , क्योंकि गांव खाली नहीं होना चाहिए। नीति और माणा गांव में अब स्थानीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम हैं। सीमांत बच्चों को अब अपने गांव छोड़कर 50–60 किमी नीचे नहीं उतरना पड़ता। यही असली वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मर्म है। यह सब किसी चमत्कार से नहीं बल्कि समर्पित योजना, दृढ़ इच्छाशक्ति और ग्रामवासियों की जिद से संभव हुआ है।

आजीविका का सागर

200 मिलियन से अधिक भारतीय समुद्र पर निर्भर हैं,मत्स्य पालन, जहाज़-रानी, बंदरगाह सेवाएं और पर्यटन तटीय अर्थव्यवस्थाओं को गति देते हैं।

व्यापार और रक्षा के द्वीपीय किले

अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह समुद्र में भारत की आंखें हैं,जो रक्षा, जैव विविधता और व्यापार मार्गों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

लोंगेवाला – 1971 का वीरतापूर्ण मोर्चा
यहां मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी टैंकों के हमले को रोक दिया था। आज, लोंगेवाला (राजस्थान) एक देशभक्तिपूर्ण तीर्थस्थल है।

धर्म और अस्तित्व के रेगिस्तानी मोर्चे
भारत-पाक थार रेगिस्तान बिश्नोई, मेघवाल और सिंधी मुसलमानों का घर है जो रेत के टीलों और सूखे के बीच फलते-फूलते हैं।

चुनौतियां: सच को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते

किसी भी योजना की सफलता उसका निस्वार्थ पुनरावलोकन मांगती है। इस योजना की सफलता के साथ साथ कुछ सच्चाइयां हैं , कई गांवों में अभी भी मौसम के कारण 4-5 महीनों का अलगाव बना रहता है। बिजली आपूर्ति में बाधाएं हैं। सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को ऊंचाई वाले इलाकों में टिकाऊ बनाना एक चुनौती है। भूमि-अधिग्रहण के मसलों को ग्रामसभाओं के साथ अधिक संवाद से सुलझाना होगा। युवाओं को अगर स्थानीय स्तर पर रोज़गार नहीं मिला तो योजनाएं सिर्फ आंकड़े बन जाएंगी। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयास सराहनीय हैं। स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए बनाए गए "हाउस ऑफ हिमालयास" ब्रांड भी यहां के युवाओं, शिल्पकारों और महिला स्वयं सहायता समूहों को सहायता कर रहा है।

राजनीति से परे , नीति की ज़रूरत

मेरा स्पष्ट मानना है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को राजनीति से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय नीति के रूप में देखा जाए। यह केवल 'योजना' नहीं, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सामाजिक कवच है। इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें आईटी, कृषि, उद्योग, पर्यावरण जैसे विभाग तालमेल से काम करें। साथ ही हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को केवल सरकारी योजना न रहने दिया जाए। यह ग्रामवासियों का अपना अभियान बने, तभी यह सफल होगा। सामुदायिक भागीदारी के बिना सीमांत नीति अधूरी है।

कुछ सुझाव: एक सैनिक की दृष्टि से

- सीमांत स्कूलों में NCC, स्काउट्स जैसे कार्यक्रमों को मज़बूत करें ताकि बचपन से बच्चों में सीमा-प्रहरी भावना जगे।
- सीमा पर्यटन को 'अति-संवेदनशील क्षेत्र पर्यटन' के रूप में Branding करें , ऐसे टूरिस्ट आएं जो प्राकृतिक सौंदर्य के साथ सुरक्षा दृष्टिकोण को भी समझें।
- सीमांत महिला समूहों को GI टैग और E-commerce का प्रशिक्षण स्थानीय स्तर पर दिया जा सकता है।
- BRO और ग्रामसभा मिलकर 'सड़क रखरखाव समिति' बनाएं , बर्फ साफ़ रखने के नवाचार गांवों से ही निकलें।
- सरकार द्वारा सड़कों और इंटरनेट के अलावा हेलिपैड और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का विस्तार करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए।
- आधुनिक तकनीक से सीमाओं की निगरानी करने की व्यवस्था बनाते हुए हमें स्थानीय लोगों को भी प्रशिक्षित करना चाहिए।

सीमा पर कविता: मेरे सैनिक मन से

"जहां सुबह बर्फ़ में सूरज हंसता,
जहां रात को तारों संग गांव बसता,
वहीं से भारत अपनी सीमा खींचता,
वहीं से भारत खुद को जांचता।"

निष्कर्ष: सीमाएं सुरक्षित, भारत सुरक्षित

मेरा अनुभव कहता है , वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कोई चुनावी वादा नहीं , यह सीमा पर जीवन की लौ है। सीमा पर दीपक तभी तक जलता है जब गांव में चूल्हा जलता रहे। गांव में बच्चे हंसते रहें, महिलाएं स्वरोजगार पाएं, जवान सीमाओं पर डटे रहें , तभी भारत सुरक्षित रहेगा। जब सैनिक सीमा पर खड़ा होता है तो वह अकेला नहीं होता। उसके पीछे गांव खड़ा होता है, जिसके लोग बताते हैं कि कौन रास्ता दिखा सकता है, कहां खतरा छुपा है। उत्तराखण्ड के सीमांत गांव इस दृष्टि से पूरे देश के लिए उदाहरण हैं, जहां सीमाएं सिर्फ सुरक्षा नहीं, संस्कृति भी हैं। यहां लोकगीत, लोकनृत्य, पांडव नृत्य और बग्वाल पर्व, सब सीमाओं को जीवित रखते हैं।

भारत के सीमा क्षेत्र में शासन, सुरक्षा और अवसंरचना

ले. जन. (रि.) राजीव चौधरी

सीमा सड़क संगठन (BRO) के महानिदेशक के रूप में, गालवान संघर्ष के बाद परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया, 18 नई तकनीकें लागू की और कर्मचारियों के कल्याण व पारदर्शिता को बढ़ाया

भू-राजनीतिक परिदृश्य

पूर्वी यूरोप और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण भू-राजनीतिक वैश्विक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। पाकिस्तान द्वारा 22 अप्रैल 2025 को शुरू किया गया पहलगाम आतंकी हमला भारत को उकसाने के लिए एक ट्रिगर था, जिसका हमने त्वरित, सटीक, संक्षिप्त और उचित ऑपरेशन सिंदूर के साथ जवाब दिया। पश्चिमी सीमा पर हमारे मजबूत सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के नेटवर्क ने सैनिकों, मिसाइल समूहों, एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों, वास्तविक समय निगरानी उपकरणों और रसद सहायता वाहनों की तेजी से तैनाती को सुगम बनाकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे ऑपरेशन को शानदार सफलता मिली। गहन सड़क नेटवर्क ने हमारी सामरिक मोबाइल टीमों को बढ़ी हुई गतिशीलता और कमान और नियंत्रण संरचना को रणनीतिक गहराई प्रदान की। चीन भी पिछले सात वर्षों के दौरान डोकाला, गलवान और यांग्त्से में स्थानीय झड़पों के माध्यम से भारतीय प्रतिक्रियाओं का परीक्षण कर रहा है। यह आलेख हमारी भूमि सीमाओं पर अवसंरचना विकास के लिए चुनौतियों, इन चुनौतियों को कम करने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों और चीन के साथ सड़क मार्ग के अंतर को कम करने की दृष्टि से अवसंरचना निर्माण की गति में तेजी लाने के लिए आगे के रास्ते का सुझाव देता है, ताकि हमारी रणनीतिक पहुंच का विस्तार हो सके और भविष्य के संघर्षों से निपटने के लिए सुरक्षा मैट्रिक्स को मजबूत किया जा सके।

चुनौतियां

हिमालय पर्वतमाला के साथ संलग्न सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को उन्नत करने में कई चुनौतियां हैं, जिनका विस्तार से वर्णन नीचे किया गया है।

- पर्यावरणीय संवेदनशीलता हिमालय पर्वतमाला अपेक्षाकृत युवा पर्वतश्रृंखला है, जिससे यह क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरणीय क्षरण की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है, जो बुियादी ढांचे के विकास और उसे बनाए रखने में सबसे बड़ी बाधा है।

- सीमित कार्य अवधि हिमालय क्षेत्र में विषम जलवायु परिस्थिति के कारण, जिसमें लद्दाख क्षेत्र में अत्यंत कम तापमान, मध्य क्षेत्र में भारी बर्फबारी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लगातार बारिश शामिल है, वर्ष के दौरान कार्य करने के लिए उपलब्ध समय बेहद सीमित है, जिससे निर्माण गतिविधि काफी धीमी हो जाती है और यह एक वर्ष में अधिकतम 6-8 महीने तक ही सीमित रह जाती है।

- तकनीकी और आधारभूत चुनौतियां हिमालय के दुर्गम इलाके और विषम जलवायु परिस्थिति के कारण किसी भी निर्माण गतिविधि के लिए विशेष तकनीकी समाधान और जटिल आधारभूत सुविधाओं और संबंधित योजना की आवश्यकता होती है।

- उच्च निर्माण लागत बेहद ऊंचाई वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से 15000 फीट से अधिक ऊंचाई, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निर्माण लागत अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है, क्योंकि रखरखाव की दृष्टि से सीमित समय की उपलब्धता के कारण निर्माण सामग्री और भारीभरकम मशीनों को कार्य स्थलों तक पहुंचाने में अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

- भू-राजनीतिक तनाव चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे सीमा विवादों के कारण बुनियादी ढांचे के विकास की योजना और उनके क्रियान्वयन में सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

- एकीकृत दृष्टिकोण सीमावर्ती क्षेत्र मे बुनियादी ढांचे के विकास में स्थानीय सामाजिक-आर्थिक आकांक्षाओं को ध्यान में रखना बेहद महत्वपूर्ण है, साथ ही सैनिकों की तैनाती के लिए आवश्यक परिचालन और रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ सड़कों और पुलों का मार्ग भी तय करना आवश्यक है।

सुधार

मैदानी इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य दोनो परस्पर अलग-अलग गतिविधियां हैं और पिछली सरकारों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य की घोर उपेक्षा की गई, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों और उत्तरी सीमाओं से लगने वाले दूरदराज के इलाकों की प्रगति बाधित हुई।

सीमावर्ती क्षेत्र मे बुनियादी ढांचे के प्रति उदासीनतावाली इस ऐतिहासिक अनदेखी के परिणामस्वरूप अपर्याप्त सड़क संपर्क स्थापित हुआ, जिससे सैनिकों और रसद सहायता को समय पर जुटाना मुश्किल हो गया। पिछली सरकारें पड़ोसी देशों को उकसावे मे आ जाने की आशंका के तहत काम करती थीं। उनके कार्यकाल मे सीमावर्ती गांवों को राष्ट्र के अभिन्न अंग के बजाय केवल बफर जोन के रूप में देखा जाता था। इसके पीछे यह सोच थी कि सीमाओं पर बेहतर सड़कें होने की स्थिति मे युद्ध के दौरान विरोधियों द्वारा संभावित रूप से फायदा उठाया जा सकता है। ऐसी मानसिकता से एक नकारात्मक और प्रतिगामी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला, जिसने इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास और संपर्क को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। कई सीमावर्ती गांवों में किसी भी बुनियादी ढांचे की बेहद कमी या लगभग अनुपस्थिति के कारण, स्थानीय लोग प्रगति के लाभ से इस हद तक वंचित रह गए कि जनसंख्या के एक बड़े प्रतिशत तक केंद्र सरकार की लाभार्थी योजनाएं भी नहीं पहुंच रही थी।

वर्तमान सरकार ने बजटीय सहायता बढ़ाकर और अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को मंजूरी देकर सीमावर्ती अवसंरचना के उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने तात्कालिक रणनीतिक लाभों के अलावा, पिछले एक दशक में सीमावर्ती अवसंरचना विकास ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास की एक लहर ला दी है। अवसंरचना सुधारों ने सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन को लगभग रोक सा दिया है, व्यापार को बढ़ावा दिया है, आजीविका के नए अवसर खोले हैं और सीमावर्ती समुदायों तक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की पहुंच को बढ़ाया है। वर्तमान सरकार ने सीमावर्ती अवसंरचना के विकास की गति को तेज करने के लिए कई सुधार और नीतिगत निर्णय लागू किए हैं। उनमे से कुछ प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं;

- सीमा सड़क संगठन को रक्षा मंत्रालय के अधीन किया जाना : 1960 में अपनी स्थापना के बाद से ही, सीमा सड़क संगठन दो अलग-अलग मालिकों के अधीन रहा है, जिससे परियोजनाओं के संचालन में काफी उलझन पैदा होती रही। वित्तीय नियंत्रण भूतल परिवहन मंत्रालय के पास था, लेकिन इसके कार्य रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए जाते थे। इस दोहरे नियंत्रण के कारण संगठन के सुचारू संचालन में व्यावहारिक परेशानियों का सामना होता रहा, जिसके कारण प्रत्येक कार्य मे अत्यधिक विलंब हुआ।1 जनवरी 2015 को, वर्तमान सरकार ने एक शानदार निर्णय लिया कि इस बीमार और संकटग्रस्त संगठन को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से सीमा सड़क संगठन को वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण की दृष्टि से पूर्ण रूप से रक्षा मंत्रालय के अधीन कर दिया गया।

- विभागीय और ईपीसी मोड प्रारंभ से ही सीमा सड़क संगठन की सभी परियोजनाओं को विभागीय रूप से पूरा करने की व्यवस्था की गई थी, जिससे इसकी क्षमता लगभग 3000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक सीमित हो गई, जो बेहद अपर्याप्त थी। वर्ष 2017 में, यह निर्णय लिया गया कि सीमा सड़क संगठन के कार्य की गति बढ़ाने के लिए ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) मोड के माध्यम से भी परियोजनाओं का क्रियान्वयन करवा सकता है। यह संगठनात्मक क्षमता को अनुकूलित करने की दिशा में दूसरा बड़ा कदम था।

गलवान घाटी संघर्ष सीमा सड़क संगठन ने गति पकड़ी, लेकिन

फिर भी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारत और चीन के बीच सड़क-शीर्ष (रोड-हेड) मे काफ़ी अंतर था। इसे यों समझा जा सकता है कि चीन अपने क्षेत्र मे लगभग सीमा तक सड़क नेटवर्क विकसित कर चुका था जबकि भारतीय सीमा मे सड़क मार्ग, सीमा से कहीं पीछे तक ही सीमित था। यह अतीत की दीर्घकालिक उपेक्षा के परिणामस्वरूप था और इसे जल्द से जल्द पूरा करने की ज़रूरत थी। जून 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प ने अपर्याप्त सीमावर्ती बुनियादी ढांचे से जुड़ी रणनीतिक कमज़ोरियों की ओर सबका ध्यान आकर्षित कर दिया। चीन की बढ़ती आक्रामकता के मद्देनज़र, भारत के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर अपने बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की ज़रूरत स्पष्ट रूप से अनुभव की गई।

• **गलवान के बाद बजट में तीव्र उछाल :** गलवान से पहले, सैन्य उपयोग की सड़कों के लिए बजट सामान्यतया 2000 करोड़ रुपये के आसपास था, जिससे लागत और समय बढ़ने के कारण चल रही परियोजनाओं में देरी हुई। हालांकि, गलवान के बाद के पिछले पांच वर्षों के दौरान सैन्य दृष्टि से रणनीतिक सेना सड़कों के लिए बजट में 189% की वृद्धि देखी गई। एक निर्णायक बदलाव में, 2025-26 के अंतरिम बजट में रणनीतिक सड़कों के लिए 7146 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। वित्त वर्ष 2024-25 तक, सीमा सड़क संगठन का कुल बजट व्यय, रिकॉर्ड 16660 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जिसमें चार अन्य मंत्रालयों के लिए सीमा सड़क संगठन द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य भी शामिल हैं। पिछले पांच वर्षों में वृद्धिशील बजटीय समर्थन, नवीनतम उपकरणों और मशीनों के अलावा नई तकनीकों और उत्पादों के संचार ने पिछले पांच वर्षों में 62990 करोड़ रुपये खर्च करने में जादुई औषधि की तरह काम किया, जबकि गलवान से पहले की अवधि के 12 वर्षों में 57098 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

• **सड़कें सभी अवसंरचनात्मक तत्वों की रीढ़ होती हैं :** सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित सड़कों पर सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकार के विभागों की भावी विकास योजनाएं आधारित हैं। गलवान के बाद, वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर अंतिम मील तक संपर्क बढ़ाने पर सीमा सड़क संगठन के रणनीतिक फोकस ने चीन को स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया है कि भारत अब कमज़ोर प्रतिद्वंद्वी नहीं रहा, बल्कि आर्थिक और सामरिक दोनों ही दृष्टि से वैश्विक मंच पर एक मज़बूत राष्ट्र के रूप में तेज़ी से उभर रहा है।

• इन्वेंट्री का पुनरुद्धार बढ़ते बजट के साथ, सीमा सड़क संगठन ने अपनी इन्वेंट्री को नवीनतम मशीनरी से उन्नत करने के लिए क्रमिक प्रयास किए। चिनूक हेलीकॉप्टरों और अन्य एयर लिफ्ट उपकरणों की रणनीतिक तैनाती ने लद्दाख, उत्तराखंड और उत्तर पूर्व के चुनौतीपूर्ण इलाकों में पहुंच और रसद सहायता में अप्रत्याशित एवं अकल्पनीय सुधार किया है।

• आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए, 2022 में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) के साथ 60 डबल लेन क्लास 70 मॉड्यूलर पुलों के निर्माण हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत में अपनी तरह के पहले, ये पुल त्वरित निर्माण के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और दो-तरफ़ा यातायात को सहारा देने में सक्षम हैं, जिससे आयातित पुलों की तुलना में लागत में एक-तिहाई की कमी आती है। अब तक भारत की उत्तरी सीमाओं पर महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थानों पर लगभग 40 ऐसे पुलों का निर्माण किया जा चुका है।

• **नई तकनीक का समावेश, डिजिटलीकरण और स्वचालन (ऑटोमेशन) :** गलवान के बाद, सीमा सड़क संगठन ने काम की गति बढ़ाने के लिए कई नई तकनीकों को शामिल करने की दिशा मे असाधारण प्रयास किए हैं। सीमा सड़क संगठन ने सड़क निर्माण में स्टील स्लैग के इस्तेमाल के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। योजना बनाने से लेकर अनुबंध करने और क्रियान्वयन तक, संगठन ने पुरानी मानसिकता को पीछे छोड़ दिया है और उपलब्ध नई कार्यप्रणाली को अपनाया है। सीमा सड़क संगठन पहली सरकारी एजेंसी है जिसने अपनी सभी सड़कों और परिसंपत्तियों का डिजिटलीकरण किया है और भविष्य की बेहतर योजना बनाने और इसी क्षेत्र में काम कर रहे अन्य मंत्रालयों के साथ एकीकरण के लिए इसे जीआईएस पर डाला है। सीमा सड़क संगठन की धरातलीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 11 नए सॉफ्टवेयर के उपयोग से, अधिकारी और कर्मचारी 11 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जमीनी सीमाओं पर फैली अपनी सभी परियोजनाओं की प्रगति की बेहतर निगरानी कर पा रहे हैं।

• **खरीद में पारदर्शिता :** Government e-Markeplace (GeM), सार्वजनिक क्षेत्र मे खरीददारी के लिए एक सरकारी पोर्टल, के माध्यम से खरीदी में तेजी से वृद्धि का प्रदर्शन करते हुए, सीमा सड़क संगठन ने पिछले पांच वर्षों के दौरान न केवल पोर्टल पर अपने लेन-देन को तीन गुना बढ़ाया है, बल्कि स्टील, सीमेंट और बेली ब्रिज जैसी आवश्यक निर्माण सामग्री को सूचिबद्ध करने में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। GeM के रणनीतिक उपयोग से काफी लाभ हुए हैं, जिसमें अधिग्रहण की समयसीमा में 33% की कमी, रिवर्स नीलामी के कारण लागत पर लगभग 20% की बचत और कुल लागत में 15-18% की कमी शामिल है। इस प्रकार से हुई बचतों को और अधिक परियोजनाओं में पुनर्निवेशित किया गया है, जिससे आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिला है। GeM का लाभ उठाने में BRO की प्रतिबद्धता और सफलता को प्रतिष्ठित पुरस्कारों से मान्यता मिली है, जिसमें GeM खरीद के लिए सिल्वर सर्टिफिकेट और वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 में लगातार दो वर्षों तक केंद्र सरकार के कार्यालयों की श्रेणी में, समय पर भुगतान के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड प्रमाणन शामिल है। खरीद प्रक्रियाओं को अब संस्थागत बना दिया

गया है, जिससे समय पर भुगतान को लेकर सीमा सड़क संगठन के साथ काम करने वाली फर्मों में भारी विश्वास पैदा हुआ है।

- **महिला सशक्तिकरण :** शुरुआत में, सीमा सड़क संगठन में महिलाओं की भूमिकाएं केवल कर्मचारी नियुक्तियों तक ही सीमित थीं। 8 मार्च 2021 को, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक ने भारत सरकार की नारी सशक्तिकरण पहल के अनुरूप, लैंगिक-तटस्थ (gender-neutral) वातावरण को बढ़ावा देने के लिए एक परिवर्तनकारी नीतिगत निर्णय लिया। आज महिला अधिकारी सर्वाधिक दुर्गम क्षेत्रों में सड़क निर्माण कंपनियों और टास्क फोर्स की कमान संभाल रही हैं, जिनमें लद्दाख के हानले (15000 फीट की ऊंचाई पर, दुनिया की सबसे ऊंची निर्माण इकाई) में एक टास्क फोर्स भी शामिल है, जिसे विशेष रूप से कुछ रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमा सड़क संगठन परियोजनाओं को संभालने के लिए ही स्थानांतरित किया गया था।

- **आकस्मिक वेतनभोगी श्रमिकों के लिए सम्मान और सामाजिक सुरक्षा :** सीमा सड़क संगठन लगभग 90,000 आकस्मिक वेतनभोगी श्रमिकों (सीपीएल) को रोजगार देता है, जिनके प्रयास दुर्गम इलाकों में चुनौतीपूर्ण कार्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर और सम्मानजनक बनाने के लिए एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में, उन्हें पूर्वनिर्मित आश्रय, पोर्टा केबिन और जैविक शौचालय प्रदान किए गए हैं। सीमा सड़क संगठन ने इन श्रमिकों को अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए अनुकुल वस्त्र भी प्रदान किए हैं, साथ ही मनोबल बढ़ाने के लिए मनोरंजन की सुविधाएं भी स्थापित की हैं, जिससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि हुई है और लंबे समय तक काम करने की क्षमता बढ़ी है। इस व्यापक कल्याणकारी दृष्टिकोण को जनवरी 2024 में एक ऐतिहासिक निर्णय से बल मिला, जब माननीय रक्षा मंत्री ने आकस्मिक वेतनभोगी श्रमिकों के लिए एक टर्म इंश्योरेंस स्कीम को मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त, सितंबर 2023 में, मृतक आकस्मिक वेतनभोगी श्रमिक के पार्थिव शरीर को उनके मूल स्थानों पर वापस भेजने और अंतिम संस्कार के खर्चों को कवर करने के लिए एक पॉलिसी शुरू की गई, जिससे उनके परिवारों पर बोझ कम हुआ।

- उच्च स्तरीय समिति भूमि अधिग्रहण, वन और वन्य जीवन विभागीय मंजूरी जैसी निष्पादन पूर्व गतिविधियों को तेजी से पूरा करने के लिए सचिवों की एक समिति गठित की गई है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति समग्र राष्ट्र दृष्टिकोण सुनिश्चित हो सके।

- **जीवंत ग्राम कार्यक्रम :** इस सरकार ने हब एंड स्पोक मॉडल के तहत सीमावर्ती गांवों के विकास और स्थानीय समुदायों के लिए कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे और आर्थिक अवसरों में सुधार के लिए 4800 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस योजना के पहले चरण में 663 गांवों को शामिल किया जाएगा।

बाधाओं से परे

वर्तमान सरकार द्वारा किए गए सभी सुधारों और साहसिक नीतिगत निर्णयों ने एक उपेक्षित और अपर्याप्त सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को कई अभूतपूर्व सफलता की कहानियों से जुड़े एक मजबूत ढांचे में बदल दिया, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न स्तरों पर भारी लाभ हुआ है।

- **सड़क नेटवर्क का विस्तार :** पिछले 11 वर्षों में सीमा सड़क संगठन ने सड़क निर्माण में अभूतपूर्व प्रगति की है और निर्माण की दर पिछले वर्षों की तुलना में प्रभावशाली रूप से बढ़ी है। एक उल्लेखनीय उपलब्धि लद्दाख में चिसुमले को डेमचोक से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण है, जो उमलिंगला से होकर 19,024 फीट की अद्भुत ऊंचाई से गुजरती है।

- **कमियों को पाटना :** सीमा सड़क संगठन ने वर्ष 2021 में एक रणनीतिक निर्णय लिया कि क्लास 70 को ही अपना मुख्य पुल बनाया जाए ताकि ज़रूरत पड़ने पर सभी टैंक, तोपें और मल्टी-एक्सल भार वहन करने वाले वाहनों को अग्रिम स्थानों तक पहुंचाया जा सके, जिससे चुनौतीपूर्ण इलाकों में सैनिकों की गतिशीलता और रसद सहायता में वृद्धि हो सके। पूर्वी लद्दाख में श्योक नदी पर सासेर ब्रांगसा (15300 फीट) पर दुनिया के सबसे ऊंचे मल्टी-स्पैन पुल का निर्माण केवल 174 दिनों में किया गया, जो उल्लेखनीय है।

- **सुरंग निर्माण के क्षेत्र में उपलब्धियां :** सीमा सड़क संगठन ने गलवान के बाद चार प्रमुख सुरंगों का निर्माण पूरा किया है, जिनमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेला सुरंग भी शामिल है। वर्तमान में 10 सुरंगों पर काम जोरों पर है और आठ और सुरंगें नियोजन प्रक्रिया के अंतिम चरण में हैं, जिनमें से छह आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मोंट ब्लांक (15771 फीट) से भी ऊंची होंगी। अब तक दुनिया आल्प्स पर्वतीय सुरंगों को विस्मय और प्रशंसा से देखती थी, लेकिन आने वाले समय मे जब भी अत्यधिक ऊंचाई पर सुरंगों के निर्माण की बात आयेगी, तो शीघ्र ही समस्त विश्व का ध्यान भारत की ओर आकर्षित होने जा रहा है। शिंकुनला सुरंग (15855 फीट) पर काम शुरू हो गया है, जो पूरी होने पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी और चीन की मिला सुरंग (15584 फीट) का रिकॉर्ड तोड़ देगी।

- **हवाई क्षेत्र का विकास :** बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि सीमा सड़क संगठन की भूमिका मे हवाई क्षेत्रों का निर्माण और उन्नयन भी सम्मिलित है। इसीके अंतर्गत हाल ही में बागडोगरा और बैरकपुर हवाई क्षेत्रों में पूरी हुई उल्लेखनीय परियोजनाओं ने पूर्वी क्षेत्र में भारतीय वायु सेना की परिचालन क्षमता को बढ़ाया है। सीमा सड़क संगठन ने अपनी स्थापना के बाद से उत्तरी सीमाओं पर 22 हवाई क्षेत्र बनाए हैं, जिनमें हाल ही में निर्मित न्योमा एयर बेस भी शामिल है, जो भारतीय वायु सेना को चीन पर रणनीतिक बढ़त प्रदान करेगा और पूर्वी

लद्दाख में सेना की परिचालन और रसद पहुंच का विस्तार करेगा।

- **गलवान के बाद काम में तेजी :** गलवान के बाद, सीमा सड़क संगठन ने सड़कों, पुलों और सुरंगों के निर्माण में तेजी लाई। दारबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी (डीएसडीबीओ) सड़क जैसी परियोजनाओं पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया, जो लद्दाख में एलएसी के साथ दूर-दराज के इलाकों तक संपर्क बढ़ाती हैं। इसके साथ ही, सासोमा-सासेरला-सासेर ब्रांगसा-गपशान मार्ग के माध्यम से दौलत बेग ओल्डी के लिए एक वैकल्पिक संपर्क भी स्थापित किया गया है। गलवान के बाद, अब पूर्वी लद्दाख की सभी अग्रिम चौकियों तक सड़क संपर्क स्थापित कर दिया गया है और एलएसी पर सैनिकों की समानांतर आवाजाही के लिए चुशुल-डुंगती-फुकचे-डेमचोक को जोड़ने वाली 121 किलोमीटर लंबी सड़क भी बनाई गई है। इसके अलावा, चुमार सेक्टर में लिकारू-मिगला-फुकचे सड़क पर भी काम चल रहा है, जिससे यह 19400 फीट की ऊंचाई पर जल्द ही दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बन जाएगी। इस तरह के सड़क नेटवर्क के आने से, अब सेना संघर्ष स्थल पर बेहद कम समय में पहुंच सकती है, जिससे हमें चीन पर परिचालन के साथ-साथ रणनीतिक बढ़त भी मिलेगी, जिसके बारे में कुछ साल पहले तक सोचा भी नहीं जा सकता था।

- **भारत को वैश्विक बुनियादी ढांचे के मानचित्र पर स्थापित करना :** राष्ट्र के इंजीनियरिंग कौशल और दृढ़ संकल्प के प्रतीक, सीमा सड़क संगठन ने पिछले चार वर्षों में 10 विश्व रिकॉर्ड बनाकर भारत को वैश्विक बुनियादी ढांचे के मानचित्र पर स्थापित किया है। इनमें से आठ रिकॉर्ड लद्दाख के सबसे दुर्गम भूभाग में बनाए गए हैं। आज दुनिया की सबसे ऊंची सड़क (19024 फीट) पर भारतीय ध्वज अवर्णनीय गर्व के साथ लहरा रहा है।

सीमा सड़क संगठन द्वारा अर्जित किए गए विश्व रिकॉर्ड इंजीनियरिंग के चमत्कार से कहीं अधिक हैं; ये मानवीय धैर्य और दृढ़ता, अत्याधुनिक नेतृत्व और सरकारी दूरदर्शिता और समर्थन का प्रतीक हैं।

- **ज़ोजिला पर नियंत्रण, मानसिकता में बदलाव :** सर्दियों के दौरान जब श्रीनगर और मनाली से लेह जाने वाले दोनों रास्ते बंद हो जाते हैं, तो लद्दाख का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कटा रहता है। इस दिशा मे एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए, सीमा सड़क संगठन ने ज़ोजिला के बंद रहने की अवधि को पारंपरिक 160-180 दिनों से घटाकर पिछले पांच वर्षों में लगातार औसतन 60-80 दिन तक सीमित कर दिया है। ज़ोजिला मार्ग के माध्यम से इस बेहतर संपर्क ने सुरक्षा बलों को सर्दियों में एक विस्तारित रणनीतिक पहुंच प्रदान की और लद्दाख में तैनात सेना के वायु मार्ग से रखरखाव की दृष्टि से सरकारी खजाने से प्रति वर्ष होने वाले लगभग 350-400 करोड़ रुपये के व्यय की बचत की।

- सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना संपर्क बढ़ाने के अपने मिशन में, सीमा सड़क संगठन ने देश के कुछ सबसे अलग-थलग इलाकों को मुख्य भूमि से जोड़ा है। सीमा सड़क संगठन का प्रभाव लद्दाख के डेमचोक, उत्तराखंड के जोलिंगकोंग और अरुणाचल प्रदेश के हुरी गांव जैसे क्षेत्रों में गहराई से महसूस किया जा रहा है, जहां सड़कों ने सबसे दूरस्थ गांवों को देश की मुख्य धारा से जोड़ा है। इन अग्रिम सड़कों ने न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन को लगभग रोक सा दिया है, बल्कि हमारे सुरक्षा तंत्र को वास्तविक नियंत्रण रेखा के और भी करीब ला दिया है, जिससे किसी भी आकस्मिक स्थिति में हमारे सैनिकों के लिए संघर्ष स्थलों तक तेज़ी से पहुंचना आज सुगम हो गया है। विकास की ये गतिविधियां ऐसे दुर्गम और अग्रिम क्षेत्रों में हमारी दावा रेखा को भी बल प्रदान करती हैं।

देश के सुदूर क्षेत्रों तक अपनी पहुंच का विस्तार करते हुए, सीमा सड़क संगठन ने कैम्पबेल खाड़ी से ग्रेट निकोबार द्वीप में इंदिरा प्वाइंट तक सड़क के माध्यम से भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु को भी जोड़ा है।

आगे की राह

आधुनिक युद्ध में, बुनियादी ढांचा एक शक्ति-गुणक का काम करता है। रणनीतिक स्थानों पर सड़कों और पुलों का निर्माण, सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य अभियानों को तेज़ी से संगठित करने और उन्हें जारी रखने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन करके एक निवारक के रूप में कार्य करता है। गलवान संघर्ष के बाद सीमा सड़क संगठन द्वारा कार्य की तीव्र गति ने चीन को एक कड़ा संकेत दिया है कि वह भारत के साथ किसी भी दुस्साहस से बचें। आज यह भी दृढ़ता से महसूस किया जा रहा है कि सीमावर्ती बुनियादी ढांचे की गति को और बढ़ाने के लिए, और अधिक सुधारों की आवश्यकता है। रक्षा मंत्रालय के अधीन अनुशंसित, न्यूनतम अपेक्षित सुधार नीचे सूचीबद्ध हैं, जिन पर तत्काल कार्यवाही की आकांक्षा है।

- वित्तीय सुधार वृद्धिशील निधि प्रवाह (incremental fund flow) और उनके कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बड़े वित्तीय सुधारों की आवश्यकता है। साथ ही, बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ-साथ स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियों मे अभिवृद्धि की भी तत्काल समीक्षा की आवश्यकता है।

- **उपकरणों का आधुनिकीकरण :** आगामी कार्यों के लिए मशीनों की खरीद हेतु उपकरणों के प्राधिकरण और धन आवंटन हेतु मौजूदा पुराने मानदंडों को संशोधित करने की आवश्यकता है। वास्तव में, रणनीतिक कार्यों के लिए आवश्यक उपकरणों और मशीनों के प्रकार को तय करने का अधिकार सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक को सौंपा जाना चाहिए ताकि प्रचलित खरीद चक्र में अनुमोदन में सामान्यतया होने वाले विलंब से बचा जा सके।

- **नई तकनीक का समावेश :** नई तकनीक और उत्पाद न केवल परियोजनाओं की गुणवत्ता बढ़ाते हैं, बल्कि निर्माण समय और

दीर्घकालिक लागत को भी कम करते हैं। रणनीतिक सड़कों और अन्य परियोजनाओं के निर्माण में व्यापक राष्ट्रीय हित में इस पहलू पर बिना किसी पूर्वाग्रह के विचार करने की आवश्यकता है।

- **कौशल विकास :** सीमा सड़क संगठन कार्यबल को आधुनिक उपकरणों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए आवश्यक कौशल से सज्जित करने और रणनीतिक कार्यों, विशेष रूप से सुरंगों के प्रभावी निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों और निर्माण पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता है।

- **बीआरओ अधिनियम :** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन, भारतीय सशस्त्र बलों का एक अभिन्न अंग है और सीमा सड़क संगठन संभवतः एकमात्र ऐसा वर्दीधारी संगठन है जो किसी विशिष्ट अधिनियम द्वारा शासित नहीं है। जीआरईएफ संवर्ग सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 द्वारा शासित है; जबकि संगठन का सैन्य घटक सेना अधिनियम, 1950 और सेना नियम, 1964 द्वारा शासित है। अतः यह अनुशंसा की जाती है कि वेतन संरचना में विसंगतियों को कम करने, अनुशासनात्मक मामलों को न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से निपटाने और राष्ट्र निर्माण की दिशा में सीमा सड़क संगठन के कामकाज में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए सीमा सड़क संगठन अधिनियम लाया जाना चाहिए।

- **एक सीमा-एक एजेंसी :** आज यह स्थिति है कि एक ही स्थान पर एक से अधिक एजेंसियां सड़कें बना रही हैं। अंतर-मंत्रालयी समन्वय की कमी के कारण इस प्रकार की व्यवस्था के तहत, संपर्क के दोहराव की भ्रमात्मक स्थिति के निर्माण की संभावना बनी रहती है। अंततः काम की गुणवत्ता या गति मे कमी की जवाबदेही की आशंका बनती है, क्योंकि कई बार एक ही सड़क पर 3-4 एजेंसियों को अलग-अलग हिस्से आवंटित कर दिए जाते हैं। अतः यह अनुशंसा की जाती है कि संचालन के स्पष्ट सीमांकित क्षेत्रों के लिए एक सीमा-एक एजेंसी नीति लागू की जाए। जब तक ऐसा नहीं होता, कम से कम हमें गति और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक मार्ग-एक एजेंसी के सिद्धांत को सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही, सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित सड़कों के अनुरक्षण का दायित्व राज्य के लोक निर्माण विभाग को नहीं सौंपा जाना चाहिए, बल्कि उनका रखरखाव सीमा सड़क संगठन द्वारा ही किया जाना चाहिए।

- **महानिदेशक को विभागाध्यक्ष का दर्जा :** सभी वर्दीधारी केंद्रीय संगठनों में, सीमा सड़क संगठन ही एकमात्र ऐसा विभाग है जहां इसके महानिदेशक को विभागाध्यक्ष का दर्जा नहीं दिया गया है। वे परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी और जवाबदेह हैं, लेकिन अधिकांश महत्वपूर्ण प्रशासनिक शक्तियां संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के पास हैं और उनके द्वारा ही संचालन किया जाता है, जिससे महत्वपूर्ण एवं मानव संसाधन मामलों में अवांछित देरी होती है।

- **कैडर की रिक्तियों को भरना :** जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के अधिकारियों (25%) और अधीनस्थों (21%) की मौजूदा कमी को तत्काल पूरा किया जाना चाहिए। रणनीतिक बाध्यताओं के कारण सीमा सड़क संगठन का कार्य हर साल तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन भर्ती की तुलना में (विभिन्न कारणों से) संगठन से बाहर निकलने वालों की अधिक संख्या होने के कारण हर साल कैडर में संकुचन हो रहा है।

- बीआरओ विदेश सीमा सड़क संगठन मे एक विदेश विभाग शुरू करने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि यह मित्र देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पर कार्य कर सके। इसके माध्यम से हमारे सन्निकट पड़ोसी राष्ट्रों के साथ परस्पर व्यापार, वाणिज्य को बढ़ावा देने और राजनयिक संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से उप-क्षेत्रीय संपर्क स्थापित किया जा सकेगा, विशेष रूप से तेजी से बदलती भू-राजनीतिक गतिशीलता के परिदृश्य मे।

विज़न 2047

आज भारत अमृत काल की दहलीज़ पर खड़ा है, जिसमें 2047 तक एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरने की क्षमता है। जैसे-जैसे हम उभरते हुए भारत के साथ कदम मिलाते हैं, हम परिचालन अनुकूलन और रणनीतिक विस्तार के चश्मे से स्पष्ट रूप से परिलक्षित, बढ़ी हुई उम्मीदों, आत्मविश्वास और गर्व के साथ आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक सीमाओं को पार करने और क्रांतिकारी पुनर्निर्माण को उत्प्रेरित करने के लिए सीमावर्ती बुनियादी ढांचे की वास्तविक क्षमता को पहचानना अनिवार्य है। सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और समयबद्ध कार्यों के साथ, बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाएं अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ सकती हैं, जो सुरक्षा ढांचे को मज़बूत करने और आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।

पहचान के गहने

सीमावर्ती जनजातियां स्वयं निर्मित आभूषण - हड्डी, मनके, चांदी - पहनती हैं और अपने शरीर को अनूठे टैटू से चिह्नित करती हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं।

सीमाओं से परे रिश्तेदारी

कई लोगों के लिए, सीमाएं दिल में नहीं, बल्कि नक्शे पर खींची गई रेखाएं हैं। परिवार भारत की सीमाओं पर रहते हैं और राष्ट्रों के पार विवाह, त्योहार और दुःख एक साथ मनाते हैं।

सीमा प्रबंधन में सुरक्षा और संकट सहनशीलता

ले. जन. (रि.) राणा प्रताप कलिता

सम्मानित भारतीय सेना अधिकारी, जिन्होंने ईस्टर्न कमांड के GOC-in-C और III कोर के कमांडर के रूप में सेवा, उत्कृष्ट सेवा के लिए PVSM, UYSM, AVSM, SM और VSM से सम्मानित

भारत का विशाल सीमांत प्रदेश केवल रेखाचिन्ह नहीं, वरन् हमारी सुरक्षा एवं समृद्धि का प्राणपिण्ड है! सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) एक प्रबल कवच बनकर उभरा है, जो न केवल पथ-सेतु एवं विद्युत-जल आपूर्ति को सहेजे, अपितु मानवीय आत्मबल को भी प्रवर्द्धित करे; परंतु दुर्गम स्थलाकृति, विद्रोही उभार और संसाधनाभाव के बीच यह कवच भी कमजोर न हो जाए, इसकी सावधानी आवश्यक है! समय की पुकार है कि BADP को मात्र योजना न समझकर इसको सीमा-रक्षक और राष्ट्र-निर्माता की दोहरी भूमिका के आदर्श योद्धा के रूप में अंगीकार किया जाए।

भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है तथा हिंद महासागर पर इसकी प्रभुत्वकारी स्थिति है, जिसके माध्यम से वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 80% (वॉल्यूम के आधार पर) एवं वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 40% गुजरता है। भारत की 7516.6 किलोमीटर लम्बी समुद्री सीमा के अतिरिक्त, यह सात देशों , पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार , के साथ 15106.7 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। लंबे उपनिवेशवाद के दौर ने अनेक जटिल विरासत समस्याएं छोड़ी हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है अधिकांश पड़ोसी देशों के साथ अनसुलझी सीमाएं। कुछ सीमावर्ती क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन पूर्णतः एकीकृत नहीं हो सके और वहां विभिन्न जनजातियां निवास करती हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात पृथकता की मांग की, जिससे कई पृथकतावादी विद्रोही आंदोलन प्रारंभ हुए।

जटिल पर्वतीय भू-आकृति, सघन वनों, अत्यंत उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों तथा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बाधित किया, जिसके परिणामस्वरूप स्वतंत्रता के समय इन क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास अत्यंत न्यूनतम था। पाकिस्तान और चीन के साथ अनसुलझी सीमाओं ने पांच युद्धों और कई संघर्षों को जन्म दिया, जिससे एक ओर इन क्षेत्रों के विकास में बाधा उत्पन्न हुई, वहीं दूसरी ओर

सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत संरचना निर्माण तथा दीर्घकालिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता भी उजागर हुई।

सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास एवं सीमा प्रबंधन

सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, विशेषतः उस प्रकार के खतरों की प्रकृति को देखते हुए जो इन क्षेत्रों से उत्पन्न हो सकते हैं। सीमा प्रबंधन की प्रमुख चुनौतियों में दुर्गम भू-आकृति, अति-दलदली सीमाएं, उत्तर में हिमालय, पूर्व में घने वन एवं नदियां तथा पश्चिम में विस्तृत मरुस्थल शामिल हैं। चीन के साथ अनसुलझी सीमाएं और प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रीय दावे तथा पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद एवं जम्मू-कश्मीर पर दावा सीमा प्रबंधन को अत्यंत गतिशील बना देता है।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद एवं पूर्वोत्तर में विद्रोह आंतरिक स्थिरता को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त अवैध प्रवास, सीमा पार तस्करी, मानव तस्करी तथा तटीय सीमाओं की अपर्याप्त निगरानी के कारण होने वाली समस्याएं जैसे तस्करी, समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ना एवं घुसपैठ, प्रभावी सीमा प्रबंधन के समक्ष गंभीर चुनौती प्रस्तुत करते हैं।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) की रूपरेखा

BADP की स्थापना वर्ष 1986-87 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तत्वावधान में की गई थी, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में समग्र विकास के माध्यम से सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना था। यह एक "कोर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम (CSS)" है, जो वर्तमान में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आने वाले 117 सीमावर्ती जिलों के 460 सीमावर्ती खंडों में लागू है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के समीप निवास करने वाले नागरिकों की विशिष्ट विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करना एवं आवश्यक आधारभूत ढांचे को प्रदान करना है।

यह कार्यक्रम छह प्रमुख विषयगत क्षेत्रों , आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास , में विभिन्न योजनाओं के समेकन (Central/State/UT/Local Schemes) तथा सहभागी दृष्टिकोण के माध्यम से लागू किया जाता है।

2020 में जारी BADP दिशा-निर्देशों एवं अक्टूबर 2021 के संशोधन में योजना के क्रियान्वयन, वित्तपोषण तथा प्राथमिकता निर्धारण की विस्तृत प्रक्रिया को रेखांकित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से प्रथम बस्ती तक की हवाई दूरी के आधार पर 0-10 किमी के भीतर आने वाले जनगणना गांवों, अर्ध-नगरीय और नगरीय क्षेत्रों में परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। यदि ये क्षेत्र संतृप्त हो जाते हैं तो योजना को आंतरिक क्षेत्रों तक विस्तारित किया जा सकता है।

वित्तपोषण का वितरण निम्न प्रकार है:

- उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड) एवं जम्मू-कश्मीर में 90:10 (केंद्र: राज्य) अनुपात।
- बिहार, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 60:40 अनुपात।
- लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हेतु 100% केंद्रीय निधि।

इसके अतिरिक्त:

- कुल आवंटन का 10% प्रशासनिक व्यय और रिज़र्व फंड हेतु।
- भारत-चीन सीमा से लगे राज्यों हेतु 10% अतिरिक्त।
- शेष 80% में से 40% पूर्वोत्तर राज्यों को एवं 60% अन्य सीमावर्ती राज्यों को दिया जाता है।

वित्तीय आवंटन तीन मानदंडों पर आधारित होता है:

i. अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई (33%)

ii. 0-10 किमी के क्षेत्र में आने वाला क्षेत्रफल (33%)

iii. इसी क्षेत्र में आने वाली जनसंख्या (33%)

(फंड वितरण तालिका और स्रोत: गृह मंत्रालय, भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24)

कार्यान्वयन तंत्र

राज्य सरकारें BADP की परियोजनाओं की योजना एवं क्रियान्वयन की जिम्मेदार होती हैं। सीमा सुरक्षा बलों (BGFs) की भूमिका क्षेत्र चयन, प्राथमिकता निर्धारण एवं निगरानी में महत्वपूर्ण है। राज्य सरकारें BADP का अन्य योजनाओं से समेकन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। परियोजनाओं को पांच वर्षीय परिप्रेक्ष्य कार्य योजना के आधार पर वार्षिक योजनाओं के रूप में तैयार कर गृह मंत्रालय की स्वीकृति से लागू किया जाता है।

परियोजनाएं केवल सरकारी भूमि पर क्रियान्वित की जानी हैं और भूमि खरीद हेतु BADP की निधि का उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रतिवर्ष आवंटित निधि का अधिकतम 10% पूर्व निर्मित परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु उपयोग किया जा सकता है। मॉडल ग्रामों का निर्माण भी BADP का एक अंग है।

चुनौतियां

BADP की योजना एवं कार्यान्वयन में वर्षों में परिवर्तन आया है, परंतु इसके समक्ष अब भी अनेक बाधाएं हैं:

i. दुर्गम स्थलाकृति, सीमित कार्यकाल, कच्चे माल और श्रमिकों की उपलब्धता की समस्या

ii. सीमापार विद्रोह एवं सुरक्षा संबंधी जोखिम

iii. राज्यों की विभिन्न प्राथमिकताएं और क्षमताएं

iv. योजनाओं में दोहराव, जैसे MGNREGA, PMGSY के साथ

v. आधारभूत सर्वेक्षणों का अभाव

vi. निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र की दुर्बलता

vii. सीमावर्ती गांवों से जनसंख्या का पलायन

viii. स्थानीय सहभागिता का अभाव

ix. आधारभूत संरचना पर अत्यधिक बल, जबकि जीविका, स्वास्थ्य और शिक्षा की उपेक्षा

x. डेटा की पारदर्शिता में कमी

पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशेष चुनौतियां:

i. 5300 किमी की अंतरराष्ट्रीय सीमा

ii. जातीय विविधता, पुरानी विद्रोही गतिविधियां

iii. सीमित पहुंच, प्रशासनिक बाधाएं

iv. सीमित बुनियादी सुविधाएं

v. अवैध प्रवास, जातीय पहचान संघर्ष

vi. पारंपरिक स्वायत्तता और सांस्कृतिक-सामाजिक जटिलताएं

vii. प्राकृतिक आपदाएं (भूकंप, बाढ़, भूस्खलन)

सुझाव

i. BADP को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में एक दीर्घकालिक स्थायित्वकारी उपकरण के रूप में समाहित करना चाहिए।

ii. वर्तमान दिशा-निर्देशों को विकास सूचकांक, जनसंख्या घनत्व तथा परियोजना क्रियान्वयन में कठिनाइयों को ध्यान में रखकर संशोधित किया जाए।

iii. सशस्त्र बलों को BADP योजना प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए।

iv. पंचायतों को स्थानीय स्तर पर सहभागिता हेतु शामिल किया जाए।

v. निगरानी के लिए केंद्रीय डैशबोर्ड, GIS और उपग्रह छवियों का उपयोग किया जाए।

vi. समय पर निधि प्रवाह सुनिश्चित किया जाए।

vii. समाज आधारित लेखा परीक्षा और तृतीय पक्ष मूल्यांकन किए जाएं।

viii. स्थानीय कौशल विकास, रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी जाए।

ix. क्षेत्रीय समन्वय हेतु जिला एवं राज्य स्तर पर BADP समन्वय कक्ष गठित किए जाएं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष अनुशंसाएं:

i. Vibrant Village Programme, PMGSY और North Eastern Council परियोजनाओं के साथ BADP का समेकन किया जाए।

ii. सीमावर्ती पारंपरिक व्यापारिक मार्गों का पुनः सशक्तिकरण

iii. पारंपरिक संस्थाओं और समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए

iv. स्थानीय आर्थिक जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण जैसे साहसिक पर्यटन, बुनाई, बागवानी आदि को बढ़ावा दिया जाए

निष्कर्ष

BADP ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत संरचना और सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियां, विशेषतः गलवान संघर्ष, पूर्वोत्तर में विकास एवं रणनीतिक समावेशन की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। BADP को रणनीतिक हितों के साथ-साथ सीमावर्ती समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण का साधन बनना चाहिए। विशेषतः पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसका एक व्यापक, समावेशी और परिणाम-आधारित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। एक पुनःसंरेखित BADP, भारत की सीमाओं एवं सीमावर्ती नागरिकों दोनों की सुरक्षा का आधार बन सकता है।

तवांग मठ – सीमा पर शांति

अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा के पास स्थित, यह तिब्बत के बाहर सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, जो शांति का प्रसार कर रहा है।

खूबसूरती के अनदेखे पहलू

लद्दाख और नागालैंड जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन ये दुर्लभ वन्यजीवों, हिम तेंदुए, लाल पांडा, हॉर्नबिल, से भरे हुए हैं।

कानूनी कमजोरियां: आतंकवाद और सीमा नियंत्रण से संबंधित विधिक प्रावधानों की दुर्बलता

डॉ. अभिरंजन दीक्षित

देहरादून, उत्तरांचल विश्वविद्यालय, लॉ कॉलेज देहरादून में एसोसिएट प्रोफेसर

डॉ. ऐश्वर्या सिंह

देहरादून, उत्तरांचल विश्वविद्यालय, लॉ कॉलेज देहरादून में एसोसिएट प्रोफेसर

भूमिका

पिछले दो दशकों में वैश्विक आतंकवाद का खतरा और अधिक विकराल हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप कई देश निरंतर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं,विशेषकर अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्कों और छिद्रपूर्ण सीमाओं के चलते। यद्यपि सरकारों ने खुफिया तंत्र, रक्षा, और पुलिस व्यवस्था में भारी निवेश किया है, किंतु आतंकवाद निरोध तथा सीमा सुरक्षा प्रबंधन हेतु जो विधिक ढांचे निर्मित हैं, वे प्रायः कालबाह्य, असंगत या कमजोर सिद्ध हो रहे हैं। इन विधिक खामियों के कारण न केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्यक्षमता बाधित होती है, बल्कि आतंकवादी एवं तस्कर ऐसी कमजोर व्यवस्थाओं का लाभ उठाकर अपने मंतव्यों में सफल हो जाते हैं।

यह आलेख आतंकवाद और सीमा नियंत्रण की चार प्रमुख विधिक कमजोरियों की पड़ताल करता है:

1. कालबाह्य परिभाषाएं और विधिक ढांचे
2. अंतरराष्ट्रीय विधिक सहयोग की न्यूनता
3. सीमा नियंत्रण से संबंधित प्रक्रियात्मक प्रावधानों की अस्पष्टता
4. प्रवर्तन तंत्र और न्यायिक क्षमता की दुर्बलता

कालबाह्य विधिक परिभाषाएं और ढांचे

आतंकवाद से विधिक स्तर पर लड़ने में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कई देशों के कानून अब भी पुरानी परिभाषाओं पर आधारित हैं। अधिकांश आतंकवाद निरोधक कानून ऐसे कालखंड में बने थे जब देशांतर्गत असंतोष मुख्य चुनौती थी; वे वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उभरते साइबर आतंकवाद, ऑनलाइन कट्टरपंथ, तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय तंत्रों की भूमिका को नज़रअंदाज़ करते हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिकांश देशों के विधिक तंत्रों में आतंकवाद को अब भी आपराधिक कानून की एक उपश्रेणी के रूप में देखा जाता है, न कि एक विशिष्ट चुनौती के रूप में जो विशेष विधिक साधनों और प्रक्रियाओं की मांग करता है। इसका प्रतिफल यह होता है कि आतंकवादी कृत्यों को रोकने के लिए आवश्यक निगरानी, संपत्ति जब्ती, और यात्रा प्रतिबंध जैसी विधिक प्राधिकार सीमित रह जाते हैं। आधुनिक आतंकवादी खतरों

के अनुसार यदि विधिक ढांचा अद्यतन न किया जाए तो कानून प्रवर्तन एजेंसियां प्रतिक्रियात्मक रूप से कार्य करती हैं, न कि निवारक रूप में।

अंतरराष्ट्रीय विधिक सहयोग की न्यूनता

चूंकि आतंकी संगठन अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार सक्रिय रहते हैं, इसलिए प्रभावी आतंकवाद-निरोध के लिए देशों के बीच गहन विधिक सहयोग अनिवार्य है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन विभिन्न संधियों के माध्यम से इस दिशा में प्रयासरत हैं, फिर भी इन संधियों के कार्यान्वयन में राष्ट्रीय राजनीति और विधिक इच्छाशक्ति की कमी स्पष्ट है। प्रत्यर्पण संधियां अक्सर सीमित या पुरानी होती हैं, जिससे संदिग्धों को लाने में बाधाएं आती हैं।

गोपनीय खुफिया जानकारी साझा करने में देशों के बीच अविश्वास, गोपनीयता कानूनों की जटिलता, और राजनीतिक प्रभाव के भय के कारण बाधाएं आती हैं। डिजिटल साक्ष्यों, वित्तीय लेनदेन और एन्क्रिप्टेड संचार से संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं में मानकीकरण का अभाव समन्वय को और जटिल बनाता है। ऐसे में वैश्विक मानकों के अनुरूप विधिक तंत्रों का विकास अनिवार्य है।

सीमा नियंत्रण में प्रक्रियात्मक प्रावधानों का अभाव

सीमा सुरक्षा आतंकवाद निरोध की प्रथम पंक्ति होती है, किंतु कई देशों के कानूनों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सीमा एजेंसियों को किन परिस्थितियों में कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं। कहीं एजेंसियां अत्यधिक विवेकाधिकार का प्रयोग करती हैं, तो कहीं सख्त कानूनी प्रावधान उन्हें आवश्यक सुरक्षा जांच करने से रोकते हैं। बायोमेट्रिक आंकड़े, यात्री इतिहास, और निगरानी तकनीकों के प्रयोग से संबंधित विधिक स्पष्टता का अभाव भी एक गंभीर समस्या है। गोपनीयता कानूनों के कारण सीमावर्ती जांच में बाधाएं आती हैं, जिससे नकली पहचान या जाली दस्तावेजों के सहारे आतंकी घुसपैठ संभव हो पाती है। शरणार्थी कानूनों की अस्पष्टता तथा जांच प्रक्रियाओं की कमज़ोरी भी आतंकवादियों को मानवतावादी माध्यमों से घुसपैठ का अवसर प्रदान करती है। इस संदर्भ में, जबकि वास्तविक शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा आवश्यक है, वहीं यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सुरक्षा एजेंसियां समय रहते पृष्ठभूमि जांच कर सकें।

प्रवर्तन तंत्र और न्यायिक प्रणाली की दुर्बलता

विधिक प्रावधानों के बावजूद यदि उन्हें लागू करने वाला तंत्र कमजोर हो, तो आतंकवाद निरोध असफल ही रहेगा। कई देशों की पुलिस और जांच एजेंसियों के पास पर्याप्त प्रशिक्षण, तकनीकी साधन या कानूनी अधिकार नहीं होते। आतंकवाद संबंधी मुकदमों में साक्ष्य की जटिलता और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर गुप्त सूचनाओं को न्यायालय में प्रस्तुत करने की कठिनाई अभियोजन को और भी कठिन बना देती है।

वहीं कई देशों की न्यायिक प्रणाली राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, और मुकदमों की भीड़ से ग्रस्त है, जिससे अभियुक्तों को दंड से मुक्ति मिल जाती है। गवाह सुरक्षा कार्यक्रमों की कमी तथा डिजिटल साक्ष्यों की वैधता को लेकर अस्पष्टता भी अभियोजन प्रणाली को कमजोर करती है। आतंकवाद संबंधी मामलों की जटिलता को देखते हुए विशेष न्यायालयों की स्थापना आवश्यक है।

समाधान: आतंकवाद एवं सीमा नियंत्रण से संबंधित विधिक सुधार की दिशा में कदम

1. आतंकवाद निरोधक कानूनों का आधुनिकीकरण करें

- परिभाषाओं में साइबर आतंकवाद, ऑनलाइन कट्टरपंथ, एवं वित्तीय नेटवर्क शामिल हों।
- संपत्ति जब्ती, यात्रा प्रतिबंध जैसी निवारक विधिक शक्तियां सुलभ हों।

2. अंतरराष्ट्रीय विधिक सहयोग को सुदृढ़ करें

- प्रत्यर्पण और आपसी विधिक सहायता संधियों (MLATs) को सशक्त बनाएं।
- खुफिया जानकारी, डिजिटल साक्ष्य और संयुक्त जांचों के लिए मानकीकृत प्रक्रियाएं लागू हों।

3. सीमा नियंत्रण के लिए स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया लागू करें

- बायोमेट्रिक डाटा, निगरानी और यात्री स्क्रीनिंग हेतु मानकीकृत दिशानिर्देश निर्धारित हों।
- मानवीय अधिकारों की रक्षा करते हुए निगरानी व उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाए।

4. न्यायिक एवं संस्थागत क्षमता का विकास करें

- विशेष आतंकवाद-निरोधक न्यायालयों की स्थापना हो; न्यायाधीशों और अभियोजकों को प्रशिक्षण दिया जाए।
- तकनीकी संसाधन, डिजिटल उपकरण, और एजेंसियों के बीच समन्वय को सुदृढ़ किया जाए।

निष्कर्ष

एक गहराई से जुड़ी हुई वैश्विक व्यवस्था में आतंकवाद और सीमा सुरक्षा के लिए मजबूत, लचीले और समन्वित विधिक ढांचे की आवश्यकता है। पुरानी परिभाषाएं, अंतरराष्ट्रीय सहयोग की कमी, प्रक्रियात्मक अस्पष्टता, और प्रवर्तन की कमजोरी,ये सभी तत्व राष्ट्रों को आतंरिक और बाह्य खतरों के प्रति असुरक्षित बनाते हैं। इन कमजोरियों को दूर करने के लिए न केवल सख्त कानूनों की आवश्यकता है, बल्कि कानूनी प्रणाली को समयोचित बनाना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विधिक समरसता लाना और संस्थागत क्षमता को विकसित करना भी अत्यंत आवश्यक है।

VII

मानव कारक: सुरक्षा और समाज के बीच सेतु

सीमाओं की सुरक्षा केवल जमीन की निगरानी नहीं, बल्कि वहां रहने और काम करने वाले लोगों की देखभाल भी है। सीमावर्ती समुदायों को सांस्कृतिक तनाव, पहचान की उलझन और अनिश्चित माहौल का सामना करना पड़ता है, जो उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को भी अकेलापन, खतरा और तनाव झेलना पड़ता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मदद नहीं मिल पाती। वहीं स्थानीय लोग रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से जूझते हैं। ऐसे में नागरिक समाज एक अहम भूमिका निभाता है,सहयोग देना, भरोसा बनाना और लोगों को जोड़ना। यह अनुभाग दिखाता है कि असली सुरक्षा केवल सीमाएं नहीं, बल्कि वहां के लोगों की चिंता और सहयोग से ही संभव है।

सीमा समुदायों में सांस्कृतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा चुनौतियां

डॉ. मनीष सिंह

DRDO में वैज्ञानिक E हैं और वे कर्मचारी चयन में विशेषज्ञता रखते हैं। उनके शोध के मुख्य रुचि क्षेत्र में चयन प्रणाली का आधुनिकीकरण शामिल है, जिसमें Gen Z और उनके आधुनिक युद्ध के लिए संज्ञानात्मक तैयारी को शामिल किया गया है।

विश्वभर में सीमावर्ती समुदाय भौगोलिक और राजनीतिक विशिष्टताओं के कारण जटिल सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना करते हैं। सीमाएं, चाहे भौतिक हों या रूपकात्मक, इन समुदायों के व्यक्तियों के जीवन और सामूहिक पहचान को गहराई से प्रभावित करती हैं। यह लेख विशेष रूप से सैन्यीकरण और भू-राजनीतिक तनावों के प्रभाव पर केंद्रित करते हुए, सीमावर्ती जनसंख्या द्वारा अनुभव की जा रही बहुस्तरीय असुरक्षाओं की पड़ताल करता है। इसके अतिरिक्त यह सीमावर्ती क्षेत्रों में सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए गए सरकारी प्रयासों और रणनीतियों का विश्लेषण करता है।

प्रमुख शब्द: सीमावर्ती समुदाय, सांस्कृतिक सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, सैन्यीकरण, सामाजिक चुनौतियां, आघात, पहचान, सरकारी पहलें

प्रस्तावना:

सीमावर्ती समुदाय विशिष्ट भौगोलिक और सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र होते हैं, जहां सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण से संबंधित अनेक विशिष्ट अवसर और चुनौतियां पाई जाती हैं। सीमाओं का अस्तित्व वहां के निवासियों के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है,जिससे जटिल पहचान निर्माण, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सामाजिक-आर्थिक गतिक्रिया उत्पन्न होती है। मूलतः सीमाओं की आवश्यकता स्वदेशी जनों को बाह्य आक्रांताओं से सुरक्षा प्रदान करने हेतु अनुभव की गई थी। धीरे-धीरे राजनीतिक विभाजन के माध्यम से सीमाओं का

औपचारिककरण हुआ, जिसका उद्देश्य 'राष्ट्र की संप्रभुता' की रक्षा करना बन गया।

ऐतिहासिक रूप से सीमाएं अधिकतर झरझरी थीं और व्यापार अथवा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थीं। वर्तमान में 'राष्ट्रीय संप्रभुता' का आशय यह है कि राष्ट्र अपने क्षेत्र में क्या होता है और उसमें कौन प्रवेश कर सकता है, इस पर पूर्ण नियंत्रण रखे। इस विचार की उत्पत्ति यूरोप में 1648 की वेस्टफालिया संधि से हुई थी। इस प्रकार सीमा प्रबंधन (Border Management) किसी राष्ट्र की समग्र सुरक्षा एवं कल्याण का एक प्रमुख घटक बन गया।

सीमाओं के माध्यम से यह निर्धारित किया जाता है कि कौन और क्या देश में प्रवेश कर सकता है। सीमा सुरक्षा के प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को रोकना और वैध व्यापार व आवाजाही को प्रोत्साहित करना हैं। सीमाओं पर आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध वस्तुओं की आवाजाही तथा अन्य आपराधिक गतिविधियां अक्सर देखी जाती हैं। वैश्वीकरण और अपराध से लाभ के अवसरों की वृद्धि से इन खतरों की तीव्रता और भी बढ़ गई है।

इस प्रकार समुचित सीमा प्रबंधन अत्यंत जटिल कार्य है, जिसमें प्रशासनिक, राजनयिक, सुरक्षा, खुफिया, विधिक एवं आर्थिक एजेंसियों की समन्वित भूमिका होती है। किंतु सैन्य एवं प्रशासनिक संस्थाओं की सीमावर्ती क्षेत्रों में तीव्र उपस्थिति से वहां के मूल निवासियों में सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक असुविधाएं उत्पन्न होती हैं। लगातार संघर्ष और विश्वास की कमी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य बुनियादी सेवाओं की अनुपलब्धता से ये समस्याएं और गंभीर हो जाती हैं। यह शोधपत्र विशेष रूप से सैन्य उपस्थिति वाले क्षेत्रों में सीमावर्ती समुदायों द्वारा अनुभव की जा रही सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक असुरक्षाओं की पड़ताल करता है।

सीमावर्ती समुदायों में सांस्कृतिक सुरक्षा

सांस्कृतिक सुरक्षा का तात्पर्य किसी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान, मूल्यों और परंपराओं की बाह्य प्रभावों से रक्षा से है। सीमावर्ती क्षेत्रों में यह विषय अधिक जटिल होता है:

- सांस्कृतिक आदान-प्रदान और संलयन (Hybridity): सीमाएं अक्सर विविध संस्कृतियों के मिलन स्थल होती हैं, जिससे अद्वितीय संलयित (hybrid) संस्कृति जन्म लेती है। यह प्रक्रिया समृद्धिकारी होते हुए भी पारंपरिक पहचान को चुनौती दे सकती है।
- सांस्कृतिक एकरूपता का खतरा: भूमंडलीकरण और प्रभुत्वशाली सांस्कृतिक प्रवृत्तियां सीमावर्ती समुदायों की स्थानीय भाषाओं, रीति-रिवाजों और प्रथाओं के लोप का कारण बन सकती हैं।
- सत्तात्मक और राजनीतिक प्रभाव: सीमाएं सत्ता की अभिव्यक्ति हैं और अल्पसंख्यकों व आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को सीमित कर सकती हैं।
- पहचान निर्माण: सीमावर्ती निवासी स्वयं को 'बीच के' या दो पहचान के बीच बंटा हुआ अनुभव करते हैं।
- सीमा को सांस्कृतिक संरचना के रूप में देखना: सीमाएं केवल भौगोलिक रेखाएं नहीं हैं, बल्कि सांस्कृतिक अवधारणाएं हैं, जो स्व-धारणा और पर-धारणा को प्रभावित करती हैं।

रणनीतियां: सांस्कृतिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सांस्कृतिक जागरूकता, समावेशिता, स्थानीय विरासत का संरक्षण, और समुदायों की सीमा प्रबंधन में भागीदारी आवश्यक है।

सीमावर्ती समुदायों में मनोवैज्ञानिक सुरक्षा

मनोवैज्ञानिक सुरक्षा वह स्थिति है, जिसमें व्यक्ति आत्मविश्वास, सुरक्षा, भय-मुक्ति, और मानसिक संतुलन अनुभव करता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में निम्न कारक इसे प्रभावित करते हैं:

- अनिश्चितता और अस्थिरता: संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों में अस्थिरता स्थायी तनाव और चिंता का कारण बनती है।
- संघर्ष व विस्थापन से उत्पन्न आघात: संघर्ष, प्रवासन, और परिवार विखंडन के अनुभव मनोवैज्ञानिक आघात (trauma) उत्पन्न करते हैं।
- हिरासत और निर्वासन का भय: प्रवासियों में यह भय बच्चों और परिवारों में गहन मानसिक असुरक्षा उत्पन्न करता है।
- वंचना और भेदभाव: सीमांत समुदायों को अक्सर दोनो पक्षों से संदिग्ध दृष्टि से देखा जाता है, जिससे 'न अपनापन' की भावना उत्पन्न होती है।
- संसाधनों की अनुपलब्धता: स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, और आजीविका के अवसरों की कमी भी मानसिक असुरक्षा बढ़ाती है।
- भौतिक सीमाएं: दीवारों, बैरिकेड्स या चेक-पोस्ट से अलगाव और अवरोध की अनुभूति होती है।

समाधान हेतु उपाय: ट्रॉमा-संवेदनशील देखभाल, सामुदायिक सहायता तंत्र, सामाजिक एकता को बढ़ावा देना, और स्थिर नीतियों के साथ बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

सैन्य उपस्थिति के प्रभाव

सामाजिक प्रभाव:

- आवाजाही पर प्रतिबंध, कर्फ्यू और चेकपोस्ट सामुदायिक ताने-बाने को प्रभावित करते हैं।
- स्थानीय संसाधनों पर बोझ बढ़ता है और समुदायों में अविश्वास

उत्पन्न होता है।

- सीमांत समाजों को 'संदिग्ध' की दृष्टि से देखा जाता है।

मनोवैज्ञानिक प्रभाव:

- निरंतर भय का वातावरण तनाव और हाइपर-विजिलेंस (hyper-vigilance) को जन्म देता है।
- सैन्य और नागरिक प्रशासन के बीच फंसे नागरिकों में आक्रोश और निराशा उपजती है।
- PTSD, डिप्रेशन, और चिंता विकार आम होते हैं।

सांस्कृतिक प्रभाव:

- पारंपरिक जीवनशैली पर नियंत्रण, पर्व-त्योहारों पर प्रतिबंध, और भाषा व शिक्षा पर प्रभुत्वशाली संस्कृति का प्रभाव देखा जाता है।

भारत सरकार की पहलें

सामाजिक पहलें:

1. सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) – बुनियादी ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास।
2. वाइब्रेंट विलेजेज़ प्रोग्राम (VVP) – पलायन रोकने और 'मॉडल गांवों' के रूप में सीमावर्ती बस्तियों का विकास।
3. सीमा सड़क संगठन (BRO) – नागरिक और सैन्य उपयोग हेतु संपर्क मार्गों का निर्माण।

मनोवैज्ञानिक पहलें:

1. CIBMS – तकनीक आधारित निगरानी से असुरक्षा की भावना में कमी।
2. CBMP और BPG – अपराध नियंत्रण और शांति-स्थापना हेतु समन्वित रणनीतियां।
3. सैन्य-जन सहभागिता – स्वास्थ्य शिविर, खेल आयोजन व जागरूकता कार्यक्रम।

सांस्कृतिक पहलें:

1. VVP और BADP – सांस्कृतिक कार्यक्रमों और स्थलों के संरक्षण हेतु अवसंरचना।

2. सैन्य सहभागिता – स्थानीय त्योहारों का आयोजन, सांस्कृतिक मेलजोल को बढ़ावा।

निष्कर्ष:

सीमावर्ती क्षेत्रों की सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक असुरक्षाएं,जैसे पहचान संकट, आघात, सैन्य तनाव, और सामाजिक बहिष्करण,अत्यंत गहन हैं। सरकार की बहुआयामी पहलें आवश्यक संसाधनों और अवसरों का सृजन करती हैं, किंतु कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां, मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, और सांस्कृतिक संवेदनशीलता की आवश्यकता बनी रहती है।

समाधान के लिए एक समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें सुरक्षा व विकास दोनों को प्राथमिकता दी जाए। जोहान गाल्टंग (1969) द्वारा प्रतिपादित 'सकारात्मक शांति' की अवधारणा,जिसमें सामाजिक न्याय, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण और स्थानीय सशक्तिकरण,शामिल हैं, को अपनाना सार्थक रहेगा। रॉबर्ट पुटनम (1993) का 'स्थानीय शासन की मजबूती' का सिद्धांत और अमर्त्य सेन (1999) की 'क्षमता निर्माण' की अवधारणा भी नीति-निर्माण में मार्गदर्शक हो सकती हैं।

Border Facts

थाली पर संगम

सीमावर्ती व्यंजन स्वादों का मिश्रण हैं, असमिया मछली करी, जनजातीय बांस के व्यंजन, और बांग्लादेशी मिठाइयां बाड़ों के पार साझा की जाती हैं।

सबसे नम से सबसे शुष्क तक

मणिपुर की सीमाई पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, जबकि राजस्थान की रेगिस्तानी सीमाएं सबसे शुष्क हैं - एक ही देश में जलवायु की यह चरम स्थितियां हैं।

मनोबल एक शक्ति गुणक के रूप में: सीमा सुरक्षा कर्मियों में मानसिक स्वास्थ्य

कर्नल लव तोमर

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली में मनोचिकित्सक और सीनियर रेजिडेंट

केस विगनेट :

"३८ वर्षीय हवलदार शिवराम सिंह, भारतीय सेना में पिछले १८ वर्षों से सेवा दे रहे हैं। वर्तमान में वह जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास एक उच्च ऊंचाई वाले पोस्ट पर तैनात हैं। वह विवाहित हैं और उनके दो बच्चे हैं, जो राजस्थान स्थित उनके गांव में उनकी पत्नी के साथ रहते हैं। यह उनकी तीसरी ऐसी पोस्टिंग है जो संघर्ष-प्रवण क्षेत्र में है। ऑपरेशनल परिस्थितियों के कारण उन्हें छुट्टी मिलने में देरी हो रही है, जिस वजह से वह लंबे समय से अपने गांव नहीं जा पाए हैं।

पिछले कुछ महीनों से, शिवराम को नींद से संबंधित समस्याएं हो रही हैं – वे हर रात सिर्फ 2–3 घंटे ही टुकड़ों में सो पाते हैं। उन्हें हाल ही में हुए एक सीमा-पार घात (ambush) की बार-बार यादें और बुरे सपने आते हैं, जिसमें उनके दो साथी जवान शहीद हो गए थे। वह छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं और अक्सर गुस्सा हो जाते हैं। उनका मन अब अधिकतर उदास रहता है और वह अपने परिवार से फोन पर बात करने से बचते हैं। पहले जिन गतिविधियों में आनंद लेते थे, जैसे खेलना और किताबें पढ़ना, उनमें अब रुचि नहीं लेते।

वह अक्सर भावुक हो जाते हैं और उस घात से जीवित बच जाने के लिए स्वयं को दोषी मानते हैं। ये लक्षण धीरे-धीरे उनकी ऑपरेशनल दक्षता और उनके साथियों और वरिष्ठों के साथ सामाजिक संपर्क को प्रभावित कर रहे हैं। वे अपने मन की बात किसी से साझा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मानसिक परेशानी की वजह से कलंकित होने का डर है"

यह केस स्पष्ट रूप से हमारे सीमा प्रहरियों के मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों को दर्शाता है।

सीमा रक्षक और सुरक्षा बल राष्ट्र के अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो सदैव प्रथम पंक्ति में विद्यमान हो कर राष्ट्रीय सुरक्षा की अहम जिम्मेदारी उठाते हैं। सीमा सुरक्षा बलों के लिए मनोबल का बहुत अधिक महत्व है। उच्च मनोबल न केवल एक सैनिक की कार्य क्षमता को बढ़ाता है अपितु राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करता है। उच्च मनोबल एक सैनिक में

कर्तव्य के प्रति निष्ठा और गहरे देशप्रेम का भाव जगाता है। देश के प्रति समर्पण और सर्वोच्च बलिदान की भावना प्रबल होती है। सकारात्मक मनोबल नैतिक मूल्यों और अनुशासन को बनाए रखने में सहायता करता है जिससे बल की छवि सराहनीय बनी रहती है। अच्छे मनोबल वाले सुरक्षाकर्मी दूसरे सैनिकों के लिए प्रेरणास्रोत होते हैं और सुरक्षादल को अच्छा नेतृत्व प्रदान करते हैं। संकट और युद्ध की घड़ी में उच्च मनोबल ही एक सैनिक का सच्चा साथी होता है। सकारात्मक और उच्च मनोबल वाले और दल में आपसी सहयोग और एकता लगातार बनी रहती है जो प्रत्येक सैनिक की कार्यक्षमता में वृद्धि करती है और राष्ट की सुरक्षा को मजबूत करती है।

देश की सुरक्षा हमारे सुरक्षा बलों की शारीरिक और मानसिक शक्ति पर निर्भर करती है। दुर्लभ भौगोलिक परिस्थितियां, शत्रु के आक्रमण का तनाव, प्रतिकूल मौसम, पारिवारिक और सामाजिक वातावरण से दूरी इत्यादि ऐसे कई कारण हैं जो सुरक्षा बलों के मनोबल को हानि पहुंचा सकते हैं और उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं।

अधिकतर हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को अनदेखा कर देते है। मगर एक मजबूत सुरक्षा पंक्ति के लिए मानसिक प्रबलता और सुदृढ़ मनोबल का होना अति आवश्यक है।

अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि सीमा रक्षकों और सुरक्षा बलों को अपने मनोबल को बनाए रखने में किस तरह की मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:

तनाव (Stress)

यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो अनेकों मानसिक रोगों को जन्म देता है और सुरक्षा बलों के मनोबल को हानि पहुंचाता है। सुरक्षा बलों के संदर्भ में तनाव के कई कारण हैं जो एक साधारण नागरिक के जीवन से पूर्णतया अलग हैं। यह कारण निम्न प्रकार के हो सकते हैं:

क) कठिन कार्यशैली और प्रतिकूल परिस्थितियां

ख) नींद का पूरा ना होना

ग) अकेलापन और पारिवारिक एवं सामाजिक अलगाव

घ) चौबीसों घंटे सतर्कता और नीरस दिनचर्या

ङ) दुर्घटना, विस्फोट और हमले का लगातार खतरा बने रहना

च) साथियों का बीमार और दुर्घटनाग्रस्त हो जाना

छ) बहु कार्य प्रणाली

ज) युद्ध और सुरक्षा अभियानों में परिणामों का स्पष्ट ना होना

झ) हथियारों और सैन्य उपकरणों का अभाव हो जाना इत्यादि

२) अवसाद और चिंता (Depression and Anxiety)

डिप्रेशन यानी मन की उदासी। यह एक महत्वपूर्ण रोग है जो हमारे मन को निर्बल करता है। जब एक सैनिक अवसाद से ग्रस्त होता है तब उसका प्रतिकूल प्रभाव उसकी दिनचर्या और मनोबल पर पड़ता है। सैनिक की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है जो सुरक्षा क्षेत्र में हानिकारक सिद्ध हो सकती है।

आत्महत्या की प्रवत्ति (Suicide)

आत्महत्या एक मनुष्य के अंदर पनप रही मानसिक बीमारी का दुष्परिणाम है। इस स्थिति में सैनिक की जीवन जीने की इच्छा पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है और वह आत्मघाती कदम उठा लेता है। एक सैनिक के पास हथियारों की उपलब्धता इस कार्य को ओर सरल बना देती है। हाल के कुछ वर्षों कई आंकड़े सामने आयें हैं जहां सुरक्षा कर्मीयों के द्वारा आत्महत्या के मामलों में वृद्धि हुई है।

पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD): आघातोंप्रांत तनाव विकार

यह एक प्रकार का मानसिक रोग है जो किसी अत्याधिक तनावपूर्ण, भयावह या दर्दनाक घटना के बाद हो सकता है। हमारे सैनिक और सुरक्षा बल अक्सर कठिन समावेश और दुर्घटनाओं से जूझते हैं। ऐसे में इस रोग का खतरा उत्पन्न हो जाता है जो एक सैनिक के मन और मनोबल को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। कई प्रकार के लक्षण इस रोग में देखे जा सकते हैं जैसे नींद ना आना या बार बार डर कर जाग जाना, फ्लैशबैक और बुरे सपने आना, हमेशा घबराहट,डर, गुस्सा और चिड़चिड़ाहट का बने रहना और साथ ही उस घटना से जुड़ी चीज़ों और परिस्थितियों से दूर भागना इत्यादि। इसलिए इस मानसिक रोग को पहचानना और मनोचिकित्सक के द्वारा यथाशीघ्र उपचार करवाना अनिवार्य है।

नशे की लत और नशीले पदार्थों का सेवन (Drug Addiction)

तनावपूर्ण और एकांत वातावरण में लंबे समय से कार्यरत होने के कारण सुरक्षा बल एवं सीमा प्रहरी अपने मानसिक तनाव के निदान के लिए नशीले पदार्थों का सेवन प्रारंभ कर देते हैं। शुरुआत में यह प्रयोग मनोरंजन के रूप में होता है परंतु धीरे धीरे यह नशे की लत बन जाती है। सैनिक का मन और तन दोनों ही उसके गिरफ्त में आ जाता है। आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ हैं – तंबाकू, शराब, गांजा, चरस, अफीम, हीरोइन, नींद की गोलियों इत्यादि। इनके सेवन से सैनिक के मनोबल और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। आज के समय में नशे की लत से सुरक्षा बलों को बाहर निकालना एक बहुत चुनौती है जिसके लिए नशामुक्ति सेवाएं प्रदान करना अति आवश्यक है।

मानसिक सेवाओं का अभाव और अवधारणाएं

आज हमारे देश में मानसिक रोग लगातार बढ़ रहे हैं। परंतु मनोचिकित्सक और ज़रूरी मानसिक सेवाओं का अभाव है। हमारे सीमा सुरक्षा बल दूर दराज इलाकों में कम करते हैं जहां पर सही समय और उपयुक्त मानसिक सेवाएं नहीं पहुंच पाती। फलस्वरूप छोटी छोटी मानसिक अड़चनें धीरे धीरे विशालकाय बीमारी का रूप ले लेती हैं और एक सैनिक के मन और तन को प्रभावित करतीं हैं।

साथ ही आज भी हमारे समाज में मानसिक रोगों को लेकर अनेकों अवधारणाएं हैं जिसके कारण लोग इसे निरंतर छिपाते रहते हैं और सामने आ कर इलाज नहीं कराते। एक सैनिक के अंदर कमज़ोर मनोबल का यह एक महत्वपूर्ण कारण है।

इनके अलावा कई ऐसे कारण हैं जो हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे छुट्टी का अभाव, तैनाती और प्रोमोशन की अनिश्चितता, रिटायरमेंट की चिंता, वरिष्ठों का दवाब और कठोर अनुशासन की जीवन शैली, परिवार और समाज से अलगाव, सीमित मनोरंजन के साधन एवं व्यक्तिगत जीवन।

सीमा रक्षकों और सुरक्षा बलों में निम्न मनोबल और मानसिक बीमारियों का राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव

सीमा सुरक्षा बल देश की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। देश को बाहरी खतरों से बचाकर सबको सुरक्षित रखना इनका मूलभूत कर्तव्य है। यदि इन सैनिकों का मनोबल गिरता है या वे मानसिक रोगों से ग्रसित होते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है।

क) सतर्कता में कमी

मनोबल गिरने और मानसिक तनाव के कारण सुरक्षा बलों में सतर्कता कम हो जाती है। परिणामस्वरूप सीमा रक्षा में चूक हो सकती है और दुश्मन या कोई आतंकी संगठन घुसपैठ करने में सफल हो सकते हैं।

Border Facts

सुंदरता के छिपे कोने

लद्दाख और नागालैंड जैसे सीमावर्ती क्षेत्र अक्सर अनदेखे रह जाते हैं, लेकिन दुर्लभ वन्यजीवों से भरे हैं—स्नो लेपर्ड, रेड पांडा, हॉर्नबिल।

सबसे गीले से सबसे शुष्क तक

मणिपुर की सीमा पर्वतियों में प्रचुर वर्षा होती है, जबकि राजस्थान के रेगिस्तानी सीमा क्षेत्र सबसे शुष्क हैं—एक देश में जलवायु की चरम स्थितियाँ।

ख) निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित

मानसिक रोग (जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी एवं पी टी एस डी) से पीड़ित सैनिक समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाते जिससे संकटकाल में खतरा बढ़ जाता है

ग) आत्मघाती प्रवृत्तियां एवं तनाव

मनोबल के अभाव में आपसी तनाव में वृद्धि होती है और आत्महत्या की सोच जन्म ले सकती है। जो एक सुरक्षा दल को कमजोर बनाती है।

घ) घटनाओं का दुष्प्रभाव: मीडिया और जनविश्वास

अनुशासनहीनता,आपसी मतभेद, आत्महत्या इत्यादि जैसी घटनाएं जब सैनिकों में होती हैं और जन सदाहरण के सामने आती हैं तो इससे सुरक्षा बलों की छवि पर नकारात्मक असर पड़ता है। इससे आम जनता का विश्वास डगमगा सकता है जिसका फायदा दुश्मन देश भली भांति उठा सकता है।

सीमा रक्षकों और सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने के कुछ खास उपाय और मानसिक चुनौतियों के लिए सुझाव एवं समाधान

१) नियमित मानसिक स्वास्थ्य जांच और काउंसलिंग सत्र का प्रबंध होना चाहिए जिसके द्वारा पनप रही मानसिक बीमारी को जल्द ही पहचाना जा सके और समय से उसका सही उपचार किया जा सके।

२) मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। सीमा रक्षकों के लिए पर्याप्त मनोचिकित्सकों की नियुक्ति हो और साथ ही सीमा पर दूर दराज क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए टेली काउन्सलिंग सेवा सुचारू रूप से अग्रसर होनी चाहिए।

३) परिवार से संवाद के लिए बेहतर संचार सुविधाएं हों एवं नियमित रूप से सभी सुरक्षा कर्मियों को अवकाश का अवसर मिलना चाहिए।

४) सभी सुरक्षा बलों को समय समय पर सार्वजनिक प्रशंसा और सराहना मिलनी चाहिए जैसे कि मौखिक और लिखित प्रशंसा, पुरस्कार एवं पदक इत्यादि।

५) निरंतर प्रशिक्षण, विशेष नियुक्तियां जैसे कि विशेष इकाइयां, टास्क फोर्स, विदेश मिशन एवं स्पष्ट पदोन्नति मार्ग सैनिकों के मनोबल को उच्च बनाए रखता है।

६) बेहतर मनोरंजन सुविधाएं एवं खेल गतिविधियों का नियमित आयोजन तनाव को कम करता है और सैनिक की कार्य क्षमता एवं कार्य कुशलता को बनाए रखता है।

७) कार्य और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन, परिवार सहयोग और कल्याणकारी योजनाएं एवं बच्चों की शिक्षा सहायता जैसे प्रयास सीमा रक्षकों और सुरक्षा बलों के उच्च मनोबल को बनाए रखने में अत्यंत कारगर सिद्ध हो सकते हैं

८) मजबूत नेतृत्व, टीम भावना, वरिष्ठों द्वारा सही मार्गदर्शन, संयुक्त प्रशिक्षण एवं आपसी भाईचारा सीमा सुरक्षा बलों के मनोबल को बढ़ाने का मूल मंत्र है।

सीमा रक्षकों और सुरक्षा बलों का मनोबल देश की सुरक्षा के लिए एक अद्दश्य कवज की तरह है। जब सैनिकों का मनोबल ऊंचा होता है, तब वे अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा, साहस और समर्पण से निभाते हैं। सीमा पर तैनात सैनिकों का मानसिक स्वास्थ्य और उच्च मनोबल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनके हथियार और प्रशिक्षण। यदि हमारे सीमा सुरक्षा बलों का मनोबल सकारात्मक और ऊंचा रहेगा एवं उनका मानसिक स्वास्थ्य मजबूत रहेगा तभी हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी और राष्ट्रीय सुरक्षा अक्षुण्ण बनी रहेगी। इसलिए सरकार, समाज और भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर पराक्रमी सीमा रक्षक और सीमा सुरक्षा बल सदैव स्वस्थ रहें और अपने उच्च मनोबल को बनाए रखें ताकि हमारा राष्ट पूर्णरूप से सुरक्षित हो और विश्वगुरू की उपाधि की तरफ अग्रसर हो।

सीमा दर्शन के माध्यम से आम नागरिकों को
सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास से जोड़ने हेतु

शुभकामनाएँ

Dr. Anupama Ahluwalia

Ahluwalia Gas Service

Distributor bharat petrolium corporation limited
5/6 p l sharma road meerut

सीमा जागरण मंच

देश की सीमा सुरक्षा को सशक्त बनाने
तथा सीमा वर्ती क्षेत्रो में रहने वाले
नागरिकों की आवाज को देश के बाकी
हिस्सो तक पहुँचाने का कार्य कर रहा है।

उसके लिए आपको
बहुत - बहुत
शुभकामनाएँ

दीप्ति मित्तल

अध्यक्ष, न.पा.परि, बुलन्दशहर

ममता त्यागी

जिला पंचायत अध्यक्ष
गाजियाबाद

प्रियंका चतुर्वेदी

अपर मुख अधिकारी
जिला पंचायत गाजियाबाद

सागर स्वच्छता अभियान

के लिए बहुत बहुत

हार्दिक शुभकामनाएं

सुशासन का संकल्प

1. जनपद में कुल 316 किलोमीटर सड़कों का निर्माण
2. जलभराव की समस्या से छुटकारा पाने हेतु 72 किलोमीटर नालों का निर्माण
3. ORMS (Online Revenue Management Statem) के माध्यम से टैक्स वसूली कर आय बढ़ाने का काम
4. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 35 लाख की लागत से प्रदेश की पहली रेफस्ल वर्मी कंपोस्ट टेस्टिंग लैब का निर्माण
5. बेटियों को गायत्री पब्लिक स्कूल में 1से 5वीं कक्षा तक मुफ़्त शिक्षा, महिलाओं को प्रशिक्षण जैसे उत्कृष्ट कदम
6. ग्राम सैदपुर में विश्व प्रसिद्ध राजकीय पर्यटन स्थल दादी माँ धाम का जीर्णोद्धार कराया
7. कोविड काल में आशा बहनों के साथ मिलकर दवाइयां, सेनेटाइजर, ऑक्सीजन मशीनों की व्यवस्था, तथा दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल देने का काम
8. युवाओं में खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अवसरों पर कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन एवं अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन
9. नगर गुलावती स्थित चिकित्सालय में लगभग 30 वर्षों से ज़रुरतमंद महिलाओं को निःशुल्क सेवाएं

डॉ. अंतुल तेवतिया

अध्यक्ष, बुलंदशहर की ज़िला पंचायत

हक़ से माँगो

PRIYAGOLD

अच्छे स्वाद पर सबका हक़ है!

BISCUITS • JUICES • COOKIES • CONFECTIONARY

OberoiIBC

SURYA FOOD & AGRO LTD.

D-1, Sector-2, Noida - 201 301, U.P., India. | **Tel.:** +91-120-2552989, 2522939, 2558246(PRI).

Email: mail@priyagold.com | **Visit us at:** www.priyagold.com